

अहिंसा-दर्शन

लेखक
बलमङ्गल श्रेष्ठ

सं. ११६
जैन साहित्य संस्कृत-संस्था
मैसूरु (कर्णाटक) उ० प्र०

प्रकाशक

जैन साहित्य एकेडेमी,
खेकड़ा (मेरठ) उ० प्र०

1

प्रथमावृत्ति

मूल्य छ० रुपये ५/-

मुद्रक

प्रकाश प्रिंटिंग वर्क्स,

३, कलाश्व रोड,

इलाहाबाद ।

जो आकाशों को लुप्तता की शून्य लकी होने
 उनके अन्त के अन्त में बिना के जो जो आकाश लुप्ततासे रहते हैं
 जिसके अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में
 जो अन्त अन्तों का अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में

१ कुल्लू दे

२५

आकाश मूर्ति आकाश-राम की अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में अन्त में

६

आकाश मूर्ति

दिल्ली अन्त

आभार-प्रदर्शन

इस पुस्तक के प्रकाशन का समस्त व्यय स्वनाम धन्य वा० खुवीर-शरण जी कलकत्ता निवासी ने प्रदान किया है। आप उदार दानी, धर्मपरायण और विवेकशील शिक्षित युवक हैं तथा कलकत्ते की प्रसिद्ध फर्म मैसर्स-जामवल्लीम-समेश्वर-जी-एण्ड-कं० के-मालिक हैं। आपने अपनी व्यापारिक कुशलता से प्रभूत सम्पत्ति अर्जित की है और व्यापारी समाज में अपना सम्मानपूर्ण स्थान बना लिया है। जैनधर्म-प्रसार की आपकी सदा भावना रहती है। इसके लिये वे अपने न्यायोपार्जित धन का बहुत बड़ा भाग देते रहते हैं। किन्तु यशो लिप्सा से दूर रह कर। इसी का यह परिणाम है कि हमारे चार चार अनुरोध करने पर भी आपने अपना चित्र नहीं भेजा। इसका हमें अत्यन्त दुःख है।

जैन साहित्य एकेडेमी की ओर से और व्यक्तिशः भी मैं आपका हृदय से अत्यन्त आभारी हूँ।

—वल्लभद्र जैन

दो शब्द

इस ग्रन्थ के प्रणयन और प्रकाशन का भी अपना एक लम्बा इतिहास है। सन् १९५७ में नवम्बर माह में स्यामकवासी मुनि श्री मुशील कुमार जी के अनवरत प्रयत्नों से दिल्ली में विश्व-धर्म-सम्मेलन का महान् आयोजन किया गया था। उससे लगभग दो माह पूर्व की बात है। मुनि श्री मुशील कुमार जी तथा विश्व-धर्म सम्मेलन के संयोजकों ने विचार किया कि अहिंसा के सम्बन्ध में एक प्रामाणिक ग्रन्थ का निर्माण कराया जाय, जो सम्मेलन में आये हुए भारतीय और विदेशी विद्वानों को उपहार स्वरूप दिया जाय। पश्चात् इस विचार में संशोधन होकर यह निश्चय हुआ कि जैन धर्म ने अहिंसा की जो सर्वाङ्ग सम्पूर्ण व्याख्या की है, उसके सम्बन्ध में अद्भुत और मौलिक मूल्य स्थिर किये हैं तथा लोक-मानस की भूमिका को अहिंसा की नैतिक मान्यताओं से प्रभावित किया है, वह विश्व के सांस्कृतिक इतिहास में अपना विशेष स्थान रखता है। किन्तु दुःख इस बात का है कि अभी तक अहिंसा के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रामाणिक एवं आधुनिक शैली में लिखा हुआ ग्रन्थ निर्मित नहीं हो पाया, जो निःसंकोच जैन और जैनेतर विद्वानों के हाथों में दिया जा सके। अतः ऐसे ग्रन्थ का निर्माण कराया जाये, जिसके द्वारा अहिंसा सम्बन्धी जैन मान्यताओं का प्रामाणिक परिचय प्राप्त किया जा सके।

मुझे प्रसन्नता है कि यह कार्य मेरे सुपुर्द किया गया और बड़े संकोच के साथ मैंने पूर्ण निर्धारित सभी कार्यक्रमों को स्थगित करके इस कार्य को अपने हाथ में ले लिया। यह बात लगभग १५ सितम्बर १९५७ की है। काम तो हाथ में ले लिया, किन्तु मैं इसे जितना सरल

समझता था, यास्तव में यह उतना ही कठिन सिद्ध हुआ। यह कठिनाई समय की सीमित अवधि ने और भी बढ़ा दी। इतने सीमित समय में अनेकों ग्रन्थों का संकलन, उनका अरलोकन और सामग्री तैयार करना वस्तुतः ही एक कठिन कार्य था। किन्तु ग्रन्थों के संकलन की एक कठिनाई तो वीर सेवा मन्दिर के अध्यक्ष डा० छाटेलाल जी और उसके अधिष्ठाता आचार्य पुगल विश्वर जी मुख्तार की अनुकम्पा से सरल हो गई। उन्होंने वीर सेवा मन्दिर के विशाल पुस्तकालय का निर्याप और स्वतन्त्र उपयोग करने की मुझे अनुमति प्रदान कर दी। जिसके लिये मैं उक्त दोनों आदरणीय सज्जनों का हृदय से आभारी हूँ।

बेद माह का लक्ष्य बना कर मैं अविभान्त परिधम से काम में जुट गया और ३१ अक्टूबर को ठीक समय पर इसे मैंने पूर्य कर लिया। इसके लिये मुझे कई भाषाओं के लगभग १५० ग्रन्थों और अनेक पत्रों का अवलोकन करना पड़ा।

ग्रन्थ समाप्त हो जाने के पश्चात् उसके प्रकाशन का प्रश्न उपस्थित हुआ। पहले विश्व धर्म सम्मेलन के सयोजकों की ही इसके प्रकाशन की इच्छा थी और विशेष रूप से सम्मेलन में आये हुए विद्वानों के लिये ही यह ग्रन्थ लिखाया भी गया था। मुझे यह भी बताया गया था कि इसका गुजराती संस्करण भी जल्दी ही निकालने की योजना हो रही है तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थलों का अंग्रेजी अनुवाद भी कराया जा रहा है, जो सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित होकर वितरित किया जायगा किन्तु सम्मेलन तक इतने अल्पकाल में प्रकाशन की किसी व्यवस्था के न होने तथा अन्य कई कारणों से इसका प्रकाशन उस समय न हो सके।

सौभाग्य से उन दिनों परमपूज्य आचार्य देशभूषणजी महाराज दिल्ली में ही विराजमान थे। संयोगवश उन्हें इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि देखने का अवसर मिल गया। ग्रन्थ के कई स्थल उन्होंने देखे। देखकर

वे अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने यह इच्छा प्रगट की कि यह ग्रन्थ शीघ्र ही प्रकाशित होना चाहिये । किन्तु तभी उनका दिल्ली से बिहार हो गया ।

इस वर्ष आचार्य श्री का चातुर्मास कलकत्ता नगरी में हुआ । कालेज के कार्य से पर्यपूर्ण वर्ष के अन्तर पर मुझे भी कलकत्ता जाने का अवसर प्राप्त हुआ । वहाँ आचार्यश्री ने पुनः इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में पूछा ।

जब मैं वहाँ से वापिस आ गया, तब कलकत्ता की प्रसिद्ध—फर्म मीर्या-रामकल्लम-समेस्वर-के-मालिक माननीय वा० रघुवीर शरण जी का पत्र आया । उन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिये आवश्यक धन देने की इच्छा प्रगट की और उनकी इच्छानुसार यह ग्रन्थ इलाहाबाद के प्रकाश प्रिंटिंग वर्क्स में छपने के लिये भेज दिया गया । इस प्रकार पूज्य आचार्यश्री के आशीर्वाद और वा० रघुवीर शरण जी के उदार सहयोग के कारण इस ग्रन्थ का प्रकाशन इतना शीघ्र संभव हो सका । इसके लिये मैं आचार्यश्री के प्रति अपनी भक्ति का अर्घ्य प्रदान करता हूँ । तथा वा० रघुवीर शरण जी का अत्यन्त अनुग्रहीत हूँ । वास्तव में इस महामना उदार सज्जन की कृपा के बिना इस ग्रन्थ का प्रकाशन संभवतः अभी न हो पाता ।

अब यह ग्रन्थ जैन साहित्य एकेडेमी की ओर से प्रकाशित हो रहा है । इस प्रकाशन संस्था के उदय का एकमात्र उद्देश्य आधुनिक शैली में मौलिक साहित्य का प्रकाशन और प्रकाशन है । इस ग्रन्थ की विक्री से जो धन प्राप्त होगा, उससे भविष्य में इसी प्रकार का साहित्य प्रकाशित होता रहेगा ।

यह ग्रन्थ लिखते समय मैंने पूरा ध्यान रखा है कि अहिंसा संबंधी जैन मान्यताओं को उपस्थित करते हुए भी किसी सम्प्रदाय या व्यक्ति की मान्यता के सम्बन्ध में कोई अन्याय न होने पावे । बल्कि तथ्यों एवं

तकों के आधार पर जो निष्कर्ष निकल सकें, उन्हीं के सहारे अपने विषय का प्रतिपादन करें। मैंने भरसक प्रयत्न किया कि अहिंसा का क्रमिक इतिहास और विभिन्न कालों की अहिंसा सम्बन्धी मान्यताओं को प्राचीन ग्रन्थां, पुरातत्व सम्बन्धी स्रोतों और विभिन्न ऐतिहासिक मान्यताओं के सहारे ही प्रतिपादन करें। साथ ही अहिंसा विषयक जैन मान्यताओं को जैन धार्मिक आधार पर, और जहाँ तक समय हो सके, उसके ही शब्दों में उपस्थित करूँ। मैं नहीं जानता, मैं अपने इस प्रयास में कहीं तक सफल हो सका हूँ। यह तो इस पुस्तक के विद्वान् पाठकों का मतान्त पर ही निर्भर है। किन्तु मुझे अपने इस चिन्तन प्रयत्न पर सन्तोष है।

संभवतः यह प्रश्न उपस्थित किया जाय कि इस या उस रूप में लोग मानस में समाई हुई, नैतिक मान्यताओं की आधारभूत अहिंसा को साम्प्रदायिक सीमा में जकड़ने का क्या उद्देश्य है, और क्या इस प्रकार यह पशु नहीं रह जायगी? स्वभावतः प्रश्न की गम्भीरता से इनकार न करते हुए भी निम्नलिखित पूर्वक मैं निवेदन करने की अनुमति चाहूँगा कि अहिंसा सम्बन्धी व्यापक अध्ययन का आधार पर मेरी यह धारणा दिनों दिन पुष्ट होती गई है कि जैनधर्म ने अहिंसा की अविनाशक व्याख्या और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है। इस समय, जब कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में अहिंसा की चर्चा अहिंसा के मुकाबिले विश्व शांति और वैयक्तिक जीवन-व्यवहार के लिये एक समर्थ और अव्यर्थ विकल्प के रूप में जोर पकड़ रही है, उस समय अहिंसा को उसके सही मायनों में समझा जाय। इसके लिये अहिंसा का प्रतिष्ठाता जैनधर्म की अहिंसा विषयक व्याख्या और धारणाओं को उपस्थित करना सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। मैं अपनी इस मान्यता को छिपाना भी उचित नहीं समझता कि अहिंसा विषयक जैन मान्यताओं को प्रचार पाने का अब तक न कोई समुचित अवसर ही मिल पाया है और न उन्हें समुचित न्याय ही मिल

सका है। संभवतः मेरा यह विनम्र प्रयत्न अहिंसा के सम्बन्ध में शोध-लोक करने वालों, जिज्ञासुओं और अनुयायियों से 'जैन' अहिंसा के सम्बन्ध में उचित न्याय पाने में सहायक सिद्ध हो सकेगा। यदि यह हो सका तो मैं अपना प्रयत्न सफल समझूँगा।

मैंने इस ग्रन्थ में कई विद्वान् लेखकों, विशेषकर आदरणीय बा० चयमगवान जी वकील, या० कामता प्रसाद जी, मेरे आदरणीय मित्र पं० हीरालाल जी शास्त्री के कई लेखों और मान्यताओं का स्वतन्त्रता पूर्वक अपने लिये उपयोग किया है। इसके लिये मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ और उनका आभारी भी हूँ।

मैं मुनि मुशील कुमार जी और पं० शोभा चन्द्र जी भारिल्ल न्याय तीर्थ का भी आभारी हूँ, जिन्होंने स्वताम्बर शास्त्रों के उद्धरण संकलन करने में मुझे पूरा सहयोग दिया तथा जिनके परामर्शों का लाभ भी मुझे प्राप्त हो सका।

मैं अपने अग्रज बन्धु प्रोफेसर विमल कुमार जी एम० ए०, पी० एच० डी० तथा अपने अमित्र मित्र प्रोफेसर दिव्य कुमार जी शास्त्री, एम० ए० का भी कृतज्ञ हूँ, जिनकी प्रेरणाओं ने मेरे उत्साह को मन्द नहीं होने दिया।

अन्त में मैं यहाँ प्रकाश प्रिंटिंग वर्क्स के संचालक बा० सत्य-प्रकाश जी को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिनके कृपापूर्ण सहयोग के द्वारा अल्पकाल में इतने सुन्दर रूप में यह ग्रन्थ प्रकाशित हो सका।

जैन काज्ञेज,
खेकड़ा (मेरठ)
वसन्त पंचमी सन् १९५६ }

विनीत
वल्लभद्र जैन

ग्रन्थ-सूची, जिनके उद्धरण इस पुस्तक में दिये गये हैं

- | | |
|--|--|
| १. Ancient India, by Gokhle | २० संस्कृति के चार अप्याय, श्री दिनकर |
| २. Bible | २१. श्रीमद्भागवत् |
| ३. The Recovery of Culture, by Henry Baily Stevens | २२. Indian Philosophy, by Dr. Radhakrishnan |
| ४. ऋग्वेद | २३. सामवेद |
| ५. अथर्ववेद | २४. छान्दोग्योपनिषद् |
| ६. The story of man, by Mulkraj Anand | २५. Studies in Indian Painting, by N C. Mehta |
| ७. सूत्र कृताङ्ग | २६. परिशिष्ट पर्व |
| ८. दशपिंडमलिक | २७. Descriptions of the people of India, by Dubois |
| ९. विष्णु पुराण | २८. Short studies in science of Comparative religions, by J G. R. Furlong. |
| १०. सुषुप्तोपनिषद् | २९. Bombay Samachar |
| ११. यजुर्वेद | ३०. विश्व कोष, श्री नगेंद्र चमू |
| १२. महीधर भाष्य | ३१. Clementine Homilie, by Apposol Peter |
| १३. मत्स्य पुराण | ३२. कुरान |
| १४. महाभारत | ३३. Rahmat-Al-Lil-Alamina, |
| १५. हरिवंश पुराण | |
| १६. ११ अक्षरित | |
| १७. उत्तर पुराण | |
| १८. भाव प्राकृत | |
| १९. त्रिपट्टि शलाका पुराण अक्षरित | |

- by Q. Md. Sulāman
३४. Qutan, Translation by
Mohammad Ali
३५. Mohammad in Ancient
Scriptures, by U. Ali
३६. Bokhari
३७. Talkhis Al-Schab
३८. आत्मकथा-म० गाँधी
३९. हरिजन
४०. हिन्दु स्यराज्य-म० गाँधी
४१. Young India
४२. Speeches & writings
of Mahatma Gandhi
Madras 1928
४३. आदि पुराण
४४. समवायाह सूत्र
४५. आवरणक सूत्र
४६. स्थानाङ्ग सूत्र
४७. जम्बूद्वीप पथ्यति सूत्र
४८. ऋष्य सूत्र
४९. तिलोय पथ्यति
५०. धाराह पुराण
५१. क्षिप्र पुराण
५२. वायु पुराण
५३. स्कन्ध पुराण
५४. माहेश्वर खण्ड
५५. ऋष्याण
५६. A survey of Indian
history, by K. M.
Pannikkar
५७. ईशान संहिता
५८. महा पुराण्य
५९. शिवपुराण
६०. त्रिलोक सार
६१. धवला
६२. मणिकमनिशाय
६३. Prehistoric India and
ancient Egypt, By S. K.
Roy
६४. ता० ब्राह्मण
६५. शतपथ ब्राह्मण
६६. कौत्स ब्राह्मण
६७. ऐतरेय ब्राह्मण
६८. अमर कोष
६९. स्वयम्भूरतोत्र
७०. तैत्तिरीय ब्राह्मण
७१. षड्विंश ब्राह्मण
७२. हरिवंश पुराण (जैन)
७३. Ancient Indian Historical
tradition, by Par-
giter
७४. उत्तराध्ययन
७५. विविध तीर्थ ऋष्य
७६. उत्तार्य सूत्र

७७. यशस्तिलक
 ७८. पुरुषार्थ सिद्धयुपाय
 ७९. राजवार्तिकालङ्कार
 ८०. श्रीमद्भगवद्गीता
 ८१. सागार धर्माभूत
 ८२. रत्नकरण्ड आवकाचार
 ८३. प्रश्नव्याकरण
 ८४. ज्ञानार्थ
 ८५. नीतिवाक्यामृत
 ८६. अमिहगति आवकाचार
 ८७. योगसूत्र
 ८८. योग शास्त्र
 ८९. भावनाद्वाश्रितिका
 ९०. सुत्तागमे
 ९१. वसुनन्दि आवकाचार
 ९२. गुणभद्र आवकाचार
 ९३. रत्नमाला
 ९४. नागपटल
 ९५. मनुस्मृति
 ९६. नारद
 ९७. स्वास्थ्य विज्ञान-डा० भास्कर
 गोविन्द घायेकर
 ९८. स्वास्थ्य विज्ञान-डा० मुकुन्द
 स्वरूप वर्मा
 ९९. चरक
 १००. सुभूत
 १०१. त्रिवर्णाचार
 १०२. प्रवचन सारोद्धार
 १०३. पीयूषवर्ष आवकाचार
 १०४. धर्मसंग्रह आवकाचार
 १०५. उत्तरमीमांसा
 १०६. अ०पारमसार
 १०७. ईशावास्योपनिषद्
 १०८. कठोपनिषद्
 १०९. प्रश्नोपनिषद्
 ११०. History of Philosophy
 by Thilly
 १११. Appearance and rea-
 lity

विषय-सूची

१—अहिंसा का प्रादुर्भाव और विकास

मानव की आद्य मनोभूमिका—आद्य मानव विकास की राह पर—आद्य मानव शाकाहारी था—अहिंसा की प्रथम उद्घोषणा—प्राग्मैदिक यज्ञ का रूप और धार्मिक क्षेत्र में हिंसा का प्रवेश—अहिंसा की अनुयायी प्राग्मैदिक जातियाँ—माल्य-द्रविड़—अमुर-आग्नेय—नाग-यदु—पुरातल्य और प्राग्मैदिक संस्कृति का रूप—हिंसा मूलक यज्ञों का विरोध और श्रैदिक साहित्य पर उसका प्रभाव—हिंसा विरोधी धार्मिक क्रान्ति—अहिंसक क्रान्ति का दूरगामी प्रभाव—पारुषोमोरस—लाओत्से—फूत्से—अन्य देशों में जैन अहिंसा की मूर्त—ईसा—हजरत मुहम्मद—कुछ अहिंसक आन्दोलन-कथेकर्ता—एक अहिंसक राज्य की स्थापना—दूखोवाच—युद्ध विरोधी आन्दोलन—राजनैतिक क्षेत्र में अहिंसा का सफल प्रयोग

पृष्ठ १—६२

२—अहिंसा के सभायक चार तीर्थंकर

भगवान् ऋषभदेव—शिवजी—जटाधर—गान्दी—केलाच—शिवरात्रि—गंगावतरण—विराल और अन्धकामुर—लिंगपूजा—ब्रह्मा—अग्निदेव—अन्य धर्मों और देशों में ऋषभदेव का रूप—अहुरमन्द—श्रीसरिष—गौड—गुदा—अल्ला—आदम—भगवान् नेमिनाथ—भगवान् पार्वनाथ—भगवान् महावीर

पृष्ठ ६३-१२३

३—अहिंसा की परिभाषा

अहिंसा की आवश्यकता क्यों—अहिंसा का रूप निषेधात्मक नहीं है—अहिंसा की परिभाषा—द्रव्य और भावहिंसा—अहिंसा पालन

के दो प्रकार—शहस्य की अहिंसा मर्यादा—हिंसा शब्द व्यापक अर्थों में—अहिंसा का विराट् रूप—जैन शासन में अहिंसा का स्थान

पृष्ठ १२४-१४०

४—हिंसा और अहिंसा : एक अध्ययन

हिंसा का कारण - परघात बनाम आत्मघात—जीवदया बनाम आत्म दया—हिंसा अहिंसा का निर्णायक तत्व माय—हिंसा का फल—हिंसा का प्रयोजन—हिंसा क्यों त्याज्य है—अहिंसा का आधार सर्वसत्त्व समभाव है—अहिंसा के लिये हिंसा का त्याग एक आवश्यक शर्त है—हिंसा के त्याग के लिये हिंसा के साधनों का त्याग आवश्यक है—हिंसा हिंस्र जीवों की संख्या पर निर्भर नहीं है—अहिंसा के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्त धारणाएँ व्यावहारिक जीवन और निश्चय मार्ग—एक प्रश्न—धर्म के नाम पर हिंसा की मान्यता—दुस्ती जीवों का वध—सुस्ती जीवों का घात—स्वर्ग की आशा में आत्मघात—हिंस्र और हानिकर जीवों का वध

पृष्ठ १४१-१६६

५—अहिंसा और व्रत विधान

सारा व्रत विधान अहिंसा का साधक और पोषक है—पापों का आकर्षण और उसका प्रतिरोध—मनुष्यों के चार प्रकार—आचार के दो भेद—अणुव्रत और महाव्रत—व्रत आत्म विजय की साधना है—नैतिकता के अभाव से युद्ध और शोषण का विश्वव्यापी दौर—नैतिक मूल्यों के प्रति व्यक्ति की आस्था—व्रतों का नैतिक मूल्याङ्कन—व्रतों का सामूहिक नैतिक प्रभाव—जीवन की व्यावहारिक पृष्ठ भूमि पर अणुव्रतों का विधान—अणुव्रतों का उद्देश्य वैरहीन समाज की स्थापना है—अणुव्रतों के भेद अहिंसाणुव्रत—सत्याणुव्रत—अचौर्याणुव्रत—व्रत-निर्याणुव्रत—परिग्रह परिमाणव्रत—सप्तशील—आत्म नियमन की भावना अनर्थ दण्ड विरति—भोगोपभोग परिमाणव्रत—सल्लेखना या मरणसमाधि

पृष्ठ १६७-२६०

६—आहार विहार में अहिंसक दृष्टि

जीवन शुद्धि के लिये अहिंसा की प्राथमिक शर्त अष्टमूल गुण—
 गद्य-भाषा—धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, विज्ञान, शरीर विज्ञान, समाज
 सुधार, आर्थिक, सौन्दर्य, स्वास्थ्य और शक्ति, भाषना आदि दृष्टियों से
 मांसाहार निषेध—रात्रि भोजन त्याग—जल गालन—शिकार त्याग—
 त्याग योग्य पदार्थ

पृष्ठ २६१-२६०

७—वैचारिक क्षेत्र में अहिंसा की सार्थकता

वैचारिक अहिंसा की आवश्यकता—अनेकान्तवाद—स्याद्वाद-
 दार्शनिक क्षेत्र में स्याद्वाद की सार्थकता—दार्शनिक क्षेत्र पर स्याद्वाद
 का प्रभाव—व्यावहारिक जगत् में स्याद्वाद की उपयोगिता—अहिंसा
 का चरम लक्ष्य आत्म स्वातन्त्र्य—कर्म और कर्मफल क्या है

पृष्ठ २६१-२६३

८—विश्व की वर्तमान समस्याएँ और अहिंसा का भविष्य

वर्तमान समस्याएँ—डिक्टेटरशिप—प्रजातन्त्र अथवा जनतंत्र-
 समाजवाद अथवा साम्यवाद—आर्थिक—भूमि समस्या—विश्वयुद्ध
 बनाम विश्व शान्ति—नैतिक—न्याय बनाम समाज व्यवस्था—सारे
 संकटों का मूल भौतिकवाद या जड़वाद है—अहिंसक समाज बनाम
 विश्व सरकार—अहिंसा का भविष्य

पृष्ठ २१४-२४०

के दो प्रकार—रूहस्थ की अहिंसा मर्यादा—हिंसा शब्द व्यापक अर्थों में—अहिंसा का विराट् रूप—जैन शासन में अहिंसा का स्थान

पृष्ठ १२४-१४०

४—हिंसा और अहिंसा एक अध्ययन

हिंसा का कारण - परघात घनाम आत्मघात—जीवदया घनाम आत्म दया - हिंसा अहिंसा का निर्णायक तत्त्व भाव—हिंसा का फल—हिंसा का प्रयोजन—हिंसा क्यों त्याग्य है—अहिंसा का आधार सर्वसत्य समभाव है—अहिंसा के लिये हिंसा का त्याग एक आवश्यक शर्त है—हिंसा के त्याग के लिये हिंसा के साधनों का त्याग आवश्यक है—हिंसा हिंस्र जीवों की सख्या पर निर्भर नहीं है—अहिंसा के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्त धारणाएँ—व्यावहारिक जीवन और निश्चय मार्ग—एक प्रश्न—धर्म के नाम पर हिंसा की भावता—दुखी जीवों का वध—सुखी जीवों का घात—स्वर्ग की आशा में आत्मघात—हिंस्र और हानिकार जीवों का वध

पृष्ठ १४१-१६६

५—अहिंसा और व्रत विधान

सारा व्रत विधान अहिंसा का साधक और पोषक है—पापों का आकर्षण और उसका प्रतिरोध—मनुष्यों के चार प्रकार—आचार के दो भेद—अशुभ और महाव्रत—व्रत आत्म विजय की साधना है—नैतिकता के अभाव से युद्ध और शोषण का विश्वव्यापी दौर—नैतिक मूल्यों के प्रति व्यक्ति की आस्था—व्रतों का नैतिक मूल्यांकन—व्रतों का सामूहिक नैतिक प्रभाव—जीवन की व्यावहारिक पृष्ठ भूमि पर अशुभों का विधान—अशुभों का उद्देश्य धरहीन समाज की स्थापना है—अशुभों के भेद अहिंसाशुभ—सत्याशुभ—अचौर्याशुभ—ब्रह्मचर्याशुभ—परिग्रह परिमाणव्रत—सप्तशील—आत्म नियमन की भावना अनर्थ दण्ड विरति—भोगोपभोग परिमाणव्रत—सल्लेखना या मरणसमाधि

पृष्ठ १६७-२६०

६—आहार विहार में अहिंसक दृष्टि

जीवन शुद्धि के लिये अहिंसा की प्राथमिक शर्त अष्टमूल गुण—
 गद्य-मांस—धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, विज्ञान, शरीर विज्ञान, समाज
 सुधार, आर्थिक, सौन्दर्य, स्वास्थ्य और शक्ति, भावना आदि दृष्टियों से
 मांसाहार निषेध—रात्रि भोजन त्याग—जल गालन—शिकार त्याग—
 त्याग योग्य पदार्थ

पृष्ठ २६१-२६०

७—वैचारिक क्षेत्र में अहिंसा की सार्थकता

वैचारिक अहिंसा की आवश्यकता—अनेकान्तवाद—स्याद्वाद-
 दार्शनिक क्षेत्र में स्याद्वाद की सार्थकता—दार्शनिक क्षेत्र पर स्याद्वाद
 का प्रभाव—व्यावहारिक जगत् में स्याद्वाद की उपयोगिता—अहिंसा
 का चरम लक्ष्य आत्म स्वातन्त्र्य—कर्म और कर्मफल क्या है

पृष्ठ २६१-३१३

८—विश्व की वर्तमान समस्यायें और अहिंसा का भविष्य

वर्तमान समस्यायें—डिक्टेटरशिप—प्रजातन्त्र अथवा जनतंत्र-
 समाजवाद अथवा साम्यवाद—आर्थिक—भूमि समस्या—विश्वयुद्ध
 बनाम विश्व शान्ति—नैतिक—न्याय बनाम समाज व्यवस्था—सारे
 संकटों का मूल भौतिकवाद या जड़वाद है—अहिंसक समाज बनाम
 विश्व सरकार—अहिंसा का भविष्य

पृष्ठ ३१४-३४०

अहिंसा-दर्शन

—१—

अहिंसा का प्रादुर्भान और विकास

मानव काल की अनेकों घाटियों को पारकर आज तक पहुँचा है। इन घाटियों के पार करने में उसे अनेकों अनुभवों का लाभ मिला है। उसे दुर्गम पथों को पार करने के लिये नये-नये उपाय सोचने पड़े हैं; उसके समक्ष जो कठिनाइयाँ आती गईं, उनका समाधान पाने के लिये उसके मन में सदा ही एक अदभ्य लालसा रही है और इस लालसा ने ही उसके पथों में परिवर्तन किया है, उसकी मनोभूमि में परिवर्तन किया है। इस दृष्टि से आज हम यह विश्वासपूर्वक कहने की स्थिति में हैं कि मानव काल की आद्य घाटी में जो था, वह आज नहीं है, उसमें बहुत परिवर्तन हो चुके हैं। उस समय से आज उसका रूप बदल गया, रुचि बदल गई, रहन-सहन और परिधान बदल गया, आवास और संस्करण बदल गया, आवश्यकताएँ और उनकी पूर्ति के साधन बदल गये। कुल मिलाकर जीवन के मूल्य और दृष्टिकोण बदल गये।

● ग्रहिसा दर्शन

जैनधर्म में काल-चक्र को अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी इत दो रूपों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक के ६ विभाग स्वीकार किये गये हैं—सुयमा-सुयमा, सुयमा, सुयमा-दुयमा, दुयमा-सुयमा दुयमा, और दुयमा दुयमा। काल का यह चक्र निरन्तर घूमता रहता है। इन चारह वालों का एक पूरा चक्कर चल्य कहलाता है। प्रकृति स्वयं ही एक कल्प के आधे भाग में निरन्तर उत्कर्षशील बनी रहती है, मनुष्यों की आयु, रूप, स्वास्थ्य, रुचि सभी में उत्कर्ष होता रहता है। यह कल्प उत्सर्पिणी कहलाता है। जिसमें आयु आदि में निरन्तर हीनता बढ़ती जाती है यह अवसर्पिणी कल्प कहलाता है। आबकाल अवसर्पिणी कल्प दुयमा केन्द्र में से गुजर रहा है।

एक कल्प व्यतीत होने पर प्रकृति में भारी परिवर्तन होते हैं। और तब दूसरे कल्प का प्रारम्भ हो जाता है। काल इसी सृष्टि और विनाश की धुरी पर निरन्तर चक्र की तरह घूमता रहता है। प्रकृति सदा यों ही रूप परिवर्तन किया करती है। प्रकृति का सम्पूर्ण विनाश कभी नहीं होता, केवल रूप-परिवर्तन भर होता है। आज जहाँ राजस्थान है, वहाँ कभी सागर हिलोरें ले रहा था। जहाँ आज हिमालय खड़ा है, वहाँ भी कभी समुद्र रहा था। इन्हीं परिवर्तनों को लेकर प्रकृति है। विनाश की नींव पर सृजन खड़ा है। विनाश और निर्माण भिन्न भिन्न नहीं, एक सिक्के के दो बाजू हैं। प्रकृति विनाश और निर्माण की लीलाओं में भी अपने तत्वों को लेकर सदा ध्रुव बनी रहती है।

परिवर्तनों के इस चक्र में कहीं आदि है और कहीं अन्त, कोई नहीं कह सकता। निरन्तर घूमते रहने वाले चक्र में आदि और अन्त समय भी नहीं है। किन्तु घड़ी के डायल में हुई बारह के बाद में छः बजे तक नीचे की ओर जाती है और उसके बाद बारह बजे तक ऊपर

को जाती है। काल को हम एक दो तीन बचों में बाँध नहीं सकते, वह तो अलख्य और अविभाज्य है। किन्तु व्यवहार की सुविधा के लिये हम एक, दो, तीन से काल का एक व्यावहारिक विभाग कर लेते हैं। इसी प्रकार व्यवहार की सुविधा के लिये एक कल्प की, उसके दो भेदों की और उनके भी फिर ६-६ भेदों की कल्पना की गई है। और इस तरह कल्प का प्रारम्भिक काल सुविधा के लिये सृष्टि का आदि-काल और उस काल में रहने वाला मानव आद्य-मानव कहा जाने लगा है।

जैन-मान्यता के अनुसार मनुष्य-समाज के प्रारम्भिक और अविकसित मानव-रूप को 'युगलिया-समाज' के नाम से सम्बोधित किया गया है। उस काल में एक मा के गर्भ से सहजात पुत्र-पुत्री ही व्यस्क होने पर पति-पत्नी बन जाते थे। वे अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वृष्टों पर निर्भर रहते थे, जिन्हें कल्पवृक्ष कहा जाता था। उनके मानसिक विकास का यह शैशव-काल था। अतः उनमें न पाप की वासना आ पाई थी और न धर्म का विवेक। वे धर्म और पाप दोनों से निर्लिप्त थे। फिर भी निर्विचार थे। उनका जीवन सन्तोष, निर्वेद और शान्ति का जीवन था। आवश्यकतायें उनकी सीमित थीं और आवश्यकता-पूर्ति के साधन असीम थे। वह एक वर्ग-हीन समाज का काल था। सुग्मा-सुग्मा, सुपमा और सुपमा-दुपमा इन तीन कालों में मानव की स्थिति यही थी। मानव-विकास का यह उपा-काल था। जैन वाङ्मय में इस आद्य मानव-जीवन का व्यवस्थित वर्णन मिलता है। यह काल मोग-युग कहा गया है।

किन्तु मानव का मानस विकास की ओर बढ़ रहा था। उसमें सूर्य और चन्द्र को देखकर कुतूहलपूर्ण जिज्ञासा जाग उठी। तारा-मण्डल उसके मन में विस्मय पैदा करने लगा था। प्रारम्भ में मानव और

● अहिंसा-दर्शन

पशुओं में संपर्क का कभी प्रसंग नहीं आता था, किन्तु अब ऐसे प्रसंग आने लगे, जब पशु और मानव में संपर्क हो आया मानव विकास की राह पर उटता । मानव जानता तक न था कि आत्म-रक्षा का क्या उपाय है । किन्तु धीरे-धीरे ये संपर्क सामान्य होने लगे । मानव का लून मुँह लगने पर तो सिंह आदि स्वयं ही कभी-कभी आक्रमण करने लगे । आवश्यकता ने अनुसन्धान को जन्म दिया । ये अनुसन्धान करने वाले वैज्ञानिक उस युग की भाषा में मनु कहलाते थे । उस युग के इन महान् वैज्ञानिकों में १४ सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए । उन्होंने मानव की विज्ञान शास्त्र की आत्म-रक्षा के लिये दण्ड और पापण्य के शस्त्रों का आविष्कार किया और उनके चलाने के उपाय बताये ।

भोग-युग का अब आधा काल बीत चला था । मानव के समक्ष एक बड़ा संकट आया । अब तक मानव अलग-अलग रह रहा था । पशुओं के उपद्रवों के कारण जंगल का कुछ भाग काटकर अब कुछ सघन रहने लगा । इसका परिणाम यह हुआ कि पशुओं से उठे कुछ प्राण मिल गया, किन्तु अब पारस्परिक संपर्क उठने लगे । वृद्ध कुछ कम पड़ने लगे तो अधिकार की भावना का उदय हुआ । तब समान के प्रमुख पुरुष-मनु ने हर एक के लिये सीमा निर्धारित कर दी । इस नियम का अतिक्रमण करने पर उस व्यक्ति को दण्ड भी दिया जाने लगा । यद्यपि दण्ड का रूप अत्यन्त सरल था । उसे नियम भंग करने पर 'हा मा-धिक' कहकर लजित कर दिया जाता था । लेकिन इसके भी विवाद रुक नहीं पाये, तब वृद्धों पर हर एक के लिये अलग-अलग चिन्ह बना दिये गये । लोग अन्य पशुओं के भय के कारण बन के भीतरी अँचलों में गुसने का साहस नहीं करते थे तो हाथी को पकड़ना

और उस पर सवारी करना भी सिखाया ।

इसके पश्चात् बालक का नामकरण, उसका मनोरंजन आदि अनेक बातें सिखाईं । तब एक बार मानव के समस्त एक आकस्मिक संकट आ उपस्थित हुआ । घोर वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आ गई । सब कहीं जल ही जल दीख पड़ने लगा । उस समय मानव को उससे बचने का, उससे निकलने और नदी से पार जाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था । मनुष्यों ने पर्वत पर चढ़ कर जल से अपनी रक्षा करने, वर्षा से बचाव के लिए छत्री और नदी से पार जाने के लिए नाव बनाने की विधि का आविष्कार किया ।

अब भोग-काल का अन्त निकट रह गया था । वृद्ध समाप्त हो रहे थे । उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी । वर्षाओं के कारण पृथ्वी पर नाना प्रकार की वनस्पतियाँ उगने लगीं, फल वाले वृक्ष होने लगे । किन्तु मानव काल के इस चरण में भी इतना अविकसित था कि वह उनका उपयोग करना नहीं जानता था । तब अन्तिम मनु नाभिराय के पुत्र ने मानव को वनस्पतियों और फलों का उपयोग करना सिखाया ।

इस प्रकार भोग-भूमि का मानव विकास की ओर निरन्तर बढ़ रहा था । किन्तु उसके जीवन में दुःख नामक अनुभूति नहीं आ पाई थी । उसे किसी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और नैतिक बन्धनों में जकड़ने लायक परिस्थिति अब तक उत्पन्न नहीं हो पाई थी । वास्तव में यह स्वर्ण काल था ।

इस जैन मान्यता का समर्थन महाभारत,^१ दीर्घ निकाय,

• अहिंसा दर्शन

सुक्त निपात आदि भारतीय ग्रन्थों तथा इएडोनेशिया,^१ पैशीलोनिया^२ और सीरिया की आदि मानव संम्वन्धी प्राचीन सभ्यताओं से भी होता है।

वास्तव में इस युग की संस्कृति वन-संस्कृति थी और सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से युगल अर्थात् बहन-भाई का विवाह वैध था।

इस युगल-विवाह की वैधता का समर्थन वैदिक साहित्य से भी होता है। ऋग्वेद^३ और अथर्ववेद^४ में एक यम-यमी सूक्त है। ये दोनों बहन भाई हैं। सूक्त में यम-यमी का संवाद है। यमी यम से परम्परानुसार पति के रूप में आलिगन करने और वैसे ही दूसरे व्यवहार करने का अनुरोध करती है। उसका तर्क यह है कि परमेश्वर ने गर्भ में ही हम दोनों को दम्पति बनाया था। किन्तु यम कहता है कि 'हे यमी! किसी और को तू तथा कोई और तुझे आलिगन करे। उसके मन की इच्छा कर और यह तेरे मन की इच्छा करे।

इस सूक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि यम-यमी सहजात युगल भाई बहन हैं। उस युग में भाई बहनों का वैवाहिक सम्बन्ध सामान्य बात थी। किन्तु यम ने इस परम्परागत रिवाज को तोड़ा था।

जैन-साहित्य में युगल-विवाह की समाप्ति आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव के काल से मानी जाती है। किन्तु ऋषभदेव के पश्चात् ऋषभदेव के पुत्र भरत ने अपनी सौतेली माँ से उत्पन्न सुन्दरी से, जो वाहुपति की

१—Stevens (The Recovery of Culture) pp. 43-44

२—Ibid

३—ऋग्वेद १०-१०-१ से १४।

४—अथर्ववेद १८-१-१३ और १४

बहन थी, विवाह करने की इच्छा प्रगट की थी ।^१

जैन-ग्रन्थों के आदिनाथ (ऋषभदेव) यहूदियों और ईसाइयों के धर्म-ग्रन्थों में आदम के नाम से संबोधित किये गये हैं । और आदिनाथ के दोनों प्रसिद्ध पुत्रों-भरत और बाहुबलि का यहूदी और ईसाई-संस्करण हावीद और कावील हैं । हावीद और कावील ने अपनी सहोदर बहनों से ही विवाह किया था । आदम, हावीद और कावील का चरित्र पढ़ते हुए हमें लगता है कि हम आदिनाथ, भरत और बाहुबलि का ही चरित्र पढ़ रहे हों । और तब हमारे इस विश्वास की सहज ही पुष्टि मिल जाती है कि आदम काल तक (जैन मान्यतानुसार आदिनाथ-काल तक) सहजात भाई-बहनों का विवाह होता था ।

आहार के मामले में भोग-शुग का मानव वृक्षों पर निर्भर रहता था । अतः निश्चित रूप से वह शाकाहारी (vegetarian) था । अभी तक उसे कृषि का ज्ञान तक न था । अतः उसके लिये खाना पकाने का प्रश्न नहीं था ।^२ वह न अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग जानता

थाघ मानव शाका- था और न शिकार करने अथवा शिकार को हारी था पकाने का ही उसे ज्ञान था । वस्तुतः उसकी दशा तो एक श्रमोघ बालक जैसी थी । जैसे बालक माँ की छाती से चिपका रहता है, वैसे ही वह पेड़ों और फलों से अपनी उदर-नृप्ति करता था ।^३

१—श्वेताम्बर मान्यतानुसार

२—श्री मुखराम चानन्द (The story of man) पृ० १४-१६

३—So it is with man's family the primates. No vestige of them has been found earlier than the cocene about sixty million years ago. On the other hand, the fruit

● अहिंसा-दरान

किन्तु अब भोग युग समाप्त हो रहा था। कल्य-वृत्तों का अन्त होने लगा था। मानव की आवश्यकतायें बढ़ रही थीं। संसार की हर वस्तु के प्रति उसने मन में जिज्ञासा बढ़ रही थी, कुतूहल उत्पन्न हो रहा था। यद्यपि अभी तक वह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता था, किन्तु उदर पूर्ति के साधनों के अज्ञान ने अभाव का सा वातावरण उत्पन्न कर दिया था।

यही समय था, जब अन्तिम मनु नामिराय के पुत्र आदिनाथ ने, जिनका अपर नाम ऋषभदेव है, धर्म-युग का प्रारम्भ किया। उन्होंने अपनी महान् और विलक्षण प्रतिभा के द्वारा अग्नि, मणि, वृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प आदि के विविध आविष्कार किये, समाज और राज्य-व्यवस्था स्थापित की। इधर-उधर फिरते रहने वाले मानव-समूहों को पुर, ग्राम, नगर, पत्तन आदि निर्मित कराकर बसाया और इस प्रकार एक व्यवस्थित नागरिक जीवन का प्रारम्भ कराया। कुछ लोग इस काल को कृषि-युग भी कहते हैं। और श्रद्धावश आदिनाथ को कुछ लोग प्रजापति, ब्रह्मा, शिव, रुद्र, अग्नि, आदम आदि भी कहते हैं। (इसका विस्तृत विवेचन अगले-अध्याय में देखिये।)

अब मानव एक व्यवस्थित जीवन मिताने लग गया। उसने अनुभव कर लिया कि अब कर्म किये बिना, निर्वाह होना कठिन है। वृत्तों पर अब एक दिन के लिये भी निर्भर नहीं रहा जा सकता। इस काल के मानवों को आदिनाथ निरन्तर कर्म की ही प्रेरणा कर रहे थे।

अब आदिनाथ को यह विश्वास हो गया कि अब मानव का साधारण जीवन व्यवस्थित हो चुका है तो उन्होंने यह-त्याग कर श्री मुनि-दीक्षा लेकर वनों में तप करना प्रारम्भ किया। अन्त में उन्होंने

स्वयं अपने प्रयत्न से परम निःभेयस केवल्य (सर्वरुता) की प्राप्ति की।

अब वे पूर्ण पुरुष थे। माया और विकार से मुक्त होकर उनकी आत्मा शुद्ध-सुद्ध और मलहीन बन चुकी थी। अब वे वीतराग, दिन, अहंता हो चुके थे। वे अब आय तीर्थद्वार कहलाने लगे। अब उन्होंने जनता को परम निःभेयस-शिवमार्ग का, धर्म का उपदेश देना प्रारम्भ किया।

उनकी प्रथम देशान्ता अष्टापद (फैलारा) पर हुई थी। उनकी उपदेश-सभा में भारत के आदि सम्राट् भरत, अमंख्य प्रजाजन, पशु, पक्षी, देव, इन्द्र उपस्थित थे। उनकी गम्भीर गिरा इस रूप में प्रगट हुई—

‘सन्धोधि को प्राप्त करो। अरे उठे क्यों नहीं बूझते। इस जन्म के पश्चात् सन्धोधि को पाना दुर्लभ है। जो दिन बीत चुके हैं, वे लौटेंगे नहीं और दूसरी धार मनुष्य-जन्म पाना भी मुशक नहीं है। अरे देखो, गर्भ के बालक, नवान और बूढ़े सभी तो मरण को प्राप्त होते हैं। जैसे याज्ञ छुद्र विद्विया का जीवन हर लेता है, इसी प्रकार आयु पूरी होने पर जीवन भी समाप्त होगा।’

उन्होंने स्पष्ट घोषणा की—

‘इस संसार में केवल धर्म ब्रह्मण्य कारक है। वह धर्म अहिंसा, संयम और तप रूप है। जिस प्राणी का मन सदा धर्म में स्थिर रहता

१—संबुग्ग्द, दिन सुग्ग्द, संधोही सलु पेच दुक्खह ।

सो हुक्खमन्ति राहसो, सो मुक्कमं पुक्खरापि जीवियं ॥१

बहरा सुद्धा य पासह, गम्भया विक्कपंति माणया ।

सेये जह वहयं हरे एवं धालुक्खयंमि तिद्धं ॥२॥

सुत्ररुताप

● अहिंसा दर्शन

है, उसे देव लोग भी नमस्कार करते हैं ।^१

इस प्रकार इस युग की आदि में मृत्यु और जन्म-मरण की शृंखलाओं का समूलोन्मूलन करने के लिये धर्म का रूप देकर अहिंसा की प्रथम उद्घोषणा करने वाले भगवान् ऋषभदेव (आदिनाथ) थे ।

उनसे पूर्व तक सभी मानव शाकाहारी और अहिंसक अथर्व्य थे किन्तु अहिंसा उनके जीवन की संस्कार बनकर रह गई थी । किन्तु उस अहिंसा को, उनके जीवन के विचार-व्यवहारों में संस्कार बनकर समायी हुई अहिंसा को धर्म मान कर उसे स्वीकार करने की उद्घोषणा सर्व प्रथम ऋषभदेव ने की । और इस तरह कर्म की तरह धर्म के आद्य प्रवर्तक भी ऋषभदेव ही हैं ।

लेकिन अहिंसा राजनैतिक विवादों का भी सफलतापूर्वक समाधान कर सकती है; युद्ध के महान् विनाश का भी वह सफल विकल्प बन सकती है, इस मार्ग की खोज भी इसी काल में हुई ।

भरत ऋषभदेव का बड़ा पुत्र था । बाहुवलि छोटा था । भरत के मन में सम्राट् बनने की महत्वाकांक्षा थी । उसने सारी पृथ्वी के विजय के बाद चाहा कि बाहुवलि उसका एक माण्डलिक राजा बन जाय और उसकी आधीनता स्वीकार कर ले । बाहुवलि के समक्ष यह प्रश्न आया तो उसने इसे अपने अधिकार का प्रश्न माना । उसकी अन्तश्चेतना में से कर्तव्य के विरुद्ध अधिकार के पक्ष में पुकार उठी । अब अपने अधिकार की रक्षा ही उसका कर्तव्य बन गई । दोनों ओर से पौदनपुर के मैदानों में विशाल सेनायें आ जमीं । भरत साम्राज्य लिप्ता का

१—धम्मो मंगल मुक्किट्ठं अहिंसा संजमो सो ।

देवा वित्तं नमस्संति जस्स धम्मो सयामवो ॥

दशवैकालिक सूत्र १-१

प्रतीक था तो बाहुबलि शोषित मानवता के अधिकार का प्रेहरी । दोनों आमने-सामने आ डटे ।

असम्भव न था कि दोनों ओर के हजारों निरपराध व्यक्ति मारे जाते । किन्तु दोनों ओर के विद्वान् मंत्री मिले । उन्होंने परामर्श किया— इन सैनिकों का क्या अपराध है कि इन्हें दो व्यक्तियों की आकांक्षा और आग्रह पर बलिदान कर दिया जाय । यह विवाद दो माइयों का है । क्यों न उन्हें इस विवाद का निर्णय परस्पर में करने दिया जाय ।

विवाद के निर्णय का रूप रक्खा गया—दृष्टि-युद्ध, जल-युद्ध, मुष्टि-युद्ध । युद्ध के ये रूप दोनों की शारीरिक शक्ति के निर्णायक थे ।

अब एक दूसरे के शत्रु बने हुए सैनिक युद्ध के इस अहिंसक रूप के कारण युद्ध के दर्शक बन गये थे । अब उनमें न शत्रुता के भाव शेष थे और न रक्त की प्यास । अब तो वे खेल के दर्शकों की भाँति मित्र थे ।

दोनों माइयों के मंत्रियों ने अहिंसा को युद्ध का निर्णायक रूप प्रदान करके वास्तव में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिये अहिंसा के एक मौलिक और नवीन रूप की उद्भावना की थी, जो कि म० ऋषभदेव की अहिंसा सम्बन्धी देशना के अनुरूप थी ।

यह अहिंसा की साधना का युग था । अहिंसा के नवीन-नवीन रूप निरख रहे थे । उपर्युक्त घटना का परिणाम यह हुआ कि शारीरिक शक्ति में बाहुबलि भरत से आगे हैं, यह विविध युद्धों से सिद्ध हो चुका था । न्याय-बाहुबलि के पक्ष में था । किन्तु साम्राज्य-लिप्सा अन्धी होती है । भरत ने बाहुबलि पर उस युग का भयंकरतम प्रक्षेप शास्त्र-चक्र फेंका । यद्यपि चक्र तो बाहुबलि की ममता और अपनत्व की भावना से परास्त हो गया, किन्तु इस घटना की बाहुबलि पर जो

● अहिंसा दर्शन

प्रतिक्रिया हुई, उससे बाहुबलि ने क्रोध का उत्तर क्रोध से, हिंसा का उत्तर हिंसा से न देकर क्रोध का उत्तर शान्ति से, हिंसा का उत्तर क्षमा से और सर्वहारा साम्राज्य लिप्सा का उत्तर सर्वत्याग से दिया। वे ईर्ष्या और सवर्ष के मूल इस राज्य का ही त्याग करके मुनि बन गये, विजय पाने के पश्चात् आत्म-त्याग का यह अहिंसक रूप अत्यन्त प्रभावक हुआ। भरत का क्रोध वार करना चाहता था, किन्तु जब शत्रु वार उठाने को ही तैयार न हो तो वह निष्फल, निरुपाय बनकर, आत्म ग्लानि बनकर आँसों से बह निकला। भरत अपने कृत्य के भार से दबकर पश्चात्ताप में जलने लगा। उसके गर्वोन्नत मस्तक और अभिमानी हृदय को बाहुबलि के चरणों में झुककर, विनय, क्षमा-याचना करके ही शान्ति मिल सकी। कर्म-युग की आदि में हिंसा पर यह अहिंसा की प्रथम विजय थी।

और इसी प्रकार जब भरत ने अपने ६८ भाइयों से भी उनके राज्य माँगे थे, जिनको उनके पिता ऋषभदेव दे गये थे, तो वे प्रतिरोध का तो बल अपने में न पा सके थे किन्तु तीर्थङ्कर ऋषभदेव के परामर्श पर उठोने भी हिंसा का उत्तर अहिंसा से और भोग लिप्सा का उत्तर निष्काम त्याग से दिया था और तब भी भरत को उनकी अहिंसक साधना के आगे विनत होकर उनके चरणों में झुकना पड़ा था।

इस प्रकार व्यावहारिक जीवन में हिंसा का सफल प्रतिरोध अहिंसा द्वारा करने का मार्ग युग के प्रारम्भ में ही प्रशस्त बन गया था। भ० ऋषभदेव ने अहिंसा को धर्म के महान् पद पर प्रतिष्ठापित करके जन-जन को उससे पालन का जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जनता ने उस उपदेश को सर्वान्त करण से ग्रहण कर लिया।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विश्व में जब

से मानव के मन में इस विश्व की विभिन्न समस्याओं, प्रकृति के रहस्यों और आत्मा के सम्बन्ध में जिज्ञासाये प्रागैदिक यज्ञ का रूप और धार्मिक क्षेत्र में हिंसा का प्रवेश उत्पन्न हुई और जबसे उसका मानसिक विकास इस स्टेज तक पहुँच गया, जबकि इन जिज्ञासाओं के समाधानों को वह समझ पाता, तबसे ही धर्म के रूप में सर्वप्रथम अहिंसा ही उसके समक्ष आई।

हम नहीं कहते कि हिंसा और अहिंसा का कभी कोई प्रारम्भिक काल रहा है या कभी ऐसा भी कोई काल आ सकता है, जब विश्व में हिंसा और अहिंसा ही न रहे। ये तो प्रकृतियाँ हैं, जो आत्मा के साथ सदा काल रही हैं और ये तब तक रहेंगी, जब तक कि आत्मायें इस विश्व में हैं।

किन्तु हमारा अभिप्राय यह है कि हिंसा में लोग पार नहीं समझते थे और अहिंसा में लोग धर्म नहीं मानते थे, ऐसा भी एक काल था। ऐसे समय में लोगों को 'अहिंसा में धर्म है' इस प्रकार सर्वप्रथम बताया गया था। लोगों ने इसे आत्मा का स्वरूप मानकर स्वीकार कर लिया था। मानव का यह अहिंसा मूलक विश्वास सहस्राब्दियों तक चलता रहा। उनके सम्पूर्ण धार्मिक कृत्य भी इसी विश्वास के अद्वैत अहिंसक ही होते थे। यद्यपि इस धर्म के अनुयायी ऋषभदेव के निर्वाण के उपरान्त विभिन्न धाराओं में बंट गये, किन्तु फिर भी कोई धारा हिंसा को धार्मिक क्षेत्र में प्रथम नहीं दे पाई। संभवतः एक धर्म का अनेक धाराओं में विभक्त होने का कारण ऋषभदेव के विभिन्न रूपों में से उनके एक रूप की मान्यता थी।

फिर भारत में एक समय ऐसा आया, जब वैदिक आर्य लोग बाहर

● अहिंसा दर्शन

किसी प्रदेश से भारत में आये। ये लोग यहाँ कब आये, कहाँ से आये इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। प्रख्यात दार्शनिक विद्वान् डाक्टर राधाकृष्णन् के मतानुसार यह समय ईसा पूर्व १५०० वर्ष होना चाहिये। स्व० लोच्मान्य तिलक और जैकोबी के मत से यह काल इ० पू० ४५०० वर्ष होना चाहिये। काल और आने का रथा कुछ भी रहा हो, उससे हम यहाँ विरोध प्रयोजन नहीं है।

किन्तु अधिकांश विद्वानों (भास्तीय और पश्चात्य) का अभिमत है कि आर्य लोग बाहर से भारत में आये। उन्होंने यहाँ आश्रय विव्रय करा और अपनी विशिष्ट संस्कृति का प्रचार प्रारम्भ किया। यह काल ऋग्वेद की रचना का काल था। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं का प्रणयन व अपने देश में कर चुके थे और शेष का प्रणयन भारत में आने के बाद हुआ।

मैक्समूलर के मतानुसार संहिता के दो भाग किये जा सकते हैं— छन्द और मात्र। छन्द उन कविताओं का नाम है, जो प्रारम्भ में विद्वान् ऋषियों ने बनाई थीं। इन छन्दों में देवताओं से प्रार्थनाएँ की गई हैं। छन्द-काल तक वैदिक आर्यों में भी यहाँ में हिंसा नहीं होती थी। इसके बाद वेदों का संकलन किया गया। यह संकलन किस प्रकार किया गया, इसका निस्तृत उल्लेख हमें वैदिक साहित्य में अनेकों स्थलों पर मिलता है। विष्णुपुराण^१ के उल्लेखानुसार वेदों का संकलन और विभाजन

१—विष्णुपुराण, (३ २ ११), ऋग्वेद (१० ७१ ३), सुषट्कोपनिषद् आदि

२—प्रतापों प्रथमे व्यस्ता स्वयं वदा स्वयंभुवां
श्रेतापों द्वितीयं च वद व्यास प्रजापति ॥११

तृतीये चोद्धना व्यासरचतुर्थे च वृहस्पति ॥१२

विष्णुपुराण अंश ३ अध्याय २

● अहिंसा का प्रादुर्भाव और विकास

सर्वप्रथम त्रेता युग में स्वयंभू ब्रह्मा ने किया; त्रेता के द्वितीय चरण में प्रजापति ब्रह्मा ने, तृतीय चरण में उग्रना ने (जो कि असुरों के कवि तथा पुरोहित थे) और चतुर्थ चरण में बृहस्पति ने यह कार्य किया । ये सभी लोग वेद-ध्यास कहलाये । यह काल मन्त्र-काल कहलाता है । इस काल में यज्ञों में बलि प्रथा के विचार धीरे-धीरे पनपे । और वे बढ़ते-बढ़ते सारे याज्ञिक विधि-विधानों को ही घेर कर बैठ गये ।

वैदिक श्रावणों में प्रारम्भ में यज्ञों का रूप क्या था और किस प्रकार उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में हिंसा को प्रथम और विस्तार दिया, इसका भी एक क्रमबद्ध इतिहास वेदों में मिलता है । ऋग्वेद^१ अथर्ववेद^२ और यजुर्वेद^३ में उल्लेख है कि “पूर्व समय में देवों ने ज्ञान से यज्ञ किया क्योंकि उस समय का यही धर्म था । उस ज्ञान-यज्ञ की महिमा स्वर्ग में पहुँची, जहाँ साधारण देव रहते थे ।”

“यह ज्ञान-यज्ञ यहाँ इतना उन्नत हुआ कि वह देवताओं का अधिपति हो गया ।”

“जब यहाँ देवों ने हविष्य द्रव्य-यज्ञ फैलाया तो भी यहाँ ज्ञान-यज्ञ (माव-यज्ञ) ही मुख्य था । परन्तु हवि-यज्ञ के अर्थ मूल देवों ने क्रुद्ध और ही समझ लिये । उन्होंने पशुओं से यज्ञ करना आरम्भ किया । यहाँ तक ही नहीं, अपितु गौ तक के अज्ञों से भी यज्ञ करने लगे ।”

‘देवों ने मानस संकल्प रूप यज्ञ से यज्ञ स्वरूप प्रजापति की पूजा की ।’

वैदिक यज्ञों में और इस प्रकार भारत में यज्ञों में और धार्मिक

१—ऋग्वेद मं० १ सू० १६४ । २०

२—अथर्ववेद कां० ७ सू० २ मं० १,४,५

३—यजुर्वेद अ० ३१ मं० १४,१५ और उनका महीधर भाष्य

● अहिंसा-दर्शन

क्षेत्र में हिंसा का प्रवेश और विस्तार किस प्रकार हुआ, उपर्युक्त मंत्र इस बात के स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण हैं। इन मंत्रों से ही यह स्पष्ट होता है कि आर्यों के भारत-आगमन से पूर्व यहाँ जो धार्मिक कृत्य होते थे, उनमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी, अपितु वे शान-यज्ञ कहलाते थे।

पाराशर स्मृति में हमारे इस विश्वास की पुष्टि में एक श्लोक मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कृतयुग में ध्यान द्वारा पूजा होती है, त्रेता में बलि द्वारा, द्वापर में पूजा द्वारा और कलियुग में स्तुति-प्रार्थना द्वारा पूजा होती है।

विष्णुपुराण के पुरुवा उपाख्यान में भी बताया है कि बलि-प्रथा का प्रारम्भ त्रेतायुग में हुआ।

इन सब उल्लेखों से यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि वैदिक आर्यों से पहले भारत में धार्मिक विधि विधान का रूप ध्यान-तपस्या थी। रम्य वैदिक आर्यों का हिंसा मूलक यज्ञों में प्रारम्भिक काल में विश्वास न था, इतना निश्चित है वे शान-यज्ञ को भी श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हों, ऐसा भी नहीं लगता। इसीलिये ऋग्वेद की प्रारम्भिक निर्माण दशा के समय आर्य लोगों के धर्म का रूप प्रार्थना-परक रहा। वस्तुतः शान यज्ञ तो वैदिक आर्यों से भिन्न मूल भारतीयों का धर्म था किन्तु ये वैदिक आर्य ही थे, जिन्होंने उस शान-यज्ञ के स्थान में बलिदान प्रथा का प्रारम्भ किया और धार्मिक क्षेत्र में अपने जीवन-व्यवहार की तरह हिंसा को उत्तेजन दिया।

वैदिक आर्यों ने अपने यज्ञों में बलि प्रथा को एकबार जो प्रचलित किया, तो वह प्रथा किन्ने वेग और भयंकर रूप से बढ़ी और फिर यज्ञों की घेदी किस प्रकार प्राणियों के रुधिर से रक्त और आर्तनादों से भर

● अहिंसा का प्रादुर्भाव और विकास

उठी, यह पञ्चवेद और ब्राह्मण ग्रन्थों में देखने से स्पष्ट हो जाता है। संभवतः यशों में हिंसा का प्रारम्भ 'अजैर्यष्टव्य' इस मंत्र का अर्थ 'पुराने यशों से यश करना चाहिये' इस प्राचीन परम्परागत अर्थ को बदलकर 'शक्यों से यश करना चाहिये, इस प्रकार का हिंसापरक अर्थ करने के कारण हुआ।

मन्दर^१ पुराण और महाभारत^२ में इस सम्बन्ध में जो कथाएँ दी हुई हैं, उनसे यशों के प्रारम्भिक रूप और परिवर्तित रूप पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कथा इस प्रकार है—

त्रेतायुग के प्रारम्भ में इन्द्र ने विश्व-युग नामक यश किया। बहुत से महर्षि उसमें आये। किन्तु जब उन्होंने यश में पशुवध होते देखा तो उन्होंने उसका घोर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 'नायं धर्मो ह्यधर्मोऽयं, न हिंसा धर्म उच्यते' अर्थात् यह धर्म नहीं है, यह तो बालक में अधर्म है और हिंसा धर्म नहीं कहलाता। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वकाल में यश पुराने धानों से किया जाता रहा है, मनु ने भी ऐसा ही विधान किया है। किन्तु इन्द्र नहीं माना। इस पर एक विवाद उठ खड़ा हुआ। अन्त में इस विवाद का निपटारा कराने के चेदिनरेश वसु के पास पहुँचे। उसने बिना सोचे विचारे कह दिया कि यश रथावर और जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों से हो सशता है। इस पर श्रुतियों ने वसु को शाप दे दिया।

इसी प्रकार की एक कथा जैन^३ साहित्य में पर्वत-नारद संवाद के

१—मात्स्यपुराण-मन्वन्तरानुकरण-देवर्षि-संवाद नामक अध्याय १४१

२—महाभारत-शरवभेद पर्व अध्याय ११

३—हरिवंश पुराण सर्ग १०। वदूम चरित पर्व ११। उत्तर पुराण पर्व ६०।

भाव प्राकृत ४६। त्रिपठि शलाका पुरुष चरित पर्व ७ सर्ग २०। आदि

❖ अहिंसा-दर्शन

रूप में मिलती है। जिसमें राजा वसु ने गुरु-पुत्र पर्यंत का पक्ष लेकर 'अज्ञैर्यष्टव्य' का अर्थ 'बकरो से यज्ञ करना चाहिये' इस प्रकार हिंसा परक अर्थ का समर्थन कर दिया, जिससे वसु नरक में गया।

इस प्रकार जैन और वैदिक साहित्य के अनुशीलन से यह विश्वास होता है कि वैदिक आर्यों के भारत आगमन से पूर्व भारत में अहिंसा धर्म प्रचलित था। तब यज्ञों का रूप भी अहिंसक था, आर्यों का प्रारम्भिक विश्वास भी अहिंसा पर था। किन्तु कालान्तर में उन्होंने यज्ञों में हिंसा और बलि का समर्थन करके धार्मिक क्षेत्र में हिंसा का प्रवेश कराया।

अब यहाँ यह जान लेना इच्छिकर होगा कि वैदिक आर्य जब भारत अहिंसा की अनुयायी में आये थे, तब उन्हें जिन जातियों से पाला पड़ा, प्राग्वैदिक जातियों के जातियाँ कौन थीं, उनके विश्वास क्या थे।

इस सम्बन्ध में हमें वेदों और इतर वैदिक साहित्य से विशेष सहायता मिल सकती है। यहाँ यह स्मरण रखना होगा कि वेद यद्यपि विश्व की प्राचीनतम पुस्तक हैं, किन्तु आर्य जब भारत में आये थे तब उन्हें यहाँ ऐसी अनेक जातियों से मिलने का असर आया था, जो न केवल भौतिक समृद्धि, शारीरिक क्षमता और भौतिक विज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध थीं, अपितु जो अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं और सिद्धान्तों की दृष्टि से भी बहुत आगे चढ़ी हुई थीं। ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक साहित्य के अनुशीलन से यह भी प्रतीत होता है कि जब वैदिक आर्य भारत में आये थे, उस समय वे न ईश्वर को मानते थे, न अपवर्ग को। परलोक सम्बन्धी उनकी मान्यतायें स्वर्ग से आगे नहीं बढ़ पाई थीं। वे इस जीवन में अधिक से अधिक सुखोपभोग में विश्वास करते थे और इस जीवन के बाद ऐसे स्वर्ग की कल्पना करते थे, जहाँ यम का राज्य है, और जहाँ अशन-पान आच्छादान के लिहाज से कोई

कष्ट नहीं है। वे श्रुत पर विश्वास करते थे। उनका श्रुत धर्म के अनिश्चित और सुलझ नहीं था। वे अररा विद्या को ही तब तक जानते थे। परा विद्या का गिन्यान तो भारतीय जातियों के सम्पर्क में आने के काफी समय बाद उदनिपदी के रूप में होने लगा था। वे देवगात्रों से प्रार्थना करते रहते थे और उनसे सदा सुन्दर मिर्बा, धन, धाँड़े और विजय की याचना करते थे।

वेदों में बिन अनेक जातियों का उल्लेख आया है, उनमें मात्य, द्रविड, अमुर, नाग, आग्नेय, यदु, तुर्वशु आदि प्रमुख हैं। इनमें मात्य कीकट अर्थात् दक्षिणी बिहार में, द्रविड दक्षिण, पश्चिम भारत में, अमुर सारे भारत में, नाग उत्तरप्रदेश और मालवा में, आग्नेय पूर्वी भारत में, यदु उत्तरप्रदेश और गौराष्ट्र में मुख्यतः बसे हुए थे। यहाँ इन जातियों के विश्वास, शान आदि के सम्बन्ध में वेदों और नृपथ वेत्ताओं के अनुसन्धान के आधार पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है।

मात्य—मात्य वस्तुतः कोई निश्चित जाति नहीं थी। मनों का जो आचरण करते थे, उन सभी को वैदिक आर्य मात्य कहते थे। उन मात्यों से वैदिक आर्यों को संपर्क करना पड़ा, कीकट देश में उनके कारण आर्य लोगों को विजय का सतन किन्तु असफल प्रयत्न करते रहना पड़ा और सदा ही इन्द्र से कीकट देश के राबा प्रमगद के धन, गाधों आदि के हरण करने की प्रार्थना करने रहना पड़ा तथा उनके ध्यंस के लिये सदा इन्द्र को प्रार्थना पूर्वक उत्साहित किया जाता रहा^१। किन्तु उनके नियमन और परामर्श में आर्य कभी सफल नहीं हुए। वस्तुतः मात्य यश विरोधी थे। मनों और आत्म-याचना में उनका विश्वास अविचल

१— ऋग्वेद १।१३।१६, १।१०।१।१, १।१३।०।८, ७।१०।४।२, ३।१३।०।१०

या । ऐसी आत्म विश्वासी जाति से निरन्तर लड़ते रहना वैदिक आर्यों के लिये कठिन था । उनकी वस्तियाँ चारों ओर से इनसे घिरी हुई थीं । अतः धीरे धीरे आर्य लोग इनसे हिलने मिलने लगे । जब वे इन जातियों के सम्पर्क में आये और उन्होंने इनका आध्यात्मिक ज्ञान, साधना, उच्च मान्यतायें आदि देखीं तो वे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने वेदों में इनकी प्रशंसा करना प्रारम्भ कर दिया । यहाँ तक कि स्वतन्त्र ब्राह्मण-सूक्तों^१ तक का प्रणयन किया गया । इन मंत्रों में ब्राह्मण की प्रशंसा निम्न रूप में की गई—

‘जो देहधारी आत्मायें हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को देह से ढँका है, इस प्रकार के जीवसमूह समस्त प्राणधारी चैतन्यसृष्टि के स्वामी हैं, वे ब्राह्मण कहलाते हैं ।’

‘वह ब्राह्मण प्रजापति चराचर जीवों का प्रतिरूप में प्राप्त हुआ’ ।
‘उस प्रजापति ने आत्मा का साक्षात्कार किया । आत्मा का स्वरूप दिव्य स्पर्शमय था ।’

‘वह पूर्व दिशा की ओर गया । उसके पीछे देवता चले । सूर्य चन्द्र सभी ने उसका अनुगमन किया ।

‘जो ऐसे ब्राह्मण की निन्दा करता है, वह संसार के देवताओं का अपराधी होता है ।

‘ब्राह्मण प्रजापति, परमेष्ठी, पिता और पितामह है । विश्व ब्राह्मण का अनुकरण करता है । भ्रष्टा से जनता का हृदय अभिभूत हो जाता है । ब्राह्मण ने अनुसार भ्रष्टा, यज्ञ, लोक और गौरव अनुगमन करते हैं ।

‘ब्राह्मण राजा हुआ । उससे राज्यधर्म का श्रीगणेश हुआ । प्रजा,

१ — अथर्ववेद काण्ड १२ में २२० मंत्रों द्वारा ब्राह्मणों की स्तुति की गई है ।

बन्धु भाव, अम्बुदय और प्रजातन्त्र सबका उसी से उदय हुआ। मात्य ने समा, समिति, सेना आदि का निर्माण किया।

‘मात्य ने फिर तप से आत्म-साक्षात्कार किया। सुवर्णमय तेजस्वी आत्म-लाभ कर मात्य महादेव बन गया। मात्य पूर्व की ओर गया, पश्चिम की ओर गया, उत्तर-दक्षिण चारों दिशाओं की ओर उन्मुख हुआ। चारों ओर उसके ज्ञान-विज्ञान का आलोक फैल गया। विश्व श्रद्धा के साथ उसके सामने नतमस्तक हो गया।

‘मात्य की नारी श्रद्धा थी। मागध उनका मित्र था। विज्ञान उसके वस्त्र थे।

‘मात्य एक वर्ष तक निरन्तर खड़ा ही रहा। वह तपस्या में लीन था। देवताओं ने कहा—मात्य ! तुम क्यों खड़े हो ?

‘जो व्यक्ति इस प्रकार के मात्य-स्वरूप से परिचय प्राप्त कर लेता है, उसके पास समस्त प्राणी निर्भय हो जाते हैं।’

विद्वानों ने स्वीकार किया है कि यह स्तुति महा-मात्य श्रृंगमदेव की की गई है। इन विद्वानों का यह भी मत है कि जो लोग इस महा मात्य के अनुयायी थे, वे मात्य कहलाते थे। वे प्रचलित यह याग प्रधान वैदिक धर्म को नहीं मानते थे। उनकी उपासना की विधि योगाभ्यास मूलक थी।

इन विद्वानों ने तो यहाँ तक स्वीकार किया है कि जो दार्शनिक विचार पीछे से सांख्य-योग के रूप में विकसित हुए, उनका मूल स्रोत मात्यों की उपासना तथा उनका ज्ञानकाण्ड था एवं मात्य सम्प्रदाय

१ — ट्यूबिंगेन विद्यापीठ जर्मनी के विद्वान् डाक्टर हावर द्वारा लिखित-
निबन्ध —

● अहिंसा दर्शन

ही परवर्ती काल के साधु सं याशियों का पूर्वरूप था ।

उस महाप्रात्य महादेव श्रुपमदेव के अनुयायी प्रात्य कैसे थे, उनके सम्बन्ध में वेदों के भाष्यकार सायण ने लिखा है कि—

‘यद्यपि सभी प्रात्य आदर्श पर इतने ऊँचे चढे हुए न हों, किन्तु प्रात्य स्पष्ट परम विद्वान्, महाधिकारी, पुण्यशील, विश्ववंद्य, कर्मकाण्ड को धर्म मानने वाले ब्राह्मणों से विशिष्ट महापुरुष होते हैं, यह मानना ही होगा ।’

इन प्रात्यों की व्रतनिष्ठा और सदाचार से वैदिक आर्य इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि उन्होंने वेदों में याशियों को यहाँ तक आदेश¹ दिया कि—

‘यहू के समय प्रात्य आ जाय तो याज्ञिक को चाहिए कि प्रात्य की इच्छानुसार यज्ञ को करे अथवा बन्द कर दे । जैसा प्रात्य यज्ञ विधान करे, वैसा करे ।

‘विद्वान् ब्राह्मण प्रात्य से इतना ही बहे कि जैसा आपको प्रिय है, वही किया जायगा । यह प्रात्य आत्मा है । आत्मा का स्वरूप है । आत्म साक्षात् दृष्टा महाव्रत क पालक प्रात्य के लिए नमस्कार हो ।’

इस प्रकार वेदों ने प्रात्यों को उनके महाव्रतों के कारण अत्यन्त प्रभावित होकर नमस्कार तक किया है । वस्तुतः महाप्रात्य भगवान् श्रुपमदेव हैं, महाव्रत पालक प्रात्य जैन साधु हैं, और सामान्य प्रात्य जैन धर्मानुयायी जन हैं, यह आज सर्वमान्य हो चुका है । वेदों के प्रात्य ही आज के जैन हैं और प्रात्य धर्म ही आज का जैन धर्म है ।

जब स्मृति युग आया, आर्यों में साम्प्रदायिक सकीर्णता प्रवेश कर

1— अथर्ववेद काण्ड 1५

• अहिंसा-दर्शन

की पाटियों से लेकर सिन्धुघाटी तक मिलते हैं। ये नगर सम्यता के लोग थे। वास्तुशला में अत्यन्त प्रवीण थे। ये मकान, कुएँ, चावड़ी, तालाब, दुर्ग आदि बनाकर रहते थे। गेहूँ आदि की खेती करते थे। कटाई, बुनाई की कला में कुशल थे। हाथी, ऊँट, बैल, गाय पालते थे। घोड़े भी रखते थे। इन्होंने बहुत पहले से जहाजी बंदे का विकास कर लिया था और अपने जहाजों को लेकर व्यापार के निमित्त लघु एशिया और उत्तर पूर्वीय अफ्रीका के सुदूर देशों तक जाते थे। दक्षिण भारत लंका और हिन्द द्वीप पुँजों में उपनिवेश बनाने वाले द्रविड़ लोग ही थे। मोहनजोदड़ो आदि की खुदाई में मिट्टी के लिचौनों के अतिरिक्त अनेक कायोत्सर्ग जैन मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं। वास्तव में ये लोग बड़े बलिष्ठ, धर्मनिष्ठ और अहिंसाप्रत के अनुयायी थे। द्रविड़ सम्यता के नगरों का जहाँ जहाँ जनन कार्य हुआ है, वहाँ अनेक मूर्तियाँ तो निम्ली हैं। किन्तु कहीं पर भी बलि-प्रथा के सूत्रक कोई चिह्न नहीं मिले। इससे प्रगट है कि द्रविड़ लोग वस्तुतः अहिंसा धर्म के कट्टर पालक थे और जैन थे। इतिहासकार मानते हैं कि द्रविड़ जाति प्राचीन विश्व की अत्यन्त सुसभ्य जाति थी और भारत में भी सम्यता का वास्तविक प्रारम्भ इसी जाति ने किया था।^१

जब आर्य लोगों ने भारत भूमि में प्रवेश किया, तब उन्हें अत्यन्त समृद्ध और विकसित नागरिकों से मुकाबिला करना पड़ा था। यद्यपि द्रविड़ लोग असंगठित होने के कारण आर्यों से प्रारम्भ में पंजाब में हार गये, किन्तु आर्यों को उन्हें हराने के लिये जितना परिश्रम करना पड़ा था, यह इससे ही प्रगट है कि उन्हें इन द्रविड़ों के लिये घेदों में

१—दिनकर (संस्कृति का चार अध्याय पृ० २७)

● अहिंसा का प्रादुर्भाव और विकास

दस्यु, अनास, मृगवाक्, अयज्यन्, अयर्मन्, अन्यत्रत आदि घृणा-सूचक शब्दों का प्रयोग करना पड़ा। इनसे पृथक् बने रहने के लिये ही आर्यों को 'वर्णभेद' करना पड़ा।

ये द्रविड़ लोग सर्प-चिन्ह का टोटका अधिक प्रयोग में लाते थे। अतः इन्हें नाग, सर्प आदि नामों से पुकारा जाता था। व्यापार में निष्ठा होने के कारण इन्हें पण्य और शुण्य कहा जाता था। श्यामवर्ण होने से इन्हें कृष्ण कहते थे। और व्रतों का आचरण करने के कारण ही ये मात्य कहलाते थे। इनकी संस्कृति वास्तव में आध्यात्मिक थी, जबकि आर्यों लोगों की संस्कृति आधिदैविक थी।

आधुनिक तामिल द्राविड़ शब्द का ही अपभ्रंश है। द्राविड़ों का प्राचीन नाम द्रामिल था। लघु एशिया के अभिलेख में वहाँ की जाति का नाम 'त्रमिल्ली' लिखा है। द्रामिल का अपभ्रंश होते-होते ही तामिल शब्द बन गया। इसी प्रकार द्राविड़ का संस्कृत रूप बदलते-बदलते धराविद् हुआ और उससे विशाधर। इन विशाधरों का वर्णन जैन साहित्य में विपुल परिमाण में मिलता है। ये वैताड्य पर्वत की उत्तर और दक्षिण श्रेणी में रहते थे और अनेक कलाओं में पारङ्गत तथा अपने युग के महान वैज्ञानिक लोग थे।

असुर—द्रविड़ों की तरह असुर भी मात्य-परम्परा की भारत की एक प्राचीन जाति थी। वैदिक साहित्य में असुरों के सम्बन्ध में बहुत कुछ विवेचन उपलब्ध होता है। ये लोग भौतिक सभ्यता में अत्यन्त समुन्नत थे। प्रासाद और नगर-निर्माण की इनकी योग्यता असाधारण थी। स्थान-स्थान पर इनके किले बने हुए थे। युद्ध-कला में अत्यन्त पारङ्गत थे। इनके नगर धन-धान्य से समृद्ध थे। महाभारत-काल में असुरों में मयनामक एक प्रसिद्ध इंजीनियर का वर्णन हमें मिलता है, जिसने

● अहिंसा दर्शन

सुर का प्रयोग घृणा सूचक अर्थ में करते थे। वस्तुतः ये दोनों ही सस्कृतियाँ अत्यन्त समर्थ और समृद्ध थीं।

आग्नेय-अग्नि देवता क उपासक आग्नेय कहलाते थे। ये आसाम से भारत के भीतरी भागों में आये थे और आकर सारे उत्तरभारत, पंजाब, मध्यभारत तक फैल गए तथा दक्षिण भारत में भी घुस गये थे। गंगा शब्द की उत्पत्ति आग्नेय भाषा के प्राग काग आदि नदी वाचक शब्दों से कही जाती है। ये गौणिक सम्प्रदाय की दृष्टि से अत्यन्त उन्नत थे। इनके सम्पर्क में आकर आर्यों ने बहुत कुछ इनसे लिया। चावल की खेती करना, नारियल, केला, ताड़, सुपारी, हल्दी, अदरक, लौकी आदि का उपयोग आग्नेयों की देन है। धीरे धीरे गणना और चन्द्रमा से तिथि गणना भी आग्नेय है। वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आर्यों ने इन्हीं से पुनर्जन्म का सिद्धान्त लिया। कर्म सिद्धान्त, योगाभ्यास और पूजा विधि भी आर्यों ने इन्हीं से अपनाई।¹

यह जाति निश्चय ही भारत की प्राचीनतम जातियों में से है और आर्य जन भारत में आये थे, उस समय यह जाति अपने आध्यात्मिक विश्वासों और भौतिक विज्ञान में बहुत समुन्नत थी। इनके पुनर्जन्म और कर्म सिद्धान्त जैनों की प्राचीन ब्राह्मण परम्परा से मिलते जुलते थे। और यह असंभव नहीं कि आग्नेय भी ब्राह्मण-परम्परा के अनुयायी रहे हों।

ऐसा लगता है कि यह जाति बाद में निर्बल पड़ गई। मगध, कामरूप, कर्लिंग, केरल, चोल और पाण्ड्य देशों में इन्हें द्रविड़ों ने हरा दिया। निर्बल पड़ने पर यह जाति कृष्णांग जाति में या परवर्ती

1- डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या

जातियों में विलीन हो गई।

नाग—यह जाति द्रविड़ों की एक शक्तिशाली शाखा थी। इसका प्रभाव भारत के उत्तरी भाग में अत्यधिक रहा है। यह जाति आध्यात्मिक, भौतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न थी। महा-सन्धियों तक इस जाति का भारत के विभिन्न भागों पर वर्चस्व कायम रहा। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि नाग जाति अपने सौन्दर्य के लिए जगत् में विख्यात थी। नाग-कन्याओं की तुलना सर्वत्र ही देवाङ्गनाओं से की जाती रही है। नाग-कन्याओं के साथ आर्य लोगों के विवाह के अनेकों उल्लेख पाये जाते हैं। अर्जुन ने नाग-कन्या उलूपी से विवाह किया था।

नाग लोग युद्ध-कला में भी अत्यन्त निष्णात थे। अर्जुन के पौत्र परीक्षित को जिस तक्षक ने मारा था, वह वास्तव में सर्प न होकर नाग जाति का बलिष्ठ युवक ही था।

ये नाग लोग मत्स्य धर्म के अनुयायी थे। जैन साहित्य में नागों के अधिपति धरणेन्द्र को अर्हन्तों का परम उपासक बताया गया है। जैन तीर्थङ्करों में सातवें मुपाश्वनाथ और तेइसवें तीर्थङ्कर पार्श्वनाथ की मूर्तियों पर जो सर्पकण बने हुये मिलते हैं, उसका अर्थ ही यह है कि ये दोनों नाग जाति के महापुरुष थे। और भी तीर्थङ्करों की मूर्तियों के दाहि-बायें बहुधा फणघारी नाग लोग खड़े हुए मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि नाग लोग सदा जैनधर्म के अनुयायी रहे हैं।

यदु—यह जाति भी अत्यन्त समृद्ध और सम्यक् जाति थी। वेदों

● अहिंसा दर्शन

सुर का प्रयोग घृणा सूचक अर्थ में करते थे। वस्तुतः ये दोनों ही संस्कृतियाँ अत्यन्त समर्थ और समृद्ध थीं।

आग्नेय-अग्नि देवता का उपासक आग्नेय कहलाते थे। ये आराम से भारत के भीतरी भागों में आये थे और आकर सारे उत्तरभारत, पंजाब, मध्यभारत तक फैल गए तथा दक्षिण भारत में भी घुस गये थे। गंगा शब्द की उत्पत्ति आग्नेय भाषा के लग्न काग आदि नदी वाचक शब्दों से यही जानी है। ये भौतिक सभ्यता की दृष्टि से अत्यन्त उन्नत थे। इनके सम्पर्क में आकर आर्यों ने बहुत कुछ इनसे लिया। चावल की खेती करना, नारियल, केला, ताबून, सुपाड़ी, हल्दी, अदरक, लौकी आदि का उपयोग आर्यों की देन है। गीता की गणना और वेदमा से तिथि गणना भी आग्नेय है। वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आर्यों ने इन्हीं से पुनर्जन्म का सिद्धान्त लिया। कर्म सिद्धान्त, योगाभ्यास और पूजा विधि भी आर्यों ने इन्हीं से अपनाई।^१

यह जाति निश्चय ही भारत की प्राचीनतम जातियों में से है और आर्य जब भारत में आये थे, उस समय यह जाति अपने आध्यात्मिक विश्वासा और मौखिक विज्ञान में बहुत समुन्नत थी। इनके पुनर्जन्म और कर्म सिद्धान्त जैनों की प्राचीन ब्राह्मण परम्परा से मिलते जुलते थे। और यह अस्मभय नहीं कि आग्नेय भी ब्राह्मण परम्परा के अनुयायी रहे हों।

ऐसा लगता है कि यह जाति बाद में निर्बल पड़ गई। मगध, कामरूप, कर्लिंग, केरल, चोल और पाण्ड्य देशों में इन्हें द्रविड़ों ने हरा दिया। निर्बल पड़ने पर यह जाति कृष्णांग जाति में या परवर्ती

१- डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्जी

जातियों में विलीन हो गईं।

नाग—यह जाति द्रविड़ों की एक शक्तिशाली शाखा थी। इसका प्रभाव भारत के उत्तरी भाग में अत्यधिक रहा है। यह जाति आध्यात्मिक, मौनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न थी। सहस्राब्दियों तक इस जाति का भारत के विभिन्न भागों पर वर्चस्व कायम रहा। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि नाग जाति अपने सौन्दर्य के लिए जगत् में विख्यात थी। नाग-कन्याओं की तुलना सर्वप्रथम ही देवाङ्गनाओं से की जाती रही है। नाग-कन्याओं के साथ आर्य लोगों के विवाह के अनेकों उल्लेख पाये जाते हैं। अर्जुन ने नाग-कन्या उलूपी से विवाह किया था।

नाग लोग युद्ध-कला में भी अत्यन्त निष्णात थे। अर्जुन के पौत्र परीक्षित को त्रिग तक्षक ने मारा था, यह यास्त्र में सर्वत्र न होकर नाग जाति का बलिष्ठ सुवक्ता ही था।

ये नाग लोग प्रायः धर्म के अनुयायी थे। जैन साहित्य में नागों के अभिरथी परमेन्द्र को चर्हनों का परम उपासक बताया गया है। जैन तीर्थङ्करों में भारतमें मुनिर्णनाथ और तेरहवें तीर्थङ्कर पारश्वनाथ की मूर्तियों पर जो सर्वप्रथम बने हुए मिलते हैं, उसका अर्थ ही यह है कि ये दोनों नाग जाति के महापुरुष थे। श्रीर भी तीर्थङ्करों की मूर्तियों के दक्षिण-दिशि बहुधा पक्षधारी नाग लोग खड़े हुए मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि नाग लोग यदा जैनधर्म के अनुयायी रहे हैं।

यदु—यह जाति भी अत्यन्त समृद्ध और श्रेष्ठ जाति थी। वेदों

• अहिंसा दर्शन

से शांत होता है कि ऋषभदेव की अग्नि के नाम से उपासना करने वाले पाँचजन थे। इनमें यदु, वृरसा, पुरु, द्रुष्टु और अनु ये पाँच क्षत्रिय जातियाँ थीं। ऋग्वेद काल में ये जातियाँ कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश और सीराष्ट्र में बसी हुई थीं। जब आर्य लोग कुरुक्षेत्र में आये और इन जातियों के साथ निरूढ सम्पर्क स्थापित हुआ, तब आर्य लोग भी प्रभावित होकर ऋषभदेव की उपासना अग्नि के नाम से करने लगे। इस बात को काश्यप गोत्री मरीचिपुत्र ऋषि ने ऋग्वेद के ऋषभ सूक्त में मंत्रों द्वारा प्रगट किया है। (विशेष के लिए ऋषभदेव-परिच्छेद देखिए)

इस तरह प्राग्वैदिक काल में भारत में जितनी प्रमुख जातियाँ थीं, सभी समुन्नत, समृद्ध और सम्य थीं और मातृ-परम्परा की अनुयायी थीं। उनका विश्वास अहिंसा मूलक धर्म पर था।

वैदिक साहित्य के अतिरिक्त प्राग्वैदिक सस्कृति का रूप जानने का दूसरा उपाय पुरातत्व सामग्री है। पुरातत्व सम्बन्धी रोजें हमें आज से ५००० वर्ष पूर्व तक की भारतीय सस्कृति के दर्शन करा देती हैं। दजला फुरात की नदी घाटियों, सिंधु और नर्मदा की उपत्यकाओं और गंगा के तटदरों में से खनन के फलस्वरूप जिस सम्यता के दर्शन हुए हैं, वह निश्चय ही प्राग्वैदिक सभ्यता मानी जाती है। इस सम्यता का विकास और विकास एक सीमित क्षेत्र में न होकर अत्यन्त व्यापक था। इन स्थानों पर जो पुरातत्व उपलब्ध हुआ है, उससे तत्कालीन भारतवासियों का रहन सहन, पहनाव पोशाक रीति रिवाज, रूचि और विश्वास इन सब पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। व सब भारत की प्राग्वैदिक जातियों की अत्यन्त समुन्नत सभ्यता के परिचायक हैं।

• अहिंसा का महाभारत और विकास

इन सबमें सिन्धु घाटी की पुरातत्व-सामग्री सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है। सिन्धु काण्डे के मोहनजोदड़ो और रावी काण्डे के हड़प्पा नगरों के ध्वंसावशेष भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा जबसे प्रकाश में लाए गए हैं, तबसे प्रागैतिहासिक और प्रागैदिक सभ्यता के सम्बन्ध में प्रचलित विश्वासों में परिवर्तन करने के लिए विद्वानों को बाध्य होना पड़ा है। ये अवशेष ५००० वर्ष प्राचीन माने जाते हैं।

यद्यपि इन नगरों में कोई देवालय जैसे पृथक् भवन उपलब्ध नहीं हुए, किन्तु मुद्राओं, मोहरों, मिट्टी-घातु और पारायण की मूर्तियों आदि के रूप में वहाँ से विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है।

यदि इस सामग्री की तुलना भारतीय सभ्यता के नये केन्द्र-मथुरा के कंकाली टीले की कृपाण कालीन सामग्री से की जाय तो उसके कुछ रोचक और अद्भुत परिणाम सामने आयेंगे। और तब दोनों काल की कलाओं में हमें एक सामन्वय और साम्य दृष्टिगोचर होगी। दोनों ही कलाओं में ध्यान के लिये पद्मासन और कायोत्सर्ग आसनों को प्रधानता मिली है। ध्यानस्थ पुरुष दिग्म्बर बीतरागी है। दोनों ही जगह जटाधारी मूर्तियाँ मिलती हैं। विशल और चक्र भी दोनों कलाओं में कुछ भेद के साथ मिलते हैं। सिन्धु सभ्यता के केन्द्र में विशल ध्यानी पुरुषों के शिरों पर दिखाये गये हैं और मथुरा कला में ये पुरुष के चारों ओर या नीचे दिखाये हैं, जिनपर धर्म-चक्र भी रक्खे हुए हैं। दोनों कला केन्द्रों में मूर्ति के नीचे या आसपास में पशु और पृथ्वी के चिन्ह विशेष रूप से मिलते हैं। दोनों कलाओं में नाग जाति के उपासक चन्दना करते हुए मिलते हैं।

इन समानताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना अनुचित न होगा कि मथुरा की तरह मोहन जोदड़ों में भी जैन परम्परा के चिन्ह

• अहिंसा दर्शन

विपुल परिमाण में पाये जाते हैं। वहाँ की अधिकांश ध्यानस्थ मूर्तियाँ जिन्हें मूल से शिव मूर्तियाँ मान लिया गया है, ऋषभदेव, शान्तिनाथ आदि जैन तीर्थङ्करों की हैं। दुर्भाग्य से जैन मान्यताओं के साथ सिन्धु सभ्यता के इन अवशेषों की तुलना करने का कभी प्रयत्न नहीं किया गया। केवल डाक्टर प्राणनाथ और डा० रामप्रसाद चन्द्रा आदि कुछ विद्वानों ने वृषभ चिन्हित मुद्राओं में कायोत्सर्ग आसन से खड़ी हुई मूर्ति को ऋषभदेव की मूर्ति स्वीकार किया है और उसकी समानता मसुरा में प्राप्त कायोत्सर्ग आसन में ध्यानस्थ मूर्ति से बताई है। इन विद्वानों ने वहाँ की सील-मुहर न० ४४६ पर जिनेश्वर शब्द भी पढ़ा है। किन्तु हमारी विनम्र मान्यता है कि ध्यानस्थ सभी मूर्तियाँ जैन तीर्थङ्करों की हैं। ध्यानासुद वीतराग मुद्रा, विशूल और धर्मचक्र, पशु और वृक्ष, नाग ये सभी चीजें जैन कला की निजी विशेषताएँ हैं। जैन कला की एकमात्र विशेषता यदि कही जा सकती है तो वह है कायोत्सर्ग आसन, जो जैन धर्मियों द्वारा ध्यान के लिये प्रयुक्त होता है। सिन्धु घाटी के अवशेषों में कायोत्सर्ग ध्यान मुद्रावाली भी कई मूर्तियाँ निकली हैं। इसलिये हम यह स्वीकार करते हैं कि मोहन जोदड़ो की योगी मूर्तियाँ जैन अर्हन्तों की मूर्तियाँ हैं।

इस प्रकार पुरातत्व से भी यह सिद्ध होता है कि प्राग्वैदिक सभ्यति जैनधर्म द्वारा प्ररूपित अहिंसा पर आधारित थी। तत्कालीन समाज में अहिंसा की गहरी प्रतिष्ठा थी। यही कारण है कि वहाँ कोई शस्त्रास्त्र हमें दृष्टिगोचर नहीं होते। केवल लाठी और कुल्हाड़ी मिलती हैं, जो साधारणतः सहारे और पेड़ काटने के काम में प्रयुक्त होती थीं।

वेदा और इतर वैदिक साहित्य में किस प्रकार हिंसा का आगमन हुआ, उसका किस प्रकार विस्तार हुआ और किस प्रकार फिर अहिंसा

● अहिंसा का प्रादुर्भाव और विचार

की प्रतिष्ठा हुई, यह जानने के लिए हमें वैदिक साहित्य का ऐतिहासिक दृष्टि से अनुशीलन करने की आवश्यकता है।

हिंसा मूलक वर्णों इसके ही हम उगकर समुचित मूल्यांकन कर का विरोध और करेंगे।

वैदिक साहित्य पर हर वेद के तीन भाग हैं—मंत्र, ब्राह्मण और उसका प्रभाव उपनिषद्। मंत्र कवियों की रचना है। मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाती है। ब्राह्मण पुरोहितों की

रचना है। और उपनिषद् सत्य चिन्तकों की कृति हैं। मंत्रों में प्रकृति धर्म का विवरण है, ब्राह्मणों में आचार-विधान है और उपनिषदों में आत्म-धर्म का निरूपण है। ब्राह्मणों में गृहस्थ के धार्मिक कर्तव्यों का विधान है। आरण्यकों में—जो ब्राह्मण और उपनिषदों के मध्यवर्ती काल की रचनाएँ हैं—गृहत्यागी अरण्यवासी मुनियों की ध्यान-तपस्या का विधान है। और उपनिषदों में तार्किक चिन्तन है।

वेदों और ब्राह्मणों का निर्माण-काल आधुनिक विद्वानों^१ के मत से ई० पू० १५०० से ई० पू० ६०० वर्ष माना जाता है। इस काल में आर्य लोग भारत में आये, विजय प्राप्त की। धीरे-धीरे वे बनते गए और इस प्रकार अपनी सम्पत्ता और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करते गये। इसी काल में उन्होंने वर्णों में श्रुतियों के विशाल आश्रम बनाये, जो एक प्रकार से वन्य विश्वविद्यालय थे। इनमें राजकुमार और रक्षक समान माय में श्रुतियों से शिक्षा पाते थे। इन आश्रमों ने वैदिक संस्कृति को प्रचारित करने में महत्वपूर्ण योग दिया। प्रारम्भ में तीन वेद ही मान्य थे—ऋग्वेद, यजु और साम। यह वेदत्रयी कहलाती थी।

● अहिंसा का प्रादुर्भाव और विकास

की प्रतिष्ठा हुई, यह जानने के लिए हमें वैदिक साहित्य का ऐतिहासिक दृष्टि से अनुशीलन करने की आवश्यकता है।

हिंसा मूलक यज्ञों रचने ही हम उसका अनुचित मूल्यांकन कर का विरोध और करेंगे।

वैदिक साहित्य पर उसका प्रभाव हर वेद के तीन भाग हैं—मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद्। मंत्र कवियों की रचना है। मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाती है। ब्राह्मण पुरोहितों की रचना हैं। और उपनिषद् तत्व चिन्तकों की कृति हैं। मंत्रों में प्रकृति धर्म का विवरण है, ब्राह्मणों में आचार-विधान है और उपनिषदों में आत्म-धर्म का निरूपण है। ब्राह्मणों में गृहस्थ के धार्मिक कर्तव्यों का विधान है। आरण्यकों में—जो ब्राह्मण और उपनिषदों के मध्यवर्ती काल की रचनाएँ हैं—गृहत्यागी आरण्यवासी मुनियों की ध्यान-वपस्या का विधान है। और उपनिषदों में तार्किक चिन्तन है।

वेदों और ब्राह्मणों का निर्माण-काल आधुनिक विद्वानों के मत से ई० पू० १५०० से ई० पू० ६०० वर्ष माना जाता है। इस काल में आर्य लोग भारत में आये, विजय प्राप्त की। धीरे-धीरे वे जमते गए और इस प्रकार अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार-प्रसार करते गये। इसी काल में उन्होंने वनों में ऋषियों के विशाल आश्रम बनाये, जो एक प्रकार से वन्य विश्वविद्यालय थे। इनमें राजकुमार और एक समान भाव से ऋषियों से शिक्षा पाते थे। इन आश्रमों ने वैदिक संस्कृति को प्रचारित करने में महत्वपूर्ण योग दिया। प्रारम्भ में तीन वेद ही मान्य थे—ऋग्, यजु और साम। यह वेदत्रयी कहलाती थी।

● अहिंसा दर्शन

अथर्ववेद तो उस समय की रचना है, जब आर्य लोग मूल भारतवासी प्रात्यों, आम्नेयों आदि के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान करने लग गये थे और वे इनके देवताओं और मान्यताओं को स्वीकार करने लगे थे। इसी समन्वयवादी दृष्टि का परिणाम अथर्ववेद था। यह बहुत समय तक तो वेद ही नहीं माना गया। पश्चात् इसे वेद मानने की प्रवृत्ति बढ़ी और अन्ततः इसे भी चौथा वेद स्वीकार कर लिया गया।

ई० पू० ६०० से ई० सन् २०० में प्राचीन उपनिषदाँ और दर्शनों के आद्य रूप का निर्माण हुआ। औपनिषदिक चिन्तन के परिणाम स्वरूप गीता का निर्माण भी इसी काल में हुआ। इसके बाद सूत्र युग आया और फिर दार्शनिक विवादों का युग।

दर्शनों का निर्माण कोई आकस्मिक घटना नहीं है। वे निश्चित नाम और रूप लेकर इस काल में सामने आये, किन्तु उाकी विचार-धारा का चिन्तन काफी समय से चल रहा था। वेदों में साख्य और योग का नाम तक आया है। किन्तु फिर भी ये पट्ट दर्शा किस क्रम से निर्मित हुए, यह हम विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते। इस सम्बन्ध में प्रो० गर्वे का मत है कि सर्वप्रथम साख्य दर्शन का प्रणयन हुआ, उसके पश्चात् योग, मीमांसा, वेदान्त, वैशेषिक और अन्त में न्याय का।

यह हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं कि संहिता के छन्द-काल में देवताओं से बचल प्रार्थनायें की जाती थीं। उस समय तक यज्ञों में हिंसा का विधान नहीं किया गया था। किन्तु जब मग्न काल आया, छन्दों का सक्लन और विभाग किया गया, तब यज्ञों में बलि हिंसा का प्रारम्भ हुआ। धीरे धीरे यज्ञों में हिंसा बढ़ती गई। ब्राह्मणों ने तो यज्ञों को गृहस्थ के हर कार्य और हर कामना के लिए अनिवार्य कर दिया

और उसके साथ उनमें हिंसा को भी अनिवार्य कर दिया। इस प्रकार हिंसा प्रचण्ड वेग से धार्मिक क्षेत्र में बढ़ती गई।

किन्तु दूसरी ओर प्रात्य परम्परा अहिंसा का समर्थ प्रचार कर रही थी। हिंसा का वेग बढ़ा तो अहिंसा का प्रचार भी बढ़ने लगा, अहिंसा चूंकि आत्मा का सहज धर्म है। इसलिये जनता का विश्वास यशों में, तपस्या और भोजन में प्रचलित हिंसा के विरुद्ध बढ़ने लगा। तब वैदिक साहित्य में जनता के इस विश्वास को बार-बार यह कह कर जमाने का प्रयत्न किया गया कि 'यशार्थं पशवः सृष्टाः'; 'वैदिकी हिंसा-हिंसा न भवति', 'या वेद विहिता हिंसा नियतारिर्मश्चराचरे, अहिंसामेव तां विद्याद् वेदाद्धर्मोहि निर्वभौ' इत्यादि। इन सान्त्वना जनक वाक्यों से जनता का असन्तोष थोड़ा बहुत दब जहर गया। किन्तु प्रात्य संस्कृति के वातावरण में पली हुई जनता हिंसा को धर्म मानने के लिये तैयार नहीं हो रही थी। इन्हीं दिनों प्रात्य-परम्परा के प्रभावशाली चाईसथें तीर्थंकर अरिष्टनेमि ने मांसाहार की प्रवृत्ति को रोकने के लिये और प्राणियों की रक्षा के लिये बरात की वर-यात्रा (पुङ्गवती) के समय अपने वरोचित कंगन और मुकुट को उतार फेंका और गृहस्थी का त्याग करके वनों को चल दिये।

सारा यादव-कुल मांसाहार और यशों में किसी प्रकार की हिंसा के तो पहले से ही विरुद्ध रहा था। यादव-कुल की वृष्णि शाखा के अधि-पति सुग-पुरुष कृष्ण ने तो मांसाहार के विरोध में ही दुग्ध आन्दोलन चलाया था और हिंसापूर्ण यज्ञ न होने देकर इन्द्र तक से संघर्ष मोल लिया और उसे परास्त किया। जब यादव कुल के अत्यन्त तेजस्वी राज-कुमार अरिष्टनेमि ने पशु-रक्षा के निमित्त विवाह तक करने से इनकार कर दिया, तब तो जनता में और यहाँ तक कि मंत्र-निर्माता ऋषियों

● अहिंसा दर्शन

तरु में अहिंसा के प्रति गहरी आस्था बढ़ने लगी। इसी काल में उन्होंने देवताओं से स्पष्ट कहना प्रारम्भ कर दिया—

‘देवता गण ! हम कोई बलि नहीं देते। हम किसी पशु पक्षी का शिकार भी नहीं करते। हम तो पवित्र मंत्रों द्वारा ही पूजा करते हैं^१।

वैदिक हिंसा के विरुद्ध वैदिक ऋषियों द्वारा यह विद्रोह की घोषणा थी। वैदिक क्षेत्र में यह क्रांति का एक समर्थ आह्वान था, जो माल्य परम्परा की अहिंसक भावना से स्पष्ट ही प्रभावित था।

यज्ञों में जब इन्द्र द्वारा हिंसा का प्रारम्भ किया गया था, तब भी ऋषियों ने उसे अधम कहकर विरोध किया था। और जब यज्ञों में हिंसा का खूब प्रचलन हो गया, तब भी विरोध होता रहा, यद्यपि ब्राह्मण्य, श्रौत, गृह्य और धर्म-सूत्र अपनी इस नव नवोदित हिंसक संस्कृति के प्रचार में निरन्तर लगे हुए थे। किन्तु रह-रह कर यजुर्वेद की यह ध्वनि बराबर सुनाई दे रही थी—

‘मैं मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखूँ^२।’

‘जो लोग जीव हिंसा करते हैं, वे मरकर उन लोगों की यात्रा करते हैं, जिनमें प्रकाश का लेश नहीं और जो सूची भेद्य अन्धकार से आच्छन्न हैं।

‘जो सब प्राणियों को अपने में स्थित और निजात्मा को सब जीवों में अधिष्ठित समझता है, वह उस परमात्मा से किसी प्रकार की शका नहीं रखता।

इसी मुर में अथर्ववेद^३ भी अपना मुर मिलाकर मांस के विरुद्ध

१—सामवेद १।२।१।२

२—यजुर्वेद १।८।३

३—अथर्ववेद १।७०।६

• अहिंसा का प्रादुर्भाव और विकास

प्रचार करने लगा था। किन्तु इन वेदों की यह ध्वनि निजी नहीं थी, यह तो वस्तुतः ब्राह्मण महापुरुषों द्वारा निरूपित अहिंसा की प्रतिध्वनि मात्र थी और वैदिक क्रियाकाण्ड के विरुद्ध खुला विद्रोह था। यही कारण था कि विद्रोह करने वाले इन ऋषियों ने ऋषभदेव की तरह अरिष्टनेमि को भी अपना देवता मान लिया था और वे उनसे भी प्रार्थना करने लगे थे।

हिंसा के विरुद्ध क्रान्ति का यही आवाहन उपनिषदों में ध्वनित हुआ। जब आर्य ब्राह्मणों के साथ युल मिल गये और ब्राह्मण भ्रमणों के तप-स्थानों में, जिन्हें निषदा कहा जाता था, जाकर उनके निकट अहिंसा और आत्म-तत्व सम्बन्धी गूढ़ रहस्यों का समाधान पाने लगे, तब उनमें प्रेरणा जागी कि वे उन सिद्धान्तों का वैदिकीकरण करें। किन्तु वे उन निषदाओं का आमार नहीं भुला सके, जिनके निकट बैठकर उन्होंने यह अपूर्व आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। अतः अपनी आमार-भावनाओं को प्रगट करने के लिये ही उन्होंने अपने उन ग्रन्थों का नाम उपनिषद् रक्खा और उनमें वही आध्यात्मिक ज्ञान प्रतिध्वनित होने लगा, जो उन्होंने ब्राह्मण-परम्परा से प्राप्त किया था।

आगे चलकर ब्राह्मणों का यह तत्व-चिन्तन ही सांख्य के नाम से दार्शनिक रूप लेकर उद्घाटित हुआ, जिसमें ब्राह्मण परम्परा का जीव और पुद्गल प्रकृति और पुरुष बन कर आगे आया और जिसमें इस सम्पूर्ण सृष्टि का संचालन-सूत्र ईश्वर नाम के किसी कल्पित व्यक्तित्व को न देकर प्रकृति और पुरुष के संयोग को दिया गया। वास्तव में यह विचारधारा केवल ब्राह्मण-परम्परा के प्रभाव का परिणाम थी।

ब्राह्मणों की योगान्यास मूलक साधना, ध्यान मूलक तपस्या और अहिंसा मूलक आचार वैदिक आर्यों में अत्यधिक लोकप्रिय होते जा रहे

● अहिंसा दर्शन

तक में अहिंसा के प्रति गहरी आस्था बढ़ने लगी। इसी काल में उन्होंने देवताओं से स्पष्ट कहना प्रारम्भ कर दिया—

‘देवता गण ! हम कोई बलि नहीं देते। हम किसी पशु पक्षी का शिकार भी नहीं करते। हम तो पवित्र मंत्रों द्वारा ही पूजा करते हैं^१।’

वैदिक हिंसा के विरुद्ध वैदिक ऋषियों द्वारा यह विद्रोह की घोषणा थी। वैदिक क्षेत्र में यह क्रान्ति वा एष समर्थ आह्वान था, जो ब्राह्मण परम्परा की अहिंसक भावना से स्पष्ट ही प्रभावित था।

यशों में जब इन्द्र द्वारा हिंसा का प्रारम्भ किया गया था, तब भी ऋषियों ने उसे अधर्म कहकर विरोध किया था। और जब यशों में हिंसा का खूब प्रचलन हो गया, तब भी विरोध होता रहा, यद्यपि ब्राह्मण, श्रौत, गृह्य और धर्म-सूत्र अपनी इस नव नवोदित हिंसक संस्कृति के प्रचार में निरन्तर लगे हुए थे। किन्तु रह-रह कर यजुर्वेद की यह ध्वनि बराबर सुनाई दे रही थी—

‘मैं मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखूँ^२।’

‘जो लोग जीव हिंसा करते हैं, वे मरकर उन लोकों की यात्रा करते हैं, जिनमें प्रकाश का लेश नहीं और जो सूची भेद्य अधकार से आच्छद्य हैं।’

‘जो सब प्राणियों को अपने में स्थित और निज्जात्मा को सब जीवों में अधिष्ठित समझता है, वह उस परमात्मा से किसी प्रकार की शका नहीं रखता।’

इसी मुर म अथर्ववेद^३ भी अपना मुर मिलाकर मास के विरुद्ध

१—सामवेद १।२।१।२

२—यजुर्वेद १।८।३

३—अथर्ववेद १।७०।६

प्रचार करने लगा था। किन्तु इन वेदों की यह ध्वनि निची नहीं थी, वह तो बल्लुतः मातृ महापुरुषों द्वारा निरूपित अहिंसा की प्रतिध्वनि मात्र थी और वैदिक क्रियाकाण्ड के विरुद्ध गुला रिदोह था। बड़ी कारण था कि विद्रोह करने वाले इन ऋषियों ने ऋग्मन्त्र के तरह अरिष्टनेमि को भी अरुना देवता मान लिया था और ये अग्ने की प्रार्थना करने लगे थे।

हिंसा के विरुद्ध शान्ति का यही आग्रहान उरनिपदों में दर्ज हुआ। जब आर्य मातृ के साथ गुल मिल गये और अग्ने अग्ने के तर-रूपानों में, विन्दे निपद्या कहा जाता था, शब्द उनके विरुद्ध अहिंसा और आत्म-तत्व सम्बन्धी गूढ़ रहस्यों का स्वरूप होने लगे, तब उनमें प्रेरणा जागी कि वे उन सिद्धान्तों का वैदिकीकरण करें। किन्तु वे उन निपद्याओं का आभार नहीं मुला सके, विन्दे विरुद्ध अहिंसा अग्नेने यह अपूर्व आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था। अतः अग्नी आभार-भाषनाओं को प्रगट करने के लिये ही अग्नेने अपने उन शब्दों का नाम उरनिपद् रखा और उनमें यही आध्यात्मिक ज्ञान प्रतिध्वनित होने लगा, जो उन्होंने मातृ-परम्परा से प्राप्त किया था।

आगे चलकर मातृ का यह अन्व-विन्ध्य ही अग्ने के नाम से दार्शनिक रूप लेकर उद्घाटित हुआ, विन्दे अग्ने वाग्देव का अन्व और पुद्गल प्रकृति और पुरुष बन कर आगे आया और विन्दे इस सम्पूर्ण सृष्टि का संचालन-गण ईश्वर नाम के स्थिरी कर्त्तव्य अन्व को न देकर प्रकृति और पुरुष के संयोग को दिखा गया। वाग्देव ने वर विचारधारा केवल मातृ-परम्परा के प्रभाव का इतिहास ही।

मातृ की योगाम्पाठ मूलक साधना, अग्ने मूलक अग्ने और अहिंसा मूलक आचार वैदिक आर्यों में अहिंसा संवेदन होने का रहे

● अहिंसा-दर्शन

थे। अतः इस साधना और आचार को ज्यों का त्यों ग्रहण करके उसका वैदिक सरम्भण 'योग-दर्शन' के नाम से किया गया। इसमें भी इस प्रात्य मायता को स्वीकार किया गया कि व्यक्ति अपने प्रयत्नों द्वारा ही कैवल्य पा सकता है।

वैदिक हिंसा और यज्ञ-यागादि के विरोध में वैदिक आर्यों में एक वर्ग उठ खड़ा हुआ था। वह अपनी परम्परा को छोड़ नहीं सकता था, किन्तु वह प्रात्य-परम्परा जिसका नाम अन्न भक्षण परम्परा भी पड़ गया था—क महापुरुष जिनदेवों क आदर्शों से अत्यन्त प्रभावित था। इस लिए योगाशिष्ठ म रामचन्द्र जी की एष महत्वाकाङ्क्षा का उल्लेख मिलता है। राम वैदिक आदर्शों की उपेक्षा करने कहते हैं—

‘मैं राम नहीं हूँ, मेरे मन में अन्न कोई लालसा भी शेष नहीं है, विषयों म मेरा मन भी अन्न नहीं जाता। मैं तो अन्न वैधी ही शान्ति प्राप्त करने क लिए उत्सुन हूँ, जिस प्रकार जिनदेवों ने आत्म शान्ति प्राप्त की है।

राम का सारे संसार के प्रति निर्वेद और जिनदेव के समान बनने का आकाङ्क्षा अकारण नहीं है। राम के मुख से जिस महत्वाकाङ्क्षा का उद्घाटन हुआ है, यस्तुन वह तो महर्षि वशिष्ठ की महत्वाकाङ्क्षा है, जो प्रात्य परम्परा से अत्यन्त प्रभावित हैं और जीवन का परम आदर्श मान कर जिनदेव जैसे बनने को इच्छुक हैं। राम तो इस भ्रमण परम्परा से पहले से ही प्रभावित रहे हैं, जिस उन्होंने शवरी का आतिथ्य ग्रहण करने प्रगट भी कर दिया था। यह शवरी वास्तव म भीलनी न होकर द्रानिड जाति की भ्रमणोपासिका थी।

भ्रमणों क महान् आदर्श और अहिंसा सिद्धान्त वैदिक आर्यों में कितने लाजप्रिय होते जा रहे थे, यह हमें महामारत के शान्ति पर्व और

• अहिंसा का प्रादुर्भाव और विकास

मोक्ष अधिकार से विशेषतः श्रात होता है। वैदिक श्रायों में जो यह विश्वास बद्धमूल होकर व्याप्त था कि कृत-युग में मोक्ष का साधन ध्यान है, त्रेता में बलि, द्वापर में पूजा और कलियुग में स्तुति है। इस विश्वास के विरुद्ध महाभारत काल में यह विश्वास प्रबल हो गया था कि कृत-युग में मोक्ष का साधन तप है, त्रेता में ज्ञान है, द्वापर में यज्ञ और कलियुग में दान है।^१

महाभारत की यह क्रान्तिकारी घोषणा थी कि 'मर्यादा को उल्लंघन करने वाले, जड़मति, नास्तिक, संशयशील पुरुषों ने ही हिंसा का वर्णन किया है।' यह वैदिक बलिप्रथा के विरुद्ध खुला विद्रोह था।

महामना भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि यदि प्राणि-वध से धर्म एवं स्वर्ग मिलता है, तब संसारी पुरुषों के लिए नरक कैसे प्राप्त होगी? 'हि युधिष्ठिर! प्राणि-हिंसन निस्सन्देह यज्ञ में नहीं होता। यज्ञ तो हिंसा रहित होता है। इस कारण सदा हिंसा-रहित यज्ञ ही करना उचित है।'

'पशु बलि के बाँधने के खूँटे को तोड़ कर, पशुओं को मार कर, सूत बन्धन मत्ताकर यदि कोई स्वर्ग चला जायगा तो नरक कौन चायगा ?

महाभारत के अश्वमेध पर्व में तो यज्ञ में पशु-वध का विधान करने के कारण कड़ी फटकार पिलाई है। और उसे धर्म घातक बताया है।^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मण परम्परा ने हिंसा मूलक यज्ञों का

१—महाभारत शान्ति पर्व

२—महाभारत अश्वमेध पर्व अ० ३१ श्लो० १३-१४

● अहिंसा-दर्शन

जो विरोध किया था, यह इतना अधिष्ठ प्रभावक सिद्ध हुआ कि उस विरोध में स्वयं अनेकों ऋषि महर्षि भी सहयोग देने लगे और उन्होंने जिस वैदिक साहित्य का प्रणयन किया, उसमें उन्होंने हिंसा का डट कर विरोध किया। हिंसा का यह विरोध और अहिंसा का समर्थन निश्चय ही उनकी जिजी मान्यता न थी, अपितु यह मातृ परम्परा का प्रमाण था।

इन तमाम तर्कों के पश्चात् यदि हम यह कहें कि भारत में अहिंसा की उद्भूतना, विकास और उसके संरक्षण का भेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो वह है मातृ धर्मण अथवा जैन परम्परा। यह कितो आश्चर्य का बात है कि जिस प्रकार अथर्ववेद से पहले के किसी वेद में ईश्वर शब्द नहीं मिलता, उही प्रकार सम्पूर्ण ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी अहिंसा शब्द उपलब्ध नहीं होता। ऐसे मन अत्रय मिलते हैं, जिनका अर्थ अहिंसा पर है। वस्तुतः वैदिक साहित्य में अहिंसा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य^१ उपनिषद् में मिलता है।

हिंसा अहिंसा का यह सघर्ष निरन्तर तीव्र होता जा रहा था। मातृ परम्परा अहिंसा की प्रतिष्ठा रखने के लिये कृतसंकल्प थी, किन्तु उसके इस संकल्प में कुछ वैदिक ऋषि गणों का भी हिंसा विरोधी सहयोग मिल रहा था। वे भी हिंसा का धर्म धार्मिक मानित स्वीकार करने के लिये तैयार न थे। धीरे धीरे यह सघर्ष हिंसा-अहिंसा के घन्ट से आगे बढ़ कर ब्राह्मण और क्षत्रियों के सघर्ष का रूप धारण करता गया। और एक

१ — अथ यत्तपो दानमार्जवमहिंसा सत्य वचनमिति अस्य दक्षिणा, छान्दोग्य उपनिषद् ३-१७४

• चर्हिसा का प्रादुर्भाव और विकास

समय ऐसा आ गया, जब ब्राह्मणों के आधिपत्य से क्षत्रियों ने मुक्ति पाने का प्रयत्न शुरू कर दिया। परशुराम द्वारा क्षत्रियों के समूलोन्मूलन का २१ बार प्रयत्न, विश्वामित्र द्वारा ब्रह्मर्षि बनने के प्रयत्न का महर्षि बशिष्ठ द्वारा विरोध ये घटनायें ब्राह्मण-क्षत्रियों के आन्तरिक संघर्ष की निदर्शक हैं। इस आन्तरिक संघर्ष का परिणाम यह निकला कि क्षत्रिय पर विद्या अर्थात् अध्यात्म की ओर मुक्त गये, जबकि ब्राह्मण लोग देवताओं और पितरों की सन्तुष्टि के लिये हिंसा पूर्ण यजन-याजन पर चल देते रहे। यज्ञों में जो हिंसा बकरों की बलि से प्रारम्भ हुई थी, वह अब बढ़ते-बढ़ते अश्व, मृग, एण्ड, बर, वनशक्य, महिष, गौ, यहाँ तक कि नर-मेघ तक जा पहुँची। राजा हरिश्चन्द्र द्वारा वरुण की सन्तुष्टि के लिये खरीद कर लाये हुए ऋषि-पुत्र शुनःशेप को विश्वामित्र ने यज्ञ के खम्भे से लुझाकर और इस प्रकार उसे बलि होने से बचाकर अपना पुत्र ही मान लिया। यद्यपि गायत्री मन्त्र के आद्य दृष्टा विश्वामित्र के इस कृत्य से ब्राह्मण ऋषि लोग सन्तुष्ट नहीं हो सके, किन्तु फिर भी यह घटना तत्कालीन यज्ञों के रूप और ब्राह्मण-क्षत्रिय संघर्ष पर प्रकाश डालने के लिये पर्याप्त है।

ईसा से ६०० वर्ष पूर्व भारत में वैदिक क्रियाकारणों के नाम पर फिर एक बार हिंसा का प्रबल उफान आया। हिंसा की इस आकस्मिक वृद्धि का कारण क्या था, यह तो निश्चय पूर्वक कहना कठिन है, किन्तु लगता है, इस समय क्षत्रिय वर्ग कुछ निर्बल पड़ गया था अथवा वह ब्राह्मण-वर्ग के प्रभाव में आकर दब गया था। किन्तु क्षत्रिय वर्ग में याज्ञिकी हिंसा और मांसाहार की अदम्य चेग से बढ़ती हुई प्रवृत्ति के विरुद्ध असन्तोष की आग सुलग रही थी। अन्ततः यह आग क्रान्ति का विस्फोट लेकर प्रगट हुई। एक ओर तो शाक्य वंशीय तथागत गौतम

• अहिंसा-दर्शन

वैदिक साहित्य निर्मित हुआ, उसमें भी हिंसा के स्थान पर अहिंसा की ही प्रतिष्ठा हुई।

कहते हैं, इतिहास अपने को दुहराता है। भ० महावीर से १००० वर्ष पहले जो वैदिक आर्य भारत के पाञ्चाल और आर्यावर्त को जीतने में समर्थ हो सके, वे उस समय फीरट देश को न जीत सके। फीरट देश ने उनकी प्रगति को और इस प्रकार उनकी संस्कृति को अवरुद्ध कर दिया था। और अब इस क्रान्ति के समय भी फीरट की इस भ्रमण-संस्कृति ने ही वैदिक-संस्कृति की हिंसापरत प्रवृत्ति को अवरुद्ध कर दिया।

आर्य लोगों ने वैदिक साहित्य में जिन अग, वग, कलिग, सीराप्त्र, मगध देशों में (ब्राह्मण संस्कृति के कारण) जाने पर प्रतिरोध लगाया था, आश्चर्य है कि उन देशों में (बंग को छोड़ कर) आज तक अहिंसक मान्यताएँ प्रचलित हैं और यह सब उस क्रान्ति का परिणाम है, जो भ० महावीर ने आज से २५०० वर्ष पूर्व चलाई थी।

भ० महावीर ने अहिंसा को लेकर जो क्रान्ति की, उसका प्रभाव न केवल इस देश में और न केवल सामयिक ही हुआ, अपितु उसका प्रभाव सुदूर देशों में और बहुकालिन हुआ।

अहिंसक क्रान्ति का अहिंसक क्रान्ति की जिन लहरों ने उस समय के दूरगामी प्रभाव सम्पूर्ण भारतीय धर्मों को अपने में ढँक लिया, वे लहरें भारत के बाहर एशिया में पहुँचीं, यूनान और मध्यपूर्व में पहुँचीं। वहाँ पहुँच कर उन्होंने वहाँ के धर्मों को भी अपने रंग रूप से आप्लावित कर लिया।

पाइथीगोरस—यूनान में पाइथीगोरियन सम्प्रदाय प्रचलित है। इसकी स्थापना वहाँ के महान् सन्त पाइथीगोरस ने की थी। यह सन्त

मगवान् महावीर के काल में (ई० पू० ६०० में) भारत आया था । इसने ऐनोरा और ऐलीकैयटा के ऐतिहासिक गुहा-मन्दिरों में ब्राह्मण और श्रमणों से भेंट की थी । उनकी अहिंसा और जगत् सम्बन्धी तात्विक मान्यताओं का इस सन्त के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा । उन्होंने इस सन्त को 'यज्जनाचार्य' कहकर महान् सम्मान भी प्रदान किया था । इसी सन्त ने उक्त सम्प्रदाय की स्थापना की थी । इस सम्प्रदाय का अन्तिम महा-पुरुष प्रोक्लस पाँचवीं शताब्दी में हुआ है ।

इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों पर जैनधर्म की गहरी छाप है । इसका मुख्य सिद्धान्त है कि 'मनुष्य जब 'स्व' को पहचान लेता है तो यह देवत्व प्राप्त कर लेता है ।' यह आधारभूत सिद्धान्त वाक्य ग्रीस के इल्थी नगर में अपोलो मन्दिर के द्वार पर उत्कीर्ण किया हुआ है ।

जिस प्रकार जैनधर्म ने इस विश्व के ऊपर किसी कल्पित अमानवीय शक्ति का नियमन स्वीकार नहीं किया, बल्कि हर प्राणी में पूर्णता प्राप्त करने की शक्ति को स्वीकार किया है और जो अपने प्रयत्नों द्वारा इस पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें ही अर्हन्त, जिन माना है । ठीक इसी प्रकार पाश्चिमीयन सम्प्रदाय में भी जो व्यक्ति अपने सम्यक् जीवन द्वारा पूर्ण पुरुष बन जाते हैं, वे दिव्य पुरुष (Theodidactoi) कहलाते हैं । उनकी यह दशा अमरत्व, शान, प्रेम और पूर्णता की दशा कहलाती है और यही उनका निर्वाण कहलाता है ।

इस सम्प्रदाय में जीव-दया को सम्यक् जीवन के लिये अनिवार्य माना है । मौनव्रत पालकर इस सम्प्रदाय के साधु तप करते हैं । मांसाहार और द्विदल भक्षण का भी इस सम्प्रदाय में निषेध है ।

इस प्रकार इस सम्प्रदाय पर निश्चय ही जैनधर्म की अहिंसा और

● अहिंसा-दर्शन

लगाता है, उसकी ओर बाँया गाल भी कर दे। जो तुम्ह पर नालिश करके बुर्ता लेना चाहे, उसे दोहर भी लेने दे।

‘अपने बैरी से प्रेम रख और सताने वालों के लिये प्रार्थना कर।’

‘यदि तू बुरी नीयत से किसी स्त्री की ओर देखता है तो तू उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तुम्हें एक आँख ठोकर लिलाती है तो अन्धा है, तू उसे निकाल दे, जिससे सारा शरीर तो नरक में जाने से बच जाय।’

‘तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिये तू अपने खाने पीने की चिन्ता न कर।’

‘तुम्हें संत पाया है और संत दो। मार्ग के लिये न दो बुर्ते, न भोले और न लाठी रखो क्योंकि मजदूर को अपना भोजन मिल जाना चाहिये।’

वे शिष्याएँ जैन अगुप्तों की भावना के अनुरूप ही हैं। इसका कारण यही है कि ईसा ने जैन भयों के निकट रहकर शिक्षा पाई थी।^१

ईसाई लेखकों^२ ने परिग्रह त्याग पर जोर देते हुये लिखा है—

‘क्योंकि हम जिन्होंने भविष्य की चीजों को चुन लिया है, यहाँ तक कि हम उनसे ज्यादा सामान रखते हैं, चाहे वे फिर कपड़े लें हों या दूसरी कोई चीज, पाप को रखे हुये हैं क्योंकि हमें अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहिये। हम सबके लिये परिग्रह पाप है। जैसे भी हो, धैरे इनका त्याग करना पापों को हटाना है।’

१—विरव कोष (सं० धी नगेन्द्रनाथ वसु) भाग ३ पृ० १२८

२—Clementine Homilies (by Appossol Peter)

● अहिंसा का प्रादुर्भाव और विघात

इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसा और उनका प्रतिपादित धर्म वस्तुतः अहिंसक क्रान्ति से प्रभावित रहे हैं और इन्होंने जैनधर्म को अपने रूप में स्वीकार कर लिया था।

अहिंसक क्रान्ति का हजरत मुहम्मद और उनके इस्लाम धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, यह तो कहना कठिन है। किन्तु फिर भी हजरत मुहम्मद ने रहम (अहिंसा) की पितृनी प्रतिष्ठा की, यह हजरत मुहम्मद निम्न उल्लेखों से स्पष्ट है।

‘(अब मुहम्मद!) हमने तुम्हें नहीं भेजा, बल्कि सम्पूर्ण प्राणधारियों के लिये रहम (अहिंसा) भेजा है।’¹

‘स्वर्ग हजरत लोगों से कहा करते थे—मनुष्यों! मैं रहमत हूँ, जो तुम्हारे पास भेजा गया हूँ।’² (Narrator Abu Saleh)

‘अहोद के युद्धक्षेत्र में शत्रुओं के तीरों और पत्थरों की बौछार से परास्त होकर मुहम्मद सा. दण्ड लोंक रहे थे। ऐसी दयनीय दशा में उनके साथियों ने अविश्वासी शत्रुओं को शाप देने का उनसे आग्रह किया। किन्तु उन्होंने शाप देने से इनकार कर दिया और कहा—‘मैं शाप देने नहीं भेजा गया हूँ, बल्कि मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। ऐ सुदा! तू मेरे इन अरु मनुष्यों को मार्ग दिखा क्योंकि वे मुझे नहीं जानते।’³

कुरान का प्रत्येक अध्याय भी अर्रहमान- अर्रहीम शब्दों से प्रारम्भ होता है, जिसका आशय है कि सुदा इस दुनिया के बनाते समय भी

१—कुरान २१ पृ० २२

२—Ibid 9 pp. 187-8

३—Q. Md. Sulaiman in Rahmat—Al-Lil-Alamina vol 1 p. 114

● अहिंसा दण्ड

लगाता है, उसकी ओर बाँया गाल भी कर दे । जो तुम—
करके कुर्ता लेना चाहे, उसे दोहर भी लेने दे ।

‘अपने बैरी से प्रेम रख और सताने वालों के लिये १

‘यदि तू बुरी नीयत से किसी स्त्री की ओर देखता है
व्यभिचार कर चुका । यदि तुम्हें एक आँसु ठोकर सिन्धारी,
है, तू उसे निकाल दे, जिससे सारा शरीर तो नरक
बच जाय ।’

‘तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते
अपने खाने पीने की चिन्ता न कर ।’

‘तुमने संत पाया है और संत दो । मार्ग के लिये न
झोले और न लाठी रखो क्योंकि मजदूर को अपना
जाना चाहिये ।’

ये शिक्षाएँ जैन आणुव्रतों की भावना के अनुरूप ही
कारण यही है कि ईसा ने जैन भ्रमणों के निकट रह
पाई थी ।’

ईसाई लेखकों^२ ने परिग्रह त्याग पर जोर देते हुये लिए

‘क्योंकि हम जिन्होंने भविष्य की चीजों को चुन लिया है
कि हम उनसे ज्यादा सामान रखते हैं, चाहे वे फिर कपड़े
दूसरी कोई चीज, पाप को रखते हुये हैं क्योंकि हमें अपने प
नहीं रखना चाहिये । हम सबके लिये परिग्रह पाप है । जैसे
इनका त्याग करना पापों को हटाना है ।’

१—विश्व कोर (सं० श्री नगेन्द्रनाथ धनु) भाग ३ पृ० १२

२—Clementine Homilies (by Appossol Peter

यह शान्तिप्रिय लोगों का विख्यात संगठन है। स्वेकर्स की एक विख्यात सोसाइटी आफ फ्रेंड्स की स्थापना सन् १६६० में चार्ज फाक्स ने की थी। स्वेकर्स युद्ध के विरोधी होते हैं।

स्वेकर्स उनका विश्वास है कि शान्ति बनाये रखने के लिये सेना सम्बन्धी कार्यों से पृथक् रहना चाहिये और आरम्भी भगड़ों का फैसला पंचायतों द्वारा कर लेना चाहिये।

स्वेकर्स आदर्शों पर आधारित एक अहिंसक राज्य की स्थापना सन् १६८२ में डैनसिलवेनिया के पेन और रैड हडियन्स की सन्धि के फलस्वरूप हुई। दोनों में यह सन्धि हुई कि

एक अहिंसक राज्य की स्थापना 'दोनों का व्यवहार और सब काम प्रेम से होगा कोई एक दूसरे से अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं करेगा। दोनों शरीर के दो अंगों की तरह

रहेंगे। दोनों के आरम्भी भगड़ों का फैसला एक पंचायत से कर लिया करेंगे। यह राज्य ७० वर्ष तक निर्बाध चलता रहा। किन्तु इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएँ हो गईं, जिनसे इसका चलना कठिन हो गया। उनमें से एक घटना तो यह हुई कि निकटस्थ फ्रांसीसी उपनिवेश के साथ भगड़ा होने पर डैनसिलवेनिया के गवर्नर को सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी, जो कि स्वेकर्स सिद्धान्त के प्रतिकूल थी। दूसरी यह कि बहुत से गोरे आ गये, जिससे स्वेकर्स का बहुमत न रह सका। फिर भी ७० वर्ष तक एक राज्य का संचालन अहिंसा द्वारा संभव हो सका, यह एक अपूर्व प्रयोग था।

यह एक शान्तिप्रिय और अहिंसावादी रूसी सम्प्रदाय है। ये निरामिषभोजी हैं, और सब प्रकार की हिंसा के विरोधी हैं। उनके आचार विचार बहुत कुछ सन्यासियों जैसे हैं। अपने अहिंसक विश्वासों के

● अहिंसा दर्शन

हे कि साधन के औचित्य का आधार साध्य है। यदि साध्य वाङ्मयीय है तो जो भी साधन साध्य प्राप्ति में उपयोगी हो, वह उचित है। जबकि दूसरी ओर जैनधर्म में साधन की शुद्धता पर ही साध्य की शुद्धता निर्भर मानी है।

धार्मिक सम्प्रदायों के अतिरिक्त भी विभिन्न देशों में अहिंसक आन्दोलन समय-समय पर होत रहे हैं। इन आन्दोलनों का प्रणेता विभिन्न व्यक्ति या संस्थाएँ रही हैं। कुछ प्रभावशाली लेखक या सन्त भी हुए हैं, जिन्होंने अहिंसा के प्रति अपनी गहरी निष्ठा प्रकट करके अहिंसा के प्रसार में सहायता दी है। इनमें से सबका परिचय देना तो संभव नहीं है, किन्तु कुछ का परिचय यहाँ देना उचित होगा।

प्राचीन तथा मध्यकालीन कुछ ईसाई संस्थाओं ने युद्ध में किसी प्रकार का सहयोग देने से इनकार कर दिया था। उनका विश्वास था कि युद्ध एक बुराई है और उस बुराई से कोई समझौता नहीं हो सकता। इन संस्थाओं में अल्वि जे-सेज, वाहोइ, लीलाइस, पालाशियन्ड, मेनोटाइट्स उल्लेख योग्य हैं।

ईसाई खेसक
और संस्थाएँ

सोलहवीं शताब्दी में इरेस्मस नामक लेखक ने हिंसा की बुराईयों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया। इस शताब्दी की कुछ अनाविष्टिस्ट संस्थाएँ हिंसा का विरोध कर रही थीं। राज्य का आधार हिंसा है, इस कारण वे राजकीय कार्यों में कोई भाग नहीं लेती थीं, मुकदमों और राजनैतिक कामों से भी अलग रहती थीं। इन मायताओं के कारण राज्य के हाथों इन लोगों को बड़ी यातनाएँ उठानी पड़ीं। कुछ समय बाद इनमें से कुछ संस्थाएँ समाप्त हो गईं और शेष अमेरिका में चली गईं।

● अहिंसा का प्रादुर्भाव और विकास

यह शान्तिप्रिय लोगों का विख्यात संगठन है। स्वेकर्स की एक विख्यात सोवार्दी आक्र क्रोएट्स की स्थापना सन् १६६० में जार्ज फाक्स ने की थी। स्वेकर्स मुद्द के विरोधी होते हैं।

स्वेकर्स उनका विश्वास है कि शान्ति बनाये रखने के लिये केना सम्बन्धी कार्यों से पृथक् रहना चाहिये और आंगरी भगड़ो का पैसला पंचायती द्वारा कर लेना चाहिये।

स्वेकर्स आदरों पर आधारित एक अहिंसक राज्य की स्थापना सन् १६८२ में पैनसिलवेनिया के पेन और रैट इडियन्स की सन्धि के फलस्वरूप हुई। दोनों में यह सन्धि हुई कि

एक अहिंसक राज्य की स्थापना 'दोनों का व्यवहार और सब काम प्रेम से होगा कोई एक दूसरे से अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं करेगा। दोनों शरीर के दो अंगों की तरह

रहेंगे। दोनों के आपसी भगड़ो का पैसला एक पंचायत से कर लिया करेंगे। यह राज्य ७० वर्ष तक निर्वाह चलता रहा। किन्तु इसके बाद कुछ ऐसी घटनायें हो गईं, जिनसे इसका चलना कठिन हो गया। उनमें से एक घटना तो यह हुई कि निकटस्थ फ्रांसीसी उपनिवेश के साथ भगड़ा होने पर पैनसिलवेनिया के गवर्नर को सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी, जो कि स्वेकर्स सिद्धान्त के प्रतिकूल थी। दूसरी यह कि बहुत से गोरे आ गये, जिससे स्वेकर्स का बहुमत न रह सका। फिर भी ७० वर्ष तक एक राज्य का संचालन अहिंसा द्वारा संभव हो सका, यह एक अपूर्व प्रयोग था।

यह एक शान्तिप्रिय और अहिंसावादी रूसी सम्प्रदाय है। ये निरामिषमोत्री हैं, और सब प्रकार की हिंसा के विरोधी हैं। उनके आचार विचार बहुत कुछ सन्यासियों जैसे हैं। अपने अहिंसक विश्वासों के

दासता से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गान्धी ने अहिंसा का प्रयोग किया और उसमें वे सफल हो गये। तबसे विश्व-इतिहास में अहिंसा को भी विश्व-शान्ति तथा दूसरी समस्याओं के हल के लिये एक विकल्प स्वीकार किया जाने लगा है।

निश्चय ही अहिंसा का यह महान् दर्शन म० गान्धी को जैन संस्कारों की विरासत के रूप में मिला था। अहिंसा की ओर उनके मुक्ताव का प्रारम्भ विलायत जाते समय मद्य, मांस और पर स्त्री-सेवन के त्याग रूप उस प्रतिज्ञा से हुआ था, जो इनकी धर्म परायण 'जैन' माता ने उनसे कराई थी। माता के प्रति उनकी भक्ति और अपनी प्रतिज्ञा के प्रति उनकी निष्ठा से यह संभव हो सका कि विलायत में अपने विद्यार्थी जीवन में वे इन पापों से बच सके, बल्कि सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि यह प्रतिज्ञा उनके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ गई और यह उनके जीवन का संस्कार बन गई।

इसके पश्चात् हंग्लैण्ड से वापिस आने पर गान्धी जी बम्बई के जोहरी और प्रसिद्ध जैनभावक कवि राजचन्द्र के सम्पर्क में आये और उनके गभीर शास्त्रज्ञान, निर्मलचरित्र और आत्मदर्शन की उत्कण्ठा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गान्धी जी की सत्य-धर्म की जिज्ञासा का समाधान किया तथा आगे भी बहुत अवसरों पर धार्मिक और नैतिक उलझनों में गान्धी जी का पथ प्रदर्शन किया^१। उनके सम्पर्क ने गान्धी जी को अहिंसा में दृढ़ विश्वास करने वाला बना दिया।

इसके बाद गान्धी जी ने अहिंसा के परम्परागत तत्व दर्शन का एक प्रकार से नव-संस्करण किया। उनकी विशेषता यह है कि उन्होंने जीवन

१—ग्राम्य कथा भाग २ अ० १

● अहिंसा का प्रादुर्भाव और विकास

के प्रत्येक क्षेत्र में अहिंसा के उपयोग की संभावना की छानबीन की है और उसका उपयोग देशव्यापी जन-आन्दोलनों में किया है। उनके शब्दों में 'अहिंसा सब परिस्थितियों में कारगर सार्वभौम नियम है। उसका त्याग विनाश का सबसे अधिक निश्चित मार्ग है'।¹ उनके राजनैतिक विचार और राजनैतिक प्रतिरोध की सत्याग्रही पद्धति उनके धार्मिक विश्वासों और नैतिक सिद्धान्तों के निष्कर्ष हैं।

अहिंसा को गान्धी जी, केवल व्यक्तिगत आचरण ही चीज नहीं मानते। उनका तो कहना है कि 'मैंने यह विरोध दावा किया है कि अहिंसा सामाजिक चीज है। केवल व्यक्तिगत चीज नहीं है। मनुष्य केवल व्यक्ति नहीं है, वह पिण्ड भी है और ब्रह्माण्ड भी, वह अपने ब्रह्माण्ड का बोझ अपने कंधों पर लिये फिरता है। जो धर्म व्यक्ति के साथ खतम हो जाता है, वह मेरे काम का नहीं है। मेरा यह दावा है कि सारा समाज अहिंसा का आचरण कर सकता है और आज भी कर रहा है'।²

गान्धी जी की मान्यता है कि साध्य की तरह साधन भी शुद्ध होने चाहिये। उनके शब्दों में 'साधन बीज है और साध्य वृक्ष। इसलिये जो सम्बन्ध बीज और वृक्ष में है, वही सम्बन्ध साधन और साध्य में है। सैतान की उपासना करके मैं ईश्वर-भजन का फल नहीं पा सकता'।³

गाँधी जी अहिंसा के व्यावहारिक और सामूहिक प्रयोग के लिए सत्याग्रह को आवश्यक मानते थे। सत्याग्रह शब्द गाँधी जी ने दक्षिण

१—हरिजन १२-७-१९३३-पृ० २०१

२—जुलाई १९४० में गान्धी सेवा संघ की सभा में दिया गया भाषण

३—हिन्दू-स्वराज्य पृ० १२६

● अहिंसा दशन

से ससार को अहिंसा के सम्बन्ध में सोचने विचारने को बाध्य कर दिया। इस युग में विश्व शान्ति के लिए अहिंसा ही जो धर्मा होती है, वह निरसन्देह गाँधी जी के कारण ही। यद्यपि यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने अहिंसा के परम्परागत भारतीय विश्वास का ही समर्थन किया था और किसी नये सिद्धान्त की कल्पना नहीं की थी। हाँ! अहिंसा सम्बन्धी उनका चिन्तन अत्यन्त गम्भीर था और उसके प्रयोग की विधि अपूर्व थी।

अहिंसा के उन्नायक तीर्थंकर

सारे जैन तीर्थंकर अहिंसामूलक धर्म का ही उपदेश करते हैं। उनके सिद्धान्तों में किसी प्रकार का मौलिक अन्तर नहीं होता। किन्तु फिर भी सभी तीर्थंकरों के काल में परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं और उन परिस्थितियों में वे लोक-कल्याण के लिए धर्म के किसी एक पहलू पर विशेष जोर देते हैं अथवा समस्याओं के समाधान की पद्धति उनकी अलग अलग होती है। भगवान् ऋषभदेव के काल में यज्ञयागादि का नाम तक न था किन्तु भगवान् महावीर के काल में यज्ञ यागादि का प्राबल्य था। ऐसी स्थिति में यज्ञ यागादि की हिंसा को दूर करने के लिए अहिंसा पर जितना बल भ० महावीर को देना था, उतना भगवान् ऋषभदेव को नहीं। यद्यपि अहिंसा का उपदेश दोनों ने ही दिया था। इससे उनकी अहिंसा में अन्तर नहीं पड़ा, केवल उनके समय की क्या परिस्थितियाँ थी, इस बात पर प्रकाश पड़ता है।

हम यहाँ केवल चार तीर्थंकरों के सम्बन्ध में ही परिचय देना पसन्द करेंगे, जिनके काल में परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न थीं। हम इन परिचयों से यह जान सकेंगे कि उन परिस्थितियों में उन महापुरुषों ने अहिंसा का किस प्रकार सफल प्रयोग किया था। ये चार तीर्थंकर हैं— भगवान् ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। हमारी इच्छा थी कि हम यहाँ सभी तीर्थंकरों का परिचय विस्तार से देते, किन्तु

● अहिंसा दर्शन

अहिंसा के दृष्टिकोण से उचल इन चार तीर्थंकरों का ही विस्तृत परिचय हमें मिल सका ।

जैन मान्यता^१ है कि भरत खण्ड में एक समय ऐसा था, जब मानव सम्यता विकसित नहीं हो पाई थी । तब जो ससृष्टि यहाँ पर थी, वह एक प्रकार से बन ससृष्टि थी । यहाँ भगवान् ऋषभदेव विभिन्न प्रकार के वृक्ष होते थे, जिन्हें कल्पवृक्ष कहा जाता था । लोग उनसे ही अशन वसन, पान, प्रकाश सब कुछ पाते थे । इस समय प्रकृति का कुछ ऐसा वैचित्र्य था कि माना के गर्भ से दो बालक युगल ही उत्पन्न होते थे, एक पुत्र और दूसरी पुत्री । युवावस्था में ये दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते थे । इन दिनों लोगों का मानस पवित्र थे, पाप-कर्म वे जानते तब न थे, धर्म का उहे बोध न था । यह समय भोग भूमि युग कहलाता था ।

किन्तु भोग भूमि का यह युग समाप्त हो रहा था । कल्पवृक्ष कम होने लगे थे । व्यक्तियों की आवश्यकताएँ पूरी न हो पाती थीं । इस समय के व्यक्तियाँ भो प्रमुत्त और समझदार मनुष्य होते थे, वे मनु कहलाते थे । वे मनुष्यों की कठिनाइयों का समाधान करते थे । ऐसे मनु चौदह हुए । चौदहवें मनु का नाम नाभिराय था और उनकी पत्नी का नाम था मरुदेवी । वे अयो या नगर के अधिपति थे ।

नाभिराय के पुत्र ऋषभदेव हुए । गम में आने से छ मास पूर्व इन्द्र न नाभिराय के महलों में हिरण्य वृष्टि की थी । अतः उनका नाम

१—आदिपुराण । समवायाङ्ग सूत्र । आवरयक सूत्र । स्थानाङ्ग सूत्र । जम्बू द्वीप प्रशस्ति । कल्पसूत्र । त्रिपट्टि शलाका पुरण चरित्र । तिब्बोय पण्यत्ति आदि ।

• अहिंसा दर्शन

देश के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट् हुए । उन्होंने दिग्विजय करके साम्राज्य बनाने का एक नया ही प्रयोग किया और सर्वप्रथम इस देश को एक सूत्र में आवद्ध करके एक छत्र के नीचे संगठित किया । अतः उनके नाम पर इस देश का नाम भी भारतवर्ष कहलाया^१ । इस बात की पुष्टि न केवल जैन साहित्य से ही होती है, अपितु वैदिक साहित्य से भी होती है^२ ।

जैन वाङ्मय में भरत को २६ वां मनु भी बताया है^३ । इसकी पुष्टि भी वैदिक साहित्य से होती^४ है । मनु यास्त्व में संज्ञा न होकर एक प्रवार की उपाधि थी ।

भरत के बड़े पुत्र अर्ककीर्ति से सूर्यवंश और हस्तिनापुर के प्रतापी नरेश सोमवंश से सोम या चन्द्रवंश की स्थापना हुई ।

वास्तव में ऋषभदेव इस परिवर्तनशील सृष्टि में इस युग के कर्म युग के कर्म के और धर्म के संस्थापक थे । उनकी महानता और लोक व्यापी प्रभाव के कारण उनकी जीवन कथा को केन्द्र बनाकर अनेकों मान्यतायें प्रचलित हो गईं । भद्रावश लोक ने उनके अनेक रूपों को देखा

१—आदिपुराण पर्व १२

२—भाराह पुराण अ० ७४ पृ० ४६ (नवलक्षिशोर प्रेस लखनऊ)

वायु पुराण अ० ३३ पृ० २१ । लिंगपुराण अ० ४७ पृ० ६८। स्कन्ध पुराण माहेश्वर खण्ड का कौमार खण्ड अ० ३७ । कल्याण संत ग्रंथ प्रथमखण्ड पर्व १२ सं० १ पृ० २७६ (श्रीमद्भागवत् के आधार पर) ।

३—आदि पुराण ३, २३६

४—भरतस्य पुराण १४, ४, वायुपुराण ४२, ७६

श्रीर अनेक मान्यताओं की सृष्टि हो गई। संसार में उनके अनेक नाम प्रचलित होने का भी यही रहस्य है। वास्तव में वे अलौकिक दिव्य महानुष्य थे। उनकी हर क्रिया लोक के लिये उद्बोधक थी, अतः उनका हर रूप लोक के लिये एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व बन गया।

जैन वाङ्मय में भ० ऋषभदेव को इस युग का प्रथम तीर्थंकर माना है। उन्होंने जिस धर्म की पुनः स्थापना की थी, उस धर्म का नाम आर्हत धर्म या जैनधर्म था। उसका सारा ढांचा अहिंसा की नींव पर खड़ा हुआ है। अतः भगवान् ने वस्तुतः अहिंसा का ही प्रचार किया था। जैन वाङ्मय की इस मान्यता का समर्थन श्रीमद्भागवत्^१ से भी होता है। लिंग पुराण में स्पष्ट कथन है कि वे असनी आत्मा में ही आत्मा के द्वारा परमात्मा की स्थापना करके दिगम्बर वेप में आहार न करते हुए रहने लगे। ऐसे समय में उनके केश बढ़ गये थे। और उनके मन से वस्त्र धारण करने का अंधकार समाप्त हो गया था। अतः वे नग्न रहते थे। आशाओं से मुक्त, सन्देह से रहित उनकी साधना उन्हें मोक्ष जाने में सहायक हुई^२।

ऋषभदेव की मान्यता सारे लोक मानस में छा गई थी। अतः लगना है, उनके साथ दीक्षित उन तपोभ्रष्ट तथाकथित मुनियों ने तथा उनके पश्चाद्बर्ती धर्म संस्थापकों ने अपने तेषास्य देवता के रूप और नाम की कल्पना भ० ऋषभदेव के असंख्य नाम रूपों में से किसी एक को लेकर कर ली और धीरे-धीरे उनके अनुयायियों ने उसे ही एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व मान लिया। धीरे-धीरे उस व्यक्तित्व का वर्णन

१ भागवत् स्कन्ध २ अध्याय • श्लोक १०

२—शिंग पुराण अ० ४० श्लोक २२-२३

• अहिंसा दर्शन

प्राचीन काल में शिव जी की मान्यता बहुत प्रचलित थी। उन्हें शिव, महादेव, रुद्र, पिनाकपाणि आदि विविध नामों से पूजा जाता था।

ऋषभदेव किस प्रकार शिव बन गये, इसका उल्लेख कई ग्रन्थों में मिलता है। ईशान संहिता में उल्लेख है कि माघ कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में आदिदेव करोड़ों सूर्य की प्रभा वाले शिव लिंग के रूप में प्रगट हुए।^१

शिव पुराण में तो स्पष्ट उल्लेख है कि मुझ शंकर का ऋषभदेवता होगा। वह सज्जन लोगों की शरण और दीनबन्धु होगा और उनका अतार नौराँ कहलाएगा।^२

इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि ऋषभदेव और शिव जी एक ही व्यक्ति थे। अतः यह विचार करना शेष रह जाता है कि शिव जी का जो रूप विकसित हुआ, उसका मूल रूप क्या था।

दिगम्बर रूप—म० ऋषभदेव संसार से उदासीन होकर दिगम्बर मुनि बन गये और मुनि दीक्षा लेकर घट वृद्ध के नीचे ध्याना रुद्र हो गये^३। ऋषभदेव के दिगम्बर रूप की पुष्टि जैन साहित्य के अतिरिक्त जैनेतर साहित्य से भी होती है। भागवत पुराण में ऋषभदेव का वर्णन करते हुए लिखा है कि 'उनके शरीर मात्र परिग्रह बच रहा

१—माघ कृष्ण चतुर्दश्यामादिदेवो महानिशि ।

शिवलिंग तयोद्भूत कोटि सूर्य सम प्रभ ॥ ईशान संहिता

२—इत्थं प्रभाव ऋषभोऽवतार शंकरस्य मे ।

सतां गति र्दीनबन्धुनं वम कथितस्तुन ॥

३—महापुराण

था। वे उन्मत्त के समान दिगम्बर वेशधारी बिलेरे हुए केशों सहित झाड़वनीय अग्नि को अपने में धारण करके मझावत देश से प्रवृत्तिन हुए^१। और मलिन शरीर सहित वे ऐसे दिखाई देते थे, मानों उन्हें मृत लगा हो।

इसी पुराण में यह भी लिखा है कि तनाग्नि से कर्णों को नष्ट कर वह सर्वत्र 'अर्हत' हुए और 'आर्हतमत्त का प्रचार किया^२।

शिव जी को भी नम्र माना है और श्रुतदेव के मलिन शरीर को प्रदर्शित करने के लिये शिव जी के देह पर ममृत लगाई दिनाई जाती है। वेदों में विस शिरुतदेव का उल्लेख मिलता है, उसका रहस्य भी दिगम्बरत्व में ही निहित है।

जटापय—श्रुतदेव ने जब ६ माह का कठोर तपना की, उस समय उनके केश बढ़कर बटा के रूप में हो गये थे^३। अब भी श्रुतदेव

१—उर्वरित शरीर मात्र परिग्रह उन्मत्त इव गगन परिधलः प्रदीर्घं केशः
घामन्या रोषिताहवनीयो मझावतान् प्रववाच ।

भागवत

२—भागवत पुराण २-२

३—(अ) मंद वृट समाहार-भानुगुणः समग्रहितः

स रवे भगवान् दीर्घजटा-जाल इनागुमान् ॥ पद्मचरित ४-२

(आ) ततो वसंथमात्र म कायेपुगोय निरश्वतः ।

घरा घनद्वत्तम्पी वृतेन्द्रिय समभ्यतिः ॥

वातोद्व्रता जटास्तस्य रेनुगकुचनूनयः ।

धूमाल्य इव सद्रूपान वग्नि गज्जम्य कर्मणः ॥

पद्मचरित पर्व ३ श्लोक २८० २८१

● अहिंसा दर्शन

है। गर्भ में आने से छः माह पूर्व से इन्द्र ने ऋषभदेव के पिता नाभिराय के घर में हिरण्य वृष्टि की थी, अतः वे हिरण्यगर्भ कहलाये। वे प्रजा के प्रथम लोकप्रिय नायक थे तथा उन्होंने मानव-सृष्टि के सारे कर्मों का प्रथम प्रचलन किया था, अतः वे प्रजापति^१ कहलाये। समवशरण (उपदेश सभा) में उनके चारों ओर मुद्र दीखते थे। अतः उन्हें चतुर्मुख कहने लगे। आज भी चतुर्मुखी जैन प्रतिमायें बहुत मिलती हैं। जन्म से ही विशेष ज्ञान तथा बिना किसी की सहायता के उन्हें आत्म बोध और कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। अतः वे स्वयम्भू^२ कहलाये। पहले मुनि, फिर अर्हन्त और अन्त में सिद्ध होने के कारण वे परमैश्वरी कहलाते थे। उन्होंने सारे कर्मों को नष्ट करके जन्म मरण के सारे बन्धनों को काट दिया। अतः वे कभी पुनः जन्म ग्रहण नहीं करेंगे, वे मुक्त हो चुके, अतः अज अजन्मा कहलाते हैं। वे पितामह और लोनेशतो हैं ही। इस प्रकार ऋषभदेव के लिये प्रयुक्त होने वाले सारे विशेषण ही ब्रह्मा के नाम हैं।

इसके अतिरिक्त एक बात विशेष उल्लेखनीय है। पुराणों में वर्णित ब्रह्मा की पुत्री का नाम सरस्वती बताया है। इधर ऋषभदेव की पुत्री

१—प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविसुः, शशास कृष्यादिसु कर्मसु प्रजा ।

प्रबुद्ध सत्त्व पुनरद्भुतोदयो, ममत्वदो निविबिदे विदांवरः ॥

स्वयम्भू स्तोत्र २

ऋषभो वा पशुनां प्रजापतिः । शत० २-२-५-१७

२—स्वयम्भुवा भूतहितेन भूतजे, समंजस ज्ञान विभूति चतुरा ।

विराजितं येन विधुन्वता तम , पमाकरेणैव गुणोत्करैः करैः ॥

स्वयम्भू स्तोत्र १

● अहिंसा-दर्शन

(सर्वश) जैसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इन नामों के अतिरिक्त वेदों में अग्नि को जातवेदस (जन्मना ज्ञान सम्पन्न) रक्षधाता (रक्ष धारण करने वाला) विश्ववेदस (विश्व को जानने वाला) मोक्ष नेता, ऋत्विज (धर्म सस्थापक) आदि विशेषण प्रदान किये गये हैं। उसे धर्म, अर्क, शुक्र, ज्योति, सूर्य, रुद्र, शर्व, पशुपति, उग्र, अशनि, मव, महादेव, ईशान, आय, विष्णु, इन्द्र, मित्र, वरुण, सुपर्ण, दिव्य, गरुत्मान्, यम, मातरिश्वा आदि कहा है।

इन विशेषणों और नामों को देख कर यह तो कल्पना करना ही असंभव होगा कि जिस अग्नि की इन शब्दों से प्रार्थना की गई है, वह अग्नि व्यक्ति न होकर पंच भूतों की अग्नि होगी। शतपथ^१ ब्राह्मण में इस विषय को और भी स्पष्ट किया है। उसमें इस बात की स्वीकृति है कि उपास्य देवों के अग्र में उत्पन्न होने के कारण वह अग्नि या अग्नि नाम से व्यवहृत हुए।

इन नामों और विशेषणों द्वारा ही अथर्ववेद के ऋषभ सूक्त द्वारा ऋषभदेव की स्तुति की गई है।

अग्नि ही ऋषभदेव हैं। देवों ने ऋषभदेव को ही अग्नि के नाम से अपना आराध्यदेव स्वीकार कर लिया, इस तथ्य का उद्घाटन स्वयं ऋषभ गोत्री मरीचि पुत्र ऋषि ने ऋग्वेद १-६६ द्वारा किया है।^२

१—(अ) सयंदस्य सर्वस्याग्रमस्सृज्यत तस्माद्भिरग्निर्ग्रहं वै तमग्निरित्या-
चक्षते परोऽध्वय । शतपथ ब्रा० २-१-१-११

(आ) तद्वा स्नमेतदग्ने देवानां अजनयत् तस्याद्भिराग्रतं वै नामैतद्य
दगिरिति । शत० ब्रा० २-२ ४-२

२—वा० जयभगवान् जी पेंडबोकेट (आदिनाथ ऋषभ और वेदों
का अग्निदेव)

सृष्टि से, प्रजा को नियम से चलाने वाले और अन्तिम मनु नाभिराय के पुत्र थे ।

अतः यह मानने में कोई बाधा नहीं कि यम और मित्र ऋषभदेव ही हैं ।

वेदों में ऋषभदेव की स्तुति न केवल अग्नि के रूप में ही मिलती है, अपितु ऋषभदेव के रूप में भी स्तुतिपरक अनेक मंत्र मिलते हैं । यहाँ दो चार मंत्रों का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है ।

सम्पूर्ण पानों से मुक्त तथा अहिंसक क्रतियों के प्रथम राजा, आदित्य स्वरूप भी ऋषभदेव का मैं आवाहन करता हूँ । वे मुझे बुद्धि एवं इन्द्रियों के साप बल प्रदान करें ।^१

मिष्टभागी, शानी, स्तुति योग्य ऋषभ को पूजा साधक मन्त्रों द्वारा वर्धित करो । वे स्तोता को नहीं छोड़ते^२ ।

हे शुद्ध दीप्तिमान्, सर्वश कृपम ! हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हम कभी नष्ट न हों^३ ।

इनके अतिरिक्त अनेक मंत्र हैं, जिनमें देवता ऋषभ है ।

१—अहो मुंघं कृषभ यज्ञिमानो विराजन्तं प्रथममध्वराणाम्
अथां न पातमरिवता हुवे धिय इन्द्रियेषा इन्द्रियंस्तमोजः ॥

अथर्ववेद क्र० ११।४२।४

२—अनर्वाणं कृषभं मन्द्र जिह्वं पृहस्पतिं वर्धया मय्यमर्के ॥

अ० मं० १ सू० ११० मं० ०

३—एव धमो कृषभ चेकितान यथा हेव न हर्षीये न हंति ॥

अ० २।२३।१५

● अहिंसा दर्शन

अप्रनेता अग्नि को धारण किया अपना आराध्य देव स्वीकार कर लिया ॥४॥

इस सूक्त में अग्नि की स्तुति में जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है और जो इतिवृत्त दिया गया है, उनसे जैनशास्त्रों में ऋषभदेव के लिये दिये गये विशेषणों और इतिवृत्त के साथ तुलना करने पर यह स्वीकार करना पड़ता है कि यह स्तुति अग्नि के रूप में ऋषभदेव की ही की गई है और यह कि अग्नि ऋषभदेव के अतिरिक्त और कोई देव नहीं है।

अग्नि ऋषभदेव ही है, इसके प्रमाण में एक और बात उल्लेख योग्य है। अग्नि के नामों में यम और मित्र शब्द आये हैं। ईरानी धर्म पुस्तक जेन्दावस्ता में यम को मित्र और प्रथम राजा और धर्म, सभ्यता का संस्थापक बताया है। फारसी के प्रसिद्ध कवि फिरदौसी ने अपने शाहनामे में भी इसी बात की पुष्टि की है। जेन्दावस्ता में उल्लेख है कि सदाचारी मनुष्य मित्र का और अदुरमज्द का दर्शन करता है। यम के पिता का नाम विवन्धत् लिखा है।

इस यम के सम्बन्ध में वैदिक साहित्य में जो उल्लेख मिलते हैं, उनमें यम को प्रजा का स्वामी, त्रिवस्वान् का पुत्र, प्रजा को नियम से चलाने वाला, पृथ्वी का स्वामी बताया है।

इसी प्रकार मित्र के बारे में क्षत्रिय, पृथ्वी का स्वामी आदि के रूप में उल्लेख मिलते हैं।

जेन्दावस्ता और वैदिक साहित्य मित्र के सम्बन्ध में एकमत हैं और यह मित्र ही यम है, और ये दोनों नाम अग्नि के हैं। त्रिवस्वान् अन्तिम मनु है, जिसका पुत्र यम है।

जैन साहित्य में ऋषभदेव भी पृथ्वी (भारतवर्ष) के स्वामी थे,

सृष्टि से, प्रजा को नियम से चलाने वाले श्रीर अन्तिम मनु नाभिराय के पुत्र से ।

अतः यह मानने में कोई बाधा नहीं कि यम श्रीर मित्र ऋषभदेव ही हैं ।

वेदों में ऋषभदेव की स्तुति न केवल अग्नि के रूप में ही मिलती है, अपितु ऋषभदेव के रूप में भी स्तुतिपरक अनेक मंत्र मिलते हैं । यहाँ दो चार मंत्रों का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है ।

सम्पूर्ण पानी से मुक्त तथा अहिंसक प्रतियों के प्रथम रात्रा, आदित्य स्वरूप भी ऋषभदेव का मैं आवाहन करता हूँ । वे मुझे बुद्धि एवं इन्द्रियों के साथ बल प्रदान करें ।^१

मिष्टभाषी, शानी, स्तुति योग्य ऋषभ को पूजा सादक मंत्रों द्वारा वर्धित करो । वे स्तोत्रा को नहीं छोड़ते^२ ।

हे शुद्ध दीप्तिमान्, सर्वत्र कृपम ! हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हम कभी नष्ट न हों^३ ।

इनके अतिरिक्त अनेक मंत्र हैं, जिनमें देवता ऋषभ है ।

१—अहो मुंघं कृपम यश्चिमानां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम्
अपां न पातमरिवना हुवे धिय इन्द्रियेण इन्द्रिर्घदत्तमोजः ॥

अथर्ववेद कां० १२।४२।४

२—अनर्घाणं कृपमं मन्द्र जिह्व कृहस्पतिं वर्धया नम्यमर्के ॥

अ० मं० १ सू० १२० मं० ०

३—एव वभ्रो कृपम चेकितान यया हेव न हर्षायि न हंति ॥

अ० २।३३।१२

● अहिंसा दरान

दिशा में हरिपुर नामक नगर का स्वामी था। किन्तु कारणवश चंपापुरी आ गया था। उसने आकर अनेक राजाओं को जीतकर अपना राज्य काफी विस्तृत कर लिया था। उसका पुत्र हरि हुआ, जो बड़ा प्रतापी और तेजस्वी था। उसके नाम पर 'हरिवंश' की स्थापना हुई।

आगे चलकर इसी हरिवंश में दक्ष नामक एक निम्न प्रकृति का नरेश हुआ। अपनी पुत्री के साथ उसके अनुचित सम्बन्ध की देखकर उसकी पत्नी इला और पुत्र ऐलेय रुठ होकर चले गये और दुर्गदेश में जाकर इलावर्धन नगर बसाया। ऐलेय ने अंगदेश में ताम्रलिति और नर्मदातट पर महिष्मती नगर की स्थापना की। ये दोनों नगर आगे चलकर इतिहास में बड़े प्रसिद्ध हुए।

इसी वंश में आगे चलकर अभिचन्द्र नरेश हुआ। इसने विन्ध्याचल के पृष्ठ भाग पर चेदि राष्ट्र की स्थापना की। इसका पुत्र वसु हुआ जो अपनी सत्यवादिता के लिये प्रसिद्ध था। किन्तु नारद और पर्वत के विवाद में अनुचित पक्षपात वश 'अजैर्यगटव्य' का अर्थ 'बकरोँ द्वारा यज्ञ करने' का समर्थन करके पर्वत को न केवल विजय दिलाई, बल्कि घेदा में विहित यज्ञों को हिंसक रूप प्रदान किया। इससे उसकी बड़ी अपकीर्ति हुई।

वसु के दस पुत्र हुए। इनमें से आठ तो अधिक दिन राज्य न कर पाये। शेष दो पुत्रों में सुवसु नागपुर चला गया और बृहध्वज मथुरा चला गया। सुवसु के वंश में आगे चल कर जरासिन्ध और उसका पुत्र कालयवन हुए।

बृहध्वज के वंश में यदु हुआ। यह बड़ा वीर और प्रतापी नरेश था। इस नरेश से ही यदु-वंश अथवा यादव वंश चला।

● अहिंसा दर्शन

उत्पन्न हुए। पार्सीटु ने इन राजाओं की एक क्रमबद्ध तालिका भी दी है।^१ इन राजाओं में एक भीम सात्वत हुआ, जो संभवतः अन्धक और वृष्णि का पिता था। अन्धक का वंश मथुरा का और वृष्णि का वंश द्वारका का शासक हुआ।

यादव द्वारका क्यों गये, इसका उत्तर जैन और हिन्दू पुराणों में एक सा ही मिलता है। वह है कि जरासिन्धु द्वारा विशाल, शक्तिशाली सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण की योजना का पता लगते ही यादव मथुरा छोड़कर मौराष्ट्र में जाकर द्वारका नगरी में जा बसे।

भगवान् नेमिनाथ की प्रारम्भ से ही विराग की ओर प्रवृत्ति थी। वे देख रहे थे, देश में आहार के लिये पशु-मांस का प्रचार बढ़ता जा रहा है, राज्य-शासन की अतृप्त आकांक्षा के कारण निरतनये-नये युद्ध होते हैं, नर संहार होता है। वे देश भर में व्याप्त हिंसा के इस दैत्य को परास्त करना चाहते थे।

कृष्ण चाहते थे कि नेमिनाथ विवाह कर लें। कृष्ण के सकेत से उनकी स्त्रियों ने नेमिनाथ की साप्ताहिक भावनाओं को उभारने का प्रयत्न भी किया। किन्तु तभी एक घटना और हो गई। कृष्ण की एक पट्टरानी जाम्बवती ने व्यङ्ग्य से आहूत होकर युवक नेमिनाथ कृष्ण की आयुधशाला में जा पहुँचे और वहाँ नाग शय्या पर चढ़ कर कृष्ण के शाङ्गधर धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ाकर उसे टकारने लगे तथा पाँचजन्य शंख को जोरों से बजाना शुरू किया। जाम्बवती द्वारा अपने पति के शारीरिक पौरुष के लिये दर्पोक्ति और नेमिनाथ के प्रति व्यङ्ग्य किये जाने का ही यह उत्तर था। क्योंकि नारायण के शाङ्गधर धनुष को

१—पार्सीटु, पेंसवैसट इण्डियन हिस्टोरिकल ट्रेडीशन पृ० १०५ १०७

● अहिंसा के उन्नापक चार तरीक़े

बढ़ा सके और पंचजन्य राज्य को बना सके, देगा बनग्यानी कौन पुरान होगा ।

पट्टर की टंकार और राज्य का तीव्र प्रोप मुनवर शारा नगर एक-वारगी ही मय विद्वज हो उठा । कृष्ण राजागार की और हीरे और जब उन्होंने नेमिनाथ को यह उतरा करतें हुए देगा तो उनके बल-विस्म को देखकर कृष्ण रचित हो उठे और उन्होंने अविमल्य तपस्वी कुनारी सज्जनगी के साथ नेमिनाथ का सम्बन्ध पकडा करके विवाह की तैयारियां प्रारम्भ कर दीं ।

निश्चित निधि को बराबर बली । नेमिनाथ दरोचिउ मुकुट और कृष्ण बधि रथ में चल रहे थे । शेर यादव गगु विभिन्न पाहनो में थे । बागत नगर में पहुँची ही थी कि नेमिनाथ की दृष्टि एक बाड़े की ओर गई । उसमें अनेको पशु बन्द थे । हारों की दृश देना में ये पशु बन्धन में बन्दी डाले गये हैं, इस पर उन्होंने विचार किया, किन्तु कोई समाधान उन्हें न मिल सका । तब उन्होंने मारपी से पूछा — मर ! ये पशु बन्धन में पड़े हैं, इसका क्या कारण है ?

मारपी बोला—भार्य ! भार के विवाह में अनेको पशु बन्धन बन्दी भी आये हैं । उनके मांस की स्वाग्था के लिए ही ये पशु बन्धन बन्द किये गए हैं । इन्हें मारकर आनिन्द सत्कार किया जाएगा ।

नेमिनाथ मुनते ही गम्भीर विचार में पड़ गये—*मर के विचार*
इतने पशुओं के प्राणों का विधात होगा ! मेरी इतनी का मुक्त करने पशुओं की मृत्यु है ! तब तो मेरी खुशी इन मरने वाले पशुओं की मदगी पड़ेगी । किन्तु मेरा अपने प्रति, इन पशुओं के प्रति, मार जगत् के प्रति जो दायित्व है, उसे मैं कैसे पूरा कर सकूँ ? जब तक मैं अपनी प्रसन्नता का बलिदान नहीं करता

● अहिंसा दर्शन

उत्पन्न हुए। पार्शीट्यु ने इन राजाओं की एफ दी है। इन राजाओं में एक भीम सात्यत हुआ, और शृण्णि का पिता था। अन्धक का वंश मथुरा वंश द्वारका का शासक हुआ।

पादक द्वारका क्यों गये, इसका उत्तर जैन एक सा ही मिलता है। वह है कि जरासिन्धु द्वारा सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण की योजना का मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र में जाकर द्वारका नगरी में जा

भगवान् नेमिनाथ की प्रारम्भ से ही विराग की वे देख रहे थे, देश में आहार के लिये पशु-मांस का रहा है, राज्य-शासन की अतृप्त आराक्षा के कारण होते हैं, नर संहार होना है। वे देश भर में व्याप्त हि की परास्त करना चाहते थे।

कृष्ण चाहते थे कि नेमिनाथ विवाह कर लें। उनकी स्त्रियों ने नेमिनाथ की सांसारिक भावनाओं को भी किया। किन्तु तभी एक घटना और हो गई। कृ रानी जाम्बवती के व्यङ्ग्य से आहत होकर युवक ने आयुधशाला में जा पहुँचे और वहाँ नाग शय्या पर शाङ्ग पर धनुष की प्रत्यक्षा, चढ़ाकर उसे लगे

रहा सके और परिवर्तन गुण को दया सके, देगा बलशाली और
दुःख होगा ।

बहुत ही दंडार और गुण का तीव्र योग मुनवर माध नगर एक-
बारों ही सब विद्वान हो उठा । हृत्वा शुभांगार की ओर कीड़े और
बन उन्होंने नेमिनाथ को यह उपाय करने हुए देखा तो उनके मन-
विषय को देखकर हृत्वा शक्ति हो उठे और उन्होंने अचिन्तित रूप से
इनामी उद्योगधर्म के साथ नेमिनाथ का सम्बन्ध पकड़ा करके विद्वान
को वैशारिणी प्रारम्भ कर दी ।

निश्चित शिव को बरान सभी । नेमिनाथ यरोविः शूर और
कल्प बने रथ में चल रहे थे । शेष पारण गण विभिन्न बाहनों में से
बलान नगर में पहुँची ही थी कि नेमिनाथ की दृष्टि एक बाड़े की ओर
गई । उसमें अनेको पशु बन्द थे । हृत्वा की इस बेला में वे पशु बन्द
में क्यों बाने गये हैं, इस पर उन्होंने विचार किया, किन्तु वे विचार
उन्हें न मिल सका । तब उन्होंने सारथी से पूछा — यह पशु बन्द
में क्यों हैं, बन्द बाँध बाँध बाँध है ?

● अहिंसा दर्शन

बलि के मूल्य पर भी अगर इन प्राणियों के प्राण बच सकें तो मैं अपने हर्ष को इनकी रक्षा के लिये सदा सर्वदा के लिये त्याग दूँगा। मेरे क्षयिक हर्ष के लिये इन्हें जीवन से ही हाथ धोना पड़े तो यह मेरे लिए अत्यन्त लज्जाजनक होगा।

और तभी उन्होंने सारथी को आदेश दिया — भद्र ! रथ रोक ला। सारथी ने रथ रोक लिया। वह जब तक अपने प्रभु की ओर मुड़, तब तक नेमिनाथ मुड़ते, कश्यप और आभूषण उतार चुके थे। और रथ से उतर कर सीधे पहुँच बाढ़े का आर। पशुओं ने उन्हें नेत्रों में डूब जाता भरकर देखा। नेमिनाथ ने उन पशुओं के बन्धन खोल कर स्वतंत्र कर दिया। पशु जानन पा कर बन्धन खुलते ही सीधे बाढ़ का ओर भाग। नेमिनाथ ने उन प्राणियों के प्राणों का बचाकर अहिंसा के समुक्ति मूल्याङ्कन का मार्ग प्रशस्त कर दिया और भाग विलासों को टुकराकर मासाहार और पशु बंध का वृत्ति को ठोकर लगाई। इससे जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा, उसने सार यादव कुल और सार लाक-मानस को मास-भक्षण के विरुद्ध, हिंसा के विरुद्ध लड़ा होने में सहायता दी। आत्म बलिदान किए बिना धर्म का मार्ग कभी प्रशस्त नहीं होता।

पशुओं को स्वतन्त्र करने के बाद नेमिनाथ आत्म-स्वातन्त्र्य के लिये राज-वैभव टुकरा कर सासारिक मोह पार्श्वों को तोड़कर चल दिये गिरनार पर्वत की ओर। उनका यह विराग एक महान् आदर्श से अनुप्राणित था, एक महान् ध्येय के लिए था। वह चला गया, बरात विस्मय विमुग्ध रह गई। अन्त पुर में समाचार पहुँचा। राजकुलमती के सारे सपने चूर-चूर हो गये। माता-पिता ने कहा—'बेटी ! शोक न कर। लग्न की बेला टली नहीं। दूसरे किसी राजकुमार के संग तेरा

परिणत कर देंगे ।'

किन्तु राजकुलमती ने गम्भीर भाव से उत्तर दिया—वाह ! जीवन में पति एक ही होता है । मेरे अन्य जन्मान्तरी के न जाने किस अनि-
 शार से मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है । लेकिन अपने अन्तरात्मा की
 पति के गिर धारण और दूसरा विवाह करके क्या पति-द्रोह का एक
 और अन्तरात्मा कर सकेंगे ? स्त्री के लिए तो पति ही एक मात्र शरण
 है । उन्होंने जो किया, वह ठीक ही किया होगा । अब तो उन्होंने जिस
 मार्ग का अवलम्बन किया है, वही मेरा भी मार्ग होगा । उनके पदानु-
 गमन में ही मेरी मुक्ति है ।

और वह भी पर छोड़कर गिरनार की ओर चल दी ।

नेमिनाथ ने गिरनार के गहन वनों में, पर्वत शिखारों पर घोर
 तप किया और जब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तब उन्होंने देश भर
 में बिहार करके अहिंसा धर्म का महान् प्रचार किया । उनके शौचिक-
 व्यक्तित्व, असाधारण प्रभाव और लोक-कल्याणकारी उपदेशों से भारत
 में फिर एक बार अहिंसा धर्म की प्रतिष्ठा हो गई । जन मानस में
 मांसाहार के विरुद्ध शृणा की भावना व्याप्त हो गई और प्राणी मात्र के
 प्रति मैत्री लोक-व्यवहार का आधार बन गई ।

म० नेमिनाथ के कारण गिरनार पर्वत तीर्थ बन गया । पंथों में
 म० नेमिनाथ को देवता मानकर स्तुति की गई । यह स्तुति अरिष्टनेमि
 के नाम से की गई है । म० नेमिनाथ को ही अरिष्टनेमि कहते हैं ।

मगवान् पार्ष्णनाथ २२ वें चैन तीर्थद्वार म० नेमिनाथ के बाद ई०

पूर्व ८७० में बनारस में उत्पन्न हुए थे । उनके

म० पार्ष्णनाथ

पिता राजा विश्वसेन थे और माता कामादेशी
 थीं । वे कश्यप गोत्रीय इक्ष्वाकुकुल के उत्पत्त

● अहिंसा दर्शन

प्रकार नेमिनाथ के काल में मांस भक्षण का प्रचार बढ़ गया था और वे साधना के द्वारा ही उस प्रचार को कम कर सके, उसी प्रकार पार्श्वनाथ के काल में अज्ञान-तप और हठयोग का बहुत प्रचार बढ़ गया था। पार्श्वनाथ ने इस प्रकार के तप और हठयोग का जो दुष्परिणाम हो सकता है, उसको प्रत्यक्ष दिखा कर उस तप और हठयोग के प्रति जनता की भ्रष्टा को हिला दिया। और कुछ समय बाद स्वयं कठोर तपश्चरणा करके यह बता दिया कि तप केवल कापक्लेश नहीं है, वह तो इन्द्रिय और मन की बाधनाओं के विरुद्ध एक विद्रोह है। प्रतिरोध का उपाय है जिसे 'स' को पूरी तौर पर पाया जा सके।

ये अहिंसा के आध्यात्मिक जगत में बढ़ते हुए चरण थे। तपस्वी महीपाल तप के जाल में स्वयं उलझकर निस्तेज हो गया था, उसका मान चूर-चूर होकर शत-शत खंडों में बिलर गया। जनता का निरन्तर उपहास, अनादर सह सकने की उसमें क्षमता नहीं रह गई थी। पार्श्वकुमार के विरुद्ध उसका दीप्त क्रोध शान्त न हो सका और क्रोध की प्गाला में जलते-जलते ही उसने प्राण त्याग दिये। वह अब ज्योतिष्क देव हो गया। उसका नाम था संवर।

एक दिन पार्श्वनाथ अपनी मुनि अवस्था में बिहार करते-करते साध्यास्ती (अहिच्छद्र) पहुँचे। नगर के बाहर वन प्रान्त में पार्श्वनाथ आत्म-ध्यान में लीन थे। घाम और मोह की सेना निरन्तर पराजित होती जाती थी, तभी सवर अपने विमान में उधर से निकला। पार्श्वनाथ के तेजोमय व्यक्तित्व के निस्तीर्ण प्रभा-चक्र को लक्ष्य कर कोई विमान जा सके, इतनी शक्ति किसी में नहीं थी। विमान आकाश में अटक गया। संवर देव ने कारण जानना चाहा, विमान में क्या परानी आ गई है। तभी उसकी दृष्टि नीचे की ओर पहुँची। उसे

पहचानते देर न लगी, यह तो पार्श्वनाथ है, मेरे जनम-जनम का बैरी।
 बस उसने अपनी दैवी माया का विस्तार किया। पार्श्वनाथ के ऊपर
 मयानक उपद्रव होने लगे—ओले, वर्षा, भिजली, बादल, आंधी।
 वातावरण आतंकमय बन गया। संवर का रूप रीढ़ होता जा रहा
 था। वह क्रूर बदला लेने पर तुला हुआ था। किन्तु इन सारे उपद्रवों
 से जैसे बेखबर पार्श्वनाथ अपने ध्यान में मग्न थे। वे तो उस समय
 काम, क्रोध, मोह, लोभ इनके साथ युद्ध कर रहे थे। पानी में
 पार्श्वनाथ डूबते जा रहे थे, तभी धरणेन्द्र और पद्मावती को शक्त हुआ—
 हमारे उनकारक महापुरुष पर यह कैसी विपत्ति! वे दौड़े आये।
 धरणेन्द्र ने उन्हें ऊपर उठा लिया और सर्पश्रृंखाकार छत्र ऊपर तान
 दिया। संवर की सारी कौशिशें बेकार हो गयीं। तभी से नगरी का नाम
 'अहिच्छत्र' पड़ गया।

किन्तु पार्श्वनाथ की दृष्टि में संवर और धरणेन्द्र दोनों ही समान
 थे। वहाँ शत्रु-मित्र में कोई भेद नहीं रह गया था। अहिंसा की
 चरमोपलब्धि उन्हें ही चुकी थी। राग और द्वेष उनके नष्ट हो गये थे
 और सारे चराचर जगत् के प्रति उनकी मैत्री भावना अपने चरम रूप
 में विकसित हो चुकी थी। उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई। वे सर्वज्ञ-
 सर्वदर्शी बन गये।

संवर अपनी असफलता स्वीकार कर चुका था, अहिंसा की असफलता
 स्वीकार कर चुका था, और अहिंसा के उस मौन निमन्त्रण के आगे वह
 आत्म-समर्पण करने को बेचैन हो उठा। यह पार्श्वनाथ के चरणों में
 आ पड़ा। आत्मग्लानि उसके भीतर न समा पाई तो आँखों की राह
 वह निकली।

अहिंसा के आगे हिंसा की पराजय का यह सार्वजनिक

● अहिंसा-धर्म

पत्य सम्प्रदाय से उधार लिया। बौद्ध धर्म की दस शिलायें चातुर्ग्राम की व्याख्या मात्र हैं।

इनके अतिरिक्त वैदिक साहित्य पर चातुर्ग्राम का जो अहिंसामूलक गहरा प्रभाव पड़ा है, यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है। पार्ष्वनाथ के सग्य उपनिषदों की रचना प्रारम्भ हो चुकी थी। वेदों की आधिदैविक मान्यता जनता के मन को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। मात्स्यों का तप यज्ञ आर्यों को अपने पशु-पक्षी की अपेक्षा अधिक प्रभावक प्रतीत होने लगा था। और वे मात्स्यों (भ्रमण निर्ग्रन्थों) के अहिंसा-प्रचार के कारण धर्म के नाम पर अथवा भोजन के लिये किये जाने वाले पशु-पक्ष को निरस्तार स्वीकार कर चुके थे।

पार्ष्वनाथ के निर्ग्रन्थ प्रायः घरों में रहते थे। उनके रहने और ध्यान के स्थानों को निषद्, निषधि आदि नामों से पुकारते थे। वैदिक आर्य उनका उपदेश सुनने वहाँ जाते। उन निषदों के समीप बैठ कर उन्होंने जो उपदेश प्रहण किया और उसे ग्रन्थों में शुद्धि किया, उन ग्रन्थों का नाम ही उन्होंने उपनिषद् रख दिया। (जैनो में आज भी निषद्या निषधिका आदि शब्द चैत्य के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।) इन उपनिषदों में हिंसामूलक यज्ञ के स्थान पर ज्ञान-यज्ञ का ही विवेचन मिलता है।

भ० पार्ष्वनाथ के चातुर्ग्राम धर्म से प्रभावित होने वाले नर-नारियों की संख्या उनके जीवन-काल में ही लाखों थी। १६००० साधु १६००० साध्वियाँ; १००००० भ्रातृक और ३००००० भ्राविफार्य थीं। उन्होंने भारत के अनेक भागों में बिहार परके अहिंसा का प्रचार किया। वैदिक आर्यों के आगमन से पूर्व की नाग, यदु, द्रविड, आदि अनेक जातियों के लोग उनके धर्म के अनुयायी हो चुके थे। इन

* ग्रहिसा के उन्नायक चार तीर्थङ्कर

परसनाथ बढ़ा जाने लगा। सम्मेलन-विहार-उड़ीसा (जो पहले संयुक्त थे) बन गये। इन प्रान्तों में रहने वाले सराक 'परसनाथ' को अपना कुलदेवता मानते थे, जल छानकर पीते हैं, हिंसा से उन्हें जैनधर्म के अनुयायी नहीं रहे। किन्तु ग्रहिसा के जो संस्कार दिये थे, वे उनके लिये हुये हैं।

के बाद उनकी परम्परा २५० वर्ष तक (५) पार्श्वपत्य कहलाते थे। भ० महावीर शिष्य गौतम आदि से मिले थे। इन सब मिलित होकर हजारों वर्षों से चली आई है। पार्श्वपत्यों के महावीर-संघ में (क जैन शास्त्रों में मिलते हैं) वास्तव धर्म की स्थापना नहीं की थी, न किसी की थी, उन्होंने तो उसी धर्म का, उसी का था, जिसका अन्य तीर्थङ्करों की तरह

वामादेवी ने उनके गर्भ में आने के समय उस से गुजरते हुए स्वप्न में देखा था। पर नागराज धरणेन्द्र ने सर्पकथाकार छत्र

• अहिंसा दर्शन

बभ्रुदत्त अनेक दुर्भाग्य पूर्ण घटनायें सहता हुआ एक बार भीलों द्वारा उसके साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया और देवता के आगे बलिदान के लिये ले जाया गया। उसकी पत्नी प्रियदर्शना भीलों के सरदार के आश्रय में धर्मपुत्री के रूप में रह रही थी। बलिदान का क्रूर दृश्य वह न देख सके, समवत इसलिये उसकी आँखों पर पट्टी बांध दी गई थी। जब उसने देवता के आगे खड़े अपने पति को प्रार्थना करते हुए सुना तो उसने उसे पहचान लिया और उसे उसके साथियों सहित छुड़वा दिया। किन्तु भील सरदार के समस्त समस्या थी, देवता को बिना नर-मांस के प्रसन्न कैसे किया जाय, जिसका उत्तर बभ्रुदत्त ने अहिंसात्मक ढंग से दिया और देवता को फूल, फलों से सन्तुष्ट किया। भील सरदार अहिंसा की इस अपरिचित विधि से बड़ा प्रभावित हुआ। वह बभ्रुदत्त के आग्रह से उसके साथ नागपुर गया और वहाँ पधारे हुए भ० पार्श्वनाथ के दर्शन किये। भगवान् का उपदेश सुनकर वह भील सरदार, जिसका एक मात्र व्यवसाय यात्रियों को लूटना, मारना, पशुओं का आखेट करना था, सदा के लिये अहिंसा का पट्टर उपासक बन गया। इस प्रकार के न जाने कितने हिंसकों ने भ० पार्श्वनाथ की शरण में आकर अहिंसा धर्म में दीक्षा अर्जीकार कर ली।

अन्त में ई० पू० ७७७ में भ० पार्श्वनाथ ने सम्भेद शिखर से निर्वाण प्राप्त कर लिया। अपने युग के अहिंसा के सर्वोच्च पुरस्कर्ता होने के कारण जनता बनारस (उनके गर्भ जन्म और दीक्षा के कारण) अटि-क्षेत्र (उनके कैमल्य प्राप्ति का स्थान होने के कारण) और सम्भेद शिखर (उका निर्वाण स्थान होने के कारण) को तीर्थक्षेत्र और पवित्र भूमि मानने लगी।

भ० पार्श्वनाथ के असाधारण प्रभाव और अलौकिक व्यक्तित्व के

कारण सम्मदशिक्षर पर्वत ही पारसनाथ कहा जाने लगा । सम्मदशिक्षर जिस प्रदेश में है, उस बंगाल-बिहार-उड़ीसा (जो पहले संयुक्त थे) के निवासी उनके अनन्य भक्त बन गये । इन प्रान्तों में रहने वाले सरास्र जाति के लाखों लोग आज तक 'पारसनाथ' को अपना कुलदेवता मानते हैं, रात्रि में वे मोड़न नहीं करते, जल छानकर पीते हैं, हिंसा से उन्हें हार्दिक घृणा है, यद्यपि वे अब जैनधर्म के अनुयायी नहीं रहे । किन्तु 'पारसनाथ' ने उस जाति को अहिंसा के जो संस्कार दिये थे, वे उनके हृदयों में आज भी संजोकर रखे हुये हैं ।

म० पार्श्वनाथ के निर्वाण के बाद उनकी परम्परा २५० वर्ष तक जीवित रही । उनके श्रमण (साधु) पार्श्वपत्य कहलाते थे । म० महावीर के समय इस परम्परा के अनेक शिष्य गौतम आदि से मिले थे । इन सब में ही महावीर के संघ में सम्मिलित होकर हजारों वर्षों से चली आई अविच्छिन्न जैन परम्परा को सुदृढ़ किया । पार्श्वपत्यों के महावीर-संघ में सम्मिलित होने के उल्लेख अनेक जैन शास्त्रों में मिलते हैं^१ । वास्तव में महावीर ने किसी स्वतन्त्र धर्म की स्थापना नहीं की थी, न किसी मौलिक सत्य की उद्भावना ही की थी, उन्होंने तो उसी धर्म का, उसी सत्य का जोर्णोद्धार मात्र किया था, जिसका अन्य तीर्थंकरों की तरह पार्श्वनाथ ने उद्धार किया था ।

म० पार्श्वनाथ की मात्रा वामादेवी ने उनके गर्भ में आने के समय एक विशाल नाग को अपने पास से गुजरते हुए स्वप्न में देखा था । संवर देव द्वारा उदसर्ग होने पर नागराज घरणेन्द्र ने सर्पकृपाकार छत्र

१—उत्तराध्ययन सूत्र २३, १, ८३, भावती सूत्र २-६ । रायभंसनिय सूत्रज्ञान २०

● अहिंसा दर्शन

ज्ञानकर पार्श्वनाथ की रक्षा थी थी। इसके अतिरिक्त पार्श्वनाथ स्वयं भी नाग जाति के सन्निभ थे, ऐसा कहा जाता है। संभवतः इन्हीं कारणों से पार्श्वनाथ का सांकेतिक और लाक्षणिक चिन्ह नाग माना गया है। उनकी प्रतिमायें भी सर्पकण्ठाच्छादित ही मिलती हैं। ऐसी प्रतिमायें सारे भारत में ही मिलती हैं।

पार्श्वनाथ से सम्बन्धित पुरातत्व परिमाण की दृष्टि से अत्यन्त विपुल है। उसमें दो चीजों का यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक है। एक है घोदस्त्रूप और दूसरे दो शिलालेख। इनसे इतिहास पर एक नया प्रकाश पड़ता है।

घोद स्त्रूप मथुरा के कंकाली टीले से खुदाई में उपलब्ध हुआ है। इसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि यहाँ पर सातवें तीर्थंकर मुपार्श्वनाथ की स्मृति में सोने का एक स्तूप बनवाया गया था। फिर पार्श्वनाथ (तैदिसर्व तीर्थंकर) के समय इसके चारों ओर ईंटों का एक विशाल-स्तूप बनाया गया। आठवीं शताब्दी में घणभट्ट सूरी ने इसका क्षीणोद्धार कराया था। इस स्तूप की अर्निचकला को देखकर ही दूसरी शताब्दी में इस पर लेख उत्कीर्ण किया गया कि इसका निर्माण देवों ने किया था, मनुष्य इतनी सुन्दर कृति का निर्माण कर सकें, वह संभव नहीं है।

इस स्तूप से यह सिद्ध होता है कि भारत में कला के विकास में जैनों ने सम्यता के आदिकाल से ही अपना पूरा योगदान किया है। यह स्तूप भारत की सात इमारतों में सर्वाधिक प्राचीन है।

शिलालेखों में एक शिलालेख है दानशाला का (१२ वीं

शतान्दी) जो दक्षिण भारत में उपलब्ध हुआ है, उसमें पार्श्वनाथ के उपवंश की वंशावली नृप जिनदत्तार्य तक दी हुई है। यह मथुरा का रामकुमार था, जो दक्षिण भारत चला गया था और वहाँ उसने हुम्मच तीर्थ की स्थापना की थी।¹

एक दूसरा शिलालेख कल्लुरगुट्ट (जिला सिमोगा, मैसूर सन् ११२१) से उपलब्ध हुआ है। उसमें गंगवंशावली दी है। इसमें उल्लेख है कि जब म० पार्श्वनाथ को अहिच्छत्र में केवल शान की प्राप्ति हुई थी, उस समय यहाँ मियचन्धु राजा राज्य करता था। वह राजा पार्श्वनाथ के दर्शन करने अहिच्छत्र गया।

इन शिलालेखों से पार्श्वनाथ के भारत व्यापी प्रभाव और उनकी अहिंसा के सुदूर दक्षिण तक प्रचार पर प्रकाश पड़ता है।

मगवान् महावीर ने लोक में व्यापक रूप से फैली हुई हिंसा और मांसाहार की प्रवृत्ति को अपने लोकोत्तर प्रभाव, साधना और सत्य सिद्धान्तों द्वारा रोक दिया, यह इतिहास की मगवान् महावीर सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। किन्तु इसका मूल्यांकन करने से पूर्व हमें यह जान लेना होगा कि अपने इस व्यक्तित्व निर्माण के लिये उन्होंने न जाने कितने जन्मों से साधना की थी। पत्थर हथौड़े की पचास चोट लगने पर टूटता है। इस तरह पत्थर तोड़ने का श्रेय उस पचासवीं चोट को अवश्य मिलता है। किन्तु उससे पहले जो उनचास चोटें लगी थीं, वे निरर्थक नहीं गईं, पत्थर के टूटने में उनका भी योग कम नहीं है। हमें वृद्ध दीखता है, उसका शीब नहीं। किन्तु वृद्ध को वर्तमान रूप देने में बीज

● अहिमा दर्शन

की तपस्या और उत्सर्ग को एकदम मुलाया नहीं जा सकता। यद्युतः बीज के बलिदान पर ही वृक्ष की महानता टिकी हुई है। यो ही महावीर की महानता उापी जन्म जन्मान्तरों की अहिंसण साधना की श्रुणी है।

एक जन्म में महावीर बन में भीलों के सरदार के रूप में उत्पन्न हुए। नाम था उनका पुरुरवा। उसकी पत्नी का नाम था कालिका। भीलराज का काम था शिकार खेलना, लोगों को लूटना। एक दिन दानों वन में बिहार कर रह ये, तभी पुरुषवा ने देखा लताओं के गुल्म में दो श्रावें चमक रही हैं। प्रसन्नता से उसका हृदय भर उठा, उसने धनुष पर शर-सन्धान करना चाहा, तभी कालिका ने उसका शर पकड़ लिया क्या गजब करते हो, वहाँ तो वन-देवता विराजमान हैं। पुरुरवा श्रातक और श्रद्धा से भर गया। यह उस गुल्म के निकट पहुँचा, देखा, एक जैन मुनि विराजमान हैं। दम्भति ने उनको नमस्कार किया। मुनिराज ने आशीर्वाद दिया धर्म लाभ हो। आशीर्वाद देकर उन्होंने उपदेश दिया 'भीलराज !' यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है किन्तु तुम हो जो इस दासता में ही गवाये दे रह हो। भील को दासता की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला—'कीन करता है, मैं दास हूँ। मैं भाला का सरदार हूँ।' मुनिराज हँस कर बोल 'ठीक है, तुम भीलों के सरदार हो, किन्तु क्या तुम अपनी तीन अंगुल की जीभ के दास नहीं हो ? क्या उसी की वृत्ति के लिये ही तुम जीवाँ को नहीं मारते फिरते हो। 'लेकिन शिकार न करूँ तो पेट कैसे मरूँ' भील ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मुनिराज ने कहा 'पेट भरने के लिये तो प्रकृति ने फलफूल, अन्न प्रचुर राशि में उत्पन्न किये हैं। क्या नहीं तुम उनसे पेट भरते हो। पेट भरने का साधन केवल मांस ही तो नहीं है।' मुनिराज की सीख भीलराज के हिये को लग गई। उसने शिकार, माण, सब छोड़ दिया। उसे अब

जीवन में कुछ शान्ति-सन्तोष और मुख अनुभव होने लगा । अब वह अहिंसक बन गया । वह सब जीवों से प्यार करने लगा और बदले में सब जीवों का प्यार भी पाने लगा । महावीर-जीवन की तैयारी महावीर ने अपने इसी मील-जीवन से प्रारम्भ की ।

। एक जन्म में वे सिंह बने अत्यन्त मर्यकर, महान् क्रूर । सारा वन प्रान्त उसकी मर्यकर गर्बना से हिल-हिल उठता । उसकी दहाड़ से आतंकिता होकर वन के प्राणी सिकुड़े सिमटे से रहते । एक बार उसने हिरण का शिकार किया । संयोगवश ऊपर से अर्बित जय मुनि आ निकले । मुनिराज ने सिंह को बोध दिया-‘पशुराज ! तुम अपना जीवन क्यों पाप में व्यतीत कर रहे हो, तुम एक बार भगवान् आदिनाथ के पौत्र बने थे, किन्तु तुमने सद्धर्म के प्रचार से विमुख होकर मिथ्यामार्ग संसार में चलाने का पाप कमाया । उसमें तुम स्वयं डूबे और अनेकों को डूबने का मार्ग खोल दिया । तुम एक बार त्रिष्ट नारायण बने तीन खण्ड के अधिपति । किन्तु हिंसा में लगे रह कर तुमने अपने लिये नरक के द्वार खोल दिये । तुम अनेक बार पशु बने, मनुष्य हुए और देव योनि के मुख भी पाये, किन्तु कभी आत्म-कल्याण न कर सके, अब तुम इस पशु-पर्याय में आये हो और अपना जीवन हिंसा में गला रहे हो । चाहो तो कल्याण तुमसे दूर नहीं है ।’ मुनिराज की आत्मा में से निकले इन उद्गारों को सिंहराज ने समझ लिया और उसने हिंसा का फिर त्याग कर दिया । उस इस जीवन से उसने अहिंसा की जो साधना की वह अमंग, असंभल चलती रही ।

इसके बाद वे प्रियमित्र चक्रवर्ती बने पट्ट पण्डाधिपति । किन्तु धर्म का विस्मरण तब भी न कर सके । संसार के सम्पूर्ण ऐश्वर्य, विलास की असीम सामग्री उनकी दासी थी । किन्तु दासी का भोग उन्होंने कभी न

● अहिंसा दर्शन

किया। उनका जीवन जल से कमल की तरह पाप और वासनाओं के बीच भी अलित था। एक पौरुषवान् व्यक्ति की तरह उन्होंने जो पाया, वह सब एक दिन साधक की तरह त्याग भी दिया। शारीरिक सुखों को पाने के लिये उन्होंने एक दिन सगर की सारी सम्पत्ति संग्रह कर ली थी, और एक दिन आत्मा के सुख के लिये उस सबको टुकरा कर बन की ओर चल दिये। तब उन्होंने अहिंसा की जो सर्वाङ्ग सम्पूर्ण साधना की, उसके कारण ही उन्हें 'तीर्थङ्कर' बनने की सिद्धि मिल सकी। उसके चौथे जीवन में वे महावीर बन गये।

महावीर वैशाली के निकट कुशडग्राम के राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के उदर से चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को उत्पन्न हुए थे। जिस दिन से वे गर्भ में आये, पिता की सम्पत्ति, राज्य के धन-धान्यादि में वृद्धि होने लगी। ऐसे पुण्यवान् वे थे। इसीलिये उनका नाम 'वर्धमान' रक्ता गया। उनको देखते ही आकाशचारी सजय और विजय के मन की शकयें दूर हो गयीं। अतः उन्होंने भक्ति विभोर होकर बालक का नाम 'सन्मति' रख दिया।

महावीर को जन्म से ही अपूर्व सौन्दर्य, बल और ज्ञान मिला था। वे किसी पाठशाला में जाकर नहीं पढ़े। तीर्थङ्कर किसी पाठशाला में पढ़ते भी नहीं, वे तो इस लोक व्यापी शास्त्र को बड़ी गहराई से पढ़ते हैं। यह लोक ही उनकी पाठशाला होता है, स्वयं उसके गुरु होते हैं और स्वयं ही उसके छात्र होते हैं, अनुभव उनकी शिक्षा होता है और प्रयोग उसकी सार्थकता। महावीर भी इस लोक की पाठशाला में पढ़े थे। जीवन के प्रतिक्षण में होने वाले अनुभवों पर वे गहन, सूक्ष्म चिंतन करते और उससे वे सही निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयत्न करते। बुद्धि के बल पर लिखे गये शास्त्रों में वह तत्व कहाँ था, जो उनके चिंतनपूर्ण

अनुभवों में मरा पड़ा था। सारा लोक ही तो एक विशाल शाख था, जिसे पढ़ने और समझने का वे निरन्तर प्रयत्न कर रहे थे। और जब उसे उन्होंने एक दिन पूरा जान लिया, तब वे सर्वज्ञ कहलाये थे। अस्तु !

अपने कुमार-काल में वे अत्यन्त निर्भय और साहसी थे। एक दिन नगर में एक मत्त हाथी विगड़ उठा। नगर में आहि-बाहि मच गई। कुमार वर्धमान को शत्रु हुआ तो दीड़े-दीड़े पहुँचे उस हाथी के पास और आनन-फानन में उसे अपने बग में कर लिया। लोगों ने देखा, वह मत्त हाथी उनके प्रिय राजकुमार की आज्ञा मानकर एक आज्ञाकारी बालक की भाँति चल रहा है।

और ऐसे ही एक दिन वे खेल रहे थे अपने बाल-सखाओं के संग। एक देव को सूझा उनके पराक्रम और साहस की परीक्षा करने की। वह मयंकर विषधर बनकर वहीं आकर फुँकारने लगा, जहाँ बालक खेल रहे थे। उसे देखते ही आतंक में मर कर बाल-सखा चीख-चिल्ला उठे और माग खड़े हुये। किन्तु कुमार वर्धमान के जीवन में भय नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वे निर्भीक भाव से सर्प के पास पहुँचे। उनकी दृष्टि में कष्टना थी, और हृदय में निश्चल प्रेम। वे उछले कि फन उनके हाथ में, और उसके साथ ऐसे खेलने लगे, मानो वह उनका कोई बाल-सखा हो। देव अपने कृत्य पर लज्जित था। उसने हाथ जोड़ कर कहा—मगवन् ! सचमुच ही तुम 'अतिवीर' हो।

यों ही उनका शैशव बीता और यौवन आया। यौवन आया, किन्तु यौवन की रंगीनियाँ नहीं आयीं, यौवन की मादकता न आई। यौवन कर्तव्य की प्रेरणा लेकर आया। वे राज-पुत्र थे, राजसी वैभव और गणतन्त्र की सत्ता प्रतीक्षा में खड़े-खड़े कुहला रहे थे। वे

● अहिंसा दर्शन

किया। उनका जीवन जल से कमल की तरह पाप और वासनाओं के बीच भी अलित था। एक पौरुषवान् व्यक्ति की तरह उन्होंने जो पाया, वह सब एक दिन साधन की तरह त्याग भी दिया। शारीरिक सुखों को पाने के लिये उन्होंने एक दिन संसार की सारी सम्पत्ति समग्र कर ली थी, और एक दिन आत्मा के सुख के लिये उस सबको टुकड़ा कर बन की ओर चल दिये। तब उन्होंने अहिंसा की जो सर्वाङ्ग सम्पूर्ण साधना की, उसका कारण ही उन्हें 'तीर्थङ्कर' बनने की सिद्धिमिल सकी। उसका चौथे जीवन में वे महावीर बन गये।

महावीर वैशाली के निकट कुण्डग्राम के राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के उदर से चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को उत्पन्न हुए थे। जिस दिन से वे गर्भ में आये, पिता की सम्पत्ति, राज्य के धन-धान्यादि में वृद्धि होने लगी। ऐसे पुण्यवान् वे थे। इसीलिये उनका नाम 'वर्धमान' रक्ता गया। उनको देखते ही आकाशचारी सजय और विजय के मन की शक्यें दूर हो गयीं। अतः उन्होंने भक्ति विभोर होकर बालक का नाम 'सन्मति' रख दिया।

महावीर को जन्म से ही अपूर्व सौन्दर्य, बल और ज्ञान मिला था। वे किसी पाठशाला में जाकर नहीं पढ़े। तीर्थङ्कर किसी पाठशाला में पढ़ते भी नहीं, वे तो इस लोच व्यापी शास्त्र को बड़ी गहराई से पढ़ते हैं। यह लोच ही उनकी पाठशाला होता है, स्वयं उसके गुरु होते हैं और स्वयं ही उसके छात्र होते हैं, अनुभव उनकी शिक्षा होता है और प्रयोग उसकी सार्थकता। महावीर भी इस लोक की पाठशाला में पढ़े थे। जीवन के प्रतिक्षण में होने वाले अनुभवों पर वे गहन, सूक्ष्म चिंतन करते और उससे वे सही निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयत्न करते। बुद्धि के बल पर लिखे गये शास्त्रों में वह तत्व कहाँ था, जो उनके चिंतनपूर्ण

अनुभवों में मरा पड़ा था। सारा लोक ही तो एक विशाल शास्त्र था, जिसे पढ़ने और समझने का ये निरन्तर प्रयत्न कर रहे थे। और जब उसे उन्होंने एक दिन पूरा जान लिया, तब वे सर्वश कहलाये थे। अस्तु!

अपने कुमार-काल में वे अत्यन्त निर्भय और साहसी थे। एक दिन नगर में एक मत्त हाथी बिगड़ उठा। नगर में ब्राहि-ब्राहि मत्त गई। कुमार वर्धमान को हात हुआ तो दौड़े-दौड़े पहुँचे उस हाथी के पास और आनन-फानन में उसे अपने वश में कर लिया। लोगों ने देखा, वह मत्त हाथी उनके प्रिय राजकुमार की आज्ञा मानकर एक आज्ञाकारी बालक की भाँति चल रहा है।

और ऐसे ही एक दिन वे खेल रहे थे अपने बाल-सखाओं के संग। एक देव को सूझी उनके पराक्रम और साहस की परीक्षा करने की। वह भयंकर विषधर बनकर वहीं आकर फुँकारने लगा, जहाँ बालक खेल रहे थे। उसे देखते ही आतंक में भर कर बाल-सखा चीख-चिल्ला उठे और भाग खड़े हुये। किन्तु कुमार वर्धमान के जीवन में भय नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वे निर्भीक भाव से सर्प के पास पहुँचे। उनकी दृष्टि में करुणा थी, और हृदय में निश्चल प्रेम। वे उड़ले कि फन उनके हाथ में, और उसके साथ ऐसे खेलने लगे, मानो वह उनका कोई बाल-सखा हो। देव अपने कृत्य पर लज्जित था। उसने हाथ जोड़ कर कहा—भगवन्! सचमुच ही तुम 'अतिवीर' हो।

यों ही उनका शैशव बीता और यौवन आया। यौवन आया, किन्तु यौवन की रंगीनियाँ नहीं आयीं, यौवन की मादकता न आई। यौवन कर्तव्य की प्रेरणा लेकर आया। वे राज-पुत्र थे, राजसी वैभव और गणतन्त्र की सत्ता प्रतीक्षा में खड़े-खड़े कुम्हला रहे थे। वे

❁ अहिंसा दर्शन

गई सुन्दर स्त्रियाँ चीराहों पर खड़ी करके बेची जाती थीं। शायद भावस्ती इस व्यापार का मुख्य केन्द्र था। सुदूर यवन द्वीपों से सुन्दरी यवनियाँ भरनच्छ बदरगाह पर पोतों द्वारा लाई जाती थीं और वहाँ से वे भावस्ती कौशाम्बी, यत्स, श्रवन्तिका आदि में भेज दी जाती थीं और वहाँ वे पशुओं की तरह बेची जातीं। देश के भीतरी भागों से भी इसी प्रकार स्त्रियाँ ला लाकर बेची जातीं। वैशाली के गणाधिप चेटक की पुत्री सुन्दरी चन्दनवाला भी राजोद्यान से उड़ा ली गई थी और कई व्यक्तियों को बेची गई, किन्तु कोई भी उससे शीलभंग में समर्थ न हो सका। अन्त में वह कौशाम्बी के चतुर्गथ पर नीलाम की गई। उसे कृपभयेन सेठ ने खरीद लिया और अपनी पुत्री की तरह उसका लालन-पालन करने लगा। किन्तु उसका इस स्नेह में घेठानी को दुस्मित प्रेम का आभास हुआ। फलतः सपत्नीत्व की आग में जलकर उसने चन्दना के केश काटकर उसे विश्व बनाने का प्रयत्न किया। उसके हाथों और पैरों में बन्धन डाल दिये। पाने की वह उड़द के बाकले देने लगी। तपस्वी महावीर एक बार आहार के लिये कौशाम्बी पधारे। राजमहल के सुखादु भोजनों की अपेक्षा उन्हें दासी चन्दना के हाथों के बाकले भाये। और इस तरह चन्दना के हाथ से बाकले ग्रहण करके उन्होंने जन-जन की आँलों में उँगली डालकर दास प्रथा की बीभत्सता की ओर ध्यान आकृष्ट किया। फलतः दास प्रथा धीरे-धीरे भारत से लुप्त होने लगी।

अरिधग्राम में उन्हीं प्रथम चातुर्मास किया। अरिधग्राम के नगर वासी एक यक्ष से अत्यन्त प्रसन्न थे, जो अजनमाली के शरीर में प्रवेश करके जनता को त्रास दिया करता था। महावीर उसके चैत्य में ही जानर तपस्या लीन हो गये। यक्ष क्रोध से भयंकर हो उठा। वह महावीर को मारने दीडा। किन्तु क्षमा के कवच पर क्रोध की बाणवर्षा का क्या

प्रभाव पड़ता । यज्ञ क्षमामूर्ति के चरणों में लोट गया ।

एक दिन महावीर श्वेताम्बी नगरी के बाहर जा रहे थे । लोगों ने उन्हें रोका—‘तपस्वीराज ! उधर दृष्टिविप सर्प है । उसकी विष-मयी फुंकार और दृष्टि से ही न जाने कितने प्राण गँवा चुके हैं । उधर मत जाइये ।’ किन्तु महावीर-अजातशत्रु महावीर को इसकी क्या चिन्ता । वे गये और सर्प के बिल के पास ही जाकर ध्यानासुद्ध हो गये । दृष्टिविप ने देखा । उसके लिए यह अपूर्व दृश्य था । कोई एक अजनबी स्वयं ही मौत को निमन्त्रण देने उसके पास आया था । वह मयंकर क्रोध से फुंकार उठा । ऊपर उड़ने वाले पक्षी तक उसकी विष-मयी फुंकार से नीचे गिर पड़े । किन्तु उस तपस्वीराज पर जैसे इसका कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा था । निष्फल क्रोध निरुपाय होकर और भी मयंकर हो उठा । उसने बार-बार महावीर को काटना प्रारम्भ कर दिया । किन्तु यह कैसा व्यक्ति था, जो न मरता था, न विचलित होता था । दृष्टिविप ने भर आँसुँ तपस्वी की ओर देखा । देखा और देखता ही रह गया । दृष्टि में एक सम्मोहन था । तपस्वीराज की सर्व-जीव-साम्य-भावना से वह क्रूर-नूक सर्पराज भी अभिभूत हो गया । उसके नेत्रों की दाहकता में मर्कटि के कण झलझला उठे । वह आत्म-म्लानि और परचाताप से भर उठा । उसे अपने कृत्य की लज्जा में मुँह छिपाना पड़ना हो गया और तभी उसने संकल्प कर लिया—‘इस दिव्य पुरुष के प्रति किये गये मेरे अपराधों का कोई अन्त नहीं । मैं अब संसार के सामने किस मुकुट को लेकर अपना सिर उठा सकूँगा । मेरे अपराधों का जो भी दण्ड हो, वह भी थोड़ा होगा । अतः मैं आज से अपना कृष्ण मुख दुनिया को न दिखाऊँगा ।’ और तभी से वह प्रायश्चित्त की शक्ति में अपने आपको बलाने लगा अपना पत्र बिल के अन्दर किये और

शेष शरीर विल के बाहर किये । धीरे-धीरे आतंक कम होने लगा । लोग उस मार्ग पर होकर आने-जाने लगे । कुछ मनचले अब दृष्टि-विष को मरा हुआ जानकर डेले मारते और वह सर्प अपने असीम पापों का तुल्य सा दण्ड समझ कर शान्त भाव से रह जाता । अब स्थिति यह हो गई कि उसकी देह चुटियल होकर क्षत-विक्षत हो गई । जगह-जगह से रक्त बहने लगा । अब चींटियाँ आकर उसे काटने लगीं । किन्तु एक समय का वह दृष्टि-विष सर्प अब पीड़ा उठा कर भी इसलिए करवट नहीं बदलता कि कहीं ये छोटी-मोटी चींटियाँ दबकर मर न जायँ । तपस्वी महावीर की अहिंसक साधना का यह दिव्य चमत्कार था !

बारह वर्ष तक महावीर ने दुर्धर तपश्चरण किया । किसी ने उनके कानों में पीलें ठोक दीं और कोई अर्घ्य लेकर उनके समक्ष आया, किसी ने उन पर पत्थर बरसाये और किसी ने उनके मार्ग में पुष्प बिखेरे । किन्तु वे दोनों के प्रति ही समदृष्टि थे । न राग था और न द्वेष । उनके तपस्या से दीप्त बलिष्ठ और सुन्दर शरीर पर मुग्ध होकर अनेकों ललनायें उनसे काम-याचना करतीं, अपना प्रणय निवेदन करतीं और कई प्रगल्भा तो निर्लज्ज बनकर अपनी देह तक उनके शरीर से घिसतीं । किन्तु उनके मन में घासना जायत न होती । कामदेव को जीत जी लिया था उन्होंने । इस प्रकार मोह ने लगातार बारह वर्ष तक अपने विविध अनुचरों को भेजकर पद-पद पर परीक्षा ली । किन्तु अन्त में जृम्भक ग्राम के निकट, ऋकूकूला नदी के तट पर वैशाख शुक्ला दशमी को अन्तिम रूप में और सदा के लिए मोह पराजित हो गया । राग और द्वेष पर, मोह और माया पर, मोहनीय कर्म पर विजय पाकर, शेष घातिया कर्मों को नष्ट कर महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हो गई ।

• अहिंसा के उन्नायक चार तीर्थंकर

वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन गये। वे जीवन्मुक्त परमात्मा बन गये। इस आत्म-विजय द्वारा ही वस्तुतः उनको 'महावीर' संज्ञा प्राप्त हुई।

अब उन्होंने अपना मौन-भंग करके जगत् को कल्याण मार्ग बताना प्रारम्भ किया। उन्होंने धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया। उनका यह प्रवर्तन ही तीर्थ-प्रवर्तन था, जिसके कारण वे तीर्थंकर कहलाये। अब वे मोक्ष-मार्ग के उपदेश के सच्चे अधिकारी बन सके। उन्होंने काशी, कोशल, कुसुंध्य, अश्वषट, साल्य, त्रिगर्त, पंचाल, मद्रकार, पाटञ्चर, मीम, मत्स्य, सुरसेन, कलिंग, कुरुजांगल, कैकेय, आत्रेय, कांबोज, बाल्हीक, यवनभ्रुति, सिंधु, गान्धार, सुरभीरु, दशेरुक, वाड्वान, भारद्वाज, काय-तोय, तार्ण, कार्ण, प्रच्छाल आदि प्रदेशों में त्रिहार करके लोक में व्याप्त अज्ञान अन्धकार को दूर किया। उन्होंने भूले हुए जगत् को पुनः एक नई दृष्टि दी कि धर्म का मूल अहिंसा है। हिंसा पर आचारित कोई कृत्य धर्म नहीं हो सकता। वह हिंसा चाहे धर्म के नाम पर की गई हो, पितरों और देवताओं के नाम पर की गई हो अथवा जीम के स्वाद के लिये की गई हो, वह सभी अधर्म है, पाप है।

जनता वैदिक कर्म-कांड के व्यापक प्रचार के कारण तेईसवें तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ के उपदेशों को मूलती जा रही थी। ऐसे ही समय में भगवान् महावीर ने अहिंसा की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिये देशव्यापी त्रिहार किया। उनके प्रभावक और तेजस्वी व्यक्तित्व, सर्वज्ञता और महान् अहिंसा-सिद्धान्त के कारण वैदिक क्रियाकांड में घुसी हुई हिंसा की ध्वजियाँ उड़ने लगीं। हिंसा के ऊपर खड़े किये गये अपने धर्म के किले को हिलते देखकर बड़े-बड़े वैदिक विद्वान् भगवान् महावीर के साथ शास्त्रार्थ करने और उन्हें पराजित करने का दम्भ लेकर आये। किन्तु वे भगवान् के वीतराग रूप से ही कुछ ऐसे हतप्रभ हो गये कि

● अहिंसा दर्शन

उनका दम्भ पानी-पानी हो गया। सबसे प्रथम बिहार प्रदेश का सर्वाधिक विभ्रुत वैदिक विद्वान् गौतम अपने पाँच सौ शिष्यों को लेकर आया और आया तो महावीर का शिष्य बनकर उनके साथ ही लग लिया, उनका ही हो रहा। ऐसे ऐसे दस और विद्वान् दलबद्ध होकर आये और पहाड़ के नीचे आकर ऊँटों का यह दल अपनी महानता का दम्भ मूल गया। वह दल महावीर का शिष्य बन गया। ये ग्यारह प्रकाश विद्वान् ही भगवान् महावीर के गणधर कहलाये।

भ० महावीर के उपदेश वस्तुतः नवीन न थे, प्राचीन तीर्थङ्करों के उपदेशों के ही नवीन संस्करण थे। वे उपदेशमात्र ही न थे, यह एक महान् क्रान्ति थी, जिसने लोक मानस में व्याप्त सारे मूल्यों में महान् परिवर्तन ला दिया। यह जगत् की तत्कालीन मान्यताओं के विरुद्ध नवीन मूल्यों की स्थापना थी। उनके उपदेश प्राणी-मात्र के कल्याण के लिये थे। सभी को उनके धर्म के पालन का अधिकार प्राप्त था, सभी को उनकी उपदेश-सभा (समवसरण) में जाने का अधिकार था। देव और मानव, पशु और पक्षी समान रूप से उस सभा में जाते थे। धार्मिक एकाधिकार के विरुद्ध यह आध्यात्मिक जनतन्त्र था, जिसमें उच्च-नीच की कल्पना और वर्ग-भेद की किसी मान्यता को कोई स्थान न था। इस जीव-साम्य का केवल यही एक वाह्य पहलू न था कि सबको विकास का समान अधिकार है, सबको विकास का समान अवसर है, बल्कि सभ में जीने की समान इच्छा है, सबको प्राण समान प्रिय है, इसलिये किसी को सताने और मारने का भी हमारा अधिकार नहीं है, यह उस जीव-साम्य का आन्तरिक पहलू था और जिसे समझाना ही उस क्रान्ति का एक मात्र उद्देश्य था। इस आध्यात्मिक जनतन्त्र में सारे प्राणी एक स्थान पर आकर बैठते थे, इतना ही नहीं, बल्कि सहज विरोधी

प्राणी भी—साँप और नेवला, सिंह और गाय, मेढ़िका और बिल्ली की एक साथ बैठते थे और उनमें न मारने की भावना छनी थी और न मरने का भय। सभी निर्भय, निर्वैर हो जाते थे। काल के साथ अहिंसा के साकार रूप थे। उनके प्रभाव से वैदिक काल एक संतुलित वातावरण में था।

भाषा के सम्बन्ध में लोक में एक विशेष मान्यता प्रचलित थी। संस्कृत भाषा धार्मिक वाङ्मय और आनिवार्य का केन्द्र थी। एक भाषा के प्रति इस व्यामोह ने जो धर्म का विकृत एक घृणा की भावना पैदा कर रखी थी, वह भाषा का विकास भी अवरुद्ध हो गया था। म० महात्मा का अहिंसा भाषा में होते थे, जिसका नाम अर्ध भाषा था।

उस युग में सारे लोक मानस को अहिंसा के सिद्धांत से भरवाया था। लोगों का विश्वास था कि जो उनका सत्य को मानता है, उसे सब तो मिथ्या है। इस तरह सत्य को अपनी मान्यता के लिए हर पदु बना दिया था। सत्य व्यापक है, सापेक्ष है, अविनाशक है और भी यह मिल सकता है, ऐसी समझ उनमें अविनाशक है। सत्य विकसित नहीं हो पा रहा था। सत्य विकसित नहीं हो पा रहा था। सत्य विकसित नहीं होता, इस मान्यता के कारण अहिंसा शोध को कोई अवकाश ही नहीं रह गया था। अहिंसा और लोक को एक नई दृष्टि दी। वह दृष्टि अहिंसा के सिद्धांत ने सत्य था—सत्य सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। सत्य विकसित नहीं हो पा रहा था। उसके एक पहलू को ही सत्य मान तिरस्कार करना है। उसके एक सेना असंभव है। यदि हमें सत्य

अहिंसा-वृत्तकार के दर्शन का

● अहिंसा दर्शन

इच्छा सतत जागृक रहनी चाहिये। उसका उपाय है कि तुम दूसरे की मान्यता का आदर करना सीखो। उसमें सत्य ढूँढ़ने की श्रौर तुम्हारी वृत्ति लग जाय।

श्रौर भी एक दृष्टि उन्होंने दी। जन-जन के मन में यह धारणा बद्ध-मूल थी कि जगत् का नियमन ईश्वर नाम की एक अलौकिक शक्ति करती है। वही हमारे पुण्य और पाप का फल देती है। वह सर्व शक्तिमान् है। उसके तोप से दिव्य भोग और रोष से रौरव नरक मिलता है। कर्म करने का ही तुम्हारा अधिकार है, फल तो उसके आधीन है। इस मान्यता ने 'व्यक्ति में अनन्त शक्ति है' इस तथ्य को समझने का कभी अवसर ही नहीं दिया। अतः भगवान् महावीर ने कहा—सारे प्राणियों में अनन्त शक्ति निहित है। उसका उद्घाटन करना उसके ऊपर ही निर्भर है। वह अपने ही कर्मों के पाश में जकड़ा हुआ है। उसे कर्म करने का अधिकार है। यदि उसे अपनी शक्ति का भान हो जाय और अपने चरम विकास का संकल्प दृढ़ हो जाय तो उसमें कर्म के फल को बदलने की भी क्षमता है। इस प्रकार वह जहाँ कर्म करने में स्वतन्त्र है, वहाँ कर्म-फल के भोग में भी वह स्वतन्त्र है। वह दृढ़ संकल्प लेकर यदि चाहे तो अपना चरम विकास कर सकता है और इन कर्मों के पाश को काटकर स्वयं परमात्मा बन सकता है। इस आत्म-विकास के अवरोद्ध मार्ग को भगवान् महावीर ने एक बार फिर खोल दिया।

म० महावीर ने अपने उरदेशों द्वारा जन-जन को एक नई दृष्टि दी। इससे जन-जन के मानस में अपनी मान्यताओं की सत्यता को परखने का एक नया प्रकाश जगा। इस प्रकाश में उन्होंने देखा कि 'अब तक हम अपने आपको जो समझ रहे थे, वस्तुतः हम थे नहीं हैं। अब तक हम समझ रहे थे कि सत्य हमने पा लिया, किन्तु सत्य

तो अभी हमसे बहुत दूर है। सत्य का हमारा सारा व्यामोह मिथ्या के ऊपर टिका था। हम समझ रहे थे—हिंसा धर्म है, क्योंकि वेदों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, पुरोहितों ने कहा है। हम समझ रहे थे—देवता बलि से प्रसन्न होते हैं क्योंकि वेदों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, पुरोहितों ने कहा है। हम समझ रहे थे—पितर हमारे दिये मांस से ही तृप्त होंगे, अतिथि सेवा का पुण्य मांस खिलाये बिना नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यह वेदों, स्मृतियों और पुराणों ने कहा है। अपने इन्हीं विश्वासों के कारण हम अब तक धोर हिंसा करते रहे, हमारे देवता क्रूर हिंसक बने रहे, यज्ञों के हवन-कुंड और देवताओं की वेदिकायें अग्निय पशुओं की कर्ण्य चीत्कारों और रक्त से भरे रहे। बधिक के बधालय और हमारे इन पवित्र धर्म-स्थानों में क्या अन्तर रहा, हम अब तक जान न पाये। भगवान् महावीर ने आज हमें इस सत्य के दर्शन कराये हैं कि 'हिंसा अगर धर्म है तो अधर्म क्या है! हिंसा पाप है, वह सब परिस्थितियों, सब स्थानों और सब कालों में पाप है।' हम भी अब समझ गये हैं कि हिंसा पाप है। हमारा अब तक का जीवन पानों में बीता और सबसे बड़ी चिड़म्बना तो यह है कि हमने ये पाप धर्म के नाम पर कमाये। कभी हममें आत्म-विकास की वृत्ति न जागी। कभी हमने आत्म-शक्ति न पहचानी। हमारी सारी मान्यतायें मिथ्या थीं, हमारे सारे आचार, सारे विश्वास, सब कुछ मिथ्या थे।'

यह था लोक-मानस के उस परिस्पन्द का चित्र, जो महावीर के उपदेशों के फलस्वरूप हुआ। पुरानी मान्यतायें टूट-टूटकर गिरने लगीं, नये मूल्य उभरने लगे। न केवल मानवीय मूल्य ही बदले, बल्कि मूल्य रिधर करने के दृष्टिकोण भी बदल गये। तब सभी अहिंसा की ही भाषा में सोचने लगे, अहिंसा की भाषा में ही बोलने लगे। तब भुक्ति

● अहिंसा-दर्शन

श्रीर स्मृतियों क अर्थ बदलने लगे, धार्मिक विश्वास और आचार बदलने लग । शास्त्रीय मान्यतायें और कल्पनायें बदलने लगीं ।

यह भगवान् महावीर का ही लोकोत्तर प्रभाव था कि उन्होने अहिंसा का जो ध्यापक आन्दोलन और प्रचार किया, उसके फलस्वरूप भारत म बाद क सारे धर्मों का विकास अहिंसा के आधार पर ही हुआ । यहाँ अहिंसा की जो प्रतिष्ठा उस समय हुई, उठी के संस्कार अब तब भी भारतीयों में जीवित हैं । और उसी के फलस्वरूप विदेशों म भी अनेक सम्प्रदाय अहिंसा मूलक विश्वासों पर ही पल्लवित हुए । भ० महावीर की अहिंसा का समुचित मूल्यांकन तब तक नहीं हो सकता, जब तक हम उस काल में धार्मिक और व्यक्तिगत जीवन म व्याप्त हिंसा का एक आंकलन न करें अथवा इसे इस तिरोधी पहलू से न सोचें कि अगर भ० महावीर न होते तो आज देवालियों के रूप क्या होते और भारतीय जनता में मासाहार की प्रवृत्ति वर्तमान की अपेक्षा कितनी अधिक होता !

वास्तव में भ० महावीर ने अहिंसा का प्रयोग सार्वत्रिक और सार्वपालिक बताया था किन्तु उस युग में व्यक्तिगत आचार धार्मिक धर्म हार और वैचारिक क्षेत्र में हिंसा का जो वेग था, उसके कारण अहिंसा को इन्हीं क्षेत्रों में प्रयुक्त होने का अवसर मिला और उन क्षेत्रों में यह पूरी तौर पर, असदिग्ध रूप में सफल रही ।

जैनधर्म भगवान् ऋषभदेव द्वारा प्रदर्शित सिद्धान्तों पर आधारित है । उन्हीं सिद्धान्तों की व्याख्या समय-समय पर विभिन्न तीर्थङ्करों ने की थी । किन्तु वह जिस रूप में हमें आज मिलता है, उससे भ० महावीर का साक्षात् सम्बन्ध है, क्योंकि वे अन्तिम तीर्थङ्कर हैं और शास्ता हैं । अतः यह मानकर चलना होगा कि वर्तमान जैन धर्म का साक्षात्

• अहिंसा के उन्नायक चार तीर्थंकर

सम्बन्ध भगवान् महावीर से है। हमने भी प्रस्तुत पुस्तक में अहिंसा संबंधी जैन मान्यताओं पर जो प्रकाश डाला है, वह जैन वाङ्मय के आधार पर ही है। इसलिये इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि इस पुस्तक में अहिंसा के सम्बन्ध में जैन मान्यताओं को लेकर जो कुछ कहा गया है, वह भगवान् महावीर का ही उपदेश है। अस्तु

इस प्रकार आज से दोढ़े हजार वर्ष पूर्व भारत में एक ऐसा दिव्य महापुरुष उत्पन्न किया, जिसके कारण सारे भारत का मस्तक गौरव से ऊँचा उठ सका। उस महापुरुष ने कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात्रि में ७२ वर्ष की आयु में निर्वाण-लाम किया। भारतवर्षी कृतज्ञता के रूप में उसकी स्मृति में आज तक दीपावली मनाते आ रहे हैं।

अहिंसा की परिभाषा

इस प्राणी जगत् में मनुष्य, पशु, पक्षी और सम्पूर्ण चराचर प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं। अपनी सत्ता की सुरक्षा करते हुए भी वे एक दूसरे का पारस्परिक उपकार करते हैं।^१ इस नाते अहिंसा की प्राणियों का एक पारस्परिक सम्बन्ध है और इस आवश्यकता क्यों सम्बन्ध की नींव पर ही प्राणी-जगत् का अस्तित्व और विकास निर्भर करता है। कल्पना कीजिये, यदि विश्व में मैं अकेला ही होंता तो क्या कभी मेरे साथ दूसरों के सम्बन्धा का प्रश्न सामने आता ? और यदि यह प्रश्न सामने न आता तो क्या विश्व में हिंसा अहिंसा की भी कोई समस्या उपस्थित होती ? इसका अर्थ यह हुआ कि प्राणियों के पारस्परिक सम्बन्ध में से हिंसा अहिंसा का प्रश्न उत्पन्न है और इसीलिये उसका समाधान भी उस सम्बन्ध में ही खोजना होगा।

जगत् के सारे प्राणियों की भावनायें समान हैं, इच्छायें समान हैं, अभिलाषायें समान हैं। सभी प्राणी सुख की वाछा करते हैं, दुःख से डरते हैं। सभी प्राणियों को अपने प्राण प्रिय हैं, कोई मरना नहीं चाहता। यदि प्राणी की इस इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता

१—सत्यार्थ सूत्र अ० ५ सू० २१

२—सत्ये पाया पिप्पा उसो

है तो असंदिग्ध रूप से उसे दुःख का अनुभव होता है। सामान्यतः मृत्यु जगत् में सबसे बड़ी विभीषिका है, और यही सबसे बड़ा दुःख है। इसलिये हर प्राणी मृत्यु के दुःख से बचना चाहता है।

दुःख के इस दृष्टिकोण को लेकर मेरा दूसरे प्राणियों के साथ जो सम्बन्ध होगा, वही हिंसा-अहिंसा की कथौटी होगा।

तब प्रश्न है कि दूसरों के साथ मेरा यह सम्बन्ध किस प्रकार का हो। इस प्रश्न का उत्तर अत्यन्त सरल है। निश्चय ही मेरे और दूसरे प्राणी के सम्बन्ध के बीच प्राणियों की स्वाभाविक सामान्य इच्छा की मान्यता रहनी ही चाहिये और इस प्रकार यह सम्बन्ध उस इच्छा के द्वारा नियन्त्रित रहना चाहिए। हमें और भी अधिक स्पष्टता के साथ समझें कि मेरे और दूसरे प्राणी के सम्बन्ध का निरामक मेरा दूसरे के प्रति यह व्यवहार होना चाहिये, जिसकी अपेक्षा मैं अपने लिए दूसरों से करता हूँ। मेरी उतत इच्छा रहती है कि मेरे प्राणों का कोई विनाश न करे, कोई मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न दे। यही इच्छा दूसरे प्राणी की भी रहती है। अतः मेरा व्यवहार उसके प्रति यही रहे कि मैं उसके प्राणों का विनाश न करूँ, उसे अपने व्यवहार से किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव होने का अवसर न दूँ। यदि प्राणियों की पारस्परिक निर्भरता का नियामक परस्पर का यह व्यवहार हो तो प्राणी जगत् में एक दूसरे के प्रति अभियोग-आक्षेप का अवसर न रहे। तब निश्चय ही सभी प्राणी यासाविक अर्थों में एक दूसरे के उपकार में अपना सम्पूर्ण योग-दान कर सकें।

जगत् में इस स्थिति की उपादेयता सभी क्षेत्रों में स्वीकृत होने पर

भी हम अपने व्यवहार का नियमन प्रायः इस रूप में नहीं करते, जिससे यह उपादेय स्थिति विश्व में आ सके।

अहिंसा का रूप हम दूसरे के सुख की स्वाभाविक इच्छा का निपेधात्मक नहीं है सम्मान नहीं करते, दूसरे हमारे सुख की सट्टक कामना को दुकरा देते हैं। हमारे व्यवहार से दूसरे को पीड़ा होती है और दूसरे का व्यवहार हमारी सतत पीड़ा का कारण बन जाता है। लोग भे पीड़ा का यह सतत प्रवाह हमारे व्यवहार के कारण ही रहा है। इस प्रकार हमारा यह व्यवहार विध्यात्मक हो गया है। यह व्यवहार नहीं होना चाहिये, इस प्रकार कृतव्य की प्रेरणा में से जो रूप निपेधा है, वह निपेधात्मक बन गया है। फलतः अहिंसा विधय होन पर भी निपेधात्मक है। अहिंसा के लिये निपेध परक शब्द का व्यवहार करने का एक और भी कारण रहा है। इस मानव सृष्टि के आदि काल से ही मानव प्रमादी रहा है। वह सदा से ही अपने सुख की निरन्तर चेष्टा करता रहा है। उसकी इस चेष्टा से उसके जाने या अनजाने दूसरे प्राणियों को त्रास मिलता रहा है। जब पाँचों इन्द्रिया, मन और विवेक के स्वामी मानव की यह दशा रही है तो उन प्राणियों के सम्बन्ध में तो क्या कहा जाय, जो इन्द्रियों मन, और विवेक म से किसी एक से या एकाधिक वस्तुओं से वचित रहे हैं। इसलिये मानव को और मानव के उपलक्षण से दूसरे प्राणियों को उसके इस प्रमाद से सावधान करने के लिये बार-बार यह कहना पड़ा है—तू यह मत कर, तू वह मत कर किन्तु अहिंसा ने निपेध परक शब्द पाकर भी विधायक रूप ही पाया है। और उसका विधायक रूप रहा है—दूसरों के और अपने सुख की इच्छा का सम्मान और यह सुख दूसरों के और अपने प्राणों के नष्ट न करने के द्वारा ही मिल पाता है।

संज्ञे में हमें हिंसा और अहिंसा को समझना हो तो हम यह
सकते हैं कि प्रकृत मन, वाणी और शरीर द्वारा दूसरों के अथवा अपने
प्राणों का विनाश कर देना हिंसा है^१ और उसके

अहिंसा की विपरीत अर्थात् विनाश न करना अहिंसा है ।

परिमारा मन, वाणी और शरीर इनके प्रमाद से
प्रयोजन है कि जप क्रोध, मान, माया और लोभ

इन चार कषायों के द्वारा अथवा इनमें से किसी के द्वारा मन, वाणी
और शरीर, जिन्हें तीन योग भी कहा जाता है, अभिभूत हो, ऐसी
दशा में स्व-पर प्राणों का विधात कर देना हिंसा कहलाती है ।^२

अथवा स्त्री कषा, रागोत्पादक कषा, भोजन सम्बन्धी कषा, राष्ट्रों
विषयक कषा, क्रोध, मान, माया, लोभ, स्पर्शान्द्रिय, रसनेन्द्रिय,
घ्राणेन्द्रिय, चक्षु और श्रोत्रेन्द्रिय, निद्रा और प्रणय इन पन्द्रह प्रकार
के प्रमादों में से किसी के द्वारा स्व-पर प्राणों का विनाश कर देना
हिंसा^३ है ।

हिंसा-अहिंसा को ठीक दिशा में समझने के लिये प्राणों के सम्बन्ध
में ज्ञान लेना अत्यन्त आवश्यक है । प्राण दो प्रकार के हैं—द्रव्य
और भाव । द्रव्य प्राणों से प्रयोजन है—पाँच इन्द्रियों (स्पर्शान्द्रिय,
रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय), मनोबल, यचन
बल, क्षय बल, स्वासोच्छ्वास और आयु बल ये दस प्राण । इसी

१—तत्त्वार्थ सूत्र अ० ७ सू० १३

२—पुरुषार्थ सिद्धयुप.प ३३

३—तत्त्वार्थ सूत्र की मुख्य बोध वृत्ति । पृ० १६१

सूत्र वृत्तांग प्राचार्य शीलानन्द (सू० टी०)

* अहिंसा-दर्शन

विश्व में आज-जैसे कितने व्यक्ति होंगे, जो भगवान् महावीर द्वारा बताये जीवन के इस सत्य से परिचित हों। वास्तव में यह एक विडम्बना ही है कि व्यक्ति दूसरे को मार कर आत्म-सन्तोष की छलना करता है किन्तु उसे यह आभास तक नहीं होता कि वह जब क्रोधा-विष्ट होकर, अभिमान वश, धोखा देकर या स्वार्थ से प्रेरित होकर दूसरे को मारने को उद्यत होता है तो दूसरा व्यक्ति मरे या न मरे, मारने वाले ने तो आत्म-हिंसा कर ही ली, क्योंकि वह अपने गुणों से उतने समय तक वंचित रहा।

इसी दृष्टिकोण से भगवान् महावीर ने हिंसा और अहिंसा की व्यापक व्याख्या करने हुए उद्घोषणा की कि राग, द्वेष आदि का आत्मा में प्रादुर्भाव हो जाना ही हिंसा है और इन विकृतियों का उत्पन्न न होना अहिंसा^१ है।

वास्तव में हिंसा और अहिंसा की बसौटी ये विकृतियाँ हैं।

अहिंसा की इस आभ्यन्तरोन्मुखी व्याख्या के कारण एक समस्या अन्वय उपस्थित हो जाती है—क्या इस प्रकार की अहिंसा विश्व के सम्पूर्ण व्यक्तियों के लिये संभव है? क्या इन विकृतियों से अपने आपको मुक्त रखना संभव है? अहिंसा पालन के दो प्रकार लिये संभव है? निश्चय ही उनके लिये यह संभव नहीं है कि मन में किसी प्रकार का क्रोध, अभिमान, छलना, स्वार्थ-भोह आदि उत्पन्न न होने दें, बचन और शरीर से इन विकारों को भाँकने न दें। और फिर इन त्रियों में से न

१—पुराणार्थ सिद्धयुपाय ४६-४७

२—पुराणार्थ सिद्ध युपाय ४४

एवं हिमा करें, न दुःखों को हिमा की प्रेरणा दें और न हिमा के कारणों में अपनी कोई सहमति प्रकट करें। पारहारिक अंग में न कहीं परिधिवादी इगो अस्तित्व है और न अंदर में इन प्रकार की इच्छा या शक्ति ही है। अतः प्राणायामिक जीवन को दो विभागों में बाँट दिया। एक वे व्यक्ति, जो सम्पूर्ण सांसारिक वास्तुवादी पर विरत वास्तु, मोक्ष के सम्पूर्ण जालों से निवृत्त पर उच्च साधनात्मक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरे वे व्यक्ति, जिन्हें अंग के विभिन्न क्षेत्रों में पारहारिक और सक्रिय सहयोग देना पड़ता है और मर्यादाओं को लेकर जो प्राणायामिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति श्यामांगी होते हैं, जो निर्दोष मुनि कहलाते हैं। दूसरे व्यक्ति भाषक कहलाते हैं। मुनि हिमा का सर्वथा त्याग कर देते हैं। वे मन, यत्न, वायु से और शून्य कारित्व अट्टमोदन रूप किसी प्रकार की हिमा नहीं करते।^१ किन्तु आरक्षों की अनेकों सांसारिक दार्ढ्य छोड़ने पड़ते हैं। अतः वे पशु-बीजों की हिमा का त्याग कर देते हैं और दूषी, अन्न, अग्नि, वायु और वनस्पति, जो आहार और कहलाते हैं, इनकी हिमा का त्याग अत्यन्त होने पर भी इनकी भी पूरा हिमा का त्याग कर देते हैं।^२

यहाँ पशुबीजों में आद्य अंग के उन सभी बीजों से हैं, जिनमें वे किन्हीं के केवल स्पर्शानुग्रह और शिक्षा से दो ही इन्द्रियाँ होती हैं, जैसे लज्ज, मित्रोपे आदि; किन्हीं के केवल स्पर्शन, शिक्षा और मातृ से तीन इन्द्रियाँ होती हैं, जैसे धीरी, पीटा, जू आदि; किन्हीं के इन तीन इन्द्रियों के अनिश्चित अर्थ और होती हैं, जैसे भोग, विष्णु-

१—आचार्य विद्युक्ति पृ० ११७ (उत्त०)

२—पुराण सिद्ध पुराण २१-०१-००

● अहिंसा-दर्शन

ततैया आदि; और किन्हीं के स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पाँचों इन्द्रियाँ होती हैं, जैसे पशु-पक्षी, मनुष्य, देव, नारकी आदि ।

संक्षेपतः अहिंसा को सशर्त और परिस्थितिवश एक निश्चित मर्यादा में पालने वाले गृहस्थी होते हैं, जबकि गृहत्यागी मुनियों के लिये अहिंसा का पालन बिना शर्त और मर्यादा के उर्वाङ्ग रूप से उनके आवश्यक कर्तव्यों में बताया गया है ।

वैसे देखा जाय तो अहिंसा का इस प्रकार का सर्वाङ्ग पालन अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है, शक्ति की दृष्टि से नहीं, किन्तु इस दृष्टि से कि सारे लोक में, जल में, धूल में, आकाश में सर्वत्र ही तो जीव व्याप्त हैं । मनुष्य सारे आचार-विचार और आहार-विहार का नियमन करके भी जीव-हिंसा से बचा बचा रह सकता है !^१ उसके शरीर के अंग संचालन और यहाँ तक कि उसकी श्वास और शरीर की वायु तक से सूक्ष्म जीवों का विपात अनिवार्य है । इस प्रकार की शंका का मन में उदय होना संभव है । किन्तु जब हम एक जैनमुनि के आचार-विचार का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं और उसके आहार-विहार का एक तटस्थ प्रेक्षक के रूप में गहराई से अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जैन-मुनि महान् संयमी होते हैं । वे यथाशक्य जीव-हिंसा से बचने का प्रयत्न करते हैं, सम्पूर्ण चेतन भ्रमत् के प्रति उनका आत्मौपम्य दर्शन अत्यन्त तेजस्वी होता है । इसलिये संयमी जीवन के नाते हिंसा संभव नहीं है ।^२ वास्तव में तो 'अहिंसा का सर्वाङ्ग पालन संभव है या नहीं' इस प्रकार का विकल्प तभी संभव है, जब एक संयमी जीवन का माप

१—राजवातिकार्त्तिकार अ० ७ पृ० २७६

२— " " " "

हम अपनी संकीर्ण दृष्टि और सीमित शक्ति के पैमाने से करने लगते हैं, क्योंकि एक संयमी का जीवन जगत् के सामान्य जीवन से विलक्षण होता है । १ अथु

इसी प्रकार सशर्त और मर्यादित अहिंसा का पालन करने वाले गृहस्थी जनों के समक्ष भी अहिंसा की दृष्टि से कई समस्याएँ आती हैं—(१) एक गृहस्थ को अपने पारिवारिक जीवन

गृहस्थ की में अग्नि जलानी पड़ती है, बुहारी लगानी पड़ती
अहिंसा-मर्यादा है, घर के अन्य काम करने पड़ते हैं । इन सबमें
हिंसा होती है । (२) यह जीवन-निर्वाह की जिस

भी प्रणाली को अपनाता है, वह जो भी उद्योग-व्यवसाय करता है । उसमें ही कम या अधिक हिंसा अवश्य होती है । (३) कई बार उसके समक्ष समस्या आ खड़ी होती है, जब कोई दुष्ट प्रकृति (गुण्डा) मा बहन की लज्जा के अपहरण का प्रयत्न करता है; कभी कोई चोर-डाकू हमारा धन लूटने का दुस्साहस कर बैठता है; कभी कोई शत्रु हमारी मातृभूमि पर आक्रमण करके उछे गुलाम बनाने को प्रवृत्त होता है । इन सब परिस्थितियों में उस व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, जो कि अहिंसा का सर्वाङ्ग सम्पूर्ण पालन करने के लिये नियमबद्ध नहीं है, बल्कि जो अहिंसा का पालन एक मर्यादित क्षेत्र में ही कर रहा है । (४) और ऐसी परिस्थिति में हमारे क्या कर्तव्य हैं, जब हम संकल्पपूर्वक हिंसा करने को उद्यत होते हैं या हिंसा कर डालते हैं । ये चारों ही समस्याएँ विचारणीय हैं ।

जैन शासन में इन चारों ही समस्याओं पर विस्तार से विचार

● अहिंसा दर्शन

किया गया है और गृहस्थियों की समस्याओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इनका व्यावहारिक समाधान किया गया है। पर गृहस्थी के कार्यों में, उद्योग व्यवसाय में और अतीतिमूलक और विरोधी व्यवहार करने वाले के प्रति हिंसा की संभावना को टालना गृहस्थ के व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से अशक्य है। इन दिशतियों में भी उसका अर्त्तव्य अर्थ है कि यथा समय वह हिंसा की मात्रा कम करके का प्रयत्न करे। वास्तव में अपरिहार्य परिस्थिति में भी जो साधन और जागृत रहता है, जो घटावान् होते हुए भी हिंसा की अनिवार्यता में भी उत्पन्न संवेदनशील भावनाओं के साथ विशेष का साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वह उस अपरिहार्य हिंसा के प्रति कभी समझौता नहीं करता, बल्कि वह सर्वांग अहिंसा के पालन की अपनी अयोग्यता और सामर्थ्यहीनता के लिये निरन्तर अपनी मर्त्सना करता रहता है। वह अपने व्यवहार और विचार में पूर्ण अहिंसा का विकास होता हुआ देखना चाहता है और निरन्तर उसका लिय संकेत रहता है।

किन्तु जहाँ तक संकल्पपूर्वक हिंसा करने का प्रश्न है, वह कभी इसे स्वीकार नहीं करता। वह जीना-यापन और जीना निर्वाह आदि के जो कार्य करता है, उनमें भी वह जान बूझकर या संकल्प पूर्वक कोई हिंसा नहीं करता, वह जीवन के हर काम निष्काम और निरीह भाव से करता है, सामारिक जीवन में उससे जो हिंसा बन पड़ती है, उसमें उसकी कोई इच्छा तो नहीं है किन्तु वह विवशता का परिणाम है। और इस प्रकार वह मन से, बचन से शरीर से न संकल्पपूर्वक किसी को मारता है न दूसरे व्यक्ति को किसी की हत्या करने के लिये कहता है और न किसी हत्या का, हिंसा का अनुमोदन ही

● अहिंसा-दर्शन

(१५) सेना द्वारा आक्रमण (१६) प्राणों का व्युत्पन्नण (१७) परभव संक्रामण कारक (१८) दुर्गति प्रपात (१९) पाप-बोप (२०) पापल (२१) च्छ्विच्छेदकर शरीर का विच्छेद करने वाला (२२) जीवितान्तकर (२३) भयकारक या भयकर (२४) शृण्य अर्थात् दुःख या पाप कारक (२५) ब्रह्म अर्थात् ब्रह्म की तरह बठोर (२६) परितापकर (२७) विनाश (२८) नियतना (२९) लोपन (३०) गुण्य विराधना ।

उपर्युक्त प्रकार की हिंसा के करने वाले व्यक्तियों को भी जैन वाद्-मय^१ में विभिन्न संज्ञायें दी गई हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं—

(१) पापी (२) चण्ड (३) रुद्र (४) चूद्र (५) साहसिक (६) अनार्य (७) निघृण्य अर्थात् जिसके हृदय में से पापों की प्रति समस्त लज्जा और घृणा नष्ट हो गई है । (८) रुसथ (९) महाभय (१०) प्रतिभय (हर प्राणी के लिये भय कारक) (११) अतिभय (इससे मृत्यु से बड़ा भय दूसरा नहीं है) (१२) भायनग (चित्त में उद्वेग पैदा करने वाला) (१३) त्रासक (१४) अनार्य काम करने वाला (१५) उद्वेगकर (१६) निरपेक्ष (जिसको दूसरों की प्राण रक्षा की कोई अपेक्षा नहीं है) (१७) निर्दम (अधर्मी) (१८) निर्पिपास (दूसरे प्राणी के प्रति न स्नेह है) (१९) निःकरुण्य (निर्दय) (२०) नरकावास निधनगमन (२०) मोह भय प्रवर्तक (२२) मरण वैमनस्य (मरण द्वारा प्राणियों का मन दीन करने वाला) ।

हम यहाँ जब अहिंसा शब्द का प्रयोग अहिंसा का विराट् रूप करते हैं, तब हमारा आशय उससे व्यापक अर्थों से होता है । अहिंसा का तो वास्तव में एक विराट् रूप है, जिसमें सत्ता के सम्पूर्ण सत्य, अरिख

मुह्य और सारे पुण्य विधान अन्तर्निहित हैं। जैन वाङ्मय में अहिंसा के इस विराट् रूप के कारण ही ६० नामों का उल्लेख मिलता है। ये नाम अहिंसा के केवल नामान्तर नहीं हैं, अपितु वह जिन व्यापक अर्थों में ली जाती है, उनका निदर्शन है। ये नाम इस प्रकार हैं—

(१) निर्वाण (२) निवृत्ति (३) समाधि (४) शान्ति (५) कीर्ति (६) कान्ति (७) रति (८) विरति (मत्त) (९) स्वांग (१०) वृत्ति (११) दया (१२) विमुक्ति (१३) ज्ञान्ति (१४) सम्यक्चारापन (१५) महान्त-पूज्य (१६) बोधि (१७) बुद्धि (१८) प्रीति (१९) समृद्धि (२०) श्रद्धि (२१) वृद्धि (२२) स्थिति (२३) पुष्टि (२४) नन्दी (२५) मद्रा (२६) विशुद्धि (२७) लम्बि (२८) विशुद्ध दृष्टि (२९) कल्याण (३०) मंगल (३१) प्रमोद (३२) विमृति (३३) रक्षा (३४) सिद्धावाप्त (३५) अनाशय (३६) फेवली-स्थानक (३७) शिव (३८) समिति (३९) शील संयम (४०) शील घर (४१) संवर (४२) गुप्ति (४३) व्ययसाय (४४) सन्तोष (४५) यज्ञ (४६) आयतन (गुणों का) (४७) जवन (अध्ययन) (४८) अप्रमाद (४९) आश्वास (५०) विश्वास (५१) सब को अभय (५२) अनाघात (५३) निर्मलता (५४) पवित्रता (५५) भ्रुति (५६) पूजा (५७) विमला (५८) प्रभासका (५९) निर्मला और (६०) तरती (तरणी)

अहिंसा के लिये यहाँ जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे अपने में स्वयं स्पष्ट हैं और उनसे यह प्रतीत होता है कि अहिंसा केवल सीमित अर्थों में 'हिंसा न करना' इतनी ही नहीं है, अपितु उसका क्षेत्र अत्यन्त विशाल और व्यापक है। प्राणी-जीवन की तमाम अस्वास्थ्य और अस्वच्छे काम ये सारे ही अहिंसा में अन्तर्भूत हो जाते हैं। इसे इस

● अहिंसा दर्शन

प्रकार भी कहा जा सकता है कि ससार में जितने गुण हैं, जितने पुण्याचार हैं, उन सबके लिये एक अहिंसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार का प्रयोग सम्भवतः केवल जैन वाङ्मय में ही उपलब्ध होता है।

वास्तव में जैन शासन में अहिंसा को उसने उपयुक्त सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। उसने धर्म की परिभाषा अहिंसा की भूमिका पर की है और पाप की परिभाषा हिंसा की भूमिका जैन शासन में के आधार पर।^१ वास्तव में विचार किया जाय अहिंसा का स्थान तो हिंसा से बड़ा ससार में कोई पाप नहीं है और अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जैसे ससार में परमाणु से छोटा और आकाश से बड़ा कोई पदार्थ नहीं है, इसी प्रकार ससार में धर्म का लक्षण अहिंसा के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता।^२ हमारी विनम्र सम्मति में संसार के विभिन्न धर्मों की सत्यता की एकमात्र कसौटी यह हो सकती है कि उसमें अहिंसा को क्या स्थान प्रदान किया गया है।^३ इस दृष्टि से यदि जैनधर्म ने सम्बन्ध में विचार करें तो यह असन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि जैनधर्म ने अहिंसा को न केवल आचार और विचार के क्षेत्र में ही प्रमुखता दी है, अपितु उसने सम्बन्ध में जो सूक्ष्म विश्लेषण किया है, उसके समस्त जैन दर्शन ही अहिंसा दर्शन बन गया है।

जैनधर्म के चिन्तन के क्षेत्र में जो अहिंसा 'प्राण-व्यपरोपण की निवृत्ति' से प्रारम्भ हुई, वह जीवन के समस्त क्षेत्रों में उठने वाली

१—ज्ञानार्णव सर्ग ८ श्लोक ३१

२— ” सर्ग ८ श्लोक ४१

३—म० गान्धी

समस्याओं का युक्ति संगत समाधान देती हुई समस्त चेतन जगत् के साथ समता का सम्बन्ध स्थापित करके, जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव कायम करके विकास के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हो गई।

व्यावहारिक जगत् में कोई एक प्रयोग सारे व्यक्तियों के लिये उपादेय बन सकता है, इसमें हमें भारी सन्देह है। हम सन्देह कह कर उस प्रयोग के व्यावहारिक पक्ष के साथ अन्याय करते हैं। अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि व्यावहारिक दृष्टि से सभी प्राणियों की, सभी व्यक्तियों की अपनी-अपनी मर्यादाएँ हैं, शक्ति और योग्यता भी सबकी भिन्न-भिन्न है। इसलिये उनकी भावना, रुचि भी जुदा-जुदा है। अतः उनके रोग की औषधि भी भिन्न-भिन्न ही होगी। जैनधर्म ने सबकी मर्यादाओं और शक्तियों का समीकरण करके विभिन्न परिस्थितियों और योग्यताओं वाले व्यक्तियों के लिये अहिंसा की विभिन्न क्रांतियाँ निर्धारित की हैं और इस तरह अहिंसा को केवल आदर्श न रख कर उसे व्यावहारिक रूप प्रदान कर दिया है। अहिंसा की सर्वोच्च कोटि पर पहुँचना अहिंसा की प्राथमिक भूमिका पर चलने वाले व्यक्ति के लिये कठिन नहीं; असंभव तो बिलकुल नहीं। उसके लिये जिस साधना की अपेक्षा है, उस साधना के लिये आत्म-विश्वास के साथ केवल संकल्प भर करने की आवश्यकता है। वास्तव में आत्मा जिस रहस्य से आवृत दिखाई देती है, आत्मविश्वास के चरण बढ़ते ही रहस्य के परत खुलते दिखाई देने लगते हैं। तब रहस्य रहस्य नहीं रह पाता, तब आत्मा अपने समस्त सत्तों के साथ प्रदीप्त, प्रकाशित हो उठती है और उस प्रकाश में ही सम्पूर्ण चेतन-लोक के साथ उसकी समता स्थापित हो जाती है।^१ यही अहिंसा का सर्वोच्च

• अहिंसा दर्शन

विकास और 'आत्मीय' दर्शन है ।^१

जैनधर्म ने 'आत्मीय' दर्शन की इस कोटि तक पहुँचने के लिये आचरण की कई सीढ़ियाँ बताई हैं और सारे आचरणों का एकमात्र आधार अहिंसा रक्ती है ।^२

अहिंसा के इस दर्शन के कारण ही जैनधर्म जगत् को व्यवस्थित कर्म किनौसफी दे सका, स्याद्वाद जैसे महान् सिद्धान्त का जन्म हो सका, अत्यन्त व्यवस्थित जीव विज्ञान का उदय हो सका, और सबसे अधिक यह जगत् चेतन और अचेतन जगत् के अखिल रहस्यों को भेदकर, विश्लेषण की अपनी विशिष्ट प्रणाली द्वारा सत्य को सामने रख सका । कुल मिला कर जैनधर्म जो है, यह अहिंसा का ही एक रूप है, एक विशिष्ट नाम है । और यह कि यदि जैनधर्म में से अहिंसा को निकाल दिया जाय तो संभवतः जैनधर्म नाम का कोई धर्म, दर्शन और सिद्धान्त जगत् में नहीं रह जायगा, यह जितना सत्य के निकट है, उतना ही यह कहना भी सत्य के अत्यन्त निकट होगा कि यदि जैन धर्म में से अहिंसा को निकाल दिया जाय तो विश्व में अहिंसा के व्यवस्थित रूप के दर्शन दुर्लभ हो जायेंगे । और तब एक विराट् अभाव जगत् में समस्त आरब्ध होगा, जिसकी पूर्ति का कोई उपाय उसमें समझ न होगा ।

उस यही जैनधर्म में अहिंसा का स्थान परतों की एकमात्र कसौटी है ।

१—ज्ञानार्णव सर्ग ८ श्लोक ५२

२— " " ८ " ४२

हिंसा और अहिंसा : एक अध्ययन

जब हम हिंसा और अहिंसा के सम्बन्ध में कुछ अधिक गहराई से विचार करते हैं तो अनेकों प्रश्न, अनेकों उलझनों हनारे समझ आ खड़ी होती है। कई बार तो ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जब हमें अहिंसक कार्यों में हिंसा का संदेह हो उठता है और कई हिंसक कार्यों में अहिंसा का भ्रम हो जाता है। इन उलझनों का युक्ति-संगत समाधान पाना अहिंसा-दर्शन को समझने के लिए आवश्यक है और जैन धर्म ने हिंसा-अहिंसा का अत्यन्त सूक्ष्म विश्लेषण करके हमें ये समाधान दिये हैं।

वास्तव में हिंसा का क्या कारण है, यह विचार कर लेना स्वयं प्रथम आवश्यक है। इस विचार की आवश्यकता इसलिए अत्यन्त ही

है, क्योंकि कई बार एक ही क्रिया

हिंसा का कारण . उसके परिणाम भिन्न-भिन्न प्रकार

है। उदाहरणतः—एक डाक्टर

आपरेशन करता है। डाक्टर चाहता है और प्रयत्न करता है कि आपरेशन सफल हो जाय। किन्तु उसके प्रयत्नों के कारण

एक मोटर ड्राइवर अपनी मोटर से एक बच्चे को मार देता है। एक बच्चा सड़क पार करने के लिए रोहो में

• अहिंसा-दर्शन

बालक को उचाने का प्रयत्न करता है। किन्तु बच्चा मोटर की चपेट में आ जाता है और मर जाता है।

एक तीसरा व्यक्ति अनेले में किसी मुसाफिर को जाते हुए देखता है। वह उसका माल लूटने के लिए उस पर दूट पड़ता है। मुसाफिर रक्षा के लिए प्रतीकार करता है तो वह डाकू उसे छुरा भोंक देता है और मुसाफिर इससे मर जाता है।

य तीनों ही व्यक्ति गिरफ्तार होकर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किये जाते हैं। यद्यपि मामला स्पष्ट है। तीनों ही केसा में 'मृत्यु' हुई है और उसरी सजा फाँसी है, किन्तु फिर भी मजिस्ट्रेट इन तीनों कसों में एक ही क्रिया होने पर भी तीनों को एक सा दण्ड नहीं देता। यह कानून दृष्टिकाय से उन तीनों की मशा, भावना पर विचार करता है और उसर अनुषार ही पैसला सुनाता है। चूँकि डाक्टर की भावना रोगी को मारने की नहीं थी, किन्तु बचाने की थी। अत यह डाक्टर को निर्दाप मानकर रिहा कर देता है। झाइवर की मशा भी बालक को मारने का नहीं थी, बलिक बचाने की थी, फिर भी कुछ असाधधानी हो गई, जिसस बालक दम कर मर गया। अत मजिस्ट्रेट उसे इस असाधधानी के जुर्म में छ माह की सजा सुनाता है। और डाकू—उसकी मशा अच्छी नहीं थी। उसने जान बूझकर मुसाफिर को मार डाला। अत मजिस्ट्रेट उसे फाँसी की सजा सुनाता है।

इसरा निष्कर्ष यह निक्सा कि फल क्रिया के आधीन नहीं, भावों के आधीन है। यदि भावनाओं में क्रोध, अभिमान, कपट, स्वार्थ, राग-द्वेष आदि हैं तो ऊपरी तौर पर मले ही दया का आडम्बर किया जाय, विश्वास में लेने के लिये मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाय, किन्तु आन्तरिक दुर्भावनाओं के कारण उसकी सारी क्रियायें हिंसा ही कहला-

• अद्वितीया दर्शन

सका या नहीं, दूसरे का अनिष्ट कर सका या नहीं, किन्तु उसने
 पर-घात बनाम आत्म घात
 आत्म-घात अवश्य कर लिया ।^१ आत्म घात का अर्थ कबल इतना ही नहीं है कि अपने जीवन का, प्राणों का अन्त कर लिया गया । लोक-व्यवहार में स्वभाविक ढंग से, दूसरे के प्रयत्नों से होने वाले जीवन के अन्त को मृत्यु कहा जाता है और अपने प्रयत्नों से होने वाले अपने जीवन के अन्त को आत्म-घात कहा जाता है । किन्तु वास्तव में आत्म-घात इसके अतिरिक्त और कुछ है । आस्तिक-परम्परा में जन्म और मृत्यु आत्मा के नये शरीर की प्राप्ति और उस शरीर के त्याग के नामान्तर मात्र हैं । प्राप्त शरीर आश्रय त्यागना है, भले ही वह अपने प्रयत्नों से त्यागा जाय या स्वाभाविक विधि से, यह विशेष महत्व की बात नहीं है । किन्तु महत्व की बात यह है कि जन्म-मृत्यु की अनवरत शृङ्खला में सदा प्रवाहित रहने वाला एक आत्म-तत्व है, उसके गुणों का किन्ना हास हुआ और किन्तना विनास हुआ । जब राग, द्वेष, कषाय आदि के द्वारा उसके सहज गुणों का हास होता है तो वह उसका आत्म घात कहलाना है ।

और इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति दूसरे प्राणी के प्रति दया दिखाता है तो क्या वास्तव में ही वह पंचल जीव-दया^२ है ? नहीं,

१ - पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ४० ।

ज्ञानार्थस्य सर्ग ८ श्लोक ६ । आचाराङ्ग प्र० श्रु० प्र० अ० उ० २
 अमितगति आचका चार अ० ६ श्लोक २५

२ - पुरुषार्थ सिद्धयुपाय २ ४५

● हिंसा और अहिंसा

वह जीव-दया के अतिरिक्त आत्म-दया भी है। जब वह दूसरे प्राणी के प्रति दया दिखाता है या उसका हित-साधन जीव-दया बनाम आत्म-दया करता है तो मले ही दूसरा प्राणी उसके प्रयत्नों से न बच सका हो, मले ही दूसरे प्राणी का हित-साधन न हो सका हो, किन्तु उस व्यक्ति ने आत्म-दया अवश्य कर ली; आत्म-हित-संपादन अवश्य कर लिया, क्योंकि उतने समय के लिये वह इन कर्माओं से मुक्त हो सका और इस तरह अपने सहज-गुणों (शान्ति, सन्तोष-निराकुलता आदि) का विकास कर सका।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में हिंसा और अहिंसा का निर्णय उसके कार्यों से नहीं, बल्कि भावनाओं से किया जा सकता है। जैसे एक किसान है। वह हल जोतता है। कृषि सम्बन्धी अन्य कार्य करता है। इन निर्णायक तत्त्व-भाव सब कार्यों में असंख्य प्राणियों का विघात हो जाता है। दूसरी ओर एक मछियारा है। वह बाल लेकर तालाब पर जाता है। मुबह से शाम तक उसके बाल में केवल पाँच मछलियाँ आती हैं। इस दृष्टि से मछियारे की अपेक्षा वह किसान अधिक हिंसा का मागी होना चाहिये। किन्तु नहीं, तथ्य इसके विपरीत है। किसान की भावना उन असंख्य जीवों के बध की नहीं है। वे तो संयोगवश मर गये। इसलिये वह असंख्य प्राणियों की हिंसा के परचात् भी अहिंसक कहलायेगा। मछियारा प्रातः से संध्या तक मले ही संख्या की दृष्टि से केवल पाँच मछलियाँ पकड़ सका या एक भी न पकड़ पाया, किन्तु दिन भर प्रत्येक क्षण उसकी भावना हिंसापूर्ण रही। अतः वह न मारते हुए भी हिंसक ही कहा जायगा।

● अहिंसा दर्शन

इसके अतिरिक्त एक और भी तथ्य है। इस जगत् में जल, धरत और आकाश में कोई स्थान ऐसा नहीं, जहाँ जीव न हो।^१ आकाश में प्रत्येक प्रदेश में जीव ठसाठस भरे हुए हैं। ऐसी दशा में क्या यह संभव है कि हमारे कारण उनमें से अनेकों जीवों का धान न हो।^२ अत्यन्त संयमी पुरुष की शारीरिक क्रियाओं से भी अनेक प्राणियों का मृत्यु संभव है। यदि मृत्यु को ही हिंसा का निर्णायक तथ्य स्वीकार कर लें तो क्या इस प्रकार संसार में कोई अहिंसक कहा जा सकेगा? यह तर्क संगत भी नहीं लगता। यह तो स्वीकार किया जा सकता है कि अज्ञानता पाप है, प्रमाद पाप है, इसलिये उस संयमी व्यक्ति पर अज्ञानता अथवा थोड़े बहुत प्रमाद का दोष लग सकता है, यह तो संभव है। किन्तु उस पर हिंसा का दोष तो कदापि नहीं मढ़ा जा सकता, जिन जीवों की हिंसा का उसे ज्ञान तक नहीं है, जिनके मारने के सम्बन्ध में उसके मन में कभी भावना तक उदित नहीं हुई। इसलिये अन्त में हमारे पास हिंसा अहिंसा के निर्णय के लिये एक ही पसोटी शेष रह जाती है—भाप^३। यदि भावों की हिंसा-अहिंसा का माध्यम स्वीकार न किया जाय तो फिर बन्धन और मुक्ति, संसार और निर्वाण की व्यवस्था ही पठिन हो जायगी।

जब हिंसा अहिंसा का माध्यम भाव स्वीकार कर लिया तो इसमें कोई सदेह नहीं रह जाता कि भावों के माप पर ही हिंसा और अहिंसा

१—यशस्तिलक आरवास ७। सागार धर्माभूत अ० २ श्लोक ८२

२—सागार धर्माभूत ४-२३

३—यशस्तिलक आरवास ७

• हिंसा और अहिंसा

का फल निष्पन्न होगा। इसी आधार पर एक व्यक्ति के भाव जब हिंसा रूप परिणत हो जाते हैं, तब वह व्यक्ति हिंसा का फल मले ही हिंसा का कोई कार्य न करे, किन्तु फिर भी उसे हिंसा का फल भोगना ही होगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की किसी शारीरिक क्रिया के कारण किसी जीव का विघात भी हो गया हो, यदि उस व्यक्ति के अन्तर में कृपाय का उदय नहीं आया तो निश्चित रूप से वह विघात (हिंसा) का फल नहीं भोगेगा।^१

वास्तव में भावों को हिंसा-अहिंसा का निर्णायक तथ्य मान लेने के उपरान्त ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि वह उनके फल के दृष्टि-विन्दु से अत्यन्त अद्भुत प्रतीत होती है। किन्तु उस परिस्थिति का समाधान हमें तत्काल प्राप्त हो जाता है, जब हम भावनाओं को फल का निर्णायक मानकर उस पर विचार करते हैं। वास्तव में प्राप्त फल से हम पूर्व भावनाओं का अनुमान लगा सकते हैं और वर्तमान भावनाओं से आगामी फल की कल्पना कर सकते हैं।

और तब हमें यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता कि कभी-कभी क्रिया के परिमाण की दृष्टि से अल्प हिंसा करने पर भी उसका फल बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि हिंसा करते समय उस प्राणी की भावनायें क्रियायों (क्रोधादि) से अत्यन्त कलुषित थीं। दूसरी ओर कभी-कभी कोई कारणवश परिमाण की दृष्टि से हिंसा बहुत कर डालता है किन्तु क्रोधादि का वेग भावनाओं में अत्यन्त अल्प रहने के कारण उसे उस महाहिंसा का फल भी अत्यन्त

● अहिंसा-दर्शन

मिलता है ।^१

कभी-कभी दो व्यक्ति मिलकर हिंसा सम्बन्धी एक कार्य करते हैं । किन्तु दोनों व्यक्तियों के भाव-परिष्कार भिन्न-भिन्न होने के कारण उन्हें उस कार्य का फल भी भिन्न-भिन्न ही प्राप्त होता है ।^२

कभी-कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि हिंसा का कार्य एक व्यक्ति करता है, किन्तु उसका फल अनेक जनों को उठाना पड़ता है ।^३ जैसे भारत में अनेक स्थानों पर तीतर, घटेर, मेंढा आदि का युद्ध कराया जाता है, दशहरा आदि पर धार्मिक अनुष्ठान मानकर भैंसा, बकरा आदि मारा जाता है, स्पेन में एक वर्ष विशेष पर एक व्यक्ति का खेल से युद्ध कराया जाता है । इन जनारोहों को देखने के लिए हजारों और लाखों व्यक्ति जाते हैं । उस समय लड़ने वाले या मारने वाले पाण्डों के मन में ही हिंसा की रीति नहीं रहती, किन्तु असंख्य दर्शकों के मन में उस क्रूर कर्म के समर्पण में कहे जाने वाले बचनों में तथा उनकी शारीरिक अनुमोदना में भी हिंसाजन्य क्रूरता के दर्शन होते हैं । अतः उस हिंसा का फल हिंसा करने वाला केवल वही एक व्यक्ति नहीं उठाता, बल्कि उस हिंसा की अनुमोदना करने वाले के असंख्य व्यक्ति भी भोगते हैं ।

इसी प्रकार कभी हिंसा तो अनेक व्यक्ति करते हैं और फल एक को भोगना पड़ता है ।^४ जैसे एक राजा अपने स्वार्थ, अहंकार या दुखरे

१—पुराणार्थ सिद्धयुपाय २२

२— " २३

३— " २४

४—शानार्थव ८ ४२

• अहिंसा दर्शन

व्यक्ति अपनी हानि से लुम्ब होकर किसी बकरे को मारता है। उधर से कोई धूर्त निकल आता है। वह उस क्रुद्ध व्यक्ति को विधी प्रकार शान्त कर देता है और अपनी बख्शा से प्रभावित करके उससे वह चकरा ले लेता है। बकरे को ले जाकर वह उसे मार देता है। तो वास्तव में उसकी वह अहिंसा नहीं थी, अहिंसा के हृद्मवेप में हिंसा थी और उसे उस हिंसा का ही फल भोगना होगा।

इस चेतन-जगत् में सवेदनशील मानस को लेकर भी मनुष्य अनेक प्रयोजनों के लिए हिंसा किया करता है। वह बुद्धि और विवेक का स्वामी है। जगत् के अन्य प्राणियों से उसमें कुछ हिंसा का प्रयोजन [→] विशेषतायें हैं। अपनी इन विशेषताओं के कारण वह सृष्टि के सम्पूर्ण जीवधारियों का मूर्ख बन गया है। उसे प्रकृति ने जो शक्ति दी है, उस शक्ति का उसने एक ओर आत्म कल्याण, आत्म विकास में उपयोग किया है तो दूसरी ओर उसने अपने दम्भ और स्वार्थ के पोषण के लिये दुरुपयोग भी किया है। समस्त सदुपयोग की अपेक्षा दुरुपयोग ही अधिक किया है। इसलिये आज विश्व में इस मनुष्य नामधारी जन्तु को विश्व के न केवल सारे प्राणी ही सन्देह और भय की आकुल दृष्टि से देखते हैं, अपितु मनुष्य मनुष्य को भी अत्यन्त भय और सन्देह की आशंकित नजरों से घूरता है। उसकी अतृप्त आकांक्षाओं और अदम्य लालसाओं ने धरती और आकाश, जल और पर्वत सब वही मार्ग बना लिया है। उसने जलचर, यलचर, चतुपद, छाती से चलने वाले, भुजाओं से चलने वाले, बन चारी, नम चर सभी जीव जन्तुओं, पशु पक्षियों पर विजय प्राप्त कर ली है। इनको मारना आज उसका विनोद बन गया है। उसका दम्भ विजय की सार्वकालिक घोषणा करते रहने को अत्यधिक उत्सुक रहता

है। इसीलिये वह इन पशु-पक्षियों की लाशों को अपनी देह के ऊपर बरक और आच्छादन, यहाँ तक कि आवश्यकता की हर वस्तु पर लपेटने में गौरव का अनुभव करता है। विजय ने प्रतिशोध को और भी अधिक प्रदीप्त कर दिया है। इसलिये वह उन पशु-पक्षियों को भून कर और कच्चा, मसाले मिला कर और नीरस जैसे भी बने खाने में तृप्ति का अनुभव करता है। उसकी प्रतिशोध की यह भावना इस जीवन में ही शान्त नहीं हो पाती, मरने के बाद भी उसकी लुप्ता इन निरीह प्राणियों के क्लेशों से शान्त हो पाती है। उसकी तरह उसके देवता भी भूखे भेड़िये बने घूमते हैं। और उनकी सर्वग्राही जीम निरपराध और निर्बल पशु-पक्षियों के रक्त और मांस के लिये लपलपाती रहती है। उसकी धर्म-भावना अस्वहाय प्राणियों की बलि द्वारा सार्थक हो पाती है। कैसी विदम्बना है यह !

जैन धर्म के मनस्वी उत्त्व-चिन्तकों ने मानव के मानस का सूक्ष्म अध्ययन करके उसकी विविध प्रवृत्तियों की मीमांसा की है और उसके उन सब उद्देश्यों और प्रयोजनों का एक अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिनके लिये मानव हिंसा करता है। संक्षेप में उसके ये प्रयोजन निम्न भाँति हैं—

चर्म, बसा, मांस, मेद, रुधिर, यकृत, फुफ्फुस, मस्तक, हृदय, अर्तें फोफुस, दन्त, अस्थि, मज्जा, नख, नेत्र, कान, स्नायु, नाक, घमनी, सींग दाढ़, पूँछ, विष, बाल इन वस्तुओं के लिये प्राणियों की हिंसा करते हैं।

मधुमक्खियों आदि को मधु के लिये, जूँए, खटमल, मच्छर, मक्खी, आदि को अपने शरीर मुख के लिये, रेशम के कीड़े, रेशम की चिड़ियाँ,

• अहिंसा-दर्शन

आदि को वनों के लिये, चीप शल, मूँगा आदि के जीवों को श्ल-करण के लिए मारते हैं।

वे कृषि, पुष्करिणी, बाघड़ी, कुए, सरोवर, तड़ाग, चिति, चैत्य, लाई, आराम, निहार, स्नप, गढ़, द्वार, गोपुर, विवाङ्ग, अटारी, चारिमा सेतु, प्रासाद, चतु शाला, भवन, भोंपड़ी, गुफा, दुकान, शिखरबन्द देवालय, मण्डप, प्याऊ, देवायतन, तापसाश्रम, भूमि-गृह, इनके निर्माण के लिये हिंसा करते हैं। मिट्टी, सुर्य, घातु, नमक आदि के लिये पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा करते हैं।

स्नान, पान, भोजन, वस्त्र धापन, शौच, आचमन आदि के लिए जलकायिक जीवों की हिंसा करते हैं।

पचन, पाचन, जलाना, प्रकाश, शक्ति, आदि के लिए अग्नि-कायिक जीवों की हिंसा करते हैं।

सूर्यक, व्यजन, तालघृन्त, पङ्क, पत्र, हथेली, वस्त्र, घातु आदि से पवनकायिक जीवों का घात करते हैं।

आगार, परिचार, मोदकादि भक्ष्य, चावल आदि भोजन, शयनासन, कुर्सी, पलंग आदि फलक, मूसल, श्रोत्रली, बीणादि तत, नगाड़े टोलक, मृदक आदि वितत, आतोच (अन्य वाजे), वहन (जहाज आदि), तागा मोटर वाहन, मण्डप, विविध प्रकार के भवन, तोरण, विटङ्क, देवकुल, जालीदार कमरे, जीने, निर्युह, चन्द्रशाला, वेदिका, निःश्रेणी, द्रोणी, चंगेरी, शङ्ख, छोलदारी, पात्र, प्याऊ, तापसाश्रम, सुगन्धित चूर्ण, माला, विलेपन, वस्त्र, यूप, हल, रथ (वाहन) युद्ध की गाड़ियाँ, शिविका, सैकड़ों व्यक्तियों को ले जाने वाली गाड़ी, जहाज, छोटी सवारी गाड़ियाँ, अट्टालक, चरिका, द्वार, परिधा, खँट, शूली, भाले, लाठी, बन्दूक आदि शतभ्री, तलवार आदि शस्त्र, खपरैल, पलंग,

● अहिंसा दर्शन

प्रकृति के साथ बलात्कार करते हैं, अपितु उन प्राणियों के प्रति अन्याय और शोषण भी करते हैं। और स्वयं शोषण करके दूसरों के द्वारा हमारा शोषण होने की दशा में हम उस अन्याय का विरोध करने का अपना अधिकार खो बैठते हैं। वास्तव में शोषण, अन्याय और बलात्कार दूसरे की असहायता और दुर्बलता का दुरुपयोग है, चाहे यह व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का हो, चाहे यह मनुष्य द्वारा किसी प्राणी का हो। और यह सब हिंसा है।

इसी तरह मृत्यु जिस प्रकार सबको अप्रिय है, उसी प्रकार मृत्यु का भय भी सबको अप्रिय है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मृत्यु से मृत्यु का भय अधिक त्रासकारी है। फाँसी में जितनी पीड़ा होती है, उससे अधिक फाँसी की विभीषिका में होती है। क्योंकि फाँसी का दुःख एक सीमित अवधि में ही समाप्त हो जाता है, किन्तु फाँसी की संभावना में व्यक्ति के प्राणों को जो एक विभीषिका का वातावरण दमोचे रहता है, उसके कारण उसके प्राण हँचे हँचे से रहते हैं। वह चौबीसों घंटे, प्रतिक्षण फाँसी की प्रतीक्षा की घड़ियों में अचर्यनीय वेदना का अनुभव करता रहता है। भय का यह वातावरण एक सरल निर्बल को आतन्त्रित करने की दृष्टि से बनाता है। जिससे निर्बल को अधिक पीड़ा अनुभव होती रहे। निर्बल की इस पीड़ा के अनुभव में सबल को आनन्द आता है।

इस प्रकार हिंसा मृत्यु, पीड़ा, शोषण, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, आसक्त का नाम है। हिंसा एक ऐसा विधान है, जिसमें केवल 'अहं' है, चाहे यह 'अहं' अहंकार हो, स्वार्थ हो, क्रोध हो या उसका कोई रूप हो। उस अहं के लिये अपनी वासना, अपनी इच्छा की पूर्ति की चेष्टा होती है। दूसरों की इच्छा, अधिकार का कोई सम्मान नहीं

होता। हम दूसरों की इच्छा का सम्मान नहीं करते दूसरे हमारी इच्छा का सम्मान नहीं करते। इससे बैर उत्पन्न होता है। बैर से क्रोध, क्रोध से प्रतियोध होता है। इस प्रकार एक बार की हिंसा से बैर का एक चक्र चल जाता है। हम दूसरों को मारने, दुःख देने की चिन्ता में रहते हैं, दूसरे हमें मारने, हमें दुःख देने की चिन्ता में रहते हैं। इस प्रकार संसार में हर प्राणी के मन में दूसरेसे मय, दूसरे से घृणा और दूसरे के प्रति अविश्वास रहता है। और यही संसार के दुःख का एवमात्र कारण है।

बैर की इस परम्परा का अन्त इस जीवन में ही नहीं हो जाता, वह दूसरे जीवनों में भी चलती रहती है। इस प्रकार एक बार की हिंसा करने पीछे बैर की एक लम्बी परम्परा छोक जाती है। उससे दुःखों की जो परम्परा चलती है, उसमें अनेक जीवनों की सुख शान्ति डूब जाती है।

इस दृष्टि से कल्याण कीदिये कि इस प्रकार एक प्राणी, एक व्यक्ति कितने प्राणियों को कष्ट देता है, कितने प्राणियों को हिंसा करता है। उन सभी प्राणियों के बैर का उसे भागी बनना पड़ता है। उस बैर का फिर वह स्वयं प्रतियोध लेता है। इस तरह एक प्राणी असंख्य प्राणियों के बैर के चक्र में उलझ जाता है और इससे उसे अनेक जन्मों तक भीषण यातनाओं में पड़कर छुटपटाना पड़ता है। इस तरह एक प्राणी अपने कृत्यों द्वारा न जाने कितने प्राणियों को बैर करने के लिए उत्तेजित करता रहता है और इस तरह अपने साथ उन्हें यन्त्रणाओं के चक्र में अपने साथ सम्मिलित कर लेता है।

बलुतः यह हिंसा ही है, जिसके कारण प्राणी को इस जीवन में

● अहिंसा-दर्शन

के स्थान की रिकता को कठोरता भर देती है। इसीलिये प्रायः देखा जाता है कि कठोर भावना वाले हिंसक होते हैं और कोमल-सरल भावना वाले अहिंसक होते हैं। इस यदि उलट कर भी वहे तो यह एक तथ्य ही होगा कि हिंसक के हमेशा कठोर भावना और कठोर वृत्ति होती हैं और अहिंसक के सदा कोमल भावना और सरल वृत्ति होती हैं।

इसके अतिरिक्त एक इसके बड़ा तथ्य यह है कि हिंसक सर्वसत्त्व-द्रोही होता है। उसके लिये काटने की दृष्टि से हिन्दुस्तान या जापान के बकरे म कोई अन्तर नहीं होता और न उसे मुर्गे को पख पकड़ कर ले जाने म या घन्दरा को कटपरे में बन्द करके उन्हें मूला मारने म ही फाइ व्यथा का अनुभव होता है। इसी प्रकार अहिंसक सर्व-सत्त्व समभावी होता है। यह जब किसी प्राणी को दुखी देखता है तो उसका हृदय उसके दुःख को स्वयं अनुभव करके द्रवित होने लगता है। पीड़ित क जलते हुए दिल का यह मरहम बनजान को उत्सुक हो उठता है। यह दुखी प्राणी चाहे मनुष्य हो, चाहे मिलहरी हो और चाहे घन्दर।

वास्तव में अहिंसा प्राणी की संवेदनशील भावना और वृत्ति का एक रूप है, जो सर्वजीव समभाव से निर्मित हुई है। धर्म का सारा मगन इसी सर्व जीव समभाव की कोमल भावना पर आपारित है। इसी लिये अहिंसक की सदा एक ही भावना, एक ही विचार और एक ही ध्यान रहता है—इस चराचर जगत् में सम्पूर्ण चेतन प्राणियों के साथ मेरी मैत्री है। किसी के प्रति भी मेरा कोई विरोध और वैर-

१—(सामेमि सन्वे जीवा... .. वैरं मज्जमय केणइ)

भाव नहीं है। दुखियों के लिये मेरा हृदय कण्ठा से परित है और जो मुझसे किसी कारण धर भी बरते हैं, उनके लिये भी मेरे दिल में प्यार और माध्यस्थ भाव^१ हैं।

अहिंसक इस भावना के कारण इस सारे चरान्तर जगत् को आत्म सदरा देखता^२ है। वह स्वयं सबके साथ मैत्री का व्यवहार करता ही है, किन्तु जो किसी दूसरे के द्वारा भी आतंकित हैं, उन्हें भी वह अपने अन्तर की कोमल किन्तु मुट्ठ भावनाओं की पूँजी के द्वारा अमय-दान देता है। वह एक क्षण के लिये भी नहीं भूलता कि किसी को अमय देना उसके लिये प्राणों का दान है। संसार में प्राणों के मय से बड़ा कोई दुःख नहीं^३ है। इसलिये अमय-दान उस भयभीत प्राणी के लिये ऐसा बरदान है, जो सारी पृथ्वी और संसार का सारा सोना दान में पाने की अपेक्षा उसके लिये कहीं अधिक मूल्यवान^४ है। अहिंसक निरपराध व्यक्ति को ही अमयदान नहीं देता, किन्तु जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसका अनराध किया है, उसे भी वह अमय-दान देने के लिये उतना ही उत्सुक रहता^५ है।

इस प्रकार अहिंसा एक ऐसा विधान है, जिसमें संसार के सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति समता है, सबको सुरक्षा का पूरा आश्वासन है, किसी के अधिकारों का अपहरण नहीं, किसी के प्रति अन्याय, अत्याचार

१—भावना दार्शनिकता १। अमितगति आध्यात्म १३-१४

२—ज्ञानार्णव ८-१२।

३—आचाराङ्ग ६-१०६ उ० १

४—सुप्रकृताङ्ग ६-३३

५—सांगार धर्माङ्कित २-८१

● अहिमा दर्शन

अहिमा की महान् सिद्धि पाये हुए उन मुनि तपस्वारथ होने हैं, उक्त वन में प्राणियों के मन का गारा वायुमय धूल-पुँदुरकार साक हो जाता है और तप रेरे और हिरण्य, मान और विद्विया एक ही स्थान पर पानी पीते हुए और एक ही पेड़ की छाँह में निभान करते हुए मिलते हैं।

यदि किसी अहिंसक व्यक्ति के समक्ष भी हिंसक अपनी क्रिया नहीं छोड़ पाता तो उसके अहिमा के धार्मिक चमत्कार को दोष नहीं दिया जा सकता, वह तो अहिंसक की अहिमा साधना की कोई प्रतिफल है।

हिमा तो वायु में एक अग्नि है। सभी को अनुभव है कि जब क्रोध लगता है, तब देह का हर अंग उभरी आग में जलने लगता है। यह आग और बुझ नहीं, मन की उत्तेजना की राइ से उत्पन्न हुई बिजली है, जिसका कारण उत्तेजित अवस्था में आँसे लाल हो जाती हैं, हाथ-पैर नपने और होठ फटने लगते हैं, मन में एक अजीब अज्ञानता का अनुभव होने लगता है, मन की सभी शान्ति, गारा भीन विरोहित हो जाता है और तब वह गारे संगार के प्रति बिद्रोही हो उठता है।

इसी और अहिमा योग्य मन है। मय जानते हैं, जब व्यक्ति के मन में शांति होती है, किसी के प्रति क्रोध की भावना जागृत नहीं होती, तब वह किसी परिभाषा का अनुभव करता है। तब मन में एक स्वाभाविक भीन का अनुभव करता है, उसे गुण और अनोर का अनुभव होता है। तब वह स्वयं ही उक्त गुण का अनुभव नहीं करता, अपितु वह गुण की इस दिशा, शांति के इस निर्भर में औरों को भी अनुभव कर लेता है। और इस तरह मन के इस भीन में औरों को भी आशीर्वाद बना लेता है।

हिंसा और अहिंसा के इस मूल्य पर और भी अधिक गहरे ढार कर विचार करें तो हमें यह मानना होगा कि यान्त्रिक मन के भीतर से उबड़ती है, क्रोध बाहर से आता है। यान्त्रिक स्वयं में है, उसे सामं और पाने के लिये किसी बाहर की चीज की आवश्यकता नहीं होती। क्रोध उर-पाने के लिये कुछ बाहरी कारण अवशित होते हैं, जैसे दूसरे का व्यवहार, किसी वापर से टोकर लगना आदि। यान्त्रिक स्वयं में है। यदि उसे मंग करने के लिये कोई यात्रा थापन न आवे तो वह सदा पाल रनी भी जा सकती है। इसलिये वह निजी चीज है। क्रोध चूंकि बाह्य निमित्तक है, इसलिये वह सदा पाल के लिये नहीं रक्त्वा वा सकता है। अपां कोई व्यक्ति हमेशा क्रोध करते नहीं रह सकता है। इसलिये ही वह निजी चीज नहीं है। चूंकि यान्त्रिक निजी वस्तु है, इसलिये अहिंसा आत्मिक सम्पत्ति है, आत्मिक गुण है। क्रोध चूंकि निजी चीज नहीं है, इसलिये हिंसा आत्मिक गुण नहीं है, वह दोर है, औनाधिक है, सिंगे पाला-पोषा नहीं जा सकता, बरिह सिंगे भाङ्ग-भोङ्ग कर चेंका ही जा सकता है।

अहिंसा आत्मिक है और हिंसा आत्मिक नहीं है, इस जगत् का यह एक आध्यात्मिक सत्य है। किन्तु इससे भी बड़ा सत्य यह है कि अहिंसा ही आत्मा का आपार है। अहिंसा का महत्त्व कोई स्थीकार करे या न करे, यह अलग बात है। किन्तु अहिंसा को आत्मा में से निकाला नहीं जा सकता। यह तो एक ऐसा वृक्ष है, जिसकी शाख पर आत्मा बैठी हुई है। इसलिये यह बुद्धिमान्नी ही होनी कि हम जिस शाख पर बैठे हैं, उसे न काटें। यदि काटेंगे तो नीचे अवश्य गिरेंगे।^१

● अहिंसा-दर्शन

अहिंसा आत्मा का आधार है, यह एक तथ्य है। किन्तु इसके भी बड़ा एक तथ्य यह है कि अहिंसा स्वयं आत्मा है और आत्मा ही अहिंसा है।^१

अहिंसा ही आत्मा है, इस सत्य का उद्घाटन केवल जैन धर्म ने ही किया है, यह स्वीकार करना ही होगा। इसीलिये अहिंसा की प्रतिष्ठा, अहिंसा की मान्यता जितनी जैन धर्म में है, उतनी अन्यत्र नहीं मिलती। इस सत्य के उद्घाटन के लिये संसार सदा जैन धर्म का श्रेणी रहेगा।

अहिंसा को आत्मा का आधार या स्वयं आत्मा स्वीकार कर लेने के बाद यह सिद्ध करना शेष नहीं रह जाता कि हिंसा आत्मा पर भार है, जिसके कारण आत्मा अधोगति में जाता है। और न यह ही सिद्ध करना शेष रह जाता है कि हिंसा करने वाला प्राणी दूसरे की हिंसा नहीं करता, अपितु वह अपनी आत्मा की, स्वयं की ही हिंसा करता है। ऐसी दृष्टा में वह अपना कोई हित नहीं करता, बल्कि अहित ही करता है। इसे यों भी कहा जा सकता है कि अहिंसा ही आत्मा का हित करती है।^२ और यह भी कहा जा सकता है कि आत्मा का हित करने वाले जितने तत्व हैं, जितने साधन हैं, जिन्हें दूसरे शब्दों में धर्म के विभिन्न अंग कह सकते हैं, उन सबका मूल भी अहिंसा ही है।^३ अहिंसा के बिना भी कोई धर्म हो सकता है, यह तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यदि हिंसा भी धर्म हो सकता है तो फिर अधर्म भी संसार में कुछ हो सकता है, यह भी कल्पना नहीं की जा सकती।

१—स्वयम्भू स्तोत्र १११

२—ज्ञानार्णव ८-३१

३— „ ८-४२

• हिंसा और अहिंसा

ये ही दृष्टिकोण हैं, जिनके कारण अहिंसा को उपादेय और हिंसा को सर्वथा त्याग्य स्वीकार किया गया है।

हिंसा-अहिंसा की गहराई में जाने पर कभी अहिंसा के लिये कभी एक प्रश्न सामने आ जाता है—

हिंसा का त्याग जिस प्राणी के मन, बचन, काय पाप-एक आवश्यक शर्त है कर्म में लिप्त नहीं हैं, जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता है तथा जो मन से हीन है, वाक्य-विशेष से रहित है, जो अव्यक्त निशान वाला है, वह हिंसा का कर्ता नहीं माना जा सकता। जिन प्राणियों का विशान अव्यक्त है, जो पापकर्म के साधनों से हीन हैं, उनके द्वारा कोई पाप होना संभव नहीं है। यदि मन, बचन, काय के व्यापार के बिना भी पाप-कर्म संभव मान लिये जायें तो उसमें क्या तर्क हो सकता है? इसी प्रकार यह भी एक प्रश्न है कि जो प्राणी मन, वाणी और शरीर के सम्पूर्ण साधन होते हुए भी हिंसा नहीं कर रहा, चुपचाप एक स्थान पर बैठा है, न किसी के प्रति उसके मन में दुर्भाव है, न बचन द्वारा ही वह किसी को पीड़ा दे रहा है और न अपने शरीर से ही कष्ट देता है। ऐसी अवस्था में वह अहिंसक कहलायेगा या नहीं?

इस प्रश्न में जो यजन है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस और ऐसे प्रश्नों का समाधान जैन याह्म्य में विस्तार से दिया गया है। समस्या के किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं गया। जैन याह्म्य में इसका समाधान निम्न प्रकार दिया गया है—

जो (पट्काय के) जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं अर्थात् जो

• अहिंसा दर्शन

हिंसा-त्याग के लिये प्रतिशब्द नहीं हैं, किन्तु अक्सर, साधन और शक्ति आदि कारणा के अभाव से उनकी हिंसा नहीं करते, वे अहिंसक नहीं बहे जा सकते। वे चाहे व्यक्त निशान वाले प्राणी हों या अव्यक्त विज्ञान वाले।

उदाहरणार्थ—कोई पुरुष किसी व्यक्ति पर क्रुद्ध होकर उसके वध के सम्बन्ध में सोचता रहता है। मगर जब तक अक्सर नहीं मिलता, तब तक वह अन्य कार्य में लगा हुआ उदासीन सा रहता है। उस समय यद्यपि वह घात नहीं कर रहा, तथापि उसके मन में घात का भाव और संस्कार बना रहता है। अतः वह घातक या हिंसक ही माना जायगा।

वास्तविकता तो यह है कि जिनका मन राग द्वेष से पूर्ण और अज्ञान से आच्छादित है, वे सभी प्राणियों के प्रति दुष्ट भाव रखते हैं। इससे बचने का एक मात्र उपाय विरति ही है। इसी से भाव शुद्ध बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। वह जिनमें नहीं है, भावत वे सभी प्राणियों के बैरी हैं, उन्हें जिनके घात का अक्सर नहीं मिलता, उनके भी वे अघातक नहीं।

यहाँ एक प्रश्न और उठता है—

संसार में ऐसे प्राणी अनन्त हैं, जो अत्यन्त सूक्ष्म हैं, देश और काल की जिन्हें कोई वाप्रा नहीं, हम जैसे अल्पज्ञों ने न उन्हें कभी देखा और न सुना ही है। वे न किसी के बैरी हैं, न मित्र हैं। फिर उनके प्रति हिंसामय भाव होना किस प्रकार संभव है।

इसका भी उत्तर हम जैन वाङ्मय^१ से ही देना उपयुक्त समझते

१—सूत्रकृताङ्ग द्वि० ध्रु० अ० ४ (पृ० २६८)

हैं। यह इस भाँति है—

जो प्राणी जिस प्राणी की हिंसा से निवृत्त नहीं है, उसकी निश्चय ही उसके प्रति उदाहितात्मक हो गयी रहती है। अतएव यह हिंसक ही है। अहिंसक नहीं है।

उदाहरणार्थ—एक मान पातक पुरुष जब मान के पात में प्रवृत्त होता है, उस समय जो प्राणी उस मान को लोडकर अन्वय चले गये हैं, उनका पात उसके द्वारा नहीं हो पाता है, तथापि यह पातक पुरुष उन प्राणियों का अपातक नहीं है क्योंकि उसकी इच्छा उनका भी पात करने की थी। मगर यहाँ उपरिष्ठ न होने के कारण वे मारे नहीं गये। इसी प्रकार जो प्राणी देख-बाल की भाषा से दूर के प्राणियों के पात का त्यागी नहीं, वह उनका हिंसक ही है। इसीलिये हिंसा के पात से बचने के लिये हिंसा का त्याग आवश्यक है।^१

अहिंसा यदि आवश्यक कर्तव्य मान लिया गया है तो उसकी रक्षा अहिंसक उपायों और साधनों द्वारा ही हो सकेगी; हिंसक उपायों और साधनों द्वारा कदापि न हो सकेगी; इसलिये हिंसा त्याग के अहिंसक साधनों के लिये हिंसक उपकरणों, हिंसा-क्रिये हिंसा के यत्नों का त्याग करना ही होगा।^२ हिंसा के साधनों का त्याग उपकरण वे हैं, जिनसे कभी हिंसा को उत्तेजन आवश्यक है मिल सकता है या हिंसा की संभावना हो सकती है। हिंसापतन वे हैं, जिनसे अन्तरङ्ग में कषाय (मोघादि) का उद्रेक और प्रादुर्भाव संभव है। हिंसा के उपकरण हैं—हिंसा के साधन शस्त्रास्त्र। इनका रखना, इनका धारण करना,

१—पुरुषार्थ सिद्धयुगाय ४८

२—पुरुषार्थ सिद्धयुगाय ४९

● भर्तृसा-दर्शन

इनका उत्पादन करना ये सभी हिंसा को उच्छेदना देने वाले हैं। कल्पना कीजिये, एक व्यक्ति बन्दूकों, राइफलों, स्टेन और ग्रेन गनों अथवा बमों की एक फैक्टरी चलाता है। यह बना-बनाकर बेचेगा। यदि मार्केट में उसके हथियारों की माँग अधिक न हुई तो वह व्यावसायिक दृष्टि-कोण से देश के राष्ट्रनायकों से मिलकर पड़वन्त्र द्वारा देश में या विदेशों में ऐसा वातावरण निर्मित करेगा, जिससे जनता में युद्ध का आतङ्क जम जाय, जनता और सरकारें शस्त्रास्त्रों की माँग करने लगे। उस बंदी हुई माँग से ही उसके हथियारों की रफत बढ़ सकती है, उसके फारखाने का विकास हो सकता है और इस तरह धाय बढ़ाई जा सकती है।

आधुनिक युग में युद्धों, और विश्वयुद्धों के मूल में शस्त्रास्त्रों के फारखानेदारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ रहा है। उन्होंने प्रारम्भ में युद्ध जैसा वातावरण निर्मित करने के लिये अपने देश के कुछ कर्णधारों को आर्थिक प्रलोभन देकर अपने पड़वन्त्र में सम्मिलित किया तब उन कर्णधारों ने शासन और जनता को अपने प्रभाव द्वारा यह मानने को बाध्य किया कि दूसरा देश उस पर आक्रमण करने की नीयत से अपनी सैनिक तैयारियाँ कर रहा है। फलतः इससे उन्होंने अपने देश में उस देश और उसकी जनता के प्रति मिथ्या धारणा, घृणा और द्वेष की भावनाओं का प्रसार किया और साथ-साथ उस देश के साथ अपने सम्बन्धों को अधिक तनावपूर्ण कर दिया, जिससे उस देश में भी युद्ध की तैयारियों ने वास्तविक रूप लेना प्रारम्भ कर दिया। इस तरह दो देशों की जनता में युद्ध का भय, या कहना चाहिये एतन्त या भूत व्याप्त हो गया। भय और आतङ्क के इस वातावरण में उनका व्यापार चल पड़ा।

मौत के ये सौदागार अपने देश में ही अपने शस्त्रास्त्रों की खपत करके शान्त नहीं हुए, उन्होंने अपने देश के शत्रु राष्ट्र को भी तस्कर दंग से शस्त्र भेजने प्रारम्भ कर दिये अथवा ऐसे राष्ट्र को शस्त्र भेजने लगे जो दोनों राष्ट्रों का मित्र हो। और तब वे ही हथियार उस मित्र राष्ट्र के द्वारा उस शत्रु-राष्ट्र तक पहुँचने लगे।

वास्तव में हिंसा के उपकरणों का व्यापार करने वाले व्यक्ति अपनी व्यापारिक महत्वाकांक्षा के कारण किसी एक राष्ट्र की राष्ट्रीयता के बन्धन में पड़कर संकीर्ण मनीवृत्ति के नहीं रहते। वे तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति होते हैं। सारे राष्ट्रों के शस्त्रास्त्र निर्माता उनके जातीय बन्धु होते हैं, जिनके साथ मिलकर शस्त्रास्त्रों की प्रतिस्पर्धा और खपत संसार में बढ़ाने का सदा वातावरण बनाये रखते हैं। इसके लिये उन्हें प्रभावशाली राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों की सेवार्थें इस या उस रूप में मिल जाती हैं, जो इस प्रकार आतङ्कपूर्ण वातावरण बनाये रखने या नवीन-नवीन शस्त्रास्त्रों के अनुसंधान में लगे रह कर उनकी सहायता करते रहते हैं। वे इतने उदार हो जाते हैं कि उन्हें इससे प्रयोजन नहीं कि उनके शस्त्रास्त्र मित्र-राष्ट्रों को मिल रहे हैं या शत्रु-राष्ट्रों को। कैसी विडम्बना है यह!

और फिर एक बार कारखाने का विस्तार होने पर, शस्त्रास्त्रों का अत्यधिक उत्पादन और खपत होने पर उनके व्यापारिक स्वार्थ के यह विरुद्ध पड़ता है कि एक बार जो युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हुई, जो आतङ्कपूर्ण वातावरण तैयार हुआ था, उसे समेट लें।

हमारा दृढ़ विश्वास है, कि आज संसार के संपूर्ण राष्ट्रों के पास शस्त्रास्त्रों का जो विशाल भण्डार जमा हो गया है, यदि उसे नष्ट कर दिया जाय और शस्त्रास्त्रों के कारखानों को एकदम बन्द कर दिया जाय

• अहिंसा दर्शन

तो युद्ध की जगह, युद्ध का वातावरण संसार में दो दिन में समाप्त हो जाना।
 कारागार में तो इस वातावरण के निर्माता शरणाश्रितों के कारखाने ही हैं।

अहिंसक साधना के लिए हिंसा के इस बृहत्काय उपकरणों के
 त्याग की ही आवश्यकता नहीं है, वरन् अपने पास हिंसा के दूसरे वा
 छोटे उपकरण—चाहे वह बन्दूक हो या राइफल, भाला हो या तलवार
 उन्हें भी रखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इनके कारण भी मन
 में हिंसा को अनागर्यक प्रोत्साहन मिलता है।

अहिंसक साधना के लिये हिंसा के उपकरणों की तरह हिंसास्त्रों
 के त्याग की भी आवश्यकता है। जैसे स्नाइपर हाउस (पराईताने)
 खोलना, मुर्गी पालना या मत्स्ययोग, चमड़े के गिल, जूतों की दूषान,
 मांस और शराब का व्यापार, बंदरों का निर्यात-व्यापार, रेसम का
 कारखाना या धूम्रपान, जीव जन्तुओं के द्वारा औषधि निर्माण, अथवा
 शेर आदि हिंस्र जीवों और ऐसे कुत्तों का पालना, जिन्हें मंस देना
 पड़े आदि आदि। ये सब तो वस्तुतः प्रतीक हैं। किन्तु बिन भी
 कामों का सम्बन्ध साक्षात् हिंसा से है, उन कार्यों का त्याग अत्यन्त
 आवश्यक है। इस हिंसापतनो के कारण यालय में मन में हिंसा सदा
 वास किये रहती है चाहे वह जागृत रहे या सुषुप्त अवस्था में रहे।
 क्योंकि वास्तविक कारणों का मन पर प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता।
 मन का क्षिरा दुश्मन चोर जब तक मन से निकल नहीं जाता, तब तक
 निश्चिन्त जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वस्तुतः चिन्ता ही तो
 आकुलता है और आकुलता ही हिंसा है। यह हिंसा की जेठो भी है
 और पुत्री भी। जबकि निराकुलता अहिंसा है अहिंसा की जेठो भी
 और पुत्री भी।

कभी कभी हिंसा अहिंसा के नियम में एक प्रश्न आगे आ जाता

ही—दृष्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति इन स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग अशक्य होने के कारण एक गृहस्थ के हिंसा हिंस्य जीवों की लिये इनका आवश्यक व्यवहार क्षम्य माना गया संख्या पर निर्भर है। किन्तु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा नहीं है सकता कि केवल एक दिन के और एक बार के मोक्षन का समारम्भ, आरम्भ करने में अनाज के अनेकों दानों, सब्जी, अग्नि, वायु और जल के असंख्य जीवों का घात हुआ। यदि असंख्य जीवों का घात न करके केवल एक बकरा, हाथी, या हिरण्य को मार कर खा लिया जाय तो उससे केवल एक जीव का ही घात होगा।^१ इस प्रकार अन्न का आहार करने की अपेक्षा मांस का आहार करने में हिंसा कम हुई ? क्या यह उचित नहीं ?

निश्चय ही इस प्रश्न के जिस पहलू पर बल दिया गया है, उसके इनकार तो नहीं किया जा सकता। किन्तु इसका एक पहलू और भी है, जिसकी इस प्रश्न में उपेक्षा की गई है और वस्तुतः इस समस्या का समाधान उसी पहलू में से मिलेगा और वही समस्या का वास्तविक तथ्य होगा।

भ० महावीर के समय अनेक प्रकार के तापस-सम्प्रदायों के जो अहिंसा को उत्तम आचार मानते थे और अहिंसा का सत्य मानते थे; मगर अहिंसा विषयक उनकी धारणायें विभिन्न प्रकार की थीं।

उन तापस-सम्प्रदायों में एक 'हस्तितापस' नामक सम्प्रदाय भी प्रचलित था। जान पड़ता है, उसका यह नाम उसके सम्प्रदायी अन्न प्रवृत्ति के कारण ही पड़ गया था। यह सम्प्रदाय अन्न खाने

को बहुत महत्त्व प्रदान किया गया है ।^१

प्रश्न किया गया है कि जब समग्र लोक जीवों से व्याप्त है तो साधु हिंसा के पाप से किस प्रकार बच सकता है ? हिंसा से बचने के लिये साधु किस प्रकार चले ? कैसे ठहरे ? कैसे बैठे ? कैसे शयन करे ? कैसे मादण और भोजन करे ? आन्त्रिण सूदन से सूदन क्रिया करने में भी जीवबन्ध अनिवार्य है । फिर अहिंसा की व्यावहारिक साधना का क्या मार्ग है ?

जैन शास्त्रों का इस संबन्ध में एक ही मुख्य उत्तर है और वह यह कि यतना का आश्रय लेने से ही अर्थात् मन में किसी भी प्राणी के प्रति लेश मात्र भी कालुष्य न आने देकर साधधानी एवं सतर्कता के साथ प्रवृत्ति करने से ही मनुष्य हिंसा के पाप से बच सकता है ।^२

व्यावहारिक जीवन और निश्चय मार्ग—जैनवाद में आत्म-तत्त्व को समझने और पाने के दो मार्ग बताये हैं—व्यवहार और निश्चय । व्यवहार साधन मार्ग है और निश्चय साध्य । अर्थात् आत्मा स्वयं अपने ही कर्मों के कारण जिन दुःख और क्लेशों का अनुभव कर रहा है, उनसे मुक्ति का जो मार्ग है, जो साधन हैं, जो हमारा वाह्य आचार और व्यवहार है, वह व्यवहार है । और आत्मा की इन दुःख-क्लेशों से रहित जो उसकी वास्तविक दशा है, वह निश्चय दशा है अर्थात् वह हमारा साध्य है ।

१—मरदु वा जियदु वा०

२—दसनेयालिय, अ० ।

इस अर्थ में उदाहरण यह है कि जो हमारा लक्ष्य है, उसे हम सदा अपने समक्ष रखें, जिससे हम कभी लक्ष्य भ्रष्ट न हो जायें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये व्यावहारिक मार्ग से सदा आगे बढ़ते रहें। अब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो गई, तब तक उस लक्ष्य को हम अपना सर्वोत्तम और नही मान सकते। न हम व्यावहारिक धरातल की उपेक्षा ही कर सकते हैं। हम अपने लक्ष्य के प्रति सतत बढ़ते चले जायें, हमारी साधना की सार्थकता इसीमें है। यद्युक्त हमारी यह साधना ही तो व्यवहार है और यह साधना जिसके लिए है, वह हमारा लक्ष्य निश्चय है।

जो समस्त सांसारिक दायित्वों से ऊपर उठ गये हैं, जिनका एक मात्र लक्ष्य आध्यात्मिक साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करना है, वे उस व्यावहारिक मार्ग को न अपनायें तो यह बाल एक सीमा तक रुमक में आ सकते हैं। यद्यपि वे त्रिषु साधना में लगे हैं, यह भी व्यावहारिक मार्ग ही है। फिर भी उनकी अपनी कुछ मर्यादाएँ हैं और उन मर्यादाओं को वे नहीं छोड़ सकते।

किन्तु किन्होंने अभी सांसारिक दायित्व छोड़ रखे हैं, जिनकी साधना मृत्यु जीवन के परिशुद्ध निर्वाह तक सीमित है, वे तो व्यवहार मार्ग की कदापि उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्हें तो मन, नियम, सामाजिक की तरह दान, दया, दाक्षिण्य और अन्य पुण्य-कार्य करने ही होंगे। वे भी उसकी चरम साधना के मार्ग के मुखाम हैं। इन मुखामों पर से बढ़ते हुए ही यह अपने परम लक्ष्य को पा सकेगा, अन्यथा यह और उसका जीवन एकदम अव्यावहारिक बन जायगा।

उसके व्यावहारिक जीवन की सफलता इसमें होगी कि यह दुर्लभ प्राणियों की पीडा में किञ्चना सम्बेदन शील और कष्टसापराध रहता

● अहिंसा दर्शन

है तथा उनकी उस पीड़ा को दूर करने का क्या सक्रिय उपाय करता है। यदि वह भूख से व्याकुल किसी मनुष्य को, गाय को या किसी प्राणी को देखेगा तो अवश्य उसके दिल में दया का सोा उमड़ पड़ेगा और वह अपना आवश्यक कर्तव्य मानकर उसकी विफलता को शुद्ध मोहन देखकर दूर करेगा। वह तब मीमांसा करने नहीं बैठ जायगा कि उस भोजन में हिंसा की कितनी मात्रा है। भोजन में हिंसा की अनिर्णयता मानकर भी वह भूते को भोजन खिलाना अपना आवश्यक कर्तव्य मानेगा। जैसे कि वह अपने लिये भोजन को आवश्यक मानता है।

इसी प्रकार यदि वह देखेगा कि एक भिल्ली चूहे पर झपट रही है, एक बाज कबूतर मार रहा है, तो वह उन्हें बचाने का अवश्य प्रयत्न करेगा। वह यह सोचकर अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं मोड़ेगा कि बचाकर हमने उनका भोजन में बाधा डाली। जिस प्रकार हम किसी महिला पर किसी दुराचारी पुरुष द्वारा बलात्कार करते हुए देखकर उसे बचाने दौड़ पड़ते हैं। हम उस समय यह धमी नहीं विचार करते कि ऐसा करके हम उस दुराचारी के 'आनन्द' में विघ्न डाल रहे हैं।

वस्तुतः हिंसा-अहिंसा हमारे आत्म परिणामों पर निर्भर हैं। भूते को भोजन खिलाने या किसी मरणासन्न को बचाने में हमारे भावों में कष्टता है। इसलिये वह हिंसा नहीं, अहिंसा है। किन्तु ऐसे कार्यों में भी हिंसा की कल्पना करने वाले संभवतः निश्चय को उसके स्थान से खींचकर उसे व्यवहार धनाने का प्रयत्न करते हैं। इससे तो सारा आचार मार्ग ही वे अवरूद्ध कर देते हैं।^१

एक प्रश्न—यहीं एक प्रश्न उठ खड़ा होता है^२—हिंसा अहिंसा

१—पुराणार्थ सिद्धि युपाय २०

२—योग शास्त्र । जीवस्य हिंसा न भवे . . ,

• हिंसा और अहिंसा

यह सब मिथ्या कल्पना है। हिंसा-अहिंसा की यह कल्पना हमारे मन के दृष्टिकोण से उपजी है, वस्तुतः किसी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है—कूटस्थ नित्य है।

प्रश्न का एक दृष्टिकोण यह भी है कि विल्ली यदि चूहे को मारती है तो चूहे की आत्मा की यह दशा होने वाली ही थी। हम उसे बचा कर उसकी उस अवर्यमावी दशा को रोक नहीं सकते। और यदि हमारे प्रयत्न से उस चूहे की आत्मा उस दशा में कुछ दिन और रह जाती है तो यह भी अवर्यमावी या, नियत या। इस तरह हम अपने उस प्रयत्न को अहिंसा का नाम या विल्ली के उस कृत्य को हिंसा का नाम क्यों कर दे सकते हैं। जिसका हांना नियत है, वह अवश्य होगा, यदि चूहे की मृत्यु होने वाली है तो यह होगी, चाहे विल्ली द्वारा हो या और किसी तरह। यदि चूहे को बचना है तो वह अवश्य बचेगा, चाहे उसे बचाने में हमारा हाथ हो या दूसरे का।

इसी तरह यह भी प्रश्न उठता है—यदि आत्मा क्षणिक है, तब भी हिंसा अहिंसा का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि आत्मा का तो प्रतिक्षण विनाश हो रहा है। चूहे और विल्ली की जो आत्मा इस क्षण में है, उसका अगले क्षण में अपने आप विनाश हो गया। तब विल्ली चूहे को मारती है, यह कल्पना ही क्यों? और जब यह कल्पना नहीं उठती, तब 'मैं चूहे को बचाता हूँ', यह तो सोचना ही व्यर्थ है। बचाया उसको जा सकता है, जो रहने वाला हो। जो रहने वाला नहीं, जिसका अगले ही क्षण में विनाश होने वाला है, उसका बचाना कैसा?

ये तीनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों प्रश्नों के मूल में जो विचार हैं, उनके आधार पर ही तीन स्वतन्त्र दर्शनों का विकास हुआ है। इसलिये इन विचारों की सरलता से उपेक्षा नहीं की जा सकती।

• अहिंसा-दर्शन

किन्तु फिर भी संक्षेप में 'आत्मा क्या है' यह समझ लेने पर इन प्रश्नों का समाधान मिल जाता है। एतान में पड़ा हुआ सोना अशुद्ध होता है। एतान से निकलने पर स्वर्णकार उस सोने से हार बना देता है। आवश्यकता पड़ने पर उस हार को तोड़कर बाजूबन्द बना देता है। हार और बाजूबन्द में सोने की दो दशाएँ हैं, जो बदली जा सकती हैं या बदलती रहती हैं, किन्तु फिर भी उनमें जो मूल वस्तु सोना था, वह सोना ही रहता है। अर्थात् सोना एक मूल तत्व है, जो अपनी हर दशा में भी सोना ही रहता है। जब हार को तोड़कर बाजूबन्द बनाया तो उसकी एक दशा का विनाश हुआ, दूसरी दशा की उत्पत्ति हुई। ससार की हर वस्तु, हर तत्व का यही रूप है। आत्मा एक अविनाशी तत्व है, प्रुव है किन्तु उसी दशाएँ प्रतिक्षण बदलती रहती हैं। पहली दशा का ध्वय और नई दशा का उत्पाद। इस तरह आत्मा में सदा ध्रौव्य, उत्पाद और विनाश विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार हम यह मान सकते हैं कि जो आत्मा को ऐकान्तिक नित्य मानते हैं अथवा ऐकान्तिक अनित्य मानते हैं, उनकी इस ऐकान्तिक मान्यता का प्रंदन एक दूसरे की जोरदार तकों द्वारा स्वत हो जाता है। वस्तुतः ऐकान्तिक मान्यता वस्तु के एक रूप की मान्यता है, जबकि वस्तु में दूसरा रूप भी विद्यमान रहता है। इसलिये आत्मा को, ससार के सभी पदार्थों और तत्वों को नित्य और अनित्य मानना तथ्य की मान्यता है।

आत्मा की नित्य अनित्य रूप अनैकान्तिक मान्यता स्वीकार कर लेने पर उक्त दो प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल जाता है। बिल्ली चूहे को मारती है। चूहे की आत्मा अपनी सभी दशाओं में रहने वाला एक

● अहिंसा दर्शन

भाव प्राणों का विनाश' यही परिभाषा की गई है। यह विनाश चाहे अपने प्राणों का हो या दूसरे के प्राणों का। और जब काष्ठ व्यक्ति किसी के प्राणों का सफलपूर्वक विनाश करता है, तब उसकी भावनाएँ परिशुद्ध कैसे रह सकती हैं, उनमें दया या उपकार का अंश तक नहीं रह सकता।

किन्तु फिर भी कुछ लोग यह मानते हैं कि यह मानव जीवन का सर्वाधिक आवश्यक कृतव्य है। उसमें पशुओं का होम देने अथवा देवताओं के लिये बलि देने से देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही होम किये गये या बलि दिये गये पशुओं पर भा देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वे उन्हें सद्गति में पहुँचा देते हैं।

वास्तव में ऐसी ही मायताओं के कारण धर्म के नाम पर अनगिनत पशुओं-पक्षियों और कहीं कहीं मनुष्यों तक का बलिदान होता रहा है और आज भी हो रहा है। कुछ लोग पितरों की प्रसन्नता के लिये श्राद्ध करते हैं, जिनमें अनेकों निरपराध पशुओं की हिंसा पर डालते हैं। कुछ ऐसे भी देवताओं की मायता चल रही है, जिनका एकमात्र भक्ष्य पशुओं का रक्त और मांस है, जो पशुओं का बलिदान पाये बिना सन्तुष्ट ही नहीं होते। कुछ लोगों की मायता है कि अतिथि देव रूप होता है। अतः उसकी प्रसन्नता के लिये भी उसे मांस खिलाना चाहिए। इससे देवता अवश्य प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग विप्र शान्ति के लिये भी हिंसा करते हैं। उनकी मायता है कि दुर्भाग्य या कष्ट किसी देवता की अप्रसन्नता के परिणाम हैं। अतः उनकी प्रसन्नता के लिये बलि दी जानी चाहिये। कुछ व्यक्ति कुलाचार के नाम पर मांगलिक अवसरों पर हिंसा करते हैं। कुछ धर्मानुयायी अपने परम पवित्र पर्व पर मांस भक्षण करना और उसके लिये स्वयं घररा, गाय आदि का बध

करना धर्म का अनिवार्य अंग और शवाव मानते हैं। उनकी एक मान्यता यह भी रही है कि अपने धर्म को न मानने वाले व्यक्तियों का बदल करना न केवल जायज ही है, बल्कि उससे ब्रह्म की सीट रिजर्व हो जाती है।

इस प्रकार धर्म के नाम पर हिंसा के विविध रूप मिलते हैं और इस तरह संसार में प्रतिवर्ष कई करोड़ पशु और असभ्य समझी जाने वाली किन्हीं जातियों में अनेक मनुष्यों का बध किया जाता है। इस बध के रूप भी विविध प्रकार के हैं। मनुष्य की क्रूर वृत्ति बध के बितने रूपों की कल्पना कर सकती है, वे सभी रूप धर्म के नाम पर किये जाने वाले इन बध और बलिदानों में पाये जाते हैं, जिन्हें देख मुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं जीवित मनुष्यों और पशुओं को अग्नि में जला दिया जाता है। उस समय धार्मिक जन बड़ा उत्साह प्रगट करते हैं। गात्रे-बात्रे और धूमधाम के साथ हत्या-समारोह होता है। उस वध पशु या मनुष्य को सुवासित पुष्प-मालाओं से अलङ्कृत करके मुन्दर ढंग से सजा कर जलती हुई अग्नि में पटक दिया जाता है और इस तरह उस अनिच्छुक प्राणी को उठती हुई ज्वालाओं और निकलते हुए धुएँ के सहारे स्वर्ग पहुँचाने के अयाचित अनुग्रह का पुण्य संवध किया जाता है। कहीं हुरी के एक झटके से, कहीं हुरी पशु की गर्दन पर धीरे-धीरे चलाकर उसे काट दिया जाता है। कहीं किसी पशु के गुदा मार्ग से तीक्ष्ण माला चुभोकर और उसके मुख के मार्ग से उसे निकाल कर उस पशु को जलती हुई आग में जलाया जाता है। इस प्रकार बलिदान के अनेकों बीमत्स तरीके काम में लाये जाते हैं और सब धर्म के नाम पर! वास्तव में निरपराध और निरीह पशु-पक्षियों और मनुष्यों की सीमातीत यन्त्रणाओं पर आधारित धर्म का यह घटा-

पर दिया कि ससार में पशुओं की सृष्टि बलिदान के लिये ही हुई है ; धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा हिंसा नहीं है । वस्तुतः उस समय लोक-मास में हिंसा के प्रति गहरी घृणा व्याप्त थी । इसीलिये उन्हें धर्म के लिये की जाने वाली हिंसा को जन-जन की घृणा से बचाने के लिये उसे धर्म स्वीकार करना पड़ा । इसके उन्हें कई लाभ हुये— अपने अविश्रित जंगली जीवन की मान्यताओं को सुसंस्कृत सिद्ध करने का अवसर मिल गया , असंस्कृत जीवन में किये जाने वाले मांसाहार और हिंसा का भी औचित्य सिद्ध करने और मांसाहार तथा हिंसा के विरुद्ध लोक जीवन में व्याप्त व्यापक घृणा से बचने का एक अल मिल गया , और इससे भी अधिक उन्हें मास मक्षण करते रहने के लिये साधन मिल गया ।

हमारा तो विश्वास है, धर्म अगर आत्मा और अन्तःकरण की शुद्धि का नाम है तो उसके मार्ग भी शुद्ध ही होंगे । आत्मा की वह शुद्धि शुद्ध साधनों, शुद्ध आचार विचारों द्वारा ही की जा सकेगी, हिंसा और क्रूरता जैसे अशुद्ध साधनों द्वारा नहीं । अशुद्ध साधनों से शुद्ध प्राण्य नहीं पाया जा सकेगा । इसलिये यदि हम यह विश्वास करें तो अनुचित न होगा कि विप्र शान्ति के लिये की गई हिंसा से विप्र ही उत्पन्न होंगे^१ और कुलाचार बुद्धि से की गई हिंसा से कुल का विनाश होगा ।^२ इसी प्रकार पितरों के तर्पण, देवताओं की प्रसन्नता और आत्म-कल्याण के लिये जो हिंसा की जायगी,^३ वह दुर्गति का कारण

१—योग शास्त्र

२— ”

३— ”

बन जायगी। बामनव में देवताओं को अनुभवाना, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि उनके हाथ में देकर देवताओं को चिन्तना ही ही नहीं है।^१ हिंसक और भयानक रूप बना कर इन देवताओं का सौजन्य नष्ट कर दिया गया है।

सारांश यह है कि धर्म, देवता और अहिंसके ही हिंसके के उल्टे की जाने वाली हिंसा वस्तुतः हिंसा है और वह गण्य है।^२

कई अहिंसक व्यक्ति भी कभी-कभी हिंसा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का कहना है—गाय का मुँह बानस का बोट बनता अत्यन्त पीडा के कारण खल्लू बनता है।^३ उल्लूक दुखी जीवों का बंध अन्तकाल बिलकुल निरपेक्ष का होता है। उनके बचाने के समीप प्रत्यक्ष अहिंसा ही दुःख है, उनकी मृत्यु निश्चित है। उसका दुःख देखा तक नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में उसको मार देना ही भेदलक्ष्य है। उनके हाथ दुःखों के अत्यन्त शीघ्र मुक्त हो जायगा, अर्थात् अहिंसक क्रिया के द्वारा उनके काल को कम करना भी एक प्रकार से अहिंसा ही प्रकट है।^३

कल्याण के छद्मरूप में, दया का आवरण प्राप्त हो कर अहिंसा आई है, वस्तुतः वह है हिंसा ही। यदि अहिंसक लोग अहिंसा का देना ही एक बात स्पष्ट दिखाई देगी कि जब दुःखों के ही दुःखों को देकर उनके असह्य दुःख में से नहीं मिली, अहिंसा ही अहिंसा के

१—योगशास्त्र द्वि०, प० खंडोक्त ११-११

२—पुराणार्थ सिद्धयुपाय ७१, ८०, ८१

३—योग शास्त्र

पुराणार्थ सिद्धयुपाय ८५

● अहिंसा दरांन

मिली है, जिसके कारण यह उस प्राणी का दुःख नहीं देना सता। इस दुर्बलता को करुणा, दया या अहिंसा का नाम देते दिना जा सकता है ?

इसके अतिरिक्त एक बात और है। उस प्राणी को उस दुःख से मुक्ति दिलाने का यह दम्भ एक नारिक्त के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। जो व्यक्ति पुनर्जन्म में विरथाव करना है, यह यह कैसे दाना कर सकता है कि उसने उस प्राणी को दुःखों से छुड़ा दिया, जब कि उसके दूसरे जन्म के दुःखों की संभावना नष्ट नहीं हो गई। 'हमने अपनी आत्मा देगते तो उस प्राणी को दुःखों से छुड़ा ही दिया, आगे उसे दुःख मिलेंगे या मुक्त, यह बात यह प्राणी जाने और ठगका भाग्य, शायद यह कहना तो उस खरगोश की तरह होगा, जो संकट आने पर कानों से अपनी आँखें बन्द कर लेता है और यह सोच कर निश्चिन्त हो जाना चाहता है कि मैं दुनिया को नहीं देना पा रहा तो दुनिया भी मुझे नहीं देख सकती। हमारे इस आत्म-सन्तोष से उस प्राणी को दुःखों से मुक्ति पाने में संभवतः कोई सहायता मिलने वाली नहीं है।

किर करुणा की यही प्रक्रिया यदि पीडाओं से छुटपटाते हुए सभी प्राणियों पर धरती जाने लगे तो उससे संसार में कितना हत्यापात होने लगेगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। ऐसी दशा में वे प्राणी भी मारे जा सकेंगे, बिनपरी मृत्यु हमें निश्चित प्रतीत हो रही थी, किन्तु मौत की अन्तिम पैंग से भी हाथ धर मार कर जो बच सकते थे। संसार में मौत से जूझ कर बचने वालों की संख्या भी नगण्य नहीं बही जा सकती। दूसरी बात यह है कि दया की इस प्रक्रिया की अजमावश मूक पशु-पक्षियों पर करके हम अहिंसा का दम्भ भले ही करलें, किन्तु

मनुष्यों पर करके तो इसके औचित्य को कानूनी चैलेंज मिल जायगा और तब हत्या के इस कृत्य को किसी दलील से अहिंसा सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। तीसरी बात यह है कि हम किसी प्राणी की श्रद्धा पीड़ा को न देख सकें तो न देखें। किन्तु उस प्राणी ने तो मृत्यु चाही नहीं। यदि आप उसे अयाचित मृत्यु देने पर तुल ही बैठे हैं तो यह निश्चय ही उसकी आन्तरिक इच्छा के विरुद्ध एक बलात्कार होगा, भले ही इस बलात्कार को आप 'उस जीव की दुःख मुक्ति' कह लें। और इस तरह हत्या के अपने कृत्य का नाम अहिंसा रख लें।

हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि संकल्प-पूर्वक की जाने वाली हिंसा हिंसा ही है, भले ही वह किसी भी तथाकथित उद्देश्य के नाम पर की जाय।

इसी प्रकार ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो मानते हैं कि मुल कटिनाई से ही मिलता है अतः जो मुली प्राणी हैं, यदि उन्हें मुल की अवस्था में

ही मार दिया जाय तो वे परलोक में भी मुली ही
 मुली जीवों उत्पन्न हंगि और इस तरह वे उस जन्म में भी
 का घात मुल भोगते रहेंगे। संभवतः जीवों को दुःखों

से मुक्ति दिलाने वालों की तरह यह भी अना-
 चर्यक दया का एक 'सैम्पल' है। मरने के अनिच्छुक प्राणी को बलात्
 यह सोचकर मार देना कि यह अगले जन्म में मुली रहेगा, पेट के
 बालक की आशा में खेलते बच्चे को मार देना होगा। यदि वास्तव में
 मुली जीव यह कल्पना कर बैठते कि मुली अवस्था में मरने में दूसरे

● अहिंसा दर्शन

जन्म में सुख ही मिलेगा, तो अवश्य आत्म-घात कर लेते। किन्तु अब तक किसी ने इस दुराशा से आत्म-घात किया हो, यह मुझने में नहीं आया। इसका अर्थ यही है कि अन्य प्राणियों की तरह उन्हें भी अपने प्राण प्रिय हैं, वे भी मृत्यु और दुःख से डरते हैं। किन्तु उन्हें सुख पहुँचाने का लोभ संवरण न कर सकने वाले उनकी ईच्छा के बिना ही उन्हें मार कर भावी जन्म के सुख की आशा में वर्तमान में तो घोर पीड़ा देते हैं। और उनके सिद्धान्त के अनुसार पीड़ा में छुटपटा कर मरने वाले तो भावी जीवन में भी पीड़ा में छुटपटाते रहेंगे, न कि सुख का अनुभव करेंगे। इस तरह 'चीबे जी छन्बेजी बनने गये वे किन्तु दूबे' ही रह जायेंगे।

दूसरी बात यह है कि सुख की यह मान्यता भूलतः गलत सिद्धान्त पर आधारित है। 'इस जीवन में जो सुखी हैं, वे दूसरे जीवन में भी सुखी रहेंगे और जो इस जीवन में दुःखी हैं, वे भावी जीवन में भी दुखी बनेंगे' इस मान्यता का अर्थ यह हुआ कि इस जीवन में जो दुखी है, वह सदा दुखी रहेगा और जो सुखी है, वह सदा सुखी रहेगा। इस तरह सुख और दुःख उठाने वाले प्राणियों का एक निश्चित धर्म है। वे कितना ही पाप करें या पुण्य करें, उसका उनके सुख दुःख पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इस तरह तो पुण्य-पाप की व्यवस्था, सुकृत्य और दुष्कृत्यों की मान्यता ही गलत हो जायगी। और यह व्यवस्था गलत मान लेने पर कोई सुखी सुकृत्य करने की आवश्यकता न समझेगा और दुखी प्राणी को भी तब सुकृत्य करने की प्रेरणा न मिल सनेगी।

संसार में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं रही, जिनकी मान्यता रही है कि काशी-कर्थट या अनुक स्थान पर जाकर आत्म घात करने,

अनुक नदी या तीर्थ में डूब मरने, अनुक स्थान से वृद्धक मर जाने से या किसी देवता के आगे आत्म बलिदान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग की अदभ्य में आत्मघात आकांक्षा से न जाने कितने व्यक्तियों ने इन म्यानों पर जाकर आत्म-घात कर लिया। स्वर्ग की इसी लालसा ने भारत में सती प्रथा को जन्म दिया। पति की मृत्यु होने के बाद पतिभार्या सती-साध्वी म्निर्वां हृदय में पति की स्मृति जगायें जलती हुई चिता पर बीधिन जल मरती थीं। इसमें उनकी स्वयं स्मृत प्रेरणा रही हो या तत्कालीन समाज की परम्परा, किन्तु यह प्रथा एक लम्बे काल तक जीवित रही। ऐसा लगता है कि सम्भवतः तत्कालीन समाज-व्यवस्था में सती-दाह एक आवश्यक पुण्य-कार्य था। अतः उसका एक रूप यह भी सामने आया कि जो स्त्री पति के मरने के बाद स्वेच्छा से चिता में प्रवेश नहीं करती थी, उसे समाज जलती चिता में उसके पति के साथ ही जीधिन जला देता था। मुस्लिम काल में हजारों राजपूत स्त्रियों का एक साथ हँसते-गाते चिता में जलकर जीहर-मन लेना भी सती-प्रथा का एक रूप था। किन्तु हमारी मान्यता है, जीहर मन मुस्लिम आतमार्यों से अपनी लाज और धर्म बचाने के आदर्श का परिणाम था और उन तेजस्वी क्षत्रियों के सन्मुख इस आदर्श को निमाने अर्थात् अपनी लाज और अपना धर्म बचाने का इसके सिवाय तत्कालीन परिस्थितियों में और कोई उपाय भी नहीं था।

इस प्रकार धार्मिक जगत् में आत्म-घात द्वारा स्वर्ग पाने के अनेक रूप प्रचलित रहे हैं। लेकिन ऐसे रूप प्रायः मध्य-युग में अधिक विकसित हो गये थे। मध्य-युग ऐसा युग नहीं कहा जा सकता, जिस पर किसी भी दृष्टि से हम गर्व कर सकें। आत्म-घात के इन धार्मिक

● अहिंसा दर्शन

रूपा की निस्सारता के लिये एक यही तन्त्र पर्याप्त होगा ।

जब भारत म अंग्रेजी राज्य आया, तब उसने सर्वप्रथम धर्म के नाम पर होने वाले इन आत्म-घातों को जुर्म करार दे दिया और उसके लिये दण्ड भी निर्धारित कर दिया । राज्य पर उसके हर व्यक्ति की जीवन सुरक्षा का दायित्व है । वह हत्या और आत्म घात दोनों को एक ही फोटि में रखकर विचार करता है, चाहे ये किसी धार्मिक ग्रन्थ विश्वास के परिणाम ही क्या न हों । आत्म-घात के इस कानूनी विरोध के लिये विदेशी शासन को दोष नहीं दिया जा सकता । हमारा विश्वास है, यदि ये प्रभार्य आज जीवित होती तो स्वतन्त्र भारत की सरकार भी इन्हें दण्डनीय अपराध घोषित कर देती ।

धार्मिक दृष्टिकोण इस विषय में स्पष्ट है । आत्म घात विवेकहीनता का परिणाम है । यह विवेकहीनता ही है कि व्यक्ति बिना शुभ कृत्य किये केवल तीर्थों और पवित्र स्थानों के माहात्म्य के बल पर स्वर्ग पाने का विश्वास कर लेता है । स्वर्ग के इन्हीं 'शोर्टकट्स' ने व्यक्तियों को नैतिकता, उच्च विचार, आत्म दमन, इन्द्रिय निग्रह आदि की प्रेरणा न देकर व्यक्ति में यह धारणा उत्पन्न कर दी कि पाप और दुराचारों में जीवन बिता कर भी केवल अमुक स्थान पर जाकर मरने से अथवा अमुक नदी म नहा लेने से पाप की सारी बीचड़ धुल-पुँछ जायगी और स्वर्ग मिल जायगा । वास्तव में मन, वाणी और कर्म की पवित्रता ही स्वर्ग की गारण्टी हो सकती है । सारे तीर्थ या धर्म स्थान तो साधन हैं । उन साधनों का अपनी पवित्रता के लिये उपयोग करने या न करने का दायित्व व्यक्ति का है । जो व्यक्ति इन साधनों को साध्यमान बैठता है और इनसे स्वर्ग और मुक्ति पाने का विश्वास करता है, वह अज्ञान और अंधविश्वास के अंधकार में फिर रहा है । इस अंधकार से मुक्ति

पाये बिना स्वर्ग और मुक्ति पाने की आशा करना दुराशा मात्र होगा। स्वर्ग अपने कर्मों से-शुभ कर्मों से ही मिलेगा। स्वयं किये गये कर्मों का फल ही शुभ या अशुभ रूप मिलता है। यदि कोई दूसरा ही स्वर्ग देने लगे तो प्राणी के अपने शुभाशुभ कर्मों का कोई महत्व ही नहीं रह जायगा।^१

हमारे जीवन में अनेकों ऐसी समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं, जिनका समाधान पाने में बड़ी कठिनाई अनुभव होती है। जो व्यक्ति सारे जीवन-मध्यवहार को हिंसा-अहिंसा की कसौटी पर हिंज और हानिकर कस कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, वस्तुतः वे ही जीवों का बंध इन समस्याओं पर समाधान के पहलू से विचार करने को उत्सुक रहते हैं। ये समस्याएँ संक्षेप में इस भाँति हैं—

हिंस पशु-जैसे शेर, चीता, भेड़िया, आदि और हिंस जन्तु-जैसे साँप, बिच्छू, गुहेरा आदि मनुष्यों के जीवन के लिये अत्यन्त मयोत्पादक और विनाशक हैं। इनके बने रहने से मानव को लाभ तो कुछ नहीं, बल्कि इनसे उसके जीवन के लिये सतरा बराबर बना रहता है। ये पशु या जन्तु भी मनुष्यों पर आक्रमण के लिये सदा तैयार बने रहते हैं। इसलिये मानव-जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से इनका बंध उचित है या नहीं? इनके मारने से अनेक जीवों को सुरक्षा भी मिल जाती है।

कुछ ऐसे भी पशु पक्षी और जीव-जन्तु हैं, जिनका मानव-जीवन के लिये कोई उपयोग तो है ही नहीं बल्कि जो मानव सृष्टि को सदा हानि ही पहुँचाते रहते हैं। जैसे नील गाय, सूअर और चूहे मानव के

• अहिंसा दर्शन

रूपों की निस्सारता के लिये एक यही तत्त्व पर्याप्त होगा।

जब भारत में अंग्रेजी राज्य आया, तब उन्होंने सर्वप्रथम धर्म के नाम पर होने वाले इन आत्म-घातों को जुर्म करार दे दिया और उसके लिये दण्ड भी निर्धारित कर दिया। राज्य पर उसके हर व्यक्ति की जीवन सुरक्षा का दायित्व है। वह हत्या और आत्म-घात दोनों को एक ही ऋषि में रखकर विचार करता है, चाहे ये किसी धार्मिक अंध-विश्वास के परिणाम ही क्यों न हों। आत्म-घात के इस कानूनी विरोध के लिये विदेशी शासन को दोष नहीं दिया जा सकता। हमारा विश्वास है, यदि ये प्रथाएँ आज जीवित होतीं तो स्वतन्त्र भारत की सरकार भी इन्हें दण्डनीय अपराध घोषित कर देती।

धार्मिक दृष्टिकोण इस विषय में स्पष्ट है। आत्म-घात विवेकहीनता का परिणाम है। यह विवेकहीनता ही है कि व्यक्ति बिना शुभ कृत्य किये केवल तीर्थों और पवित्र स्थानों के माहात्म्य के बल पर स्वर्ग पाने का विश्वास कर लेता है। स्वर्ग के इन्हीं 'शोर्टकट्स' ने व्यक्तियों को नैतिकता, उच्च विचार, आत्म दमन, इन्द्रिय निग्रह आदि की प्रेरणा न देकर व्यक्ति में यह धारणा उत्पन्न कर दी कि पाप और दुराचारों में जीवन बिता कर भी केवल अमुक स्थान पर जाकर मरने से अथवा अमुक नदी में नहा लेने से पाप की सारी कीचड़ धुल-पूँछ जायगी और स्वर्ग मिल जायगा। वास्तव में मन, वाणी और कर्म की पवित्रता ही स्वर्ग की गारण्टी हो सकती है। सारे तीर्थ या धर्म स्थान तो साधन हैं। उन साधनों का अपनी पवित्रता के लिये उपयोग करने या न करने का दायित्व व्यक्ति का है। जो व्यक्ति इन साधनों को साध्यमान बैठता है और इनसे स्वर्ग और मुक्ति पाने का विश्वास करता है, वह अज्ञान और अधविश्वास के अंधकार में फिर रहा है। इस अंधकार से मुक्ति

पापे बिना स्वर्ग और मुक्ति पाने की आशा करना दुराशा मात्र होगा । स्वर्ग अपने कर्मों से-शुभ कर्मों से ही मिलेगा । स्वयं किये गये कर्मों का फल ही शुभ या अशुभ रूप मिलता है । यदि कोई दूसरा ही स्वर्ग देने लगे तो प्राणी के अपने शुभाशुभ कर्मों का कोई महत्व ही नहीं रह जायगा ।^१

हमारे जीवन में अनेकों ऐसी समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं, जिनका समाधान पाने में बड़ी कठिनाई अनुभव होती है । जो व्यक्ति सारे जीवन-व्यवहार को हिंसा-अहिंसा की कसौटी पर हिंस्र और हानिहर कस कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, वस्तुतः ये ही जीवों का बंध इन समस्याओं पर समाधान के पहलू से विचार करने को उत्सुक रहते हैं । ये समस्याएँ संक्षेप में इस भाँति हैं—

हिंस्र पशु-जैसे शेर, चीता, भेड़िया, आदि और हिंस्र जन्तु-जैसे साँप, बिच्छू, गुहेरा आदि मनुष्यों के जीवन के लिये अत्यन्त भयोत्पादक और विनाशक हैं । इनके बने रहने से मानव को लाभ तो कुछ नहीं, बल्कि इनसे उसके जीवन के लिये खतरा बराबर बना रहता है । ये पशु या जन्तु भी मनुष्यों पर आक्रमण के लिये सदा तैयार बने रहते हैं । इसलिये मानव-जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से इनका बंध उचित है या नहीं ? इनके मारने से अनेक जीवों की सुरक्षा भी मिल जाती है ।

कुछ ऐसे भी पशु पक्षी और जीव-जन्तु हैं, जिनका मानव-जीवन के लिये कोई उपयोग तो है ही नहीं बल्कि जो मानव सृष्टि को सदा हानि ही पहुँचाते रहते हैं । जैसे नील गाय, सूअर और चूहे मानव के

● अहिंसा दर्शन

उपयोग में आने वाली खेती और अन्न को भीषण क्षति पहुँचाते हैं। संसार में फरोड़ा टन अन्न प्रतिवर्ष इनके द्वारा नष्ट हो जाता है, जिसकी मानव जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यकता है। और चूड़ों और नाश के अलावा हमारे घर की प्रत्येक आवश्यक वस्तु कपड़े, पुस्तकों आदि का कुतर-कुतर कर भीषण क्षति पहुँचाते हैं। इनके कारण प्लेग फैलने का सदा सतारा बना रहता है। टिट्टियाँ तो एक प्रकार के मनुष्य की शत्रु ही हैं। ये लासों की सट्या में आकर सड़ी फसला और पेड़ पौधा को ही सफाचट कर जाती हैं, जिसके कारण भीषण अफाल की स्थिति पैदा हो जाती है। चन्द्र भी मनुष्य के लिये अत्यन्त हानिकारक प्राणियों में से है। वह न केवल कपड़ों फलों पौधों आदि को ही हानि पहुँचाता है, बल्कि मनुष्य को काटकर कभी कभी तो उसके प्राणों तक के लिये संकट उपस्थित कर देता है। मक्खी, मच्छर, रिस्तू, एटमल, पुए, चींटी चींटे-दीमक आदि कीड़े हमारे स्वास्थ्य, जीवन और जीवने-पयोगी वस्तुओं के लिए अत्यन्त हानिकारक हैं। इनके मारने में क्या हानि है ?

मानव की दृष्टि से इन प्रश्नों के औचित्य से इनकार नहीं किया जा सकता। इस दृष्टिबिन्दु में 'मानव जीवन के लिये उपयोगिता' यह सिद्धान्त काम कर रहा है। इसी सिद्धान्त ने अपना रूप बढ़ाकर मत्स्य और मुर्गियों के पालन को उद्योग का रूप देकर मछलियाँ और अरबे पाने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित किया है, जिससे अन्न समस्या का हल हो सके। इसी सिद्धान्त ने मेंढकों, कुत्तों, चूहों और बन्दरों को वैज्ञानिक अनुसन्धानों और प्रयोगों के लिये हजारों प्राणियों का मार्ग प्रशस्त किया है। इसी सिद्धान्त के अनुसार साप विच्छुओं आदि से दवायें

● हिंसा और अहिंसा

है। और बढ़ना न होगा, इसी गिद्दान ने राष्ट्रों को एक दृष्टि दी—
अनुक हमारे राष्ट्र के मानवों के लिये अहिंसक है, इसलिये उनका
गिनाह कर देना ही हमारे राष्ट्र के लिये हितकर है। और इस दृष्टि ने
ही विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार के सम्प्रदायों के अनुगन्धान और
निर्माण कराये। और जब जब कि इन प्रेरणाओं के पनपनकर
उद्वन वगैरे और अनादेशीय प्रेरणाओं का निर्माण या अनुगन्धान
हो चुका है तो मानव पर अपने अस्तित्व के प्रति भी अन्धे और मर
छा गया है। अभी कीन बह सफ़ा है कि यह गिद्दान अभी का
परपट बदलेगा और तब मानव सृष्टि का का मरिध होगा। अस्तु

मरन है कि मानव के लिये हानिकर जीवों को मारा जाय या
नहीं? इस प्रश्न की उत्तमनि दृष्टि को केवल मानव सृष्टि तक ही
संशुचित करने के कारण निर्मित हुई है। सृष्टि केवल मानवों तक ही
सीमित नहीं है, बल्कि ह्व, सौम्य, दिग्ग, अहिंसक सभी जीवों के यह
अस्तित्व का मान सृष्टि है। मनुष्य ने अपनी सुदि और पापी की
विशेषता से सृष्टि के सम्पूर्ण पशु-पक्षियों और कीच-बन्धुओं में जो
प्राधान्य पा लिया है, उसके कारण यह सृष्टि के नियामक अधिपति का
गर्भ करने लगा है। यह दमन में यह समझ बैठा है कि सृष्टि में किसे
रहने दिया जाय और किसे न रहने दिया जाय, यह सब केवल उसके
ही ऊपर निर्भर है। इस तरह यह सारी जीव-सृष्टि को अपनी सुय-
सुविधा का एक साधन बनाकर रखना चाहता है।

प्रकृति सृष्टि में सम्मूलन बनाये रखती है। मानव को हानि पहुँचाने
वाले कई अधिक न बढ़ जाय, इसके लिये प्रकृति ने क्षिरकलियाँ
बनाये हैं। दीमक न बढ़ने पावे, इसके लिये तीव्र उत्पन्न किये हैं।
सर्पों के लिये मेरसा और मोर उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार शेरों का

अमय का आश्वासन पाते हैं ।

शेर फिर यदि हानि पहुँचाना और हिंस स्वभाव ही हिंसा के लिये पर्याप्त कारण मान लिया जाय तो संभवतः मनुष्य से अधिक क्रूर, हिंसक और हानिकर दूसरा कोई प्राणी न मिलेगा । शेर और साँप, भेड़िया और बिस्बू मनुष्य के शत्रु नहीं हैं, जितना कि मनुष्य स्वयं इनका शत्रु है । इन्हें भूल लगी हो या छेड़ दिये जायँ, तभी ये जानवर मनुष्य पर आक्रमण करते हैं । यह कहीं नहीं मुना कि शेर या साँप दिन रात मनुष्य पर आक्रमण करते रहते हों । ये बेचारे तो भोजन का संग्रह तक नहीं करने, जिनके लिये उन्हें अनावश्यक रूप से किसी को मारने की आवश्यकता पड़े । अपने शिकार से पेट भर जाय तो उसे छोड़ कर चले जाते हैं । किन्तु मनुष्य ही इतना भयंकर प्राणी है, जिसकी सूरत से भी ये सभी प्राणी भय मानने हैं और छिरते फिरते हैं । यह केवल शोक, मनोरंजन, भोजन, परिधान, दवा, सजावट, सजा सजा और न जाने किस-किस उद्देश्य के लिये हिंस और अहिंस पशुओं में भेद किये बिना सबको मारता फिरता है । इसकी भूल पाव-आघ सेर आटे की है । किन्तु फिर भी इसका पेट इतना बड़ा है कि उसमें संसार के सम्पूर्ण प्राणी और संसार के समस्त देश तक चले जायँ, फिर भी अधाता नहीं । यह स्वयं अपने लिये ही नहीं, अपनी माथी असंख्य पीढ़ियों तक के लिये संग्रह करने को उत्सुक रहता है । वास्तव में क्रूरता में मनुष्य ने कल्पित शैतान को भी मात दे दी है । शेर कभी अपनी जाति के पशु को मार कर नहीं खाता, किन्तु मनुष्य मनुष्य को ही खा रहा है । अपनी इस क्रूरता के भँवर में अब यह स्वयं फँस गया है । मनुष्य की इस भयानक क्रूरता का अन्त क्या होगा, यह भावी ही जाने !

• अहिंसा दर्शन

जहाँ तक इन प्राणियों की हिंसा का प्रश्न है, कुछ देर के लिये यह हिंसा मनुष्य के लिये उपयोगी मले ही मान ली जाय, किन्तु उस हिंसा को अहिंसा कहना अहिंसा की सबसे बड़ी विडम्बना है। हिंसा को हिंसा मान कर किया जाय तो इसमें उतनी बुराई नहीं, जितनी हिंसा को अहिंसा कह कर उठाने करने में है। जहाँ संकल्प पूर्वक जीरा का पान किया जाता है, वहाँ हिंसा ही होगी, इसमें दो मत नहीं हो सकते।

हिंसा स्वयं में पाप का ही है ही, किन्तु यह अपने पाछे पाप की एक परम्परा भी छोड़ जाती है। उसका कारण हृदय में क्रूरता की भावना घर घर लेती है। उस क्रूरता के द्वारा पुनः हिंसा का प्रेरणा मिलती है। और इस प्रकार क्रूरता और हिंसा की यह परम्परा चलती रहती है। हमारा तो विश्वास है, आज संसार में युद्ध का जो आतंक व्याप्त है, सर्वनाशी शस्त्रास्त्रों की जा प्रतियोगिता खुल कर चल रही है, वह सब क्रूरता के परिणाम हैं और यह क्रूरता विश्व के जीवों के साथ की जाने वाली हिंसा से ही उत्पन्न हुई है। इस तरह मानव के लिये हानि कारण या उपयोगी प्राणियों की हिंसा वास्तव में युद्धों की एक प्रकार से बनती है।



अहिंसा और व्रत-विधान

हिंसा आत्म-गुणों के विघात का नाम है और अहिंसा आत्म-गुणों के उद्दीपन का नाम है। जिन कार्यों और विचारों से, मन, वाणी और कर्म की जिन प्रवृत्तियों से आत्म-परिणामों सारा व्रत-विधान की हिंसा होती है, वे सारी प्रवृत्तियाँ हिंसा के अहिंसा का साधक अन्तर्गत मानी गई हैं। वे प्रवृत्तियाँ चाहे कुछ भी नाम रूप की भी नाम रूप वाली हों। इसी प्रकार मन-वाणी और कर्म की जिन प्रवृत्तियों से आत्म-गुणों की मुरझा होती है, वे प्रवृत्तियाँ चाहे कोई भी नाम और रूप लेकर हों, उन सबका अन्तर्भाव अहिंसा में होता है। जैन शास्त्रों में हिंसा और अहिंसा इन्हीं व्यापक अर्थों में सर्वत्र प्रयुक्त हुई हैं। इसीलिये सम्पूर्ण पाप-चाहे वह हिंसा हो या असत्य, चोरी हो या दुराचार, संग्रह हो या स्वार्थ, वे सभी हिंसा के ही विविध रूप हैं और इन पापों से मुक्ति का सम्पूर्ण विनम्र प्रयत्न अहिंसा कहलाता है। जैन शास्त्रों में तो यहाँ तक निरूपण है कि असत्य, चोरी, दुराचार और संग्रह आदि का विधान केवल पापों का विविध रूप विस्तार से समझाने के लिये ही किया गया है। यस्तुतः तो आत्म-गुणों के विघातक होने से वे सारे पाप हिंसा ही हैं।^१ इसी प्रकार सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह

• अहिंसा-दर्शन

इनका महत्व इसीलिये है, क्योंकि इनके कारण अहिंसा तेजस्वी बनती है।^१

पानी नीचे की ओर बहता है, हर चीज नीचे की ओर गिरती है। पतन में एक सहज आकर्षण होता है। पाप में भी एक आकर्षण है।

व्यक्ति उस आकर्षण से खिंचा चला जाता है

पापों का आकर्षण और पाप की ओर उन्मुख होता है। पहली बार और उसका प्रतिरोध पाप का अवसर आने पर व्यक्ति के अन्तरङ्ग में उस पाप के प्रति घृणा की भावना होती है।

दुबारा उस अवसर के आने पर पाप के प्रति कुछ संकोच होता है। तीसरी बार वह संकोच कम हो जाता है। चौथी बार उस पाप के लिये साहस बढ़ जाता है। और फिर तो वह सहज बन जाता है। पाप का सहज आकर्षण फिर तो उसे पाप के लिये निरन्तर प्रेरित करता रहता है और तब वह उसमें कोई झुराई नहीं समझता।

किन्तु जो व्यक्ति पाप का अवसर मिलने पर उसके आकर्षण के झोंके को सहन कर जाता है, उससे विचलित नहीं होता, और जिसके मन में विकार तक नहीं आता, वह धीर और वीर पुरुष कहलाता है।^२ पाप के आकर्षण के इस झोंके के सामने अडिग भाव से खड़े होने का उपाय बेंत की तरह उसके सामने झुकना नहीं है, बल्कि उसका उपाय पर्वत की भाँति लड़े होकर उसका प्रतिरोध करना है।

वायु के प्रबल झोंके के कारण तिनकों की तरह वह जाना दुर्बलता है; उस झोंके को बेंत की तरह झुककर अपने ऊपर होकर

१—ज्ञानार्णव १-२

२—विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेत्तांसि त एव धीराः।

निकाल देना अवसरवादिता है ; उस भोंके के समक्ष पेड़ की तरह खड़े होकर उसके आघातों को सहना, अपनी शक्ति भर जूझना दृढ़ता है, भले ही वायु के बेग की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण धराशायी ही क्यों न होना पड़े ; और एक पर्वत की भाँति लड़े होकर वायु के उस प्रबल भोंके को सह जाना, विचलित न होना, उस वायु को रोक देना और उसकी दिशा मोड़ देना अद्विगता है ।

संसार में मनुष्य भी इसी प्रकार चार प्रकार के हैं । एक वे, जो पापों के सामने सदा ही उड़ते रहते हैं । पाप जिनका सहज रूप बन गया है । उन्हें पापों से कोई संकोच, कोई शृंखला मनुष्यों के चार प्रकार नहीं रह गई बल्कि पापों में रस लेते हैं । दूसरे वे हैं, जो पाप को तो बुरा नहीं मानते, किन्तु लोकलाभ या दूसरे कारणों से करने नहीं । तीसरे व्यक्ति वे हैं, जिन्हें पापों से भय भी है, घृणा भी है, वे अपनी हार्दिक प्रेरणा से उनसे बचना भी चाहते हैं, किन्तु कमी-कमी परिस्थितियों के कारण, अन्य विवशताओं से वे पाप को अवांछनीय समझते हुए फिर भी वह करना पड़ता है । और करने के बाद उन्हें अपने उस कृत्य पर पश्चात्ताप भी होता है और ग्लानि भी । चौथे व्यक्ति वे हैं, जो पाप को हर काल और हर परिस्थिति में अवांछनीय मानकर उसका सदा प्रतिरोध करते हैं, आत्मा की अनन्त शक्ति में जिनका विश्वास अद्विग है, इसलिये विवशता नाम की कोई भी शीज उनके सामने तुच्छ है, जो न केवल पाप को अपनी निरोध शक्ति से प्रभावहीन बना डालते हैं, बल्कि पाप को मोड़ देकर पापी पर भी पाप की व्यर्थता सिद्ध कर देते और उसे धार्मिक बना लेते हैं ।

पहले व्यक्ति मिथ्यादृष्टि है ; दूसरे पाक्षिक शहरय; तीसरे नैष्ठिक

● अहिंसा दर्शन

सकल्य महात्रन कहलाता है^१ और एकदेश त्याग का भावको का सकल्य अगुमन कालाता है।^२

इस स्थल पर हम अगुमनों के सम्बन्ध में ही विरोध रूप से विचार करेंगे।

व्रत का अर्थ है—भोग्य विषयों में सकल्य पूर्णक नियम करना अर्थात् हिंसादि पापों से निवृत्त होना और दया आदि शुभ कार्यों में प्रवृत्त होना।^३ नियम अर्थात्, विषयाभिलाषाओं का स्वच्छया नियमन।

व्रत आत्म विजय की साधना है

किस्ती की इच्छाओं का नियमन जब दूसरे व्यक्ति, या परिस्थितियों द्वारा होता है, तब वह व्रत नहीं, दरड कहलाता है। किन्तु जब इच्छाओं का नियमन स्वयं स्वच्छा से हाता है, तब वह व्रत, सयम कहलाता है। कैदी अपराध करता है, जेलर उसे दरड देता है और भोजन बन्द कर देता है। कैदी की इच्छा भोजन की है, किन्तु मिल नहीं रहा है। इससे न मिलना दरड कहलायेगा, व्रत नहीं। भिरारी को भील नहीं मिली, भूखा रहना पड़ा। उसकी वासना भोजन की है। इसलिये भूखे रहना व्रत नहीं, वाध्यता हुई। एक व्यक्ति के पास भोजन की सामग्री है। भोजन बनवाने की सुविधा भी है। आलस्य और अनिच्छा, रोग और वाध्यता भी नहीं, किन्तु फिर भी वासना के विजय के आदर्श से प्रेरित होकर, आत्म शुद्धि के लिए अन्तर के अन्त स्फुरण से भोजन नहीं करता। यह

१—रत्नकारण्ड भावकाचार ४-७२

२—सागार धर्माश्रित अ० ४ श्लोक ५

३—सागार धर्माश्रित २ ८०

नहीं पड़ा। भ्रम नहीं करना पड़ा। ये वृत्तियाँ तो जैसे हमारे अन्तर में समाई हुई थीं। जरा सा कोई कारण मिला तो प्रगट हो गईं। किन्तु जब हमारा कोई अक्षम्य अपराध कर रहा हो, उस समय क्रोध को पी जाने में, जब हमें अपने व्यापार में अनुचित मुनाफा कमाने का अवसर मिला हो, उस समय उचित ही मुनाफा लेने में, और जब हमारा काम रिश्त देकर हो रहा हो या जब हमें रिश्त लेने का अवसर मिला हो, उस समय रिश्त देने या लेने की इच्छा का दमन करने में वास्तव में बड़ी कठिनाई सी अनुभव होती है और जैसे बड़ा जोर लगाना पड़ता है।

मन को पतन की ओर जाने से रोकने में, इन्द्रियों को अनुकूल विषयाँ से निरोध करने में यह जो जोर लगाना पड़ता है, वही प्रतिरोध है, प्रतिशोध है और यह प्रतिरोध या प्रतिशोध ही मृत है। आध्यात्मिक जीवन में आत्म शोध और आत्म शुद्धि करने के लिये मानसिक चंचलताओं और ऐन्द्रियिक वासनाओं से आत्मा को निरन्तर सघष करते रहने के लिये बाध्य होना पड़ता है। मन और इन्द्रियों की वासनाओं का नियमन और उन पर विजय पाने के लिये आत्मा की यह प्रतिरोध शक्ति जितनी प्रबल होगी, उतनी ही विजय की आशा और संभावना बढ़ जायगी। इस तरह प्रतिरोधात्मक साधना का मार्ग यह मृत विधान वस्तुतः आत्म विजय का विधान है।

प्रतिरोध का यह मार्ग निष्धात्मक है। 'अमुकें काम पाप है, बुराई है, यह मत करो, यह मत करो,' बुराई का यह सतत निषेध व्यायहारिक दृष्टि से प्रतिरोध है, इसलिये वह मृत है, विध्यात्मक पहलू हमारे जीवन का जाना पहचाना है, किन्तु वह पहलू वस्तुतः विध्व-सात्मक है। प्रतिध्यात्मक पहलू हमारे जीवन के लिये साधना साध्य है

किन्तु यह स्वभावगत है। दुर्गम विध्यात्मक बनी हुई है, किन्तु अपने जीवन में कोई स्वयं, निर्माण का कार्य नहीं हो पाता। वे तो अपने आत्म-गुणों का विनाश ही करती हैं। मोक्ष से शान्ति का विनाश होता है, अहंता से मृदुता नष्ट होती है, कष्ट श्रुतों का नाश करता है, लोभ आत्मा की शुचिता पर आपात करता है। इस प्रकार दुर्गम, पार धारे सद्गुणों के विनाशक है। इस प्रतिरोधक है, किन्तु इसके आत्म-गुणों का विनाश होता है। शान्ति आत्मा में निर्गुणता नहीं है और निरासुखता ही गुण की जननी है। दुःख आसुखता का अर्थ है और बुद्ध नहीं है। जैसे जैतुं मकान की मजदूर को अन्न मिथी बुद्ध होना है, फिर बनाता है। उपाय सद्गुणों का नाश विनाश का कार्य है। किन्तु उस विनाश से ही निर्माण कार्य होता है। विनाश न हो तो निर्माण असंभव है। इस कारण सद्गुणों का विनाश करते हैं। दुर्गमों के इस विनाश के बाद ही आत्म-गुणों का उद्धार-विनाश-निर्माण का गहन बनता है।

इस प्रकार इच्छाओं के प्रतिरोध का, यही एक ही मार्ग है, यही ही सही अर्थों में निर्माण का मार्ग है, विनाशक है। सद्गुणों का विनाश ही सही मार्ग है, यही मार्गों में निर्माण ही सही मार्ग है।

पार विध्यात्मक दीनता है, किन्तु सद्गुणों के विनाशक है, इस विनाशक होने से सभी पार दिया है। इससे अहंता का नाश निवेधात्मक दीनता है, किन्तु सद्गुणों का विनाशक है। इससे इच्छा-प्रतिरोध के सम्पूर्ण ज्ञान अद्वितीय है। इससे ही अधिमान का नाश है।

व्यक्ति समान का एक घटक है। इससे सभी की समानता

समाज बनता है। समाज में सु व्यवस्था, शान्ति, सौहार्द और सुजन का वातावरण बना रहे, इसके लिये जिन नैतिक नैतिकता के अभाव मूल्यों की आवश्यकता है, उसके लिये अपेक्षा की जाती है कि समाज में बुराईयाँ न हों। ये बुराईयाँ से युद्ध और शोषण का विश्व हैं—वर्ग वैषम्य, संघर्ष, संघर्ष की मनोवृत्ति, ऊँच व्यापी दौर नीच की भावना, दुराचार, झूठ, चोरी, हत्याएँ, युद्ध आदि। इन सारी बुराईयाँ की जड़ है समाज का भौतिक दृष्टिकोण। जब भौतिक दृष्टिकोण के कारण समाज में भौतिक सुखों की आकांक्षा अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है, तब समाज में ये बुराईयाँ बनपने लगती हैं। समाज में जब भौतिक मूल्यों का महत्व अत्यधिक बढ़ने लगा है, तब सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सारा ही वातावरण उस दृष्टिकोण से भर उठता है। तब भौतिक मूल्यांकन का सारा आधार आर्थिक हो जाता है और इस आर्थिक आधार पर तब सारा सामाजिक और राजनैतिक ढांचा खड़ा होता है। इससे अर्थ का नीचे नैतिक मूल्य दब जाते हैं।

आज विश्व में भौतिक दृष्टिकोण का प्राधान्य होने के कारण अर्थ की प्रतिष्ठा अधिक है, नैतिक मूल्यों की उपेक्षा है। समाज का सारा व्यवहार ही अर्थ मूलक बन गया है। अर्थ जीवन मापने का ही माध्यम नहीं है, अपितु प्रतिष्ठा, उन्नति और भौतिक सुखों का एक मात्र साधन अर्थ बना गया है। भौतिक सुखों और भोगों की अनियंत्रित आकांक्षा ने अर्थ का जो महत्व स्थापित कर दिया है, उसके कारण अर्थ समूह की लालसा तीव्र हो उठी है। हर व्यक्ति अनुभव करने लगा है कि अर्थ ही तो समाज में प्रतिष्ठा हो सकती है, अर्थ ही तो भौतिक उन्नति के सारे मार्ग खुल सकते हैं। इस दृष्टिकोण के कारण

हर व्यक्ति अर्थ-संचय के लिये शय्य हो उठा है।

अर्थ-संचय के इस भौतिक दृष्टिकोण में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा हो गई है। इसलिये अर्थ-संचय करते हुए व्यक्ति नैतिकता को धार-रक्षक नहीं समझता। अर्थ संचय करना है, चाहे यह नैतिक साधनों से हो या अनैतिक साधनों से। इसलिये समाज में भ्रष्टाचार फैलने लगा है। उद्योग से उद्योग सतत प्रति और करोड़पति बनने की धुन में व्यक्ति की दृष्टि केवल अर्थ की ओर रहती है। अर्थात् अर्थ साधन बन गया है। अर्थ ने भौतिक सुख-सुविधाओं का विशाल स्वरुप ला दिया है। ये भौतिक सुख-सुविधा इन्द्रियों की अनियंत्रित इच्छाओं, वासनाओं की पूर्ति की साधन बन गई हैं।

अब ब्रीचन जीने का नाम नहीं, विप्लव और भोगों के अनियंत्रित भोग का नाम ब्रीचन हो गया है। इस प्रवृत्ति ने दुराचार और उसके अनेकविध साधनों के आगिच्छार को प्रोत्साहन दिया है। हर सम्बा, मीन्दर्ष-प्रसाधन, उद्वेग, नाटक, भिनेमा, शराब, भोजन की शिथिल सामग्री, सिद्धा, परिधान का ढंग और इनके आधार पर लड़ा हुआ धारा सामाजिक यातावरण; ये सभी छो मानसिक, वाचनिक और कानिक दुराचार-अभिचार के साधन बन गये हैं।

दुराचार की इस स्रष्टा ने ही, नीति या अनीति से अर्थ-संचय की इस मानना में समाज में हत्या, डाकेद्वनी, सूटमार, रिश्वत, बलात्कार, चोरबाजारी आदि की पूरी शक्ति से बढ़ावा दिया है।

अर्थ-संचय के साधन अर्थ-सुखम होते हुए भी सर्व-साध्य नहीं हैं। हर व्यक्ति अर्थ-संचय के लिये उन साधनों का उपयोग नहीं कर पाता। इसलिये कुछ लोग समाज में धनिक बन जाते हैं और कुछ निर्धन। अर्थ-संचय की यह परम्परा अत्यन्त बुद्धिपूर्ण भले ही हो, किन्तु इस

• अहिंसा दर्शन

समाज बनता है। समाज में सुव्यवस्था, शान्ति, सौहार्द और सुबन का वातावरण बना रहे, इसके लिये जिन नैतिक नैतिकता के अभाव मूल्यों की आवश्यकता है, उसके लिये अपेक्षा की से युद्ध और जाती है कि समाज में दुराइयाँ न हों। ये दुराइयाँ शोषण का विरव हैं—यर्ग-विषम्य, संघर्ष, संघर्ष की मनोवृत्ति, ऊँच-ग्यापी दौर नीच की भावना, दुराचार, झूठ, चोरी, हत्याएँ, युद्ध आदि। इन सारी दुराइयों की जड़ है समाज का

भौतिक दृष्टिकोण। जब भौतिक दृष्टिकोण के कारण समाज में भौतिक सुखों की आकांक्षा अनियन्त्रित रूप से बढ़ने लगती है, तब समाज में ये दुराइयाँ बनपने लगती हैं। समाज में जब भौतिक मूल्यों का महत्व अत्यधिक बढ़ने लगता है, तब सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सारा ही वातावरण उस दृष्टिकोण से भर उठता है। तब भौतिक मूल्यांकन का सारा आधार आर्थिक हो जाना है और इस आर्थिक आधार पर तब सारा सामाजिक और राजनैतिक ढांचा सदा होता है। इसके अर्थ के नीचे नैतिक मूल्य दब जाते हैं।

आज विश्व में भौतिक दृष्टिकोण का प्राधान्य होने के कारण अर्थ की प्रतिष्ठा अधिक है, नैतिक मूल्यों की अपेक्षा है। समाज का सारा व्यवहार ही अर्थ मूल्य बन गया है। अर्थ जीवन मापने का ही माध्यम नहीं है, अपितु प्रतिष्ठा, उन्नति और भौतिक सुखों का एक मात्र साधन अर्थ बन गया है। भौतिक सुखों और भोगों की अनियन्त्रित आकांक्षा ने अर्थ का जो महत्व स्थापित कर दिया है, उसके कारण अर्थ समझ की लालसा तीव्र हो उठी है। हर व्यक्ति अनुभव करने लगा है कि अर्थ हो तो समाज में प्रतिष्ठा हो सकती है, अर्थ हो तो भौतिक उन्नति के सारे मार्ग खुल सकते हैं। इस दृष्टिकोण के कारण

हर व्यक्ति अर्थ-संचय के लिये व्यस हो उठा है।

अर्थ-संचय के इस भौतिक दृष्टिकोण में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा हो गई है। इसलिये अर्थ-संचय करते हुए व्यक्ति नैतिकता को धारण नहीं करना। अर्थ-संचय करना है, चाहे वह नैतिक साधनों से हो या अनैतिक साधनों से। इसलिये समाज में भ्रष्टाचार फैलने लगा है। शीम से शीम लालच और क्रोडपति बनने की पुन में व्यक्ति की दृष्टि केवल अर्थ की ओर खड़ी है। अर्थात् अर्थ साध्य बन गया है। अर्थ ने भौतिक सुख-सुविधाओं का विराट स्वर ला खड़ा कर दिया है। ये भौतिक सुख-सुविधा इन्द्रियों की अनियन्त्रित इच्छाओं, वासनाओं की पूर्ति की साधन बन गई हैं।

अब जीवन बीने का नाम नहीं, विलास और भोगों के अनियन्त्रित भोग का नाम जीवन हो गया है। इस प्रवृत्ति में दुराचार और उसके अनेकविध साधनों के आविष्कार की प्रोत्साहन दिया है। रूप सजा, शीन्दर्य-प्रसाधन, टग्यास, नाटक, सिनेमा, शरार, मीजन की विविध सामग्री, सिद्धा, परिधान का ढंग और इनके साधारण पर लड़ा हुआ सारा सामाजिक वातावरण; ये सभी तो मानसिक, धानसिक और कारिक दुराचार-अभिचार के साधन बन गये हैं।

दुराचार की इस शरदां ने ही, नीति या अनीति से अर्थ-संचय की इस मारना ने समाज में हत्या, डाकेजनी, लूटमार, रिश्वत, बलात्कार, चोरबादारी आदि को पूरी शक्ति से बढ़ाया दिया है।

अर्थ-संचय के साधन सर्व-मुलभ होते हुए भी सर्व-साध्य नहीं हैं। हर व्यक्ति अर्थ-संचय के लिये उन साधनों का उपयोग नहीं कर पाता। इसलिये कुछ लोग समाज में धनिक बन जाते हैं और कुछ निर्धन। अर्थ-संचय की यह परम्परा अत्यन्त घुटिपूर्ण भले ही हो, किन्तु इस

परम्परा को बनाये रखने, उसे प्रोत्साहन और सुविधा देने का दायित्व विभिन्न राजनैतिक प्रणालियों और राजकीय व्यवस्थाओं का है। इससे जिनके पास धन-संचय हो जाता है, धन संग्रह के अनेकों स्रोत और साधन उनके हाथ में आ जाते हैं। दूसरे अनेक लोग उनसे अरनी जीविकोपार्जन की सुविधा के अनुग्रह के लिये अनुरोध, अपेक्षा करते हैं। इससे घनिष्ठ में दम्भ आ जाता है। उसमें अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझने की वृत्ति भयकर वेग से जाग उठती है। वह दूसरों की विजयता असहायता से अनुचित लाभ उठाने के लिये प्रेरित होता है। तब शोषण का एक भयानक दौर चल पड़ता है। घनिक-निर्धन के इस भेद और शोषण के इस दौर से समाज में वर्ग-भेद, वैश्य, कड़ुता और फिर वर्ग संघर्ष का दौर चल पड़ता है।

व्यक्ति की ये व्यक्तिगत प्रवृत्तियाँ जब एक राष्ट्र के नाम पर सामूहिक रूप में होने लगती हैं, तब ये उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, युद्ध और शोषण को जन्म देती हैं। तब कमल राष्ट्र निर्बल, साधनहीन अशक्त राष्ट्र को गुलाम बना लेते हैं, उनके सार आर्थिक स्रोतों पर एकाधिकार करने उनका शोषण करते हैं, उनकी सारी सांस्कृतिक और जातीय विशेषताओं को नष्ट करके अपनी सांस्कृतिक और जातीय परम्पराओं को बलात् थोप देते हैं।

गुलाम राष्ट्र स्वतन्त्र होने के लिये प्रयत्न करते हैं। निर्बल राष्ट्र सबल बनने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रयत्न में जातीय और राष्ट्रीय विद्वेष, संघर्ष और युद्ध को उत्तेजन मिलता है। युद्ध में जो हार जाता है, वह फिर युद्ध की तैयारी करता है। वह शत्रु-राष्ट्र के शस्त्रों से अधिक सहारक शस्त्रों के अनुसन्धान निर्माण के लिये प्रयत्न चलता है। इस तरह शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा चलती है। शस्त्रों की स्पर्धा से फिर युद्ध और युद्ध के बाद फिर

• अहिंसा दर्शन

लौटते हैं, तब युद्ध के समय के अभ्यास के कारण क्रूर बन जाते हैं। अनतिरक्त कार्यों के वे अभ्यस्त हो जाते हैं, जिससे वे नागरिक जीवन में भी छोड़ नहीं पाते। सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों ने युद्ध के काल में रिश्तों और मुनाफाखोरी से जो आटाप शनाप कमाया था और अपना जीना स्तर उससे कारण ऊँचा उठा लिया था, वह युद्ध के बाद रह नहीं पाता। तब वे दूसरे आर्थिक मार्गों का सहारा लेते हैं जिससे अपनी आय और उस स्तर का उपाय रखते हैं। इससे सरकारी कर्मचारियों में रिश्तों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। व्यापारी माल में मिना घट करके लगते हैं। इसी तरह नेता का जो नर्ग हत्या और लूटमार का अभ्यस्त बन गया था, वह अपने उस अभ्यास का छोड़ नहीं पाता। इस तरह युद्ध के बाद का नैतिक स्थिति अत्यन्त भयकर हो जाती है। आत्मघात, अशान्ति और अतृप्ति भयकर रूप से प्रकट हो उठती है।

गत विश्व-युद्ध के पश्चात् भारत में ही नहीं, सारे विश्व में नैतिकता का जितना हास हुआ है, वह विश्व के लिए अत्यन्त चिन्ता का विषय बन गया है। विभिन्न देशों में अनैतिकता के रूप विभिन्न हो सकते हैं, किन्तु वह मिलती सर्वत्र ही है। सत्य तो यह है कि आज सारा वातावरण, सारे चेतन चेतन व राजनैतिक हों, आर्थिक हों, शैक्षणिक हों, साहित्यिक हों या सामाजिक-अनैतिकता के धुँएँ से घुटे रहे हैं। नैतिकता नाम को भी दिखाई नहीं देती। और भारत में तो इससे नैतिक विश्वासों का भी देश विभाजन के बाद गहरा आघात लगा है।

विश्व के, राष्ट्र के और व्यक्ति के इस वातावरण को सुधारण का माँग सभी और प्रकृत हो उठा है। युद्ध, सघर्ष, अशांति और दुर्लभा

के मूल में जो अनैतिकता है, उसके प्रभावकारी और हानिकारी परिणामों की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट हुआ है और नैतिक मूल्यों का महत्त्व स्वीकार करने को बाध्य हुआ है। विश्व शान्ति की खोज में एक ओर जहाँ सर्व संहारकारी शक्तियों के अनुसन्धान, प्रयोग और निर्माण की चर्चा मुनाई दे रही है, वहाँ दूसरी ओर नैतिक निश्वासों की अभ्यर्थता को भी आवाज उठ रही है। हमारी मान्यता है, युद्ध और हिंसा विश्व-शान्ति और व्यक्ति के विकास के हित में अपनी व्यर्थता स्पष्ट सिद्ध कर रहे हैं। हिंसा से हिंसा पैदा होती है, युद्ध से युद्ध का जन्म होता है, यह विश्वास प्रबल होता जा रहा है। विनाश को विनाश का सहयोग मिलने के बाद कोई शम्भ अन्तिम नहीं रह गया है; विनाश की विनाशकारी प्रतिमा का जब तक अन्त नहीं होता, तब तक विनाश के किसी उपकरण को अन्तिम मानने का दावा उपहासास्पद है। इस हिंसा के ये उपकरण अपनी संहारक शक्ति बढ़ाते हुए स्वयं ही अपनी व्यर्थता के गवाह बनते जा रहे हैं और इस तरह मानव का विश्व शान्ति के लिए उन पर निर्भर रहने का विश्वास हिल उठा है। अधिश्वास की इस भूमिका में सही नैतिक मूल्यों और अहिंसा की मधुर ध्वनि निकली है।

मूलतः युद्ध, हिंसा, भ्रष्टाचार, दुराचार आदि बुराईयाँ मानव के भौतिक दृष्टिकोण का परिणाम हैं। जबकि नैतिकता आदि मानव की सारी अच्छाईयों का विकास उसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण में से होता है। अतः मानव का जब तक दृष्टिकोण नहीं बदलता, तब तक सुख और शान्ति के सारे प्रयत्न पेड़ की पत्तियों को सींचने जैसे व्यर्थ होंगे।

● अहिंसा दर्शन

वस्तुतः भौतिक दृष्टिकोण पदार्थों में सुख ढूँढ़ने का लालसा का नाम है। जब वह वहाँ नहीं मिलता तो समझते हैं, पदार्थों की मात्रा बढ़ाने से यह मिलेगा। तब भी नहीं मिलता तो भोग की मात्रा बढ़ाने जाते हैं और सुख न मिलने का दायित्व ईश्वर, भाग्य या परिस्थितियों पर थोप देते हैं। किन्तु दुःख तो यह है कि इस आत्म वचन के बाद भी सुख की समस्या यों ही बिना मुलभरी रह जाती है।

क्या कभी हमारी दृष्टि इस ओर गई जा सकती कि हमारा पीड़ार्थें आम्र जो विराट् देवताकार बनकर हम चारों ओर से घेर रही हैं, व हमारी ही वृत्तियों और भावनाओं का परिणाम व्रतों का नैतिक मूल्यांकन हैं। दुःख सदा बाहर से आता है और सुख भीतर से आता है। बाहर माने भौतिक लालसाओं से, भीतर माने उन लालसाओं का निराधरक आम्र-मुली होने से। ये ही दो दृष्टिकोण कहलाते हैं—भौतिक और आध्यात्मिक।

भौतिक दृष्टिकोण की व्यर्थता और अतः हेयता स्वीकार करने के बाद मनुष्य के समुल्लेख एक ही मार्ग, एक ही उपाय शेष रह जाता है—आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भौतिक लालसाओं का प्रतिरोध के बिना व्यक्ति व्यक्ति और राष्ट्र राष्ट्र की भोग समग्र, अर्थ संकथ और भौतिक सुख सुविधाओं की सामग्री पर एकाधिकार की स्पर्धा का अन्त हो नहीं सकता। और इस स्पर्धा का अन्त हुए बिना ससार म से सघर्ष, सुद आदि दूर नहीं हो सकते। लालसाओं का यह प्रतिरोध ही व्रत कहलाता है। इस प्रकार मानव की सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान व्रत है।

जगत् के बहुभाग ने अपने भौतिक दृष्टिकोण का कारण इन व्रतों

का अन्न तक नैतिक मूल्यांकन नहीं किया। सम्भव है, उसके खाने कमी यह अन्न-दर्शन आया भी नहीं। किन्तु अन्न की मानसिक मूल्यांकन आज ऐसी है, जिसमें गो के अंगुर अन्न ही छूट सकते हैं।

अन्न मौखिक लालनाओं के निपटारे की संस्कृत अंगीकृत शापना है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर व्यक्ति का यह आहार-विधान है, जो व्यक्ति के विचारों को नैतिक बनाता है तथा उनको व्यावहारिक रूप देने की भूमिका प्रदान करता है।

कमी-कमी यह अन्न की जाती है कि अन्न को वैयक्तिक शापना है, उसके साथ समाज, साथ राष्ट्र और साथ विश्व नैतिक पराजय पर आयेगा, ऐसी उसमें सामूहिक परिवर्तन और लोगों का सामूहिक प्रभाव की समाज नहीं है। इसलिये यह सामूहिक आहार व्यवहार का आधार नहीं बन सकेगा और बिना इसके अन्न अपनी वर्तमान मान्यताओं को छोड़ सकेगा या बदल सकेगा, इसकी कोई आशा नहीं।

इस अन्न का उद्देश्य गो की सामूहिक व्यावहारिकता में वे नहीं, अन्तिम मनुष्यों की असाध्य में वे हुआ है। अन्न अन्वेषण हैं, ऐसी तो अन्न पिन्नी को है नहीं, हो भी नहीं सकती। मानव के मानव की भूमिका समान है, उनकी इच्छाओं समान हैं, शक्ति समान है। उसके दुःख की बीनायी भी समान है। इसलिये अन्न उन्नत भी समान होगा। स्वच्छता में अंगीकार की हुई शापना मदा ही वैयक्तिक होगी, योंही हुई प्रकृति ही सामाजिक और सामूहिक हो सकती है। किन्तु जब व्यक्ति समाज का पटक है तो अपने आचार, व्यवहार से निकट के व्यक्तियों पर अन्वेषण प्रभाव डालता है। यदि एक व्यक्ति नैतिक मर्यादाओं और गो का पालन करता है तो निश्चय ही उसके सम्पर्क

में आने वाले व्यक्ति उससे अवश्य प्रभावित होंगे। फिर जो साधना एक व्यक्ति कर सकता है, वह दूसरा भी कर सकता है, सभी कर सकते हैं। इस तरह न तो साधना की अव्यावहारिकता ही सिद्ध होती है और न व्यक्तियों की असामर्थ्य ही। मनुष्य में ही नहीं, सारे प्राणियों की आत्मा में अनन्त शक्ति निहित है। साधना की असामर्थ्य यह कर उस अनन्त शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा में क्यों सन्देह किया जाता है, यह समझ में नहीं आता।

फिर ऐसा तो कभी किसी ने भी दावा नहीं किया कि सभी व्यक्ति नैतिक बन जायेंगे, हिंसा भूठ-चोरी व्यवहार और लोभ के सारे कार्यों का त्याग कर देंगे, जिस प्रकार कोई भी विश्वास नहीं कर सकता कि सभी व्यक्ति अनैतिक बन जायेंगे, शैतान हो जायेंगे। किन्तु फिर भी यह आशा तो की जा सकती है कि यदि व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का भौतिक दृष्टिकोण बदल जाय, आध्यात्मिक हो जाय तो भले ही उस समय सभी मनुष्य आध्यात्मिक न बन जायें, नैतिक न बन जायें, किन्तु तब वातावरण तो नैतिक हो जायगा, तब जगत् प्रती का नैतिक मूल्यांकन तो करेगा। बस यह वातावरण ही मनुष्य समाज में अनैतिकता के प्रति लज्जा, घृणा और पश्चाताप की वृत्ति जगा देगा। तब भी अनैतिकता तो रहेगी, किन्तु सारा वातावरण अनैतिक नहीं रहेगा। इससे सारे मनुष्यों का व्यवहार और चिन्तन की दिशा ही दूसरी होगी।

जैसा हम निवेदन कर चुके हैं, प्रती के दो रूप हैं—महाप्रत और अणु-प्रत। महाप्रत तो सांसारिक दायित्वों को छोड़कर आध्यात्मिक दायित्वों को सर्वतोभावेन अंगीकार करने वाले मुनियों के होते हैं। किन्तु अणुप्रतों का स्वीकार वे लोग करते हैं जो अपने सांसारिक दायित्वों को भली

० अहिंसा-दर्शन

का नियमन करने को सदा उत्तुङ्ग रहेगा। दूसरी ओर उसे सांसारिक दायित्वों को पूरा करने को प्रोत्साहन दिया है, जो कि इसके बिना समय नहीं है। इस तरह अणुमत व्यावहारिक और उपादेय बन गये हैं। उनका महत्त्व उनके ऊँचे आदर्श में नहीं, अपितु उन आदर्शों के व्यवहार में है।

अणुमत एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना, आधार शिला है, जिसमें न कोई वर्ग-वैषम्य होगा, न वर्ण-सघर्ष; जिसमें अर्थ का महत्त्व लोक-हित के लिये उसके त्याग में होगा, न कि उसके अनियन्त्रित सग्रह में; जिसमें दूसरों की सुविधा, सुख, अधिकार का पूरा सम्मान होगा; जिस समाज का आधार सह-अस्तित्व होगा; जहाँ पाप से घृणा होगी, पापी से प्यार होगा। कुल

अणुमतों का उद्देश्य न कि उसके अनियन्त्रित सग्रह में; जिसमें दूसरों की सुविधा, सुख, अधिकार का पूरा सम्मान होगा; जिस समाज का आधार सह-अस्तित्व होगा; जहाँ पाप से घृणा होगी, पापी से प्यार होगा। कुल मिलाकर जिस समाज में न केवल मनुष्यों के साथ ही, बल्कि सभी

चेतन जगत् के प्रति मैत्री की भावना और मैत्रीपूर्ण व्यवहार होगा। सक्षेप में अणुमत 'वैरहीन' समाज के निर्माण का विनम्र प्रयत्न है। ऐसी वैरहीन समाज की कल्पना का आधार सम्बेदनशील भावना अर्थात् सहानुभूति होगा। यहाँ उस सहानुभूति से प्रयोजन नहीं है जिसका पर्यवसान किसी के मरने पर उसके सम्बन्धियों के साथ कुछ शोक सूचक शब्द कहने में हो जाता है। बल्कि इसकी चरितार्थता इसमें है कि मेरे व्यवहार से दूसरे को कष्ट होता है तो वह कष्ट मुझे होता है, यह अनुभव करके ऐसा व्यवहार उसके साथ न करे; बल्कि मेरे व्यवहार से दूसरे को सुख पहुँचता है तो वह सुख मुझे भी सुखी करता है, इस भावना से उसके सग इसी प्रकार का व्यवहार करे। यही भावना अहिंसा का मूल आधार है।

अशुभतो की सहानुभूति मूलक वैरहीन समाज की कल्पना अभी साकार न हो सके, यह संमा है, किन्तु कल्पना है अत्यन्त मासुर। यह कल्पना अर्धमन नहीं है। हमारी विनम्र मान्यता है कि ऐसी समाज की स्थापना सभी तीर्थङ्करों ने अपने अपने समय में की थी। म० महावीर ने मात्र से २५०० वर्ष पूर्व ऐसे ही समाज का निर्माण किया था। ऐसे समाज की पुनः स्थापना कर सके, इमीलिये वे तीर्थङ्कर कहलाये।

हमारी निष्ठा ऐसी ही वैरहीन समाज में है। और कभी ऐसी समाज की स्थापना हो सकेगी, हमारा यह विश्वास मात्र भी शिथिल नहीं हो पाया है। ऐसे समाज की स्थापना के लिये अनेक व्यक्तियों के प्रयत्न और सहयोग की आवश्यकता होगा। इस प्रयत्न और सहयोग का रूप प्रचारानुक्रम न होकर व्यवहारानुक्रम होगा। जितने अधिक शक्ति अपने धर्म में अशुभों का पालन करके नैतिक व्यवहार के प्रति अपनी आस्था उद्घोषित कर सकेंगे, उतनी ही जल्दी वैरहीन समाज की कल्पना पूर्ण रूप धारण कर लेगी।

ये अशुभ मूलतः एक ही हैं-अहिंसा। सारे नैतिक मूल्य अहिंसा की धुरी पर ही टिके हुए हैं; धर्म के सारे रूप, और विधि-विधान अहिंसा के द्वारा ही अनुप्रायित हैं। साम्राज्य में अहिंसा अशुभों के भेद प्रह है, शेष सारे धर्म-व्यवहार उपग्रह हैं, जो उसके चारों ओर घूमते हैं और उसके शक्ति पाने हैं।

किन्तु अहिंसा की व्याख्यानिक शैली के कारण अशुभों के पाँच रूप बन गये हैं—१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अचीरं, ४ ब्रह्मचर्य (स्वदास-सन्तोष) और ५ परिग्रह परिमाण। इन पाँच अशुभों की व्याख्या अहिंसा के माध्यम से की गई है।

• अहिंसा-दर्शन

अहिंसाशुभ्र तो मानसिक, वाचनिक और कायिक हिंसा के नियमन का उपाय है ही। किन्तु इन हिंसाशुभ्रों के नियमन के उपायों को तेजस्वी बनाने के लिये शेष चार अशुभ्रों का विधान किया गया है। वाचनिक हिंसा के नियमन के लिये सत्याशुभ्र, कायिक वृत्तियों द्वारा होने वाली हिंसा के नियमन के लिये अचौर्याशुभ्र तथा मानसिक हिंसा के नियमन के लिये शेष दो अशुभ्र बताये हैं। इनके पालन से न केवल हममें आत्म-नियमन की महान् शक्ति ही आ जाती है, अपितु इसके साथ हम अपने आचरण द्वारा समाज और राज्य में ऐसी व्यवस्था को प्रोत्साहन देते हैं, जिसमें वर्ग-संघर्ष का कोई अयसर न आवे; हर व्यक्ति हम पर विरनास कर सके; अनुचित मुनाफाप्योरी, अति समूह तस्कर व्यापार, मिलावट-विरोधी कार्यों में हमारा सक्रिय योगदान हो; और न केवल मनुष्य ही, बल्कि पशु-पक्षी, जीव-जन्तु तक हमारी सहाय-भूति पाने के अधिकारी हों।

यहाँ संक्षेप में इन अशुभ्रों के सम्बन्ध में विचार कर लेना उचित ही होगा।

भगवान् महावीर ने भोगों की लालसा के स्वेच्छया दमन या प्रति-रोध मूलक साधना के मार्ग में यहस्यजनों के लिये अशुभ्रों का जो विधान किया है, उसमें अहिंसाशुभ्र प्रथमश्रुत अहिंसाशुभ्र बतलाया है।

यद्यपि ससार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वे बस हों या स्वार, सभी जीवन चाहते हैं, मृत्यु कोई नहीं चाहता, इसलिये किसी प्राणी का विधान नहीं करना चाहिये।^१ सभी प्राणियों को दुःख अद्रिय है, हिंसा-निषेध का यह सबसे

१—सुत्तारामे पृ० १६१

बड़ा तर्क है। इस आधार पर किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिये।^१ ज्ञान का सार केवल इतना ही है कि ज्ञानी जन अहिंसा को परम धर्म मानते हैं और हिंसा को वर्ज्य।^२ क्योंकि हिंसा दुःख, वैर और मय की जननी है।^३ ज्ञानी जनों का विश्वास है कि मुल जिस प्रकार मुझे प्रिय है और दुःख अमिष है, इसी प्रकार संसार के सभी प्राणधारियों की अनुभूति है। अतः ज्ञानी जन सभी प्राणधारियों को आत्मवत् दृष्टि से देखते हैं और इसीलिये वे उनकी हिंसा नहीं करते।^४

किन्तु गृहस्थजनों की अपनी कुछ मर्यादायें हैं, वे अभी गृहस्थी और जीवन-व्यवहार के विविध क्षेत्रों के दायित्वों को ओढ़े हुये हैं। और उन दायित्वों को लेकर उनके लिये यह संभव नहीं है कि वे हिंसा का सर्वथा सर्वतोभावेन त्याग कर दें। उनका लक्ष्य और आदर्श हिंसा का सर्वथा त्याग अवश्य है किन्तु फिर भी वे कुछ परिस्थितियों के कारण विवश हैं। अतः वे संकल्प पूर्वक, मन, वचन और शरीर, कृत, कारित और अनुमोदन से प्रस जीवों की स्थूल हिंसा तो सर्वथा त्याग देते हैं।^५ और स्यावर जीवों-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति की भी निष्प्रयोजन अनावश्यक हिंसा नहीं करते।

वास्तव में गृहवास आरम्भ के बिना नहीं होता और आरम्भ हिंसा

१—सूत्रकृताङ्ग प्र० अ० उ० ४ गाथा ६

२—सूत्र० अ० १ उ० ४ गाथा १०

३—सूत्र० १० पृ० ३० भा० ३

४—आचार्य शीलाङ्क

५—रत्नकरशङ्कावकाचार ३-२३। वसुनन्दि श्रावकाचार २०८।
अमितगति धा० अ० ६ श्लो० ४। आचार्य शीलाङ्क

* अहिंसा दर्शन

के बिना सम्भव नहीं है। इसलिये गृहवासी को अपने किसी प्रयोजन के लिये घस जीरो को जान बूझ कर 'मैं मारता हूँ' इस प्रकार की संघर्षी हिंसा का त्याग कर देना चाहिये किन्तु खेती, उद्योग आदि आर्थिकी करते समय सकल्प रहित जो आरम्भी हिंसा होती है, वह गृहवासी की परिस्थितियों में उसने लिये दुस्त्याज्य है।

केवल प्राणों को गट कर देना हिंसा नहीं है, हिंसा तो बहुत प्रमाद युक्त मन, वचन और काय की प्रवृत्तियों द्वारा प्राण-विघात का नाम है। जैसा कि हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। मन, वचन और काय की जिन प्रवृत्तियों में राग द्वेष न हो, क्रोध-मान माया-लोभ के प्रयास न हों, वहाँ यदि किसी प्राणी के प्राणों का वियोग हो जाय तो वहाँ हिंसा की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिये प्रमाद युक्त प्रवृत्तियों द्वारा होने वाले प्राण वियोग को हिंसा कहा गया है। और यही हिंसा इस लोक और परलोक में अवाङ्मनीय, पाप और दुःख का मानी गई है। प्राणों से प्रयोजन द्रव्य और मान प्राणों से है। प्राणघात से प्रयोजन अपने या दूसरे प्राणियों के प्राण घात से है।

गृहस्थ अपनी मानसिक उच्छ्वसलता और हर प्रवृत्ति का विनेष्ट पूर्वक नियमन करके आगे बढ़ता जाता है। अहिंसा का अधिनाशिक पालने पर उसने लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है, आगे बढ़ना तो उसका लक्ष्य ही है। किन्तु अपने जीवन को अहिंसक बनाने की दिशा में

१—सागर धर्माश्रित ४ १२

२—सत्त्वार्थ सूत्र ७ १२

३— " अ० ७ सू० १ १०

सूय० टीका १० १२७

उसके लिये कम से कम इतना तो आवश्यक है ही कि वह सड़क को
 किसी बस यात्री को मारने का त्याग कर दे।

गृहस्थ की सारी प्रवृत्तियों का नियामक उसका मन ही
 होता है। इसलिये वह मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्तियों का
 निरन्तर रूप से प्रयत्न करता है। यह चलता है तो सड़क को
 बचाने के लिये, जिसमें किसी जीव को उसके कारण मारना पड़े
 हो। वह जब किसी वस्तु को उठाता है या धरता है, तब भी उस
 से यह भाव एक क्षण के लिये भी दूर नहीं हो जाता कि इससे
 अनावधानी से कोई जीव-वस्तु काट न पावे, टूट न जाय, पान
 की हर वस्तु को खूब देख-भालकर काम में लाता है।
 फिर उसके सारे आहार-विहार का नियमन विवेक और अहिंसा
 के द्वारा होता है और प्रतिक्षण उसके मन में अहिंसा का स्वरूप
 जागृत रहती है।

हाँ! गृहस्थ जीवन में यह सम्भव है कि वह किसी-किसी
 दूसरे कामों के लिए बैल, घोड़ा आदि काट कर ले लें।
 लिये गाव-भैंस पाले, नौकर-चाकर भी रखे।
 न ले ? काम लेते समय उन्हें काट होगा।
 देनी होगी। तब गृहस्थ क्या करेगा ?

प्रश्न उत्तर है। किन्तु हम यह नहीं कह सकते कि
 अपने सारे व्यवहारों को विवेक से संभालकर काम में लायें
 भावना है, साथ में विवेक है, कि कोई वस्तु काट कर
 बटिन है।

● अहिंसा दर्शन

फिर भी प्रश्न का समाधान अपेक्षित है। गृहस्थ निन्द्य भावना से अपने आपका बचाने का सदा प्रयत्न करे। वह किसी मनुष्य का या पशु का दुभार से नहीं बाँधेगा, न प्रत आदि से मारेगा, न किसी श्रम को रोकगा, न उन पर उनकी शक्ति और राजकीय कानून से अधिक भार ला देगा और न उनका भोजन और पानी का रोकगा।^१

ये बाध आदि ग्रहिसक के लिए दोष तभी तक हैं, जब तक इनका करने में दुभाव का अंश रहे। दुभार न हो तो यह भी कोई दोष नहीं। पुन और शि य को हित कामना से कभी कभी ताड़ना दी जाती है पर से भागने वाले पुन का कभी कभी बाध कर भी रचना पड़ता है, डाक्टर रागी का स्वास्थ्य रक्षा का भावना से आपरेशन भी करता है, इंजिनियर भी लगाता है। य सब दाप उदा हैं।

या तो अहिंसाग्रही गृहस्थ के लिये उत्तम मार्ग यह है कि गाय, बल, भंस, घोड़ा आदि से अपनी आजीविका करे। यदि दूध के लिये, लादने, दाने और जातन के लिये जानवरों आदि को पाले तो उ है बाध नहीं। यदि बाध तो निन्द्यता पूर्वक न बाधे।^२

बाधने का अर्थ नवल रस्सी आदि से ही बाधना नहा है। अपितु मन मात्र से बाधना भी दोष में गणित है।

सक्षप में अहिंसासूत्र को समझने के लिये इतना जानना भर पर्याप्त होगा कि हिंस्य चीजें हैं, हिंसक किसे कहा जाता है, हिंसा का रूप क्या है और हिंसा का फल क्या होगा।^३

१—तत्त्वार्थसूत्र अ० ७ सूत्र २२

सागार धर्मावृत ४ १२

२—सागार धर्मावृत ४ १६

३— ४ २०

इनको जानने के लिये अधिक कठिनाई नहीं होगी। यह जान लेना पर्याप्त होगा कि प्रमत्त और कयायुक्त विचार वाला व्यक्ति हिंसक कहलाता है; द्रव्य और माय प्राण्य हिंस्य हैं; प्राणों का वियोग हिंसा है; और नाना प्रकार के पापों का संचय और दुःख हिंसा का फल है^१।

कभी-कभी गृहस्थ के लिये धताये गये अहिंसायुक्त के सम्बन्ध में शंका हो उठती है। भगवान् महावीर के काल में उदक पेदालपुत्र नाम का एक प्रभावशाली व्यक्ति हुआ था, जिसके विचारों का कुछ समय के लिये प्रचार हो गया था। उसने एक बार भ० महावीर के प्रधान शिष्य गौतम गणधर से शंका की थी, जो बड़ी रोचक थी। उसने कहा था, 'राजा आदि के अभिवोग को छोड़कर ब्रह्म प्राणी को दण्ड देने का त्याग है' इस प्रकार का नियम वास्तव में कोई नियम नहीं है, क्योंकि प्राणी परिवर्तनशील है। आज जो ब्रह्म हैं, वे जन्मान्तर में स्थावर हो सकते हैं। इसी प्रकार आज जो स्थावर हैं, वे दूसरे जन्म में ब्रह्म हो सकते हैं। इसलिये ब्रह्म के स्थान पर 'ब्रह्मभूत' शब्द का प्रयोग करना चाहिये।

इसका उत्तर देने हुए गौतम गणधर ने कहा—उदक ! यही नियम सयार्थ है। जब स्थावर मर कर ब्रह्म हो जाते हैं तो वे अहिंसायुक्तों के लिये अव्यय हो जाते हैं। ब्रह्मभूत ब्रह्म और ब्रह्म का अर्थ एक ही है।^२

अहिंसायुक्त पालन करने वाला व्यक्ति उन सभी कार्यों का और

१—सागार धर्मासूत्र ४-२।

२—सूतकृताङ्ग अ० २० अ० ७ पृ० ३८४

• अहिंसा-दर्शन

फिर भी प्रश्न का समाधान अपेक्षित है। गृहस्थ निर्दय भावना से अपने आपको बचाने का सदा प्रयत्न करे। वह किसी मनुष्य को या पशु को दुर्भाव से नहीं बाधेगा, न व्रत आदि से मारेगा, न किसी अंग को काटेगा, न उन पर उनकी शक्ति और राजकीय कानून से अधिक भार ला देगा और न उनके भोजन और पानी को रोकेगा।^१

ये व्रन्ध आदि अहिंसक के लिए दोष तभी तक हैं, जब तक इनके करने में दुर्भाव का अंश रहे। दुर्भाव न हो तो यह भी कोई दोष नहीं। पुत्र और शिष्य को हित-कामना से कभी-कभी ताड़ना दी जाती है; घर से भागने वाले पुत्र को कभी-कभी श्राप कर भी रखना पड़ता है; डाक्टर रोगी का स्वास्थ्य-रक्षा की भावना से आपरेशन भी करता है, इंजेक्शन भी लगाता है। ये सब दोष नहीं हैं।

या तो अहिंसाप्रही गृहस्थ के लिये उत्तम मार्ग यह है कि गान, खेल, भस्, घोड़ा आदि से अपनी आजीविका न करे। यदि दूध के लिये, लादने, दोने और जोतने के लिये जानवरों आदि को पाले तो उन्हें बाधे नहीं। यदि बाधे तो निर्दयता पूर्वक न बाधे।^२

बाधने का अर्थ केवल रस्ती आदि से ही बाधना नहीं है। अपितु मंत्र तन्त्र से बाधना भी दोष में गर्भित है।

सत्त्व में अहिंसाशुभ्रत को समझने के लिये इतना जानना भर पर्याप्त होगा कि हिंस्य कौन है, हिंसक कितने कहा जाता है, हिंसा का रूप क्या है और हिंसा का फल क्या होगा।^३

१—तत्त्वार्थसूत्र अ० ७ सूत्र २२

सागर धर्मांशुत ४-१२

२—सागर धर्मांशुत ४-१६

३—... ४-२०

इसको जानने के लिये अधिक कठिनार्द्र नहीं होंगी। यह जान लेना पर्याप्त होगा कि प्रमत्त और कर्मायुक्त विचार वाला व्यक्ति हितक कहलाता है; द्रव्य और भाव प्राण हिंस्य हैं; प्राणों का वियोग हिंसा है; और नाना प्रकार के प्राणों का संवय और दुःख हिंसा का फल है^१।

कमी-कमी गृहस्थ के लिये बनाये गये अहिंसाशुभ्रन के सम्बन्ध में शंका हो उठती है। भगवान महावीर के काल में उदक पेटालपुत्र नाम का एक प्रभावशाली व्यक्ति हुआ था, जिसके विचारों का कुछ समय के लिये प्रचार हो गया था। उसने एक बार म० महावीर के प्रधान शिष्य गौतम गण्धर से शंका की थी, जो बड़ी रोचक थी। उसने कहा था, 'राजा आदि के अभियोग को छोड़कर व्रत प्राणों को दण्ड देने का त्याग है' इस प्रकार का नियम वास्तव में कोई नियम नहीं है, क्योंकि प्राणों परिवर्तनशील हैं। आज जो व्रत हैं, वे जन्मान्तर में स्थावर हो सकते हैं। इसी प्रकार आज जो स्थावर हैं, वे दूसरे जन्म में व्रत हो सकते हैं। इसलिये व्रत के स्थान पर 'व्रतभूत' शब्द का प्रयोग करना चाहिये।

इसका उत्तर देते हुए गौतम गण्धर ने कहा—उदक ! यही नियम वचार्थ है। जब स्थावर मर कर व्रत हो जाते हैं तो वे अहिंसाशुभ्रनी के लिये अव्यय हो जाते हैं। व्रतभूत व्रत और व्रत का अर्थ एक ही है।^२

अहिंसाशुभ्रन पालन करने वाला व्यक्ति उन सभी प्राणों का और

१—सागर धर्माश्रुत ४-२१

२—मृतकृताङ्ग श्रु० २० अ० ७ पृ० ३८४

• अहिंसा दर्शन

ऐस पदार्थों क सेवन वा व्यापार का अग्रश्य त्याग कर देगा, जिनमें अस प्राणी रूध हाता हो—जैसे मद्य, मास, मधु, शिकार, कीड़ों वाले फल । वह अपनी जिह्वा की वासना का अत्यन्त सयत कर लेगा और ऐस भी भाग्य पदार्थों वा र्थों का त्याग कर देगा, जिनम अस-प्राणी-वध की सभावना भी हो । जैसे वह रात्रि भोजन का त्याग कर देगा, नून छान कर पावेगा, भाग्य पदार्थों वा सवन उनक विवृत होने की सभावना के काल ने पश्चात् न करेगा ।

(इन सभस हिंसा का किस प्रकार उत्तेजन मिलता है, इसका सास्तर निवरण अगले परिच्छेद म दिया जावगा ।)

अहिंसा और सत्य एक सिक्का क दो पहलू है । अहिंसा चित्र छान वाला पहलू है और सत्य अक छाप वाला । किन्तु फिर भी अहिंसा इतनी व्यापक अर्थों म स्वीकार की गई है कि सत्य उसन अतर्गत समा जाता है । अत असत्य इसलिये हेय माना गया है, क्योंकि उसम हिंसा है । हिंसा हाने का मुख्य कारण यह है कि हर असत्य में प्रमत्तयोग रहता है ।^१ अर्थात् मन, वाणी और शरीर की शक्तियों में प्रमाद रहता है । प्रमाद स यहाँ प्रयोजन है, क्रोध, अभिमान, कपट, लोभ, स्त्री कथा रागोत्पादक कथा, अनाग्रश्यक राजनीतिक चर्चा (देश कथा), भोजन सम्म वा कथा, निद्रा, प्रणय और पाँचा इन्द्रिया—दृश, रसना, प्राण, चक्षु, कर्ण की प्रश्रुतिया ।^२

असत्य का अर्थ है—असत् अर्थात् अप्रशस्त कथन ।^३ व्यक्ति के

१—पुरोधस सिद्धयुपाय १३

२—सागर धर्माश्रुत ४ २२

३—तत्त्वार्थ सूत्र अ० ७ सू० १४ । पुरोधस सिद्धयुपाय ११

मन-वाणी और शारीरिक चेष्टाओं में कोई प्रमाद हो, उस स्थिति में प्राणियों को पीड़ाकारक या अप्रसन्न बचन कहना असत्य है। असत्य के लिये व्यक्ति को निम्न पाँच कारणों में से किसी से प्रेरणा मिलनी है—क्रोध, लोभ, भय, हँसी-मजाक और अविचार।

क्रोध में व्यक्ति को विवेक तो रहता नहीं, अहंता का आग्रह हो जाता है। इसलिये वह यथार्थ को भी बदल देता है। लोभ और भय में दृष्ट-विषय और अनिष्ट पर आशंका के कारण स्वार्थ के लिये व्यक्ति असत्य का सहारा लेता है। हँसी मजाक गम्भीरता के परित्याग पर ही संभव होता है। उस स्थिति में व्यक्ति के सामने सत्य का आग्रह या विवेक नहीं रहता, केवल मनोरञ्जन ही भेद होता है। यथार्थवाद सदा कटु होता है। उससे कटुता भले ही पैदा हो जाय, मनोरञ्जन तो नहीं हो सकता। इसलिये व्यक्ति यथार्थ को छोड़ कर यथार्थ का सहारा लेता है। इसी प्रकार विचार किये बिना जो कदा जाता है, वह न केवल अन्याय ही होता है, बल्कि अत्यन्त अनिष्टकारक भी हो जाता है।

वास्तव में सत्य और असत्य वातावरण और परिस्थितियों पर अधिक निर्भर करते हैं। जहाँ भौतिक गुणों की लालसा ने व्यक्ति के जीवन को चारों ओर से लपेट रक्ता हो, उस वातावरण में दृष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के लिये संघर्ष निरन्तर होता रहता है। यह संघर्ष स्वार्थ का होता है, मन और इन्द्रियों की वासना-पूर्ति का होता है। वासना-पूर्ति का उद्देश्य सत्य के सहारे पूरा नहीं हो सकता। पाप का साधन क्या कभी धर्म बन सकता है? पापाचार पाप के साधनों द्वारा ही हो सकता है। जैसे कि धर्म पाप के साधनों से संभव नहीं है। इसलिये व्यक्ति के समक्ष इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये असत्य का सहारा लेने के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं रहता।

• अहिंसा दर्शन

किन्तु जिनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, उनके बीच असत्य का कोई प्रथम नहीं मिल सकता। व तो क्रोध आने का कारण होने पर भी शान्त रहेंगे, क्योंकि उनके पास क्षमा का महान् सम्पल है। सासारिक भोगों की लालसा उनकी नियमित है। अतः भोगों के साधनों का सम्पन्न करना वे न चाहेंगे। उनका आत्म विश्वास हर परिस्थिति में अटिका है। आत्मा की श्रद्धा ही तो उनका एकमात्र अवलम्ब है। अतः वे भव नाम की चीज से परिचित तक नहीं। वे मनोरंजन अवश्य करते हैं। किन्तु उनके पास चूँकि आध्यात्मिक सम्पदा है, इसलिये उनके मनोरंजन का साधन वह सम्पदा ही है। उनका विवेक सदा जागृत रहता है। वे सदा हित, मित और प्रिय वचन ही बोलते हैं। एहस्थ की जीवन दिशा इस दृष्टिकोण का कारण बदल जाती है। वह अपने ऊपर भौतिक वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ने देता। इसलिये वह क्रोध, लोभ, भय, हास्य के समय सदा सावधान रहता है और सदा निष्क के साथ ही वचन निष्कलता है। एहस्थ का यह सत्याग्रही दृष्टिकोण ही उसकी जीवन मर्यादा है।

कभी कभी असत्य सत्य का आवरण डाल कर सामने आ जाता है। कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें व्यक्ति के लिए सत्य का उपयोग करना कठिन हो जाना है। कभी सत्य को असत्य के लिये लोक-हित या प्राणी हित में अपना स्थान छोड़ना होता है। इन सब कारणों से सत्य और असत्य का भेद जानना आवश्यक है। असत्य का विश्लेषण करने से यह जानकारी मिल जायगी।

असत्य के चार प्रकार हैं^१—१—असदुद्भासन-न होने पर भी कहना

१—पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ३२ स ३८ ।

२—मत-निह्वन-होने पर भी छिपा लेना । ३—विपरीत—जो बात जैसी है, उसके विरुद्ध कहना । ४—निन्द—जो निन्दा के योग्य हो । निन्दा योग्य वचन तीन ही तरह के हो सकते हैं—(१) साव्य—जिन वचनों से प्राणियों को पीडा हो, ऐसे व्यापार आदि के लिये कहे जाने वाले वचन, उपदेश । (२) गहिँत—चुगली, मर्मच्छेदी हास्य, व्यङ्ग्य, कटोर वचन, व्यर्थ की गप्पें ये सब गहिँत वचन हैं । (३) अप्रिय—जिनसे अप्रीति उत्पन्न हो, भय-वै-शोक और कलह उत्पन्न हो, ऐसे वचन अप्रिय कहलाते हैं । ये सभी असत्य हैं ।

संसार-त्यागी मुनि इन सभी असत्यों का सर्वथा परित्याग कर देते हैं, किन्तु यहस्य अपनी मर्यादाओं को देखते हुए सबका त्याग करने में असमर्थ हैं । अतः वे साव्य वचनों के अतिरिक्त सारे असत्य का त्याग करते हैं ।^१ साव्य वचनों का त्याग वे इसलिये नहीं कर पाते क्योंकि उनके बिना यहस्य के सांसारिक कार्य चल नहीं पाते । वह इस असत्य का व्यवहार प्रसन्नता से नहीं करता, अपितु विवशता और बाध्यता से करना पड़ता है । अपनी इस विवशता पर उसे आन्तरिक दुःख और ग्लानि रहती है ।

सत्य की अपनी कुछ मर्यादायें हैं । सत्याणुवती को इन मर्यादाओं को समझ लेना भी अत्यन्त आवश्यक है । ऐसा अप्रिय सत्य बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, जो हित की दृष्टि से बोला जाय । किसी पापी को पाप-कार्यों से विरत करने के लिये पापों की निन्दा की जाती है, जुआरी और शराबी को इन अबांझनीय आदतों के छोड़ने के लिए कहा जाता है तो उन्हें अवश्य अप्रिय लगता है । किन्तु उद्देश्य अच्छा होने से यह

● अहिंसा दर्शन

हिंसा नहीं। इसलिये ये वचन असत्य में गभित नहीं होंगे।^१

किन्तु ऐसा सत्य कभी न बोले, जिससे प्राणी का विघात होने की संभावना हो।^२ जंगल में शिकारी किसी हिरन का पीछा कर रहा हो, उस समय शिकारी हमसे पूछे कि हिरन बिधर गया है, तो निश्चय ही जानते हुये भी हम उसकी ठीक दिशा नहीं बताएँगे। एक वैज्ञानिक प्राकृतिक शक्तियों से सहस्रक शाखों के निर्माण की प्रक्रिया बता कर किसी सत्य की प्रतिष्ठा का दावा नहीं कर सकता। यह तो सत्य की विडम्बना ही न होकर ससार का सबसे बड़ा झूठ है क्योंकि उस प्रक्रिया के रहस्योद्घाटन का परिणाम अनेकों प्राणियों का सर्वनाश है।

क्रोध में भी कहा गया सत्य अनर्थकारी हो सकता है।^३ इसलिये इस प्रकार का सत्य भी अपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता।

एक सत्वाग्रही व्यक्ति की बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। उसने वचनों का प्रभाव दूरगामी होता है। उसकी नैतिकता के बाँटों से उसके सारे व्यवहार और वचनों को तोला जाता है। (१) इसलिये वह ऐसे मिथ्या मापण या उपदेश नहीं देगा, जिससे समूचे विश्व में या उसके किसी क्षेत्र में, अथवा व्यक्ति और व्यक्तियों के मध्य शान्ति का सन्तुलन बिगड़ जाय और असद्भाव को प्रोत्साहन मिले। जैसे वह यह कह कर कि 'युद्ध से ही विश्व-शान्ति संभव है' न केवल असत्य की प्रतिष्ठा करेगा बल्कि वह युद्ध का वातावरण बनाने, आतंक फैलाने और युद्ध मङ्काने

१—पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय १००

२—वसुनान्दि श्रावकाचार २१०

३—गुणभद्र श्रावकाचार

का बहुत बड़ा दायित्व अपने ऊपर ओढ़ेगा । (२) वह स्त्री-पुरुषों के गुत रहस्यों और आचरणों को सबके समक्ष प्रगट करके उन्हें लज्जित करने का प्रयत्न नहीं करेगा । (३) वह कर्जी दस्तावेज और कागज नहीं बनायेगा । जाली नोट नहीं छपायेगा । दूसरे की पेटेन्ट मशीनों की नकल करके उनके जैसे लेबिल आदि नहीं छपायेगा । (४) दूसरों की धरोहर लौटावे समय यदि धनी गलती से कम माँग बैठे तो भी वह पूरी ही लौटायेगा । यदि वह कहीं का, किसी संस्था या व्यक्ति का ट्रस्टी है तो उस ट्रस्ट का सभ्या गवर्न नहीं करेगा, अपने निजी उपयोग में भी नहीं लावेगा । (५) दूसरे के हाव-भाव, चेष्टाओं से उसके मन का भाव जानकर हानि पहुँचाने की आशा से उन मनोभावों को दूसरे के समक्ष प्रगट नहीं करेगा ।^१ वे धर्मों ही काम उसके व्रत के लिये ढोप रूप हैं ।

इन कामों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे काम हैं, जिन्हें उसे छोड़ना ही होगा, जैसे कन्या का सम्बन्ध या पशु और जमीन का सौदा करते समय उनके बारे में झूठ नहीं बोलेगा, झूठी गवाही भी नहीं देगा ।^२ वह न किसी की निन्दा करेगा,^३ न चुगली करेगा । ये सारे ही काम उसके सत्य-मन को धूमिल करने वाले हैं ।

वास्तव में सत्याणुव्रत हमारी बान्धनिक प्रामाणिकता द्वारा नैतिकता को विकसित करता है । सत्याणुव्रत का नैतिक मूल्यांकन की दृष्टि से

१—तत्कार्यं सूत्र अ० ● सूत्र २१ । पुरुषार्थ सिद्धयुपाय १०१ । सागर धर्मांमृत ४ ४२

२—सागर धर्मांमृत ४-३३

३—यशस्तिशक उपनिषत् ०

● चर्चिसा दर्शन

हिंसा नहीं । इसलिये ये वचन असत्य में गर्भित नहीं होंगे ।^१

किन्तु ऐसा सत्य कभी न बोले, जिससे प्राणी का विघात होने की संभावना हो ।^२ जंगल में शिकारी किसी हिरन का पीछा कर रहा हो, उस समय शिकारी हमसे पूछे कि हिरन किसपर गया है, तो निरन्तर ही जानते हुये भी हम उसकी ठीक दिशा नहीं बताएँगे । एक दैशनिक प्राकृतिक शक्तियों से सहारक राजा के निर्माण की प्रक्रिया बता कर किसी सत्य की प्रतिष्ठा का दावा नहीं कर सकता । यह तो सत्य की विडम्बना ही न होकर संसार का सबसे बड़ा झूठ है क्योंकि उस प्रक्रिया के रहस्याद्घाटन का परिणाम अनेकों प्राणियों का संनाराश है ।

क्रोध में भी कहा गया सत्य अनर्थकारी हो सकता है ।^३ इसलिये इस प्रकार का सत्य भी अपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता ।

एक सत्वाप्रही व्यक्ति की बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं । उसने वचनों का प्रभाव दूरगामी होता है । उसकी नीतिकता के बाँटों से उसके सारे व्यवहार और वचनों को तोला जाता है । (१) इसलिये वह ऐसे मिथ्या भाषण या उपदेश नहीं देगा, जिससे समूचे विश्व में या उसके किसी क्षेत्र में, अथवा व्यक्ति और व्यक्तियों के मध्य शान्ति का सन्दुलन बिगड़ जाय और अणुद्भाव को प्रोत्साहन मिले । जैसे वह यह कह कर कि 'युद्ध से ही विश्व-शान्ति संभव है' न केवल असत्य की प्रतिष्ठा करेगा बल्कि वह युद्ध का वातावरण बनाने, आतंक फैलाने और युद्ध भड़काने

१—पुरुराधं सिद्धयुपाय १००

२—यसुनान्दि श्रावकाचार २१०

३—गुणमद्र धायकाचार

का बहुत बड़ा दायित्व अपने ऊपर ओढ़ेगा । (२) वह स्त्री-पुरुषों के गुप्त रहस्यों और आचरणों को सबके समक्ष प्रगट करके उन्हें लजित करने का प्रयत्न नहीं करेगा । (३) वह फर्जी दस्तावेज और कामज नहीं बनायेगा । जाली नोट नहीं छपायेगा । दूसरे की पेटेन्ट चीजों की नकल करके उनके जैसे लेखिल आदि नहीं छपायेगा । (४) दूसरों की घरोहर लौटाते समय यदि धनी गलती से कम माँग बैठे तो भी वह पूरी ही लौटायेगा । यदि वह कहीं का, किसी संस्था या व्यक्ति का ट्रस्टी है तो उस ट्रस्ट का स्वया गवन नहीं करेगा, अपने निजी उपयोग में भी नहीं लावेगा । (५) दूसरे के हाव-भाव, चेष्टाओं से उसके मन का भाव जानकर हानि पहुँचाने की आशा से उन मनोभावों को दूसरे के समक्ष प्रगट नहीं करेगा ।^१ ये पाँचों ही काम उसके मत के लिये दोष रूप हैं ।

इन कामों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे काम हैं, जिन्हें उसे छोड़ना ही होगा, जैसे कन्या का सम्बन्ध या पशु और जमीन का सौदा करते समय उनके बारे में झूठ नहीं बोलेगा, झूठी गवाही भी नहीं देगा ।^२ वह न किसी की निन्दा करेगा,^३ न सुगली करेगा । ये सारे ही काम उसके सत्य-मन को धूमिल करने वाले हैं ।

शास्त्र में सत्याणुव्रत हमारी वाचनिक प्रामाणिकता द्वारा नैतिकता को विकसित करता है । सत्याणुव्रत का नैतिक मूल्याङ्कन की दृष्टि से

१—तत्त्वार्थ सूत्र अ० ७ सूत्र २६ । पुराणार्थ सिद्धयुपाय १०१ । सागर धर्मांमृत ४ ४२

२—सागर धर्मांमृत ४ ४२

३—सागर धर्मांमृत ४ ३६

४—यशस्तिलक उच्छ्वास ७

• अहिंसा दर्शन

हमारे लोक-व्यवहार में अत्यन्त गौरव पूर्ण स्थान है ।

अदत्त वस्तु का प्रमत्त योग से ग्रहण करना स्तेय अर्थात् चोरी है ।^१ चोरी करने की भावना आते ही अपने भाव प्राणों की तो हिंसा होती ही है, दूसरे व्यक्ति की वस्तु ले लेने से उसको पीड़ा होती है । अतः उसके भाव प्राणों का घात हुआ और उसने धन ले लेने से उसका द्रव्य प्राणों का घात हुआ क्योंकि धन्य धान्य सम्पत्ति आदि व्यक्ति का के लिए बाह्य प्राणों के सदृश हैं ।^२ इसलिये चोरी हिंसा ही है । यदि प्रमत्त योग न हो तो बालक में अदत्त वस्तु का ले लेना चोरी नहीं कहलायगी ।

चोरी का सर्वथा त्याग तो मुनि ही करते हैं । वे तो कुएँ-तालाब आदि से जल तक नहीं लेते, जो सार्वजनिक कहे जाते हैं । किन्तु गृहस्थ स्थूल चोरी का त्यागी होता है । वह किसी की मार्ग में या अन्यत्र पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु नहीं लेगा, लूट मार, जेब काटना, ताल चटकाना डाकेजनी आदि नहीं करेगा, न करायेगा ।

कभी कभी घर में, खेत में, जंगल में खजाना गढ़ा हुआ मिल जाता है, या किसी का बटुआ पड़ा हुआ मिल जाता है । उस समय अर्चीर्य प्रती का कर्त्तव्य है कि वह उस खजाने या धन की सूचना सरकार को दे दे, उसे स्वयं न ले । यदि वहीं सरकार को सूचना देने की सुविधा परिस्थितिवश उसे नहीं मिल पावे तो वह उसे वहीं पड़ा

१—तत्त्वार्थ सूत्र अ० ७ सूत्र १८

२—पुरुषार्थ० १०२ १०३ । अमितगति धा० ६-६१ ।

सागर धर्मागृत ४ ४७ ।

रहने दे। लावारिस धन का स्वामी राजा माना गया है।^१ यदि कभी उसे अपने धन में भी संदेह हो जाय तो उसे वह भी नहीं ग्रहण करना चाहिये और न दूसरे को ही देना चाहिये।

कई कारणां से उसके मत में दोष लगने की सम्भावना हो सकती है। अतः वह इन कारणां का विवेकपूर्वक परिहार करता रहे। जैसे (१) वह स्वयं तो चोरी नहीं करता है किन्तु दूसरे को चोरी की प्रेरणा करता है या चोर के कार्य का समर्थन करता है। (२) चोर चुरा कर जो वस्तु लावे, उसे ले लेना। (३) राज्य की अव्यवस्था या शासन की स्थितिलता से एक राज्य से कम मूल्य की वस्तुयें ले जाकर दूसरे राज्य में अधिक मूल्य पर बेचना। अधिक मूल्य की चीज सस्ते दामों में खरीद लेना। इस तरह चोरबाजारी या तस्कर व्यापार करना, रिश्वत लेना या देना, राष्ट्र पर आक्रमण होने पर शत्रु राष्ट्र से कुछ आर्थिक लोभ के कारण अपने राष्ट्र के विरुद्ध शत्रु राष्ट्र को किसी प्रकार की सहायता करना। (४) नापने-तौलने के उपकरणां का हीनाधिक मानो-न्मान अर्थात् दूसरे से चीजें लेते समय नाप-तौल के बड़े उपकरणां से लेना और देते समय कम नाप-तौल के उपकरणां से देना। (५) और चीजों में मिलावट करना—जैसे घी में वनस्पति घी मिलाना, वनस्पति घी में चर्बी मिलाना, दूध में पानी मिलाना, सोने में ताँबा मिलाना।

ये सभी कार्य एक प्रकार से चोरी ही कहलाते हैं। कानूनी दृष्टि से तो ये सभी दण्डनीय अपराध हैं ही, किन्तु नैतिक दृष्टि से चोरी की चीजों का व्यवसाय करना, चोर-बाजारी, तस्कर व्यापार, रिश्वत, मिलावट ये सभी कार्य ऐसे हैं, जिनसे आत्मा की तेजस्विता कम होती

• ग्रहिसा दर्शन

का कोई निर्वाध अवसर नहीं मिल जाता, उसे स्वदार सेवन भी अनासक्ति पूर्वक करना चाहिये। जिस प्रकार भूत लगने पर उसकी शान्ति और सन्तोष के लिये अन्न खाया जाता है, उसी प्रकार मैथुन की वेदना और मन क सन्तार की शान्ति जितने से हो सकती है, उतना ही ससर्ग अनासक्ति पूर्वक करना चाहिये। अत्यधिक भोगों से अत्यधिक हिंसा होती है, इसलिये धर्म का तो नाश होता ही है, किन्तु उससे शारीरिक शक्तियों का भी क्षय होता है। फलतः अर्थ और काम पुरुषार्थ का भी नाश होता है।^१

सामान्यतः स्व-दार-सन्तोष व्रती पर स्त्रियों का अवश्य त्यागी होता है। परस्त्री का तात्पर्य दूसरे की स्त्री नहीं, अपितु निज स्त्री से भिन्न स्त्री है। अर्थात् वह अपनी स्त्री को छोड़कर शेष सम्पूर्ण स्त्री मात्र को माना, नहन और पुत्री की दृष्टि से देखता है। इसलिये वह किसी अविवाहित कन्या को स्वार्थ वश न कोई दूषण लगायेगा, न गन्धर्व निराह करेगा और न किसी कन्या का अपहरण करेगा^२। वह ऐसे कार्य भी नहीं करेगा जिससे अनावश्यक कामोद्दीपन हो। जैसे वह दूसरी स्त्रियों क साथ कामोत्तेजक बातें नहीं करेगा, उनके अंगों की इस दृष्टि से नहीं देखेगा, उनसे साथ नृत्य नहीं करेगा, न उनके नग्न नृत्यां को देखेगा, कामोत्तेजक उपन्यास आदि नहीं पढ़ेगा, सिनेमा आदि नहीं देखेगा। यहाँ तक कि कामोत्तेजक भोजन नहीं करेगा।

स्वदार सन्तोष व्रत अधिकांशतः भावनामूलक व्रत है। प्रत्यक्षतः यह आचार शुद्धि की एक कठोर नैतिक साधना है, किन्तु मूलतः

१—सातार धर्मावृत अ० ३—२६, ४—२२

२—
" ३—२३

यह विचार-शुद्धि के लिये संवेद्यता स्वाकृत प्रतिष्ठा है। मनुष्य की वातना पहले मन में आती है। इसे हम मानसिक व्यभिचार का नाम दे सकते हैं। शरीर की रचना में स्नायविक प्रणाली का सूक्ष्म अध्ययन हमारे समस्त कुल्ल रोचक निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उसमें से एक यह है कि मन में व्यभिचार की भावना या विकार जागृत होते ही सारे शरीर में-शरीर के विभिन्न अवयवों में तरंगों की उठने लगती हैं और जैसे बिजली का स्विच दबाते ही बिजली का सारा सिस्टम बिजली से अनुप्राणित हो उठता है, उसी प्रकार शरीर की सम्पूर्ण धातुओं सामान्य (normal) से अधिक तीव्र गति से संचरित होने लगती हैं। इससे उन धातुओं की शक्ति पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। दूसरी ओर ये अपने असामान्य दबाव के कारण शरीर के प्रजननाङ्गों को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार का दबाव जब अत्यधिक पड़ने लगता है, तो धातुओं की शक्ति न केवल क्षीण होने लगती है, अपितु उसमें शरीर का शक्ति-सन्तुलन बिगड़ जाता है और इस तरह शरीर की सम्पूर्ण स्नायविक प्रणाली निर्बल पड़ जाती है। इसी को हम व्यावहारिक भाषा में क्षीणता, दुर्बलता, यक्ष्मा आदि विभिन्न रोगों का नाम दे देते हैं।

इसका अर्थ यह हुआ कि मानसिक व्यभिचार हमारी सारी स्नायविक प्रणाली को उत्तेजित और प्रभावित करता है और उससे हमारे मानसिक और शरीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिये ब्रह्मचर्य मूलतः इस मानसिक व्यभिचार के प्रतिरोध की साधना है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो यह विचार-शुद्धि का अनिवार्य नैतिक मार्ग है। इसके बिना विचार-शुद्धि नाम की कोई चीज संभव हो सकती है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

विचार-शुद्धि ही आचार-शुद्धि की अनिवार्य शर्त है। और

● अहिंसा दर्शन

का कोई निर्वाध अवसर नहीं मिल जाता, उसे स्वदार सेवन भी अनासक्ति पूर्वक करना चाहिये। जिस प्रकार भूख लगने पर उसकी शान्ति और सन्तोष के लिये अन्न खाया जाता है, उसी प्रकार मैथुन की वेदना और मन क सन्ताप की शान्ति जितने से हो सकती है, उतना ही ससर्ग अनासक्ति पूर्वक करना चाहिये। अत्यधिक भोगों से अत्यधिक हिंसा होती है, इसलिये धर्म का तो नाश होता ही है, किन्तु उसका शारीरिक शक्तियों का भी क्षय होता है। फलतः अर्थ और काम पुनर्प्राप्त का भी नाश होता है।^१

सामान्यतः स्वदार-सन्तोष व्रती पर स्त्रिया का अवश्य त्यागी होता है। परस्त्री का तात्पर्य दूसर की स्त्री नहीं, अपितु निज स्त्री से भिन्न स्त्री है। अर्थात् वह अपनी स्त्री को छोड़कर शेष सम्पूर्ण स्त्री मात्र को माता, गहन और पुत्री की दृष्टि से देखता है। इसलिये वह किसी अविवाहित कन्या को स्वार्थ वश न कोई दूषण लगायेगा, न गन्धर्व विवाह करेगा और न किसी कन्या का अपहरण करेगा^२। वह ऐसे कार्य भी नहीं करेगा जिससे अनावश्यक कामोद्दीपन हो। जैसे वह दूसरी स्त्रियाँ के साथ कामोत्तेजक बातें नहीं करेगा, उनके अंगों को इस दृष्टि से नहीं देखेगा, उनके साथ नृत्य नहीं करेगा, न उनके नग्न नृत्या को देखेगा, कामोत्तेजक उपन्यास आदि नहीं पढ़ेगा, सिनेमा आदि नहीं देखेगा^३। यहाँ तक कि कामोत्तेजक भोजन नहीं करेगा।

स्वदार सन्तोष व्रत अधिकांशतः भावनामूलक व्रत है। प्रत्यक्षतः यह आचार शुद्धि की एक फटोर नैतिक साधना है, किन्तु मूलतः

१—सागर धर्मांशुत अ० ३—२३, ४-२२

२—
" ३—२३

यह विचार-शुद्धि के लिये स्वच्छता स्वीकृत प्रतिज्ञा है। मनुष्य की वासना रहले मन में आती है। इसे हम मानसिक व्यभिचार का नाम दे सकते हैं। शरीर की रचना में स्नायविक प्रणाली का सूक्ष्म अध्ययन हमारे मन को कुछ रोचक निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उसमें से एक यह है कि मन में व्यभिचार की भावना या विचार जागृत होते ही सारे शरीर में-शरीर के विभिन्न अवयवों में तरंगों की टटने लगती हैं और जैसे बिजली का स्विच दबाते ही बिजली का सारा सिस्टम बिजली से अनुप्राणित हो उठता है, वही प्रकार शरीर की सम्पूर्ण धातुयें सामान्य (normal) से अधिक तीव्र गति से संचरित होने लगती हैं। इससे उन धातुओं की शक्ति पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। दूसरी ओर वे अपने असामान्य दबाव के कारण शरीर के प्रजननाङ्गों को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार का दबाव जब अत्यधिक पड़ने लगता है, तो धातुओं की शक्ति न केवल खींच होने लगती है, अपितु उससे शरीर का शक्ति-सन्तुलन बिगड़ जाता है और इस तरह शरीर की सम्पूर्ण स्नायविक प्रणाली निर्वल पड़ जाती है। इसी को हम व्यावहारिक भाषा में क्षीणता, दुर्बलता, यक्ष्मा आदि विभिन्न रोगों का नाम दे देते हैं।

इसका अर्थ यह हुआ कि मानसिक व्यभिचार हमारी सारी स्नायविक प्रणाली को उत्तेजित और प्रभावित करता है और उससे हमारे मानसिक और शरीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिये ब्रह्मचर्य मूलतः इस मानसिक व्यभिचार के प्रतिरोध की साधना है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो यह विचार-शुद्धि का अनिवार्य नैतिक मार्ग है। इसके बिना विचार-शुद्धि नाम की कोई चीज संभव हो सकती है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

विचार-शुद्धि ही आचार-शुद्धि की अनिवार्य शर्त है। और

• अहिंसा दर्शन

आचार शुद्धि सामाजिक व्यवस्था और न्याय प्रतिष्ठा की आधार शिला है। इस रूप में समाज में व्यवस्था मनी रहे, सभी को समुचित न्याय मिल सके, इसने लिये मानसिक व्यभिचार के प्रतिरोध के इस ऋत को अङ्गीकार करना ही पड़ेगा।

इस ऋत का सामाजिक व्यवस्था और न्याय प्रतिष्ठा का सम्बन्ध है, इसको समझने के लिये हम कुछ गहराई में जानना होगा। सत्कार में भगवाण का वर्गाकरण किया जाय तो हम मिलेगा कि उसके दो ही कारण है—(१) म्ना पुरुष और (२) परिग्रह। जिस प्रकार ब्रह्मचर्य का सारी विनयना मुनिष्ठा के लिये पुरुष का माध्यम बनाकर का है। उसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रह्मचर्य की उपयोगिता केवल पुरुष के लिये है, स्त्रियों के लिये नहीं है। पुरुष शब्द तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिये एक प्रतीक मात्र है। किन्तु वह है दोनों के लिये ही उपाध्य। इसी प्रकार हम यहाँ पुरुष की दृष्टि से भगवाण का एक कारण स्त्री को मान सकते हैं, जब कि दूसरा कारण परिग्रह है ही। जिस प्रकार सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिये परिग्रह की अमर्यादित आकाङ्क्षा और उसके अमर्यादित समूह के नियमन के लिये परिग्रह परिमाण मन का विधान किया गया है, और उसके उद्देश्य रहा है कि इस लोक की असीम संपदा या परिग्रह का एक स्थान पर पतन और दूसरे स्थान पर गड़टा होकर निपमता को अतसर न मिल पाय, उसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था और न्याय प्रतिष्ठा के लिये, अमर्यादित भाग लालसा और अमर्यादित स्त्री समूह की आकाङ्क्षा के नियमन के लिये ब्रह्मचर्याणुवत का विधान किया गया है, अथवा अमर्यादित भोगाकाङ्क्षा के फलस्वरूप स्त्रियों को लेकर अवाञ्छनीय स्पर्धा और सपर्प उत्पन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार अमर्यादित स्त्री समूह के द्वारा समाज

में अनावश्यक संग्रह और अभाव के रूप में विषमता पैदा हो सकती है। परिश्रम तो असीम है, उसके कारण उत्पन्न हुई विषमता से असन्तोष, वर्ग-विद्वेष और युद्ध तक हो जाते हैं। फिर स्त्रियाँ तो सीमित हैं। जैसे कि पुरुष सीमित हैं। प्रकृति ने दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया है। इसलिये उनकी संख्या भी प्रायः समान बनाई है। यदि स्त्री या पुरुष में से किसी का एक स्थान पर संग्रह हो जाय तो उससे अभाव प्रतीति को समुचित न्याय मिलाने की आशा क्षीय हो जायगी। इसलिये हम कहते हैं, कि ब्रह्मचर्याणुव्रत अर्थात् स्वदार सन्तोष व्रत सामाजिक व्यवस्था और न्याय-प्रतिष्ठा के लिये अत्यन्त आवश्यक है।—आदि काल से लेकर पुरुष ने अपने ही भाइयों का अवतक जितना रक्त बहाया है, उसमें अनियन्त्रित कामुकता का भाग कम नहीं है।

स्त्री-पुरुषों द्वारा दाम्पत्य स्वीकार किसी निश्चित सामाजिक प्रणाली द्वारा होता है। दाम्पत्य का यह विधान मुख्यतः सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता के लिये होता है। दाम्पत्य-जीवन का यह अंगीकार-वस्तुतः एक साधना है, एक नियंत्रण है और दूसरे शब्दों में यह दाम्पत्य अङ्गीकार करने वाले स्त्री और पुरुष दोनों के लिये विवाह के नाम से सामाजिक स्वीकृति है। कल्पना करें, यदि स्त्री-पुरुषों के लिये दाम्पत्य या विवाह का कोई नियम या बन्धन न होता, हर पुरुष और हर स्त्री का पारस्परिक सम्बन्ध केवल काम यासना की पूर्ति तक होता और उस पूर्ति के लिये वे सर्वथा स्वतन्त्र होते तो उस समय क्या स्थिति होती। संभवतः उस स्थिति में बलात्कार, अपहरण, संधर्ष, द्वेष, युद्ध यही सामान्य दृश्य होते। उस स्थिति में मनुष्य का जीवन कुत्तों का सा हो जाता। इसलिये विवाह द्वारा दाम्पत्य जीवन अंगीकार कर व्यक्ति स्वदार सन्तोष व्रत ग्रहण करे और परस्त्रियों के प्रति मानसिक, वाचनिक

● अहिंसा-दर्शन

श्रीर कायिक व्यवहार का सर्वथा परित्याग करदे, यह विधान अगीसार किया गया, जिससे व्यक्ति आत्म-सन्तुष्टि के साथ एक निश्चित मर्यादा में रह सके और सब प्रकार की उच्छृंखलताओं का परित्याग कर सके।

इस प्रकार का स्वदार-सन्तोषी व्यक्ति (१) दूसरे के लङ्कालङ्कियों का विवाह पराता नहीं फिरेगा, चाहे वह शौकिया हो या पेशा बना कर हो। (२) न वह पुश्चली विवाहित स्त्रियों के साथ कुचेष्टा आदि करेगा (३) न वह दुराचारी अविवाहित स्त्रियों के साथ कुचेष्टा आदि करेगा, ये स्त्रियाँ वेश्या हों, दासी हों, कुमारी हों या और कोई हों (४) काम क्रीडा क अगों के अतिरिक्त अन्य अगों के साथ काम-क्रीडा (अमाकृतिक मैथुन) नहीं करेगा (५) और न वह काम सेवन की तीव्र अभिलाषा मन में जागने देगा। चाहे यह अभिलाषा अपनी स्त्री क प्रति ही क्यों न हों।^१

यदि व्यक्ति इस स्वदार-सन्तोष फल को ही जीवन में अपना ले तो उसका जीवन अत्यन्त आत्म-सन्तुष्ट और नीतिरु बन जाता है। फिर यदि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाय तो उसका तो आत्म-तेज अवश्य ही प्रज्वलित हो उठेगा। और उसरी तेजस्विता के आगे न केवल मानव ही, बल्कि देवता-गण तक सिर मुकायेगे।^२

यस्तुओं में मुच्छा, आसक्ति, मोह यही परिग्रह है।^३ जीवन में आवश्यकतायें होती हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति पदार्थों से होती है।

१—तत्पार्य सूत्र ७ २८ । पुरुषार्य० १८६ । सातार धर्मा० ४ २८

२—देव वाणव गन्धर्वा.....

३—तत्पार्य सूत्र ७ १७ । पुरुषार्य० १११

किन्तु पदार्थ स्वयं में परिग्रह नहीं हैं। हमारी ममता उनसे जुड़ती है, तब पदार्थ भी परिग्रह हो जाता है। ममता न परिग्रह परिमाण हो तो पदार्थ मनुष्य के लिए मूल्यहीन है। ममता अशुभत हो तो वही पदार्थ मनुष्य के लिए बन्धन हो जाता है। इस तरह मूलतः ममता ही परिग्रह है। ममता जिन पदार्थों से जुड़ जाती है, वे भी फिर परिग्रह हो जाते हैं। इस तरह परिग्रह के दो रूप रहे—ममता यानी आम्यन्तर, पदार्थ यानी बाह्य। वे चेतन हो या अचेतन।

कोई व्यक्ति ऐसा है, जिसके पास संसार का कोई पदार्थ नहीं, तन पर वस्त्र तक नहीं। यदि उसके मन में भी आसक्ति की वासना है तो वह भी परिग्रही कहलाएगा।

शास्त्र पदार्थ हमारे अन्तर की आसक्ति को जगाते हैं। इसलिये वे हमारे लिए परिग्रह हैं।

रूपया स्वयं में बाँक है। वस्तु-विनिमय का साधन होने से उसका मूल्य है। यदि वह एक स्थान पर पड़ा रहे तो उससे कुछ पैदा होने वाला नहीं। कई लोग रूपया जमीन में गाढ़ देते हैं। जब तक वह रूपया वहाँ गढ़ा है, तब तक उससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिये तब तक वह धन नहीं है। किन्तु उन लोगों की मूर्च्छा उस धन में है, इसलिये वह उनके लिये बन्धन कारक है, दुःख कारक है।

मूर्च्छा या ममता दुःख कारक है, यह हमारे दैनिक जीवन का अनुभव है। एक बालक मोटर से कुचल कर मर गया। उसे देखकर हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, किन्तु जब मालूम पड़ जाय कि यह बालक

* अहिंसा-दर्शन

और किसी का नहीं, मेरा ही है तो कितना दुःख होता है। राम ने श्याम को अपना मकान बेच दिया। मकान जब तक राम का था, राम को उसकी ईंट २ से मोह था। कोई एक ईंट उखाड़ लेता तो उसे दुःख होता, क्रोध भी आता। जब वह श्याम को बेच दिया, उणका मोह उससे हट गया। बेचने के आठ दिन बाद बाद में वह बह गया, किन्तु इससे राम को कोई कष्ट नहीं हुआ, कष्ट श्याम को हुआ क्योंकि अब तो वह श्याम के मोह का केन्द्र बना हुआ था।

यस्तुतः मोह ही संसार में सबसे बड़ा हिंसा का रूप है क्योंकि उससे अपने भाव प्राणों की हिंसा होती है। और बाह्य पदार्थ उस मोह के कारण हैं, इसलिये वे भी हिंसा रूप ही हैं १।

मनुष्य में भोग की इच्छा स्वाभाविक है। भोग ही उसके लिये आवश्यकता बने हुए हैं। इन आवश्यकताओं की या भोग की पूर्ति पदार्थों से होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति से अतृप्ति और अतृप्ति से भोगेच्छाओं की वृद्धि होती जाती है। उसकी इच्छायें जैसे २ बढ़ती जाती है, उसकी आवश्यकताओं का परिमाण भी धीरे २ ही बढ़ता जाता है, और उससे फिर अतृप्ति बढ़ती है। इस प्रकार भोगेच्छा से आवश्यकताओं और अतृप्ति का चक्र सदा चलता रहता है और यह व्यक्ति असहाय या उमम पड़ा छटपटाता रहता है। सारा संसार इसी चक्र में पड़ा पड़ा कम या अधिक यन्त्रणायें पा रहा है।

मनुष्य में मुख की स्वाभाविक इच्छा है। मुख के दो ही मार्ग अन तरु जाने पहचाने हैं। एक तो यह कि हमारा शरीर, हमारी इन्द्रियाँ और हमारा मन जिन चीजों से प्रसन्न हो, सन्तुष्ट हो, उन

चीजों की प्राप्ति होती रहे। चीजों से-पदार्थों से मुख खोज निकालने, पाने की यह आशा भौतिक है। दूसरा मार्ग है कि ये पदार्थ शरीर को सन्तुष्ट कर सकते हैं, इन्द्रियों की तृप्ति कर सकते हैं और मन को मुख दे सकते हैं, किन्तु मुझे नहीं। शरीर, इन्द्रिय और मन के मुख से मेरा यानी आत्मा का मुख पृथक् है। इसलिये शरीर, इन्द्रिय और मन की वासना का प्रतिरोध न हो, तब तक मेरा मुख मुझे न मिल सकेगा और इनकी वासना पदार्थों के कारण है, इसलिए वासना के त्याग के लिए पदार्थों का क्रमिक त्याग करना ही श्रेय है। पदार्थों के त्याग की भूमिका पदार्थों का सीमाकरण है। अपनी आवश्यकता जितनी हैं, उतने पदार्थों यानी परिग्रह की सीमा बना ली। धीरे-धीरे आवश्यकतायें घटाते जायें; इससे परिग्रह की सीमा, परिग्रह का परिमाण भी सीमित, संकुचित होता जायगा और एक दिन हम अपनी आवश्यकताओं के स्वयं स्वामी बन कर उन्हें अनावश्यक समझ कर छोड़ भी सकेंगे। इससे शरीर, इन्द्रिय और मन के मुख को मिटा कर हम अपना मुख पा सकेंगे। यह आध्यात्मिक मार्ग है।

भौतिक मार्ग हमें सरल लगता है, आध्यात्मिक मार्ग कुछ अटपटा सा, कठिन सा लगता है। हमारी आवश्यकतायें, हमारी आकांक्षायें भौतिक हैं। वे मिल जायें तो हमें मुख मिलेगा ऐसी हमारी मान्यता बन गई है। भौतिक पदार्थों से मिलने, वाला मुख हमें प्रत्यक्ष दीखता है। इनके त्याग से मुख मिलने की कोई संभावना अप्रत्यक्ष लगती है। वारिष्ठ की संभावना में घड़ा फोड़ने की मूर्खता कैसे करें, ऐसे हमारे संस्कार बन गये हैं।

मनुष्य के जीवन-यापन की कुछ आवश्यकतायें हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पदार्थों की और पदार्थों की प्राप्ति के लिये

* अहिंसा-दर्शन

और किसी का नहीं, मेरा ही है तो कितना दुःख होता है। राम ने श्याम को अपना मकान बेच दिया। मकान जब तक राम का था, राम को उसकी ईंट २ से मोह था। कोई एक ईंट उखाड़ लेता तो उसे दुःख होता, क्रोध भी आता। जब वह श्याम को बेच दिया, उसका मोह उससे हट गया। बेचने के आठ दिन बाद बाद में वह बह गया, किन्तु इससे राम को कोई फ़ट नहीं हुआ, फ़ट श्याम को हुआ क्योंकि अब तो वह श्याम के मोह का केन्द्र बना हुआ था।

वस्तुतः मोह ही संसार में सबसे बड़ा हिंसा का रूप है क्योंकि उससे अपने भाव प्राणों की हिंसा होती है। और बाह्य पदार्थ उस मोह के कारण हैं, इसलिये वे भी हिंसा रूप ही हैं^१।

मनुष्य में भोग की इच्छा स्वभाविक है। भोग ही उसने लिये आवश्यकता बने हुए हैं। इन आवश्यकताओं की या भोग की पूर्ति पदार्थों से होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति से अतृप्ति और अतृप्ति से भोगेच्छाओं की वृद्धि होती जाती है। उसकी इच्छायें जैसे २ बढ़ती जाती है, उसकी आवश्यकताओं का परिमाण भी धीरे २ ही बढ़ता जाता है, और उससे फिर अतृप्ति बढ़ती है। इस प्रकार भोगेच्छा से आवश्यकताओं और अतृप्ति का चक्र सदा चलता रहता है और यह व्यक्ति असहाय सा उसमें पड़ा छुटपटाता रहता है। सारा संसार इसी चक्र में पड़ा पड़ा धम या अधिक यन्त्रणायें पा रहा है।

मनुष्य में सुख की स्वभाविक इच्छा है। सुख के दो ही मार्ग अब तक जाने पहचाने हैं। एक तो यह कि हमारा शरीर, हमारी इन्द्रियाँ और हमारा मन जिन चीजों से प्रसन्न हो, सन्तुष्ट हो, उन

● अहिंसा और व्रत-विधान

चीजों की प्राप्ति होती रहे। चीजों से-पदार्थों से मुख खोज निकालने, पाने की यह आशा भौतिक है। दूसरा मार्ग है कि ये पदार्थ शरीर को सन्तुष्ट कर सकते हैं, इन्द्रियों की तृप्ति कर सकते हैं और मन को मुख दे सकते हैं, किन्तु मुझे नहीं। शरीर, इन्द्रिय और मन के मुख से मेरा यानी आत्मा का मुख पृथक् है। इसलिये शरीर, इन्द्रिय और मन की वासना का प्रतिरोध न हो, तब तक मेरा मुख मुझे न मिल सकेगा और इनकी वासना पदार्थों के कारण है, इसलिए वासना के त्याग के लिए पदार्थों का क्रमिक त्याग करना ही श्रेय है। पदार्थों के त्याग की मूमिका पदार्थों का सीमाकरण है। अपनी आवश्यकता विनिती हैं, उतने पदार्थों यानी परिग्रह की सीमा बना ली। धीरे-धीरे आवश्यकतायें घटाते जायें; इससे परिग्रह की सीमा, परिग्रह का परिमाण भी सीमित, संकुचित होता जायगा और एक दिन हम अपनी आवश्यकताओं के स्वयं स्वामी बन कर उन्हें अनावश्यक समझ कर छोड़ भी सकेंगे। इससे शरीर, इन्द्रिय और मन के मुख को मिटा कर हम अपना मुख पा सकेंगे। यह आध्यात्मिक मार्ग है।

भौतिक मार्ग हमें सरल लगता है, आध्यात्मिक मार्ग कुछ अटपटा सा, कठिन सा लगता है। हमारी आवश्यकतायें, हमारी आकांक्षायें भौतिक हैं। वे मिल जायें तो हमें कुछ मिलेगा ऐसी हमारी मान्यता बन गई है। भौतिक पदार्थों से मिलने, वाजा मुख हमें प्रत्यक्ष दीखता है। इनके त्याग से मुख मिलने की कोई संभावना अप्रत्यक्ष लगती है। वारिध की संभावना में पदा छोड़ने की मूर्खता बँट करे, ऐसे हमारे संस्कार बन गये हैं।

मनुष्य के जीवन-यापन की कुछ आवश्यकतायें हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पदार्थों की और पदार्थों की प्रा

● अहिंसा दर्शन

पूँजा की आवश्यकता है। आज की आवश्यकता मर के लिये हमें मिल गया तो हमें कल की चिन्ता आज ही खताने लगती है। इसलिये कल के लिये भी हम आज ही संनय करके चलना चाहते हैं, मनुष्य में ऐसी एक सहज मनोवृत्ति है। अभिजात्यत इस मनोवृत्ति का कारण सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं। ये परिस्थितियाँ सदा से रही हैं। इसलिये उसकी यह विवशता संस्कार बन गई है, सहज स्वभाव बन गई है। (व्यक्ति की इस विवशता का उपचार विभिन्न राज-नैतिक प्रणालियों ने अपने-अपने ढंग से किया, किन्तु कल की चिन्ता से मुक्त होने के लिए आज ही संनय कर लेने की यह बीमारी व्यक्ति से निकल कर सारे राष्ट्र को लग गई।) उसका यह क्या कभी न खाने वाला, कभी न समाप्त होने वाला अन्तहीन कल है। उस अन्तहीन कल के लिए वह आज ही संनय करने का सदा ही प्रयत्न करता रहता है। यह संनय आवश्यकताओं के नाम पर किया जाता है। किन्तु वस्तुतः जो संनय अन्तहीन कल के लिए किया जाता है, उसका आवश्यकताओं से फिर कोई मूल नहीं रह जाता। यह संनय तो फिर एक वृत्ति बन जाता है। फलतः यह सत्य अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि संनय आवश्यकताओं के लिए नहीं होता, वृत्तिवश होता है। और फिर सारा संनय ही आवश्यकता बन जाता है।

आज का सारा व्यवहार अर्थ की धुरी पर स्थित है। अर्थ से ही आज मुख्य सुविधा, सम्मान प्रतिष्ठा, जीवन-नियाम और भोग विलास की सम्पूर्ण सामग्री मिल सकती है। इसलिये हर व्यक्ति अर्थ-संचय के लिए उत्सुक है। किन्तु अर्थ संचय के लिए जिस बुद्धि, अवसर (भाग्य), साधन की अपेक्षा की जाती है, वह सबको समाप्त नहीं मिलते। किसी न किसी बात की कमी रह ही जाती है। जिसे ये सभी चीजें मिल जाती

हैं, यह अर्थ-संचय कर लेता है। किन्तु यह तथ्य न मूलना चाहिये कि अर्थ-संचय के लिये जिन बातों की आवश्यकता है, उनमें राज-नैतिक और प्रशासकीय प्रणाली की अनुकूलता भी अनिवार्य है।

अर्थ-संचय की मनोवृत्ति में से शोषण का जन्म होता है। मनुष्य ने सामाजिक व्यवस्था और प्रशासकीय प्रणालियाँ इस प्रकार की निर्मित की हैं कि उनमें शोषण के बिना अर्थ-संचय संभव ही नहीं रह गया है। अनेक छोटे मनुष्यों का शोषण करके ही एक बड़ा मनुष्य बनता है। अनेक निर्धन भूमिकों के शोषण पर ही धनवान् का ऐश्वर्य खड़ा होता है।

सारी पूँजीवादी समाज और राज्य-व्यवस्था इसी शोषण के ऊपर खड़ी हुई है। उसके सारे विधि-विधान और कानून शोषण को ही प्रोत्साहन देते हैं। पूँजीवादी समाज-व्यवस्था का उद्देश्य है—पूँजी को महत्व और प्राधान्य और श्रम को पूँजी का मुस्तापेची बना देना। श्रम बिना पूँजी के विवश है अपने जीवन यापन के लिए। इसलिये पूँजी श्रम की विवशता से लाभ उठाती है। पूँजी भूमिक के श्रम से बढ़ती है, किन्तु भूमिक को अपने श्रम का पूरा फल नहीं मिलता।

चूँकि पूँजी का महत्व है, श्रम का नहीं। फलतः (१) पूँजी श्रम का शोषण करती है। (२) शोषण करने पर भी पूँजी भूमिक को जीवन यापन की मुविधा देने का अनुग्रह करती है। (३) इससे समाज में दो वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं—पूँजीपति और भूमिक। (४) अनुग्रह की भावना के कारण पूँजीपति में दम्भ उत्पन्न हो जाता है। वह अपने को भूमिकों से बड़ा समझने लगता है। इसलिये श्रम उसकी दृष्टि में हेय, तुच्छ हो जाता है। इसलिए वह स्वतः श्रम करना अपनी अप्रतिष्ठा समझता है। (५) विवशता से भूमिक पूँजीपति का अनुग्रह

● संहिता दर्शन

स्वीकार कर लेता है। उसकी दृष्टि में पूँजी का महत्व बढ़ जाता है। फलतः वह अपने आपको हीन मानने लगता है। (६) पूँजीपति की पूँजी बिना स्वयं भ्रम किये बढ़ती जाती है और भ्रम देकर भी भ्रमिक अपने जीवन का निर्वाह कठिनाई से कर पाता है। (७) इस वर्ग-विरोध से ईर्ष्या, असन्तोष, घृणा, द्वेष और सघर्ष उत्पन्न होता है।

पूँजीपति उस हर विपश्य व्यक्ति का शोषण करता है, जो उसकी पूँजी की किसी रूप में भी अपेक्षा करता है। अतः क्षेत्र मलेही अलग-अलग हों, शोषण का रूप एक ही है। मिल मालिक मजदूर का शोषण करता है, किसान अपने ग्येतिहर मजदूर का शोषण करता है। पत्र का मालिक पत्रकारों का और प्रकाशक लेखक विद्वानों का शोषण करने से नहीं चूकता। सर्वियों में काम के दाम नियत कर दिये जाते हैं। वहाँ योग्यता के दाम नहीं मिलते।

किसी अमाने में ऐसा होता था कि बड़े बड़े सराफों और साहूकारों के यहाँ कोई गहना, रक्म, दर्शन आदि अमानत रखने जाता था तो साहूकार उस अमानत की रखवाली के लिये कुछ मेहनताना या ब्याज लेता था। आज भी वही २ ऐसा होता है। किन्तु आज जैसी आर्थिक रचना है, उसमें यदि कोई व्यक्ति साहूकार के यहाँ पड़ी हुई पूँजी को उसके उधार लेता है और किसी उत्पादक काम में लगाता है तो साहूकार उस रक्म की हिफाजत के लिये उसे कोई मेहनताना या ब्याज नहीं देता, बल्कि उल्टे वह रुपया देकर उस व्यक्ति पर मानो एक अनुग्रह करता है और उसके उसका ब्याज भी वसूल करता है।

वास्तव में हम इस आर्थिक-रचना के इतने आदी हो गये हैं कि हमें यह तक पता नहीं चलता कि शोषण कहाँ हो रहा है। शोषण करने और शोषित होने के हमारे संस्कार अत्यन्त मद्धमूल हो गये हैं।

शोषण हमारा स्वभाव बन गया है। तभी तो तांगे के घोड़े को बेचल पास और निश्चित ही रातब-दाना मिलेगा, चाहे उसके भ्रम से तांगे वाला दिन में कितना ही कमा ले। हल या गाड़ी में छुटने वाला गरीब बैल केवल भूसा ही पा सकेगा, चाहे किसान ने उससे कितना भी पैदा किया हो।

यदि विचार किया जाय तो सोने, चांदी का सिक्का स्वयं में बांभ है। यह अपने आर नहीं बढ़ सकता। विजोड़ी में रख दीजिये तो उसके सवा सोलह आने होने वाले नहीं हैं। व्यापार में, उद्योग में लगा दीजिये तो नफा मिलेगा। जो नफा मिला, यह मजदूर की मेहनत का है। किन्तु उस नफे का एक छोटा सा भाग मजदूर को मिल सका और शेष भाग पंजीनानि को। अर्थ-व्यवस्था का यह रूप शोषण का रूप है।

मनुष्य में अर्थ-संचय की भावना और उस संचय के लिये शोषण से सभी हिंसा पर आधारित हैं। इस तरह सारी पूंजीवादी अर्थ-रचना हिंसा पर निर्भर है।

जैसे अनेक छोटे मनुष्यों का शोषण करके एक बड़ा मनुष्य बनता है, इसी प्रकार छोटे राष्ट्रों का शोषण करके बड़े राष्ट्र बनते हैं। बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों का शोषण करते हैं। पहले युद्ध होते थे राजाओं की व्यक्तिगत स्वर्षा के आधार पर, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण। किन्तु आज प्रजासत्तात्मक प्रणाली के युग में न तो राजाओं का यह रूप रहा और न युद्धों का, जो पहले था। अब तो राज्यों की स्वर्षा व्यापार की स्वर्षा है। हर बड़ा राज्य असहाय और निर्बल राष्ट्रों के बाजार पर, कच्चे माल पर अधिकार पाना चाहता है। उच्च बढ़ा जाये तो अब हर साम्राज्य व्यापारियों का संगठन है और इसमें भी अधिक सत्य यह है कि अब उन साम्राज्यों के लिये युद्ध भी एक व्यापार बन गया है।

उसका कारण है। युद्ध के इस व्यापार द्वारा वे दूसरे राष्ट्रों में आत और मय का एक वातावरण तैयार कर देते हैं। इससे उनके हथियार जहाज, मोटरें, मशीनरी आदि का व्यापार जोरों से चल निकलता है और आतकप्रस्त राष्ट्र को ये चीजें मुहमागे दाम पर बेच दी जाती हैं। आज के युग में बड़े राष्ट्रों द्वारा किये जाने वाले सुरक्षा-सन्धियों आडम्बर व्यापार और शोषण के ऐसे जाल हैं, जिनमें निर्बल स्वतः आफँसने के लिये प्रेरित होते हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्ति के शोषण को दूर करने के लिये दुनिया में कई प्रणालियों का आविष्कार हुआ है। उनमें एक प्रणाली समाजवाद। इसी का एक रूप है साम्यवाद।

समाजवाद के पुरस्कर्ताओं के समस्त पूँजीपतियों के द्वारा शर्मि के शोषण का दुःख विशेष प्रेरणाप्रद रहा। पश्चिम में जब व्याप युग का प्रारम्भ हुआ, उस समय शर्मिकों के शोषण का दौर बड़े शोर से चलने लगा। उससे कुछ महानुभावों को समाजवाद की प्रेर मिली। उन्हीं दिनों राबर्ट ओवेन आदि सोशलिस्टों ने अमरीका जहाँ जमीन बहुत थी, एक सोशलिस्ट बस्ती की स्थापना की। बस्ती में शारीरिक परिश्रम सबके लिये अनिवार्य था। जो उत्पा होता, उसका सबके बीच उनकी आवश्यकतानुसार विभाजन हो और बची हुई उपज और पूँजी सार्वजनिक कोष में रख ली जाती। यह बस्ती दस-पॉच वर्ष तक ही रह सकी।

इसी प्रयोग में से समाजवाद का सिद्धान्त निकला। भ्रम स पूँजी राष्ट्र की और व्यक्ति को उसकी आवश्यकतानुसार। कार्ल मार् को यद्यपि ऐसा शान्तिवादी समाजवाद पसन्द न था, और वे समाजवाद को नन्दनवनीय (utopism) कहा करते थे। किन्तु

समाजवाद की प्रेरणा का एक यह भी कारण था। उन्होंने जिस समाजवाद की कल्पना की, उसके अनुसार वर्ग-संघर्ष अनिवार्य था। उन्होंने शोषण और युद्ध समाप्त करने का उपाय बताया पूंजीपतियों और धर्मियों को नष्ट करना। संसार के सारे मजदूर कल्पित राष्ट्रीयता और राष्ट्रामि मान से ऊपर उठ कर संगठित हो सकें। इसके लिये उन्होंने 'वर्कर्स इन्टर नेशनल' नाम से एक संस्था स्थापित की। यह संस्था उनके समय में ही समाप्त हो गई। फिर दूसरी इण्टर नेशनल की स्थापना हुई और प्रथम विश्व-युद्ध के समय यह समाप्त हो गई। इसके बाद रूसी राज्य-क्रान्ति के बाद तीसरी इण्टर नेशनल की स्थापना हुई और वह द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद समाप्त हो गई।

यह संभव होने पर भी शान्ति स्थापित नहीं हो पाई। व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाकर समाजवादी राष्ट्रों ने व्यक्ति के शोषण के मार्ग तो निःसन्देह बन्द कर दिये हैं, किन्तु व्यक्ति के शोषण ने राष्ट्रों के शोषण का रूप ले लिया है। पूंजीवादी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के शोषण का जो कार्य पूंजी के बल पर करते रहे हैं, समाजवादी राष्ट्र शोषण की वही परम्परा समाजवाद के नाम पर चलाये हुए हैं।

मार्क्स ने धर्म को अफ्रीम का नशा बताया था। संभव है, धर्म के नाम पर लोक मानस में व्याप्त अन्ध श्रद्धा और विवेकहीन धाँचर के कारण जो विभिन्न विश्वास वालों के बीच युद्ध और रक्त के फाग खेले गये, उनसे प्रेरित होकर मार्क्स ने अपना मत स्थिर किया हो। किन्तु इससे धर्म की नैतिक और मानवीय मान्यताओं से भी जो इनकार हो गया, उसी का फल यह हुआ कि उन्हें समाजवाद की सफलता के लिये हिंसा और संघर्ष को अनिवार्य मानना पड़ा।

हमारी विनम्र मान्यता है कि धर्म का नाम न रहे, किन्तु उसकी

● अहिंसा दर्शन

नैतिक मान्यताओं और मूल्यों को स्वीकार किये बिना जो प्रणाली हिंस्र और असत्य पर आधारित होगी, मले ही यह विश्व शान्ति और मानव कल्याण जैसे मोहक उद्देश्यों के लिये क्यों न हो, उससे मानव के किसी कल्याण की आशा व्यर्थ ही होगी।

संसार को राष्ट्रों में एक और नारा द्वितीय विश्व-युद्ध ने दिया है— अधिक उत्पादन। आवश्यकताएँ बढ़ी हुई हैं, इसलिये उनकी पूर्ति के लिये अधिक उत्पादन करना चाहिये। अधिक उत्पादन के भीतर जो भावना है, वह प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। व्यापार, अधिकार और राज्य प्रसार की स्पर्धाओं की तरह ही यह उत्पादन की स्पर्धा का नारा है। उत्पादन अधिक करना है, केवल जीवनोपरयोगी वस्तुओं का ही नहीं, अपितु मृत के साधनों का भी, विलास और आडम्बर की वस्तुओं का भी। अविषसित राष्ट्रों में यह नारा राष्ट्र को आत्म निर्भर बनाने का राष्ट्रीय नारा है। किन्तु इस नारे के इस सभ्य को शाब्द अभी तक हृदयङ्गम नहीं किया गया कि पश्चिम के विषसित राष्ट्र जिस विनाश की ओर वेग से दौड़ रहे हैं, हम भी यह नारा देकर उनके पीछे दौड़ने का उपक्रम कर रहे हैं।

फिर आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करने का अर्थ है—आग जितनी बढ़ती जाय, हम पानी का संग्रह उती मात्रा में करते जायें; रोग जितना बढ़ता जाय, औषधियों का उती क्रम से उत्पादन बढ़ाया जाय। आवश्यकता जन्य समस्याओं का समाधान उत्पादन वृद्धि नहीं है। वे तो निरन्तर ही बढ़ती जायेंगी और उससे समस्याएँ भी बढ़ती जायेंगी। उसका उपाय है आवश्यकताओं को कम करने की प्रेरणा अर्थात् परिग्रह का सीमाकरण और अल्पीकरण। इससे इच्छाओं का नियमन होगा तो आवश्यकताएँ घटेंगी। आवश्यकता घटाने पर उसे फिर

● अहिंसा और मत्त-विधान

अनुचित मार्ग पर चलने, स्पर्धा करने की आवश्यकता न रहेगी।

एक प्रश्न है—व्यक्ति परिग्रह का परिमाण कर ले। किन्तु परिग्रह का परिमाण कर लेने के बाद उसके पास जो धन हो, सम्पत्ति हो और श्राव के छोट होने से जो बढ़ती रहती हो, उसका वह क्या करे ?

महात्मा गाँधी ने बताया कि उस धन का वह दृष्टी बना रहे। और सार्वजनिक कार्यों में मानव-हित के लिये उसका उपयोग करता रहे।

भगवान् महावीर ने उस धन के लिये स्पष्ट कहा कि उस धन में अनासक्त रह कर जगत् की मलाई में उसे लगाता रहे। परिग्रह परिमाणवत्त वस्तुतः अनासक्ति का अण है, जो वैयक्तिक होते हुये भी समान को प्रभावित करने वाला है। यह व्यक्ति की समान में से वैश्य और वर्ग-संघर्ष दूर करने की अहिंसक साधना है। आकांक्षाओं की पूर्ति का साधन संघर्ष होता है, आकांक्षाओं की पूर्ति का परिणाम अतृप्ति होता है। उनके त्याग में संघर्ष का त्याग है, उनको मर्यादित करने में संघर्ष भी सीमित होता है। परिग्रह परिमाणवत्त सर्व त्याग और अनियन्त्रित स्पर्धा के बीच का मार्ग है—मध्यम मार्ग है। इसे इच्छा-परिमाणवत्त भी कहा जाता है।^१

ऐसा व्यक्ति कभी (१) अधिक लाभ की दृष्टि से घोड़े-बैल, दास-दासी आदि से अधिक काम नहीं लेगा, (२) अधिक लाभ की आशा से वह धन धान्यादि का अतिसंग्रह करके उसे रोक नहीं रखेगा। (३) व्यापार आदि में दूसरे के लाभ को देख कर कभी जलेगा नहीं। (४) लाभ होने पर अधिक की लालसा नहीं करेगा। (५) लोभ दश

● अहिंसा-दर्शन

हैं, समस्त लोक से उसका सम्बन्ध आत्मीय हो जाता है और अनैतिक वासनाओं का सम्बन्ध उनका ही टूटता जाता है। सप्तरशील वासना के उसी विस्तार को संकीर्ण-संकुचित करते हैं।

इन सात व्रतों में कठोर आत्म-नियमन के उद्देश्य से व्यक्ति दिग्गत द्वारा यम (आजीवन) और देशव्रत द्वारा नियम (परिमित श्रवण) के लिये) रूप से सम्पूर्ण दिसा और चेश की मर्यादा कर लेता है। अनर्थ दण्ड व्रत व्यक्ति को जानते या अजानते ऐसे सभी कर्मों से रोकने का उपाय है, जिससे किसी प्रकार अनर्थ अर्थात् हिंसा को प्रश्रय मिलने की संभावना हो। सामायिक आत्म शोधन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा अपने समस्त दोषों, अपराधों और दुष्कर्मों पर हृदय से श्लानि और पश्चाताप हो, जिससे समस्त प्राणी-जगत् के साथ व्यक्ति का व्यवहार मैत्रीपूर्ण बन जाय। प्रोपधोरवास जिह्वा की लोलुपता और वासनाओं के वशीकरण के लिए ४८ घंटे का उपवास है, जिसमें सम्पूर्ण हिंसा आदि पाप-वृत्तियों का निरोध करके अपना सारा समय आत्म-चिन्तन में व्यतीत किया जाता है। उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत भोगोपभोग सामग्री की मर्यादा और अल्पीकरण करते जाने की प्रतिज्ञा है और अतिथि सविभाग व्रत स्वीकार कर लेने पर व्यक्ति भोजन तब करता है, जब वह पहले सुपात्र को भोजन करा देता है। यह व्रत व्यक्ति में दान की भावना जगाने और उस दान को उपयोगी दिसा में मोड़ने में सहायता देता है। दान गृहस्थ के दैनिक आवश्यक कर्तव्यों में से एक है और यह व्रत इस कर्तव्य का प्रतीक है।

इन सप्तरशीलों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भावना अहिंसा को बल देती है। अहिंसा में सहायक न हो, ऐसा कोई व्रत नहीं है। आत्म-नियमन की कोई भी प्रक्रिया अहिंसा में सहायक होती है। और ये

● अहिंसा-दर्शन

है। इससे अपरिमित हिंसा का त्याग होने से उसकी अहिंसा अपिक्क निर्मल बन जाती है।

भोगोपभोग परिमाण का रूप यह है^१ कि गृहस्थ यह स्वल्प करले कि अमुक भोग और उपभोग का सेवन मैं इतने समय तक ही करूँगा। अथवा यह कि अमुक भोग और उपभोग का मैं इतने समय तक के लिये त्याग करता हूँ। और त्याग किये हुये भोगोपभोगों की इच्छा तब मन में न आने दूँगा। इस प्रकार जीवन अत्यन्त नियमबद्ध और सतुष्ट बन जाता है।

भोगोपभोगों का त्याग यम और नियम अर्थात् जीवा पर्यन्त के लिये और नियत काल के लिये इस प्रकार दो प्रकार से किया जाता है। जीवन पथ तब के लिये जिन भोगोपभोगों का त्याग किया जाता है, उनमें मद्य, मांस और मधु की तरह ऐस सभी पदार्थों का त्याग कर देना है, जिनमें उस घात और बहु स्थावर घात की सम्भावना या निश्चय हो, अथवा जो प्रमाद जनक, अनिष्ट और अनुपसेव्य हों।^२

जिस व्यक्ति ने जीवन भर नियम और प्रती के अनुशासन में रहकर आत्म विजय का मार्ग प्रशस्त किया है, वह ऐसी दशा हो जाने पर^३—

संस्त्रेखना या	जब शरीर पतनो गुप्त हो जाय, आक्स्मिक् उपद्रव
समाधिमरण	द्वारा मरण की आशका हो जाय, ऐसा कोई
	असाध्य रोग हो जाय जिसका प्रतीकार विलकुल
	असंभव हो गया हो और ऐसा भयकर दुष्काल
	पड़ जाय, जिसे शुद्ध भोजन की व्यवस्था सम्भवन रह जाय, मृत्यु विजय

१—सागर धर्मागृत ५-१३

२— " ५, १४ १५

३—रत्नकरण्ड आषकाचार।

के लिये अन्तिम अभियान करता है। इसके लिये वह धीरे-धीरे अथवा एकदम अन्न और जल का त्याग कर देता है। वह जीवन भर किये गये पापों का लेखा जोखा लगाता है और अत्यन्त परचाताप करता है। जीवन में उससे अनेक प्राणियों के प्रति जो अपराध हो गये हैं, उनसे वह मन में हृदय से क्षमा माँगता है और जिनके प्रति उसे आक्रोश रहा है, उनके प्रति सन्भाव धारण करता है और इस तरह वह अपने मन में समर्प सभी गांठों और घुंठियों को खोल कर अपने मन का भार हल्का कर लेता है। अब उसे न मरने की इच्छा ही शेष रह जाती है और न मरण का भय ही उसे सताता है। अब तो उसे मरण काल की वेदना का भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसकी सारी शानेन्द्रियाँ बाहर से हटकर आत्मा में केन्द्रित हो जाती हैं। यही सल्लेखना या समाधिमरण कहलाता है।

संसार में स्वार्थ को सभी हेय कहते आये हैं, किन्तु जो सबसे बड़ा परमार्थ है, वही तो स्वार्थ है। और ऐसे स्वार्थ की कब कौन निन्दा कर सका है। जीवन-भर जो परोपकार कर सके हैं, वे, सच मानिये, अपना ही तो उपकार करते रहे हैं। अपना उपकार न होता तो परोपकार की कौन प्रशंसा करता, कौन उसे धर्म अङ्गीकार करता। परोपकार की वृत्ति हमारे भीतर के क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के दमन की इच्छा में से ही तो निपजी है। दमन की यह इच्छा ही तो हमारे अपने उपकार की भावना है। अगर हमारी क्लृपित वृत्तियों का दमन न हो सका तो फिर परोपकार में ही क्या धर्म रह जायगा। अपने दम्भ और अहंता को जिससे बल मिलता हो, वह परोपकार श्लाघ्य है, ऐसा मानने का मन किसी का नहीं होगा। इसलिये ही जगत् में एक महा सिद्धान्त बना—‘आदहिदं कादव्यं।’

प्र अहिंसा दर्शन

कषायों के सम्भव नहीं है—अतः वह हिंसा है । इसलिये वह त्याज्य है ।

सल्लेखना करने वाले व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक जीवन अथवा मृत्यु की इच्छा, अपने सम्बन्धियों और मित्रों में ममता, भावी जीवन में सुख की वाछा और अपने किसी सुकृत्य या तप के मूल्य पर कोई कामना ये सभी बातें छोड़ देनी चाहिये । तभी उसका यह व्रत सफल हो सकता है ।

आहार-विहार में अहिंसक दृष्टि

जैन धर्म में अहिंसा की केवल सैद्धान्तिक व्याख्या ही पर्याप्त नहीं मानी गई है, उसका महत्व उसके व्यावहारिक उपयोग में बताया है।

अहिंसा जीवन-शुद्धि की साधना है। जीवन-शुद्धि जीवन शुद्धि के लिये आचार और विचार, आहार और विहार सभी अहिंसा की प्राथमिक क्षेत्रों में अहिंसा के व्यवहार द्वारा ही संभव हो शर्त-अष्ट मूलगुण सकती है। यह स्वीकार करना ही होगा कि व्यक्ति का जैसा आहार होगा, उसके विचार और व्यवहार उसी प्रकार के होंगे। इसका अर्थ यह है कि यदि आहार हिंसा द्वारा निष्पन्न हुआ है, तो उस आहार द्वारा विचार भी हिंसक होंगे और व्यवहार भी निर्दयतापूर्ण होगा।

कुछ व्यक्तियों का विचार है कि हमारा व्यवहार मनुष्य समाज के प्रति सहृदयता और सद्भावनापूर्ण हो, हम उनके सुख-दुःख में सहानुभूतिशील बनें, हमारे लिये यही पर्याप्त है। यदि हम इतना कर सकें तो हमारे लिये भोजन और पान में हिंसा-अहिंसा का विचार करने की क्या आवश्यकता है।

कुछ लोग इसी को दूसरे ढंग से कहते हैं। उनका उद्देश्य कुछ आत्मेपात्मक होता है। वे कहते हैं—एक ओर तो हम मनुष्यों का स्वतः

* अहिंसा दर्शन

चूँ, दूसरी ओर छोटे छोटे कीड़े-मकोड़ों को बचाने की हमारी वृत्ति हो तो अहिंसा का इससे बड़ा उपहास और क्या होगा। मनुष्यों के प्रति हमारा वर्तमान पहले है, कीड़े-मकोड़ों की अहिंसा तो बहुत बाद की चीज है।

ऐसे लोगों में कुछ कीड़े मकोड़ों के प्रति अहिंसक भावना का उपहास करके उस अहिंसा के पालन से बचने का केवल प्रयत्न ही नहीं करते, बल्कि मनुष्यों के प्रति अपने व्यवहार में भी वे ईमानदारी और अहिंसक व्यवहार के प्रति अविश्वास प्रगट करने में भी नहीं चूकते। कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों के प्रति अहिंसा हो नहीं सकती और मनुष्यों के प्रति अहिंसक व्यवहार कर नहीं सकते, इस प्रकार यह कर के अपनी असमर्थता के कारण अहिंसा से केवल बचने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे अशक्त लोग यदि किसी की भावना और व्यवहार के प्रति आक्षेप करते हैं तो वे अहिंसा के उद्देश्य को ही हानि पहुँचाते हैं। वे सत्य अहिंसा का पालन नहीं करते और पालने वालों का उपहास करके उन्हें अहिंसा के प्रति अनुत्साहित करते हैं।

किन्तु जिन लोगों की अहिंसा में गहरी निष्ठा है, और जो अहिंसा का प्रारम्भ मनुष्य जगत् से करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं, वे भी छोटे-छोटे जीव-जन्तुओं की रक्षा को अव्यवहार, अनुपयोगी और निरर्थक तो कहते नहीं। उनके कहने का उद्देश्य तो केवल इतना ही है कि सूक्ष्म जीवों की रक्षा का काम मनुष्यों के प्रति हमारे व्यवहार के बाद का है।

निश्चय ही ऐसे लोगों का नीयत में सन्देह का कोई कारण नहीं है। वे लोग अहिंसा को अधिक व्यावहारिक बनाना और देखना चाहते हैं। किन्तु उन्हें यह मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं भुला देना

चाहिये कि मनुष्यों के प्रति सद्भावपूर्ण व्यवहार मन की कोमल भावनाओं द्वारा ही संभव हो सकता है और मन की भावनाएँ कभी कोमल नहीं बनी रह सकती, यदि हम मनुष्येतर प्राणियों के प्रति क्रूर बने रहे। मन की कोमलता सदय प्रीति द्वारा ही संभव हो सकती है। दया का ही तो दूसरा नाम कोमलता है। यदि हम जानते भूलते भी एक शोर जीवों के मरण की निन्दा न करें, उन्हें मर्ने देने दें और दूरी और हम मनुष्य के प्रति अपना व्यवहार सदय रखने को पाल करें, तो यह बन नहीं सकेगी। व्यवहार में कष्टना रहे तो वह भी कष्टना के बिना रह नहीं पायेगी। इसलिये मनुष्यों के प्रति स्वयंसेवक जगाये रखने के लिये मन में कष्टना जगाये रखनी होगी और इसके लिये यह आवश्यक शर्त होगी कि हमारे खान-पान में केवल शाकाहारी हों, जिनमें मत्स्य जीव दिखाने पड़ रहे हैं, या जिनमें मत्स्य जीवों के होने का विश्वास है।

द्विषा के त्याग और अहिंसा के पालन का जिनका अर्थ है, वे दो इन्द्रिय वाले प्रत्यक्ष जीवों से लेकर मनुष्यों तक के व्यवहार करेंगे, जिससे उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो, मत्स्य जीवों से उन्हें मारेंगे नहीं, पकड़ नहीं देंगे। अहिंसक व्यवहार के लिये पहली शर्त है कि वे पाँच अणुजन्तुओं के त्याग और मधु तथा पाँच उदम्बर-फलों का त्याग करें। मधु और पाँच उदम्बर फलों के त्याग में अहिंसक व्यवहार के लिये पदाथों में षष्ठ जीव होते हैं। इनके त्याग में अहिंसक व्यवहार है।

१—पुराणार्थ सिद्ध युवाय २१। सातार धर्मसूत्र ३३३

साधयधम्म दोहा २९। राम कथक भाष्य ३३३, ३३४

• अहिंसा-दर्शन

जाता है।

मद्य, मास, मधु तथा पाँच उदम्बर फल या क्षीरि फलों का त्याग ये ती अहिंसा के स्कूल में प्रवेश पाने की शर्तें हैं। वास्तव में इन वस्तुओं का नियमबद्ध त्याग अहिंसा के पालन की भूमिका है। जैन^१ धार्मिक में तो इन वस्तुओं का त्याग उन व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक बताया है, जिनके कोई अहिंसा सम्बन्धी विशेष व्रत नहीं है, जो निर्बल हैं, जिनकी मानसिक पृष्ठभूमि अहिंसा की कठिन साधना की दृष्टि से कमजोर है।

यहाँ इन वस्तुओं के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से विचार करना आवश्यक लगता है।

मद्य से मन में नशा उत्पन्न हो जाता है। नशा होने से व्यक्ति धर्म भूल जाता है और धर्म भूलकर वह हिंसा करने में निःशक प्रवृत्त हो जाता है। मद्य वास्तव में अनेकों प्राणियों

मद्य का रस रीचकर बनाई जाती है। इसलिए मद्य बनाने में उन सब प्राणियों की हिंसा हो जाती

है। इस प्रकार की मद्य पीने से अभिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, शोक, काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं और ये सभी हिंसा के ही पर्याय हैं। इस तरह मद्य-पान से घोर हिंसा होना निश्चित है।^२

मद्य^३-पान करने के बाद जब व्यक्ति को नशा हो जाता है तो वह अपने होश हवाश खो देता है। उसे किसी प्रकार का विवेक, सोचने

१—रत्नमाला । पंचाध्यायी ।

२—पुरुषार्थ० ६२ से ६४ । अमित गति आ० २-६

३—समुनन्दि आवकाचार ७०

समझने की बुद्धि नहीं रहती। वह यह निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहता कि उसे क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये; क्या उसके हितों के अनुकूल है और क्या विरुद्ध है। वह एक प्रकार से अंधरा और अन्ध्राय हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह घोर दुष्कर्म कर डालता है और उनसे उसे नाना प्रकार के फल उठाने पड़ते हैं।

यह विषेक^१ खोकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाता है। कोई पाप उसके लिए अकरणीय नहीं रह जाता। वह कभी क्रोधोन्मात्त हो उठता है तो बिना समझे-झूठे हत्या तक कर डालता है। कामोन्माद के पर्या-भूत होकर वह व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाता है। घेरयागामी बन जाता है। इसी प्रकार वह अन्य पाप करने में भी कोई संकोच नहीं करता।

मद्य^२ न केवल जीवित जन्तुओं का सींचा दुश्मन रह है, बल्कि उसमें बाद में भी असंख्य जीव उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ तक बताया गया है कि मद्य की एक बूँद में इतने जीव होते हैं कि यदि ये निकल कर चारों ओर फैल जायें तो उनसे सारे लोक भर जायें।

मद्य संसार में कब प्रचलित हुई, यह तो निश्चयपूर्वक बहना कठिन है। प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से केवल इस बात का पता अवश्य लगता है कि आर्य लोग सोम-पान किया करते थे। वे यह करने समय अपने देवताओं के लिए इसे अर्पण करना एक आवश्यक कर्त्तव्य मानते थे। किन्तु यह सोम-रस क्या था, इस सम्बन्ध में विशेष अनुसन्धान नहीं हो सका। कुछ विद्वानों की सम्मति में प्राचीन काल

१—सर्गार धर्मासूत २-२, ३-१०।

२— " २-४

● अहिंसा दर्शन

में सोम सता होनी भी । इसी का रस खींचकर विशेष प्रशाली से एक प्रकार की मद्य तैयार की जाती थी, जिसे सोम रस कहा जाता था । उपनिषद् काल से पहले वैदिक ऋषियों का दृष्टिकोण आधिदैविक था । उनका लक्ष्य स्वर्ग था, नि भेयस नहीं । अतः ये मद्य पान करते ही तो कोई आश्चर्य नहीं । किन्तु लगता है—सोम रस यदि मद्य ही था तो वह अधिक मादक नहीं था । क्योंकि सोमरस की निन्दा हमें यहाँ भी देखने को नहीं मिलती, जहाँ मद्य की निन्दा की गई है ।

किन्तु हमारी मान्यता है, मद्य की निन्दा सभी धर्म शास्त्रों में की गई है और उसका अनिष्टकारी परिणामों का सविस्तर विवरण देकर उसके त्याग की ही प्रेरणा की गई है । महाभारत युग में तेजस्वी यादव-कुल का कारुणिक विनाश मद्य पान का ही परिणाम था । मद्य-पान का भीषण अनिष्टकारी परिणाम से कृष्ण और बलराम जैसे समर्थ महापुरुष भी अपने प्रियजनो और अपने शक्तिशाली यादव गणतन्त्र को न बचा सके और एकप्रकार से यादवों का वर्चस्व, यहाँ तक कि अस्तित्व तक इतिहास से सदा के लिये लुप्त हो गया । यही एक उदाहरण मद्य-पान का विनाशकारी परिणाम जानने के लिये काफी है ।

धर्म शास्त्रों और इतिहासों के पृष्ठों पर, मद्य पान से कलह, सधर्म, दुराचार, घन हानि, विनाश हुआ, इसप्रकार के उदाहरण अनेक मिलेंगे, किन्तु उससे कोई निर्माण या उपयोगी कार्य हुआ, इसका उदाहरण एक भी नहीं मिलेगा । उसका कारण है । मद्य पान के बाद व्यक्ति अपनी संज्ञा और विवेक खोकर जब बेहोश हो जाता है, तब उसकी क्या दुर्दशा होती है, यह प्रतिदिन हमारे देखने में आता है । वह नालियों तक में गिर पड़ता है । कुत्ते उसका मुँह चाटते हैं, कभी-कभी उसके ऊपर मूत्र तक कर जाते हैं, यह पड़ा पड़ा उसके स्वाद में तृप्ति अनुभव

करता रहता है। कितनी हो जाती है उसकी दयनीय दशा ?

मद्य-पान का प्रारम्भ दो प्रकार से होता है—(१) व्यक्ति को जब गहरी निराशाओं का, दुर्भाग्य की ठोकरी का सामना करना पड़ता है, वह उन्हें सहने और उनका प्रतीकार करने में असमर्थ हो जाता है, उसे अपने में दुःखों से मुक्ति का कोई उपाय नहीं दीखना, तब वह मद्य पीकर उन्हें कुछ देर के लिये भूलाने का प्रयत्न करता है। और इस तरह धीरे-धीरे वह मद्य का अभ्यस्त हो जाता है। तब वह निरन्तर मद्य में अपने को हुबोये रखना चाहता है। (२) जब व्यक्ति ऐसी सोसायटी या संगति में जा पहुँचता है, जिसमें मद्य-पान का प्रचलन है। मित्र उसे मद्य पीने की प्रेरणा करते हैं, आग्रह करते हैं और फिर विवश करते हैं। वह मित्रों के आग्रह को टाल नहीं पाता और इस तरह प्रारम्भ में बाध्य होकर मद्य पीता है। इस बाध्यता में वह न केवल अपने संस्कारों को ही कुचलता है, बल्कि मद्य गले से नीचे उतरने पर वह जिस पीड़ा का अनुभव करता है, गला गलता हुआ और छाती कटती हुई मालूम पड़ती है, उस कष्ट को भी वह सह जाता है। मित्रों का दूसरे दिन भी आग्रह होता है, तीसरे दिन भी होता है। उसे संस्कारवश जो एक प्रकार का संकोच और भय था, वह धीरे-धीरे कम होता जाता है, वह पहले पीते समय जिस पीड़ा का अनुभव करता था, वह उसे धीरे-धीरे कम अनुभव होती जाती है। और इसी तरह धीरे-धीरे अभ्यस्त होता जाता है और फिर ही वह मद्य में डूबा रहना चाहता है।

इन दोनों ही दशाओं में व्यक्ति प्रारम्भ में साधारण से व्यय से ही अपनी तृप्ति कर लेता है। किन्तु मद्य की प्यास जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, वह उसकी शान्ति के लिये अधिकाधिक व्यय करने लगता है। मद्य

● अहिंसा-दर्शन

पीकर उसको उत्तेजना आती है, काम-वासना बढ़ने लगती है, उसकी शान्ति घर पर नहीं हो पाती, हो भी नहीं सकती। अतः उसे बाध्य होकर वेश्याओं के यहाँ जाना पड़ता है। वेश्याओं के संग उसे मास आदि भी खाना पड़ता है। अधिक व्यभिचार से उसे रोग भी हो जाते हैं, शरीर क्षीण होने लगता है तो वह उपचार कराता है और अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिये कामोत्तेजक और स्तम्भक औषधियों का सेवन करना पड़ता है। इस तरह मद्य, व्यभिचार और औषधियों के लिए उसे धन पानी की तरह बहाना पड़ता है। और धीरे-धीरे उसका कोप समाप्त होने लगता है। तब वह अपनी पत्नी, माता पिता और दूसरे कुटुम्बी जनों को धन देने के लिये बाध्य करता है। न देने पर मार पीट करता है। इस तरह घर में दिन रात सघर्ष, मारपीट और अशान्ति रहने लगती है। यह जो आग निगलता है, उस आग में न केवल वह ही जलता है, बल्कि उसकी ज्वाला में उसका परिवार भी जलने लगता है। व्यय की मोरी खुल जाने और आय का स्रोत बन्द हो जाने से घर का सारा धन नष्ट हो जाता है। परिवार भूखों मरने लगता है। वह भूखों मरने लगता है। तब अपने व्यसन की पूर्ति के लिये वह चोरी करने पर बाध्य हो जाता है और इस तरह चोरी भी उसका एक व्यसन हो जाता है। तब उसे राजदंड भोगना पड़ता है। इस प्रकार मद्य-पान अपने साथ ससार की सारी बुराइयाँ लाता है। मद्य पान के द्वारा अनेकों परिवारों को नष्ट होते, फलतः में दिन रात घुटते हुये और ऊब कर आत्म-हत्यायें करते हुए हम प्रतिदिन देखते सुनते हैं।

कुछ लोग कहते सुने जाते हैं मद्य पान के ऐसे दुष्परिणाम ठर्रा तथा दूसरी घटिया किस्म की शराबों से होते हैं, बदिया रम, सैंपियन

आदि शराबों में इस प्रकार की घटनाएँ नहीं होती। दूध पीना यह है कि अति सर्पण परमनीय है। गोटी वगैरें अति भी दुर्घटना पर गणनीय है। इसलिये यदि शराब कम मात्रा में या दवा के रूप में दी जाय तो उसमें कोई हानि नहीं होती, बल्कि शरीर स्वस्थ और कुटीला बने रहने में उससे सहायता ही मिलती है।

मंत्रयतः इसी भावना में आश्चर्य मय उपन वर्ग अधान् उष शिष्टिन और उष अधिकारी वर्ग के दैनिक जीवन की आवश्यक अंग बन गई है और मोसाइटी और पाठियों में अनिवार्य बन गई है। यहाँ तक कि सरकारी पाठियों में जाने के लिये मद्य आवश्यक तौर पर स्थान पा जाती है। आम के होटल और रेस्टोरेंट शराब स्थान बन गये हैं। क्षेत्र के अद्वय और इजनों के इन्डर शराब के बिना काम नहीं कर सकते। और फिर यूरोप का तो यह पैग ही बन गया है। फ्रांस में तो पहले ही—प्यास बुझाने के लिये पानी अगर ३० प्रतिशत काम में आता है तो शराब ७० प्रतिशत तक चलती है। यस्तुः मद्य यूरोप की सम्पदा बन गई है और उष सम्यता में जो भी रंगे हुए हैं, उनके लिए यह जीवन का अविहार्य अंग बन चुकी है।

किन्तु मद्य यूरोप में स्थान पा चुकी है, इसीलिए उसमें य शार दोष निफल गये, यह कोई तर्क नहीं है। यूरोप वालों ने मद्य को स्वीकार किया, इसका कारण खोजने हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। यूरोप का दृष्टिकोण भौतिक है। यह भौतिक मुणों को ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानता है और उसी के वह साधन चुदाता है। उसकी नैतिकता धर्म के सिद्धान्तों पर नहीं खड़ी है, वह नहीं है मोसाइटी के नियमों के ऊपर। इसीलिए अगर उसकी मोसाइटी में स्त्रियों का अर्ध-नग्न दशा में किसी भी पुरुष के साथ सहनृत्य और सहवास अनैतिक

● अहिंसा दर्शन

नहीं माना जाता, जबकि वह आध्यात्मिक जगत में सभी उपादेय स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही बात मद्य के सम्बन्ध में है। मद्य उत्तेजना देती है, वह सम्भोग सम्बन्धी शारीरिक क्षमता को बनाये रखती और बढ़ाती है, मद्य पाप का मूल यह है और संभवतः इससे इनकार नहीं किया जा सकता।

किन्तु जिसका नैतिक उद्देश्य संदिग्ध है, अनैतिकता को जिससे प्रोत्साहन मिलता है, वह किसी देश या व्यक्ति के शोषण करने से ही स्पृहणीय नहीं बन जायगी। वह अनेक प्राणियों की हिंसा से निर्मित हुई है, इसको लक्ष्य से दूर नहीं किया जा सकता। इसीलिए अहिंसा में जिसकी आस्था है, वह मद्य का सेवन नहीं करेगा, किसी दशा में भी नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी नहीं।

अहिंसा के प्रति जिनकी निष्ठा है, वे माणस्य का अत्यन्त त्याग करेंगे। अहिंसा के लिए मांस त्याग आवश्यक शर्त है। मांस बिना हिंसा के उत्पन्न नहीं होता। अतः मांस-भक्षण में हिंसा का पाप अनिवार्य है।^१ जो व्यक्ति मांस

मांस

भक्षण करते हुए कष्टना का आह्वान करते हैं, निश्चय ही वे श्राव में दग्ध करके बेल को बढ़ाना चाहते हैं। मांस

कभी प्राणी घात के बिना संभव ही नहीं है। दया के बिना पुण्य-संचय नहीं होता और दया है तो मांस भक्षण की कभी प्रवृत्ति नहीं होगी। वस्तुतः जो मांस भक्षण करता है, उसी को हिंसा का पाप नहीं लगता, अपितु जो मारता है, जो पचाता है, जो बेचता है, उन सबको ही हिंसा का पाप लगता है।

१—पुरगार्थ सिद्धयुपाय ६२

● आहार विहार में अहिंसक दृष्टि

मांस-भक्षण के निषेध में मुख्य कारण प्राणी-हिंसा है। किन्तु मांस में केवल उम प्राणी की ही हिंसा नहीं हुई, जिस प्राणी का वह मांस है, अपितु उसके कारण असंख्य प्राणियों की हिंसा हुई, क्योंकि मांस में प्रतिक्षण सूक्ष्म प्राणी उत्पन्न होने रहते हैं। इस प्रकार मांस के एक ग्राम में भी असंख्य प्राणियों की हिंसा होती है।^१

बुद्ध लोगों की मान्यता है कि किसी सर्वांग प्राणी की हत्या से प्राप्त मांस में हिंसा का पाप होता है। अतः वह न प्रदूष्य करना चाहिये। किन्तु अपने आप मरे हुए प्राणी के मांस-भक्षण में तो बड़े दोष नहीं क्योंकि वहाँ किसी प्राणी का घात नहीं करना पड़ा।^२

इस मान्यता की ओर में अनेको व्याक मांस-भक्षण करने से बड़े दोष नहीं समझते। किन्तु वे जिस हिंसा से बचना चाहते हैं, वह मांस-भक्षण से रुक न सके। उनकी दृष्टि केवल एक प्राणी की हिंसा के प्रति ही थी, किन्तु कच्चे या पके मांस में प्रति क्षण की अनेक निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं, उनकी हिंसा की ओर नहीं देते।

मांस-भक्षण का निषेध अहिंसा को धर्म स्वीकार करने वाले धर्मों ने किया है।

हिन्दू शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं कि अहिंसा न केवल नवनीत में अत्यन्त जीव राशि उत्पन्न होती है, बल्कि...

१—अमिताभसि धावकाचार अ० २ श्लोक १२० । २—अमिताभसि धावकाचार अ० २ श्लोक १२० । ३—अमिताभसि धावकाचार अ० २ श्लोक १२० । ४—अमिताभसि धावकाचार अ० २ श्लोक १२० । ५—अमिताभसि धावकाचार अ० २ श्लोक १२० । ६—अमिताभसि धावकाचार अ० २ श्लोक १२० । ७—अमिताभसि धावकाचार अ० २ श्लोक १२० । ८—अमिताभसि धावकाचार अ० २ श्लोक १२० । ९—अमिताभसि धावकाचार अ० २ श्लोक १२० । १०—अमिताभसि धावकाचार अ० २ श्लोक १२० ।

२—पुराणसि ६६ । सागर अ० २० ।

३—भागवत

• अहिंसा दर्शन

‘जिसका मैं मास खा रहा हूँ, वह परलोक में मेरा मास स्वायगा। ‘मास’ का यही अर्थ है।’

‘ओ जागन पर्यन्त किसी प्रकार का मास नहीं खाता, उस स्वर्ग में त्रिपुल स्थान प्राप्त होता है। यदि मास भक्षण करता है तो सारे जाण्य, हाम, नियम, तीर्थ स्थान व्यर्थ हैं।’

‘जिस धर्म में मास और मद्य सेवन का विधान है, वह धर्म कबल नरक क लिये होता है’।

‘मास हिंसा प्रवर्तक है, अधर्म का वर्धक है, दुःख का उत्पादक है। अतः मास का त्याग करना ही उपयुक्त है।’

‘वय और लिंग धारण करने से क्या लाभ और शिर मुझो से भी क्या प्रयोजन है, यदि मास भक्षण करत हो। यह सत्र ता निरर्थक है।’

इसाइ धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबिल में मास का निषेध किया है। सृष्टि की आदि म प्रथम स्त्री पुण्य आदम और ईव (हवा) को उपदेश देते हुए सुदा ने कहा—देखो, मैंने तुम्हें प्रत्येक पौधा तीन उत्पन्न करने वाला और वृक्ष फल देने वाला दिया है। ये ही तुम्हारे लिये आहार होंगे।’

एक बार ईसाइयों को मास-भक्षण करते हुए देखकर इसामसीह

१—मनुस्मृति अ० ५

२—विष्णुपुराण

३—नारद

४—महाभारत शान्ति पर्व

५—महाभारत आश्वि पर्व

६—Behold, I have given you every herb bearing seeds and trees giving fruits, they shall be your meat

● आहार-विहार में अहिंसक दृष्टि

बहुत दुःख हुए। जब मांस उनके दाँतों में था, यकायक परमेश्वर का कोर लोगों पर टूट पड़ा और बड़ी भारी प्लेग फैल गई।

इसी प्रकार इस्लाम में भी मुहम्मद साहब ने कहा है कि मरके शरीफ की यात्रा की जाओ, तब से वहाँ से जब तक बापिस न आयाओ, रोत्रे रक्वो, जानवरो को मत मारो और जो धर्म के दास दिन हैं, उनमें मांस मत खाओ।

इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से मांस-भक्षण का निषेध सभी धर्मों में पाया जाता है।

किन्तु मांसाहार के सम्बन्ध में यदि नीतिशास्त्र, वैज्ञानिक, आर्थिक, सौन्दर्य, स्वास्थ्य, शक्ति आदि जिसे भी दृष्टिकोण से विचार करें तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मांसाहार त्याज्य है।

नीति शास्त्र (ethical ground) के आधार पर विचार करें तो नीति शास्त्र की मान्यता है कि हमें किसी के प्राणों को अपने भोजन के लिये जुदा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नीति शास्त्र तो निर्दल प्राणियों की रक्षा और मानव तथा मानवतर प्राणियों के बीच मैत्री-बन्धन पर बल देता है। इस स्थिति में एक ओर पशु-पक्षियों से प्रेम का दावा करना और दूसरी ओर उनको अपने भोजन के लिये मारना यह तो एक असंगति ही होगी।

विज्ञान—वैज्ञानिक अपने सम्वे अनुभवों और अनुसन्धानों के फलस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मनुष्य का शारीरिक ढांचा ही शाकाहार के उदयुक्त निर्मित हुआ है। यह न तो मांस भक्षी है और न सर्वभक्षी है। उसकी पाचक लाला और खाने की रंग जानवरो के मांस को ठीक तौर पर नहीं पचा सकती। यही कारण है कि प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य ने मांस-भक्षण द्वारा अनेकों रोगों को निमंत्रण दिया है और

• अहिंसा दर्शन

मांस भक्षण के फलस्वरूप बॅंसर, रक्तचाप, गठिया, वातरोग आदि रोग बढ़ गये हैं।

शरीर विज्ञान—पशुओं में दो प्रकार की जातियाँ हैं—एक मांसाहारी और दूसरी शाकाहारी। इन दोनों प्रकार के पशुओं की शारीरिक रचना का सूक्ष्म तुलनात्मक अध्ययन करने से कुछ रोचक निष्कर्ष निकलते हैं। मांसाहारी पशुओं के नाखून पीने होते हैं, जबड़े लम्बे होते हैं, दाँत नुकीले, तेज और विपरीत होते हैं। मांसाहारी पशु पानी को जीभ से चाट कर पीते हैं। जैसे सिंह, चीता, भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली आदि। दूसरी और शाकाहारी जानवरों के नाखून चपटे होते हैं, जबड़े मोल होते हैं, दाँत छोटे, भिन्न धार के और पास पास बराबर पंक्ति में होते हैं। शाकाहारी पशु पानी को हाँठ टपकर पीता है। प्रकृति ने इस प्रकार स्वयं ही मांसाहारी और शाकाहारी पशुओं में शारीरिक अन्तर कर दिया है।

मनुष्य की शारीरिक रचना भी शाकाहारी पशुओं जैसी है। न कि मांसाहारी पशुओं जैसी। इसके अतिरिक्त उसकी पाचन शक्ति, खाल और शारीरिक अवयवों की बनावट भी शाकाहारी पशुओं जैसी है। वन मानुस मनुष्य के समान है। उसके दाँतों की संख्या और बनावट मनुष्य से मिलती जुलती है। वह भी शाकाहारी है। यह भी एक आश्चर्य की बात है कि प्रकृति ने जानवरों की तरह मनुष्यों की मांसाहारी और मांसाहारी के दो जातियाँ नहीं बनाईं। इसका अर्थ ही यह है कि मनुष्य को प्रकृति ने शाकाहारी नहीं बनाया। अतः मांसाहार करना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना है।

समाज-सुधार—समाज के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसमें शान्ति बनी रहे, निर्दयता और अत्याचार कम हो, नशाबंदी

● घर्हिसा-दरुन

की प्रकृति का दुष्परिणाम यह होता है कि देश में पशुओं की संख्या में निरन्तर हास होता रहता है। उसका दुष्परिणाम रोगों पर पड़ता है। गेती को पशुओं के मल-मूत्र, हड्डी आदि से जो प्राकृतिक खाद मिल सकता था, वह खाद इस हास से मिलना बन्द हो जाता है। पशुओं के हास से दूध, दही, घी आदि पदार्थ जनता को मिलने कम हो जाते हैं। इससे जनता को यह प्राकृतिक पोषक तत्व नहीं मिलने से उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। दूध-घी आदि चिकने पदार्थ पाने से न केवल स्वास्थ्य ही सुधरता है बल्कि इससे अन्न की भी बचत हो जाती है। जब पशुओं के हास के कारण दूध, घी आदि चिकने पदार्थ नहीं मिल पाते तो उसकी पूति अन्न से करनी पड़ती है। इस तरह अन्न का व्यय बढ़ जाता है। यदि की व्यक्ति एक तोला अन्न की दैनिक वृद्धि भी मान लें और भारत में मासाहारी व्यक्तियों की संख्या २५ करोड़ भी मान लें तो इसका अर्थ हुआ कि भारत में ही ७८१२५ मन अन्न दैनिक अधिक व्यय होता है। इस हिसाब से २३४१७५० मन मासिक और २८१२५००० मन वार्षिक अन्न का अधिक व्यय होता है। इस तरह आर्थिक दृष्टि से मांसाहार शाकाहार की अपेक्षा अधिक महंगा और देश की आर्थिक व्यवस्था के लिये एक भार है।

सौन्दर्य—सूनी लाशों और रून से सने मांस के भोजन में और फल, शाकपात और अन्न की स्वच्छ, शुद्ध और स्वास्थ्य प्रद सुरास में सौन्दर्य की दृष्टि से बड़ा अन्तर है। मांसाहारी पशुओं के चेहरे देखने में भी क्रूर और भयानक लगते हैं, जबकि घास-पात पर जीवित रहने वाले पशुओं के चेहरों पर सौम्यता और शान्ति छलकती है। शेर और गाय, चीता और घोड़ा इनके चेहरों का अध्ययन करने पर यह अन्तर स्पष्ट हो जाता है। यही बात मनुष्यों में देखने में आती है। मांसमन्दी

मनुष्यों की अपेक्षा शाकाहारी मनुष्यों में शौन्दर्य विशेष रूप में मिलता है।

स्वास्थ्य और शक्ति—मांस स्वास्थ्य और शक्ति देता है, वह मान्यता बहुत बढ़ा झूठ है। शारीरिक शक्ति-प्रतियोगिताओं में प्रायः शाकाहारी ही विजयी होने रहे हैं। उनकी सहज शक्ति भी मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। शाकाहारी मांसाहारियों की अपेक्षा निरदर, अरुच, वातरोग, गठिया, रक्तालसता, तपेदिक, कैंसर आदि रोगों से कम आक्रान्त होते हैं। शाकाहारी व्यक्तियों की आयु भी अधिक होती है। संसार-विदेवाश्री, आप्यात्मिक महापुरुषों में अधिकांश निरालस लोग ही मिलेंगे। आर्य भी संसार में टंडे और गर्म मुस्को में फरेदी शक्ति निरापिप भोवी मिलेंगे, जो जीवन में कठिन से कठिन परिस्थि उत्ते हैं, जो अत्यधिक स्वस्थ हैं, जो गहरी नींद सोते हैं, जो अल्प समय में अधिकतम आनन्द अनुभव करते हैं और जो बड़ी व्यवसायिक रूप से और शान्ति पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।

भाषना—भोजन तीन प्रकार का माना गया है—**भौतिक, रासायनिक** तान्त्रिक। जिस भोजन से मन में नीतिवत्ता का उत्पन्न होता है, अथवा आदि सद्गुणियों का विकास हो, मन में हर्ष और सुख उत्पन्न हो, जैसे आटा, दाल, चावल, फल, मेवा, शाक मानी आदि। **रासायनिक** से मन में मान आदि के विचार उठें, पवित्र भावों से उत्पन्न का उत्पन्न न हो, वह रासायनिक भोजन है, जैसे अधिक मसाले, तैल, मसाले सामान, चाट आदि। जिस भोजन से काम, हर्ष और भावनाओं का उत्पन्न हो, जोषी, श्री गमन आदि के विचार उत्पन्न हो, वह **भौतिक** भोजन है। जैसे मांस, मद्य आदि।

वास्तव में मांसाहार से मनुष्य की मानसिक शक्ति बढ़ती है

७ अहिंसा दर्शन

के भाव मर जाते हैं। वह अपने पेट के लिए फटने वाले पशु-पक्षियों की चीत्कारों से कभी द्रवित नहीं होता, अपितु उनकी पीड़ाओं से और उनको यत्न देने में वह आनन्द का अनुभव करता है। इससे उसकी कोमल वृत्तियाँ फटोरता म नदल जाती हैं। उसे अत्याचार करते हुए, दूसरे का अधिभार अपहरण करते हुए, यहाँ तक कि स्वार्थ के लिए मारणातिक पीड़ा देते हुए भी किसी प्रकार का संकोच नहीं होता। भावनाओं का यदि भोजन से कुछ भी सम्बन्ध है, जो वास्तव में है, तो कदना होगा कि मांस भक्षण से भावनाओं में निर्दयता, क्रूरता और स्वार्थ अग्रय पनपेंगे। और यही अन्ततः युद्धों और विश्व की अशांति का मूल कारण होगा। आज जो लोग विश्व शान्ति की बात करते हैं, पारस्परिक सद्भाव और सद्दयता की आवश्यकता पर बल देते हैं, वे यह क्यों भूल जाते हैं कि सद्भाव और सद्दयता का धीन उस भूमि में नहीं उपजेगा, जो मासाहार के कारण फटोर और क्रूर बन चुकी है। इन भावों को जगाने और इस प्रकार विश्व-शान्ति लाने के लिए तो लोगों की मनोभूमिका सरल, आर्द्र और सम्येदाशील बनानी होगी, जो केवल शाकाहार की विश्व-व्यापी मान्यता से ही संभव हो सकती। इस तथ्य को लोग आज भले ही न समझें, किन्तु इसे स्वीकार किये बिना विश्व शान्ति का स्वप्न साकार न हो सकेगा। वस्तुतः मासाहार मानव की व्यक्तिगत रुचि का प्रश्न नहीं, विश्व विनाश से इसका गहरा सम्बन्ध है, इसे जाने बिना मानव का कल्याण नहीं।

जो अहिंसा को अणुवमों और प्रक्षेपणास्त्रों का एक मात्र विकल्प मानते हैं और विश्व शान्ति के लिये अहिंसा की अनिवार्यता पर जोर देते हैं, वे जब तक मासाहार, अणु-सुर्गियाँ और मत्स्य पालन के विरुद्ध

बौर नहीं देने, सब एक अहिंसा में उनकी साम्या है, सब जानने की भी नहीं चाहता। ऐसी रिपति में उनकी अहिंसा भौतिक आदरों बन कर रह जात ही कोई आदर्श नहीं।

सौ लोग जीवित और मृत पशु के मांस में भेद नहीं हैं, अथवा श्री शंखी, मछलियों आदि का मांस की बर्तक में नहीं गिनते, पशुनः के मांस के स्वादो हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मांस तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और पनरति के अनिर्दिक्त सभी जगम प्राणियों के शरीर के चर्मात्मादित भीतरी भाग का भाग है। चाहे यह अटे की रसम में हो अथवा एक से निर्मित एक लोचने के रूप में। यह सभी मांस है। जलचर, नभचर, क्षीर चरचर, जलगुच, अंडक और पंजक सभी प्राणियों के शरीर का पूर्व रूप अथवा पूर्वरूप मांस विद्वद कहलाता है। उसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता।

पशुनः मनुष्य में मांस-मत्स्य की वृत्ति उगरी नहीं है, अरिपु मनुष्य के रूप में उसके भीतर जो द्विप पशुता है, उगरी है। इस वृत्ति की संतुष्टि के लिये खोज विरह में लाखों प्राणी मारे जाते हैं। प्राणियों की इन लाशों से अरना पेट भर कर क्या सं पेट को अहिंसात नहीं बना रहे। प्राणियों की आहों और दीहाओं से भरा हुआ मांस सं कीसे हा लेने हैं और उससे सं जीवन में विर विम सुख-शान्ति की आशा करते हैं।

अतः मांस, किसी रूप में हो, अंड के रूप में, मांस के रूप में, या मछली के रूप में, सभी स्वाद्य है। हर रिपति में स्वाद्य है।

एक जीवन बिन आवश्यकताओं की लेकर लादा हुआ है, उनकी पूर्ति में निरन्तर उपमशील बने रहने की अवेद्या जीवन शुद्धि के प्रयत्न करने में मानव जीवन की उपयोगिता स्वीकार की गई है। और मूलतः

• अहिंसा दर्शन

इस शुद्धि का विनम्र प्रयत्न अहिंसा की उद्भावना में ही निहित है। अतः

मधु

एक गृहस्थ अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में और जीवन शुद्धि के प्रयत्न में सन्तुलन नगाये रखने के लिये और शनैः शनैः इसी

क्रम से अपनी इन्द्रियों और मन की दासता से मुक्ति पाने के लिये वह मद्य और मांस की तरह मधु (शहद) का भी सेवन नहीं कर सक्ता।

मधु दो प्रकार से निकाला जाता है। एक तो मधुमक्त्तियों के छूत्ते को तोड़कर, छूत्ते के नीचे आग लगाकर (जैसा कि ग्रामीण और निर्दय व्यक्ति प्रायः करते हैं)। इस प्रकार की निर्दय विधियों से मधुमक्त्तियों का भगा कर छूत्ते में से सारा रस निचोड़ लेते हैं। इससे छूत्ते के भीतर रहे हुए समस्त अणु का विनाश हो जाता है। यह विधि अत्यन्त हिंसा पूर्ण है। असंख्य मधुमक्त्तियों और अणु का विनाश करके प्राप्त किया हुआ मधु अहिंसक आस्था वाले व्यक्ति के लिये न केवल अमद्य है, बल्कि वह तो अस्पर्श भी है। इस विधि से हिंसा तो होती ही है, पर द्रव्य के अपहरण अर्थात् चोरी के पाप का भी दोष लगता है क्योंकि मधु मक्त्तियों ने अत्यन्त परिश्रम करके एक एक पुष्प से जो मधु संग्रह किया था, उसे बलात् अपहरण कर लिया जाता है। अतः यह स्पष्ट ही डाकावनी है। इसके अतिरिक्त यह मक्त्तियों का उच्छिष्ट है। स्वास्थ्य और शुद्धि के सिद्धान्त की मान्यता है कि मक्त्ती गन्दे स्थानों पर बैठती है और अनेक अपवित्र पदार्थों एवं रोग के कीटाणुओं का संक्रमण करती है। अतः उनके उच्छिष्ट पदार्थ में वह अपवित्रता और वे रोग सकामक रूप लेकर आते हैं, जो मानव के स्वास्थ्य को चुनौती हैं। उस चुनौती का स्वीकार उस पदार्थ के परिहार

और परित्याग से ही संभव हो सकता है। इन्हीं दोषों के कारण धार्मिक जीवन के लिये मधु का त्याग आवश्यक बताया गया^१ है। यहाँ तक कि भेषज (दवा) के रूप में भी इसका प्रयोग निषिद्ध बताया गया है। जैन और जैनतर शास्त्रों में मधु की उत्पत्ति को ही हिंसा जनित नहीं बताया गया, अपितु उत्पत्ति के बाद भी उसमें असंख्य जीवों की उत्पत्ति मानी गई है।^२ उन असंख्य जीवों की हिंसा किये बिना उसका भक्षण किसी प्रकार सम्भव नहीं है। इसलिये मधु के सम्बन्ध में प्राचीन भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में एक बार यह धारणा जोरों से प्रचलित हो गई थी कि मधु के मक्षय में सात प्रानों की हत्या का पाप लगता है^३ और उससे नरक के घोर दुःखों को सहन करना पड़ता है। मधु के विक्रेता ब्राह्मण को शूद्र माना है;^४ यहाँ तक कि मधु के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिये यहाँ तक कहा गया है कि मूत्र पुरीषादि रसों से विवर्धित और मुख की लार से उत्पन्न मधु को ब्राह्मण कैसे खा सकता है।^५ तथा मोचन में पकी हुई मक्खी को देखकर मनुष्य उसे छोड़ देता है तो आश्चर्य है कि यह मधु मक्खियों के अण्डों के निर्दयतापूर्वक निकाले हुए घृणित रस को कैसे पी जाते हैं।^६

१—पुराणसिद्ध युपाय ६१-७०। अमितगति धावकाचार अ० ५ श्लोक २७, २८, ३२। वसुनन्दि आ० ८०-८३। सागार धर्माभृत २-११।

२—नागपटल। मनुस्मृति अ० २, ६।

३—सागार धर्माभृत। अमितगति धावकाचार। नागपटल। महाभारत। शंखस्मृति।

४—अत्रिसंहिता पृ० ३७७।

५—नागपटल।

६—वसुनन्दि धावकाचार।

• अहिंसा दर्शन

मधु निकालने की दूसरी विधि अपेक्षाकृत कम हिंसापूर्ण है। इस विधि में छूते में छेद कर दिया जाता है और नीचे घर्तन रख दिया जाता है, जिससे शहद निचुड़-निचुड़ कर घर्तन में इकट्ठा हो जाता है। आधुनिक मधु मसुरी पालन की विकसित विधि से तो अंडों और मक्खियों की हिंसा की सम्भावना और भी कम हो गई है। किन्तु इन सभी विधियों ने प्रत्यक्ष हिंसा की सम्भावना को भले ही कम कर दिया हो, किन्तु मधु में उद्वन्म होने वाले जीवों की हिंसा तो निर्मूल नहीं हो पाई और इस प्रकार हिंसा के पाप से बचना सम्भव नहीं हो पाया। इसके अनिरीक्त मक्खियों का शोषण, पर द्रव्यापहरण और उन्मिष्ट भोजन के दोष से भी नहीं बचा जा सकता।

साराशतः मधु किसी भी विधि से निकाला गया हो और उसके भक्षण का ध्येय कुछ भी रहा हो, हिंसा की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः मद्य और मांस की तरह यह भी त्याग्य है।

जैन परम्परा में रात्रि-भोजन त्याग पर विशेष बल दिया गया है। और रात्रि में अशन, पान, लेह्य और पेय सभी प्रकार के भोजन करने का निषेध किया गया है। इस त्याग में मुख्य रात्रि भोजन दृष्टि यह है कि रात्रि-भोजन में हिंसा की अधिक सम्भावना है; रात्रि में भोजन करने में शक्यता अधिक रहती है; सूर्य-किरणों से दिन में स्वप्न जन्तु नष्ट हो जाते हैं, किन्तु रात्रि में वे ही जन्तु उत्पन्न हो जाते हैं, अतः उनकी हिंसा अनिवार्य रूप में होती है^१। अतः अहिंसा प्रवृत्ति की

१—पुण्यार्थे सि० १२६ से १३२। अमितगति श्रा० ४०। सागार धर्मा० ४० २ श्लोक १४, श्रा० ४ श्लो० २४। यशस्विलक चारवात ०

रक्षा के लिये रात्रि-भोजन नहीं करना चाहिये ।

रात्रि-भोजन-त्याग का महत्व प्रदर्शित करने के लिये कई शास्त्र-कारों ने तो इसे छट्ठवाँ अणुघृत तक माना ^१ है । तथा सामान्यतः उसे ग्यारह प्रतिमाश्रु में छट्ठवाँ प्रतिमा स्वीकार किया है ।

जैन परम्परा में रात्रि-भोजन-त्याग का वही स्थान है, जो मद्य, मांस, शिकार आदि के त्याग का है । यही कारण है कि आज तक भी जैनों में यह मान्यता अक्षुण्ण धनी हुई है और जैन आज तक रात्रि भोजन नहीं करते, यत्कि रात्रि-भोजन न करना जैनों का एक विशेष प्रतीक चिन्ह बन गया है ।

यहाँ एक घटना का उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा, जिससे यह बात हो सकेगी कि प्राचीन काल से इसका क्या महत्व रहा है ।

लक्ष्मण ने बनमाला नामक राजकुमारी से विवाह कर लिया और वे कुछ दिन उसके साथ महलों में रहे । किन्तु जब वे विदा होने लगे तो बनमाला वियोग की व्यथा से भर उठी । लक्ष्मण ने उसे सान्त्वना दी कि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास वापिस आ जाऊँगा । इसके लिये उन्होंने कई प्रकार की शपथें भी लीं । किन्तु वियोग की व्यथा से कातर बनमाला का मन आश्वस्त न हो सका । तब लक्ष्मण ने उससे कहा कि अगर मैं न आऊँ तो मुझे रात्रि-भोजन का पाप लगे । इस शपथ से बनमाला को तत्काल विश्वास हो गया ।

इसी प्रकार हिन्दू शास्त्रों^२ में भी रात्रि भोजन का निषेध किया है । धार्मिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त रात्रि-भोजन-त्याग स्वास्थ्य की

१—पूज्यपाद, अकलंक, चामुण्डराय, धीरनन्दी आदि ।

२—महाभारत शान्ति पर्व । पद्मपुराण

दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी है ।

आयुर्वेदिक ग्रन्थों का मत है कि दिन में सूर्य के कारण हृदय कमल की तरह विकसित हो जाता है । उससे सारे स्रोत खुल जाते हैं । दिन में व्यायाम, सोचने-विचारने, और चित्त के विक्षिप्त होने के कारण शरीर की धातुयें क्लेद को प्राप्त नहीं होती, विकसित होती रहती हैं । उन विकसित अक्लिन्न धातुओं में पका हुआ अन्न दूषित नहीं होता । रात्रि में श्रोतों के म्लान रहने से कोष्ठ में शरीर की धातुयें क्लेद को प्राप्त हो जाती हैं । उससे धातुओं में पका हुआ आहार दूषित हो जाता है ।^१

भोजन के कम से कम तीन घंटे बाद सोना बताया गया है^२ तथा यह भी बताया गया है कि भोजन निश्चित समय पर ही करना चाहिये । नियत समय पर पाचन सम्बन्धी अग अपना-अपना कार्य प्रारम्भ कर देते हैं, अग्नि उद्वृद्ध हो जाती है । उस समय आहार करने से इन्द्रियाँ और धातुयें वृत्त होती हैं ।^३

भोजन दिन में दो बार प्रातः और सायं करना चाहिये । आयुर्वेदिक दृष्टि से ये दो काल ही भोजन के लिये उपयुक्त बताये गये^४ हैं ।

सुभृत ने भोजन के तत्काल बाद सोने का निषेध किया है ।

१—धरक चि० अ० १२

२—डा० सुकुन्द स्वरूप वर्मा (स्वास्थ्य विज्ञान पृ० ३४६), भी भास्कर गोविन्द घाण्णकर (स्वास्थ्य विज्ञान)

३—सु० सू० ४६-४६६ । अ० सू० २२ ४० ।

४—सू० उ० अ० ६४ ।

हैं। किंतु एनोफिलीज जाति के विशेषतया प्रकाश को पसन्द नहीं करते। इस कारण दिन में ये मच्छर कमरों में ऐसे स्थान को खोज लेते हैं, जहाँ पर प्रकाश बहुत कम पहुँचता है। वहाँ से वे रात्रि के समय भोजन की खोज में निकलते हैं। इसी समय स्त्री (मच्छर) पुरुष का रक्त चूसती है और शरीर में रोग के बीज प्रविष्ट करती है। इस कारण रोग की उत्पत्ति केवल रात्रि के समय ही होती है। दिन में रोग होने का कोई भय नहीं रहता।^१

स्वास्थ्य के इन अधिकृत निवरणों से स्पष्ट है कि रात्रि में भोजन करने पर इन कीटाणुओं और मच्छरों की भोजन पर बैठने की संभावना टाली नहीं जा सकती। ये कीटाणु अति सूक्ष्म होते हैं, जो केवल अणु वीक्षण यंत्र की सहायता से ही देरो जा सकते हैं। वे भोजन पर बैठ कर अपना विषैला प्रभाव छोड़ सकते हैं। उस भोजन को करने से वह विष या व कीटाणु और मच्छर पेट में जा सकते हैं और अपना विष फैला कर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं।

इस तरह धार्मिक, धैशानिक और स्वास्थ्य सभी दृष्टियों से रात्रि भोजन हानिकारक है।

जल में सूक्ष्म जीव होते हैं। जल की एक बूंद में ही इतने जीव होते हैं कि यदि वे सब उड़ने लगें तो सारा जम्बू द्वीप भर जाय।

जल शालन

उनकी रक्षा के लिये जल को छानना आवश्यक है। जल छानने के लिये एक शुद्ध मोटा वस्त्र चाहिये, जो कम से कम ३६ अंगुल लम्बा हो

१—डा० मुन्द स्वरूप वर्मा—स्वास्थ्य विज्ञान पृ० ४६६ ६

२—त्रिदशाचार ७ १६। प्रवचन सारोद्धार

और २४ अंगुल चौड़ा हो। इस प्रकार के पत्र को दुहरा करके जल को छान कर पीना चाहिये^१। किन्तु जल छानकर कपड़े में जो जीव आवांन, उन्हें न तो कपड़े को उमेट कर मार देना चाहिये और न उनको हवा उपर बैठे हुए के जीवों को नदी में और नदी के जीवों को हुए में डाल देना चाहिये, बल्कि उन्हें उभी जल में पहुँचा देना चाहिये, शिवा जल के वे जीव हों^२।

एक बार के छाने हुए जल में एक लूहर्ण क्षणार्थ ४८ मिनट पश्चात् फिर और उतपन्न हो जाते हैं। इसी तरह सोन आदि डालकर निर्जीव किये हुए जल में दो महर बाद और उतपन्न किये हुए जल में २४ घण्टे बाद पुनः जीव उत्पन्न हो जाते हैं^३।

जैन परम्परा में रात्रि भोजन स्वाग भी तरह जल-मालन पर भी विशेष बल दिया गया है। पत्ता: जैनों में इसरी प्रवृत्ति आत्र तक चालू है। और पानी छान कर पीना भी जैनों का एक विशेष चिन्ह बन गया है।

आत्र भन्ने ही हिन्दुओं में जल छानने की परम्परा जीवित न रही हो, किन्तु उनके धर्म-शास्त्रों में इसकी और अपने अनुपादों का स्थान अवश्य आशुच्य किया गया है।

^१जल पत्र पूरा पीना चाहिये^४। मन्त्रय वेपथ एक वर्ष में जो पत्र चनाता है, उतना पार बिना छाने जल को एक बार पीने में लगता

१—पौयूष धर्म आचरणाचार। धर्म संप्रद आ० ६-३४।

२—धर्म संप्रद भा० ६-३२

३—ख्यमाया ६१

४—मनुस्मृति अ० ६ श्लोक ४६

● अहिंसा-दर्शन

है ।^१ मक्की के मुल से निकली जल की बूँद में भी इतने जीव हैं कि यदि वे भ्रमर के बराबर होकर उड़ने लगें तो तीनों लोक में न आरें ।^२ तीस अंगुल लम्बे और घीस अंगुल चौड़े घरत्र को दुहरा करके उससे छानकर जल पीये । और उन जीवों को फिर पानी में ही पटुवा दे ।

इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से जल-गालन जीव-हिंसा से बचने का एक उपाय है । किन्तु स्वास्थ्य विज्ञान के दृष्टिकोण से भी इसका अपना महत्त्व है । यदि सूक्ष्म दर्शक यन्त्र की सहायता से हम जल को देखें तो हमें उसमें असंख्य सूक्ष्म कीटाणु तथा धूल के कण दिखाई देंगे । मोतीभरा, हैजा, प्रवाहिका, अतिसार, पराजमी, कृमिज्वरोग, मन्दाग्नि इत्यादि रोग ऐसे ही जल के पीने से होते हैं जो दूषित हो । जल छान कर पीने से वे सूक्ष्म कीटाणु और रजसूय निकल जाते हैं, जिससे इन रोगों का भय नहीं रहता ।

यद्युक्त जल छानने से हानि तो कोई नहीं, लाभ ही है ।

जिसने हिंसा-त्याग का नियम ले लिया है, वह अपने मनोरंजन या क्षुधा निवृत्ति के लिये पशु-पक्षियों का शिकार कभी नहीं करेगा । शिकार तो संकल्पी हिंसा होती है । अतः संकल्पी हिंसा तो शिकार त्याग वह कभी नहीं कर सकेगा । शिकार में वास्तव में अनुकम्पा का अभाव होता है तथा परिणामों (मात्र) में अतिक्रूरता आ जाती है । शिकारी जब शिकार खेलता है, तब उसमें उसकी कितनी आसक्ति रहती है, यह इसी से प्रगट है कि जब वह

१—द्विग पुराण

२—उत्तर भीमांसा

● अहिंसा दर्शन

पीपल, कटुमर और पाकर फलों का भी त्याग कर देना उचित है क्योंकि इन उदुम्बर फलों में कीड़े भरे रहते हैं जिनकी हिंसा हो जाती है।

आहार की वस्तुओं में अहिंसा सम्बन्धी इस सूक्ष्म विवेचन का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति जो पदार्थ खावे, वह पदार्थ स्वच्छ हो, शुद्ध हो और जीव जन्तु हीन हो। आहार के सम्बन्ध में व्यक्ति को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। विवेक के बिना कई बार अनर्थ की संभावना हो जाती है। खाने की सामग्री को अच्छी प्रकार शोधना, बीनना चाहिये, जिससे कोई जीव जन्तु उसके साथ न मिल जाय। उसे इतने यत्न के साथ रखना चाहिये, जिससे जीव जन्तु पकने की संभावना न रहे। भोजन की सामग्री सदा ढक कर रखनी चाहिये। खुली छोड़ देने से कई बार छिपकली और साँप तक दाल शाक में गिर पड़ते हैं और असावधानी से वे अपना विषाक्त प्रभाव दिखाते हैं। कई बार चींटियाँ, लट्टे, मक्खी, सुरसुरी आदि जन्तु विवेकहीनता और असावधानी के कारण भोजन सामग्री में पड़ जाते हैं। रात्रि भोजन में कई बार ये जीव जन्तु दिखाई नहीं पड़ते। और बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसी प्रकार पानी के घर्तन सदा ढक कर रखने चाहिये, जिससे उनमें कोई कीटाणु, जीव जन्तु और रजस्रव प्रविष्ट न हो सकें। भोजन के घर्तन आदि भी सदा स्वच्छ रखने चाहिये।

सारांश यह है कि आहार का यह विवेक धर्म की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है और धर्म चूँकि परलोक की तरह इस लोक में भी सुख देने वाला है, अतः धर्म व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी इस तरह आश्वासन देता है।

वैचारिक क्षेत्र में अहिंसा की सार्थकता

अहिंसा का कायिक उपयोग और अहिंसा को आचार का आधार सिद्ध करने के बाद भी अहिंसा की उपयोगिता शेष रह जाती है। आचार और व्यवहार में अहिंसा की परिवर्धता वैचारिक अहिंसा सीमित रह जाती है, यदि उगें विचार का भी ही आवश्यकता आधार न बनाया जाय। निश्चय ही इस और जैन परम्परा की दृष्टि गई है और जिस प्रकार उसने आचार में अहिंसा को उसकी पूरी व्यापकता के साथ विधि विधानों का रूप देकर अपना लिया है, उसी प्रकार विचार के क्षेत्र में भी अहिंसा को उसके सम्पूर्ण रूप और भावनाओं के साथ अपनाया है और उसके लिये ठोस भूमिका और निश्चित रूप प्रदान करके वैचारिक हिंसा की सम्भावनाओं को समान करने का प्रयत्न किया है।

हमारे पास प्रज्ञ-नियम-संपत्ति और आचार के दूसरे समस्त विधान व्यावहारिक दृष्टि से सब तक हमारे लिये निरूपयोगी हैं, जब तक हममें दो बातें न हों। प्रथम तो यह कि हममें दूसरों के विचार सुनने, दूसरों की बातें समझने की क्षमता हो, हममें दूसरों के विचारों में भी उत्पान्वेदक करने और उनके साथ सामझार्य स्थापित करने की शक्ति

● अहिंसा दर्शन

हो। दूसरे यह कि हममें आत्मा के चरम विचार का अद्विग आत्म-विश्वास हो।

आचारगज अहिंसा दूसरे प्राणियों की रक्षा-मायना को तो प्रोत्साहन देती है, किन्तु उसके हमारे मन में दूसरों के प्रति मैत्री नहीं जागी, वरुणा भले ही जग जाय। अतः आचार के साथ साथ विचारों में भी अहिंसा की उन्नी ही आवश्यकता है, इतने इनकार नहीं किया जा सकता। विचारों में अहिंसा लाये बिना आचार की अहिंसा आडम्बर मात्र रह जाती है और उसके दम्भ भले ही उत्रव आये, मन में शीम-लता नहीं आती, नैतिकता नहीं आती और सन्ने मायना में मानवता नहीं आती।

आत्म चारा और अहिंसा की बड़ी बन्धा है। जगत में आत्म करोड़ा व्यक्ति मिलेंगे, जो अहिंसा का नाम लेकर जागते हैं और अहिंसा का नाम लेकर सोते हैं। यहाँ तक कि युद्ध की तैयारी करने वाले भी सभी कभी एक हाथ में तलवार लेकर अहिंसा की दुहाई देने दितार देते हैं, किन्तु जगत में अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं हो पाती क्योंकि उनमें धर्माचारिक अहिंसा की कमी है, कमी क्या अभाव है। तभी तो वे अपने विचारों से विरुद्ध विचारों के प्रति सदा असहिष्णु रहते हैं और इसलिये उनमें आत्म-विकास का हृद आत्म विश्वास नहीं होता। इसके पे दूसरे के द्वारा प्रदर्शित हिंसा की तो स्वर्दा अपनी पूरी शक्ति से करते हैं, किन्तु अहिंसा की स्वर्दा करने की कमी भावना नहीं होती।

भगवान् महावीर ने विचारों की इस हिंसा को दूर करने और अहिंसा को अधिक व्यापारिक और लोप कल्याणकारी बनाने के लिए दो उपाय बताये थे। (१) अनेकान्तवाद और स्याद्वाद। (२) और आत्म-स्वातन्त्र्य पर आस्था। इनके सम्बन्ध में जैन परम्परा में विशाल

साहित्य ऐतिहासिक काल के पूर्व से आज तक लिखा गया है। यहाँ इन विद्वानों पर संक्षेप में कुछ प्रकाश डालना उपयोगी होगा।

संसार में पदार्थ अनन्त हैं, उनकी दृश्यों भी अनन्त हैं। उनके मुझाबिले हमारी अपनी दृष्टि सीमित है। फिर भी हम उनके बारे में

अनेकान्त-
वाद

कहते हैं, उनका वर्णन करते हैं। जैसे मैं वर्णन करता हूँ, दूसरा भी करता है, तीसरा और चौथा भी करता है। फिर भी सबके वर्णनों में अन्तर रहता है। एक वस्तु के वर्णनों में अन्तर रहता

है। आसिर क्यों? उत्तर सरल है। विभिन्न व्यक्ति किसी वस्तु का वर्णन विभिन्न ढंगों से, विभिन्न दृष्टिकोणों से करते हैं। किन्तु क्या ये दृष्टिकोण गलत हैं? मैं दूसरे के दृष्टिकोण को गलत कहता हूँ, दूसरा मेरे दृष्टिकोण को गलत कहता है। किन्तु हम नहीं जानते कि जैसे मेरा दृष्टिकोण सत्य है, वैसे दूसरे का भी दृष्टिकोण सत्य हो सकता है। मैंने वस्तु के एक रूप को लेकर वर्णन किया, दूसरे को उस वस्तु में दूसरे रूप के दर्शन हुए। इसी तरह असंख्य व्यक्तियों को एक ही वस्तु के असंख्य रूपों के दर्शन हुए और वे उनका वर्णन अपने २ ढंग से करते हैं। किन्तु कौन कह सकता है कि वस्तु में वे असंख्य और अनन्त रूप नहीं हैं। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु में, द्रव्य में अनन्त रूप और अनन्त धर्म होने हैं। इसलिये जिस व्यक्ति ने जिस रूप के दर्शन किये, उसने उस रूप को कह दिया। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उस रूप के कह देने से शेष अनन्त रूप उसमें नहीं रहे। इस कारण वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। यही अनेकान्त कहलाता है।

यह विश्वास कर लेने के बाद कि वस्तु अनन्त धर्मात्मक, अनन्त रूपात्मक है, यह मानने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी कि उन तमाम

रूपों को मैं कह नहीं सकता। मेरी शक्ति सीमित है और मेरे बचनों की शक्ति भी मर्यादित है, वे भी एक बार में उन सारे रूपों को कह नहीं सकते। किन्तु उसका यह अर्थ तो कदापि नहीं कि मैं वस्तु के जिस एक रूप का वर्णन करता हूँ, केवल वही सत्य है, वस्तु के शेष रूप असत्य हैं। कहना यह होगा कि मैंने अपने किसी विशेष दृष्टिकोण से वस्तु के उस एक रूप का वर्णन किया, दूसरे ने अपने दृष्टिकोण से दूसरे रूप का वर्णन किया। दोनों के ही दृष्टिकोण सत्य हैं। अतः सत्य सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं। ये विशेष दृष्टिकोण ही अपेक्षायें हैं, जिनके कारण हम वस्तु के सीमित रूप का ही बयान कर पाते हैं। अतः ये दृष्टिकोण सत्य होते हुए भी पूर्ण सत्य नहीं कहे जा सकते क्योंकि उसके अतिरिक्त भी सत्य अवशिष्ट रहता है। उन्हें असत्य तो कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि वे वस्तु का ही वर्णन करते हैं। असत्यता उन्हें सत्यास कहा जा सकता है। परिणामतः मैं जो कहता हूँ, वह भी सत्यास, दूसरा जो कहता है, वह भी सत्यास और इसी परिणाम की यह एक उद्भावना है कि सम्पूर्ण सत्यासों को मिलकर ही एक सम्पूर्ण सत्य बनता है। उस सम्पूर्ण सत्य को पाने के लिये ही हम उन सत्यासों अर्थात् दूसरों के दृष्टिकोणों के प्रति उदार, सहिष्णु और समन्यवहारी बन जायें। वास्तव में तो यही सत्य का आग्रह होगा। यदि हम उन सत्यासों-दूसरों के दृष्टिकोणों के प्रति अनुदार, असहिष्णु बन जायेंगे, सामञ्जस्य की हमारी वृत्ति न होगी तो हम सत्य को कभी पा सकेंगे, यह कल्पना ही व्यर्थ पड़ जायगी। जो विराट् सत्य अखण्ड सत्यासों को लेकर बना है, उन सत्यासों की उपेक्षा करके कभी उस विराट् सत्य की उपलब्धि न हो सकेगी। आपेक्षिक सत्य को कहने और दूसरे के

● अहिंसा-दर्शन

उदा समझते के लिये तैयार रहेगा, तब दूसरे के साथ संघर्ष का बर्हा अवसर रहेगा।

संक्षेप में अनेकान्त हमें यह समझाने को प्रेरित करता है कि वस्तु में अनेक रूप, अनेक दृष्टिकोण और अनेक धर्म होते हैं। शब्दों से बोध जाया है, वह उस वस्तु के सीमित रूप का कथन मात्र है। वह कथन अनेक रूपों में किया जा सकता है और वे सभी रूप आशिक सत्य हैं। मन का यह विश्वास ही अनेकान्त है। इस विश्वास से मानसिक, वैचारिक अहिंसा की बल मिलता है। वस्तु के वे विभिन्न रूप आपेक्षिक हैं, निरपेक्ष नहीं, यह समझ कर उनका कथन करना स्याद्वाद है। यह वाचनिक अहिंसा की पृष्ठभूमिका निर्मित करता है।

अनेकान्त के प्रसंग में जैन शास्त्रकारों ने बड़ा सुन्दर उदाहरण दिया है। जैसे गोपी दही मयतं हुए एक रस्ती को सींचती है और दूसरी रस्ती को ढीली छोड़ देती है। इसी तरह जैन नीति है। वह जब कोई कथन करती है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह उसके दूसरे पहलू की उपेक्षा करती है या उसका तिरस्कार करती है।^१

बड़े लोग 'स्याद्वाद' को 'शायदवाद' कह कर उसका मजाक उड़ाते हैं। ये शायद भूल जाते हैं कि 'शायदवाद' तो सन्देहशीलता का नाम है, जब कि स्याद्वाद एक प्रकार का 'अपेक्षावाद' है। संसार का सारा विधान ही 'अपेक्षा' पर निर्भर करता है। और अपेक्षावाद के इसी सिद्धान्त ने वैज्ञानिक जगत् को प्रत्येकशास्त्र और कृत्रिम उपग्रह जैसे आविष्कार दिये हैं। मनुष्य के सारे सम्बन्ध आपेक्षिक हैं।

१—शाचार्य अमृत चन्द्र

● वैचारिक चंद्र में अहिंसा की सापेक्षता

पृथ्वी की स्थिति, ग्रह-उत्पत्ति का पारस्परिक आकर्षण, प्रकृति का सारा विधान ही आपेक्षिक है। निरक्षेत्र हो तो एक क्षण में संसार की स्थिति बदल जाय।

यह भी जान लेना आवश्यक है कि स्याद्वाद सत्य का असत्य के साथ समन्वय या समझौता नहीं चाहता, न वह असत्य के समझ भुङ्कने की प्रेरणा देता है। वह सत्य-शोध का विनम्र प्रयत्न है।

कह्यो के मन में यह भी विचार पैदा हो सकते हैं कि स्याद्वाद हमें अर्ध-सत्यो के पाय ले जाकर पटक देता है और इन्हीं अर्ध सत्यों को पूर्ण सत्य मानने की प्रेरणा देता है। किन्तु केवल निश्चित अनिश्चित अर्धसत्यों को मिलाकर एक साथ रख देने से क्या वह पूर्ण सत्य कहा जा सकता है? इस शंका में बल अवश्य है। किन्तु स्याद्वाद स्वयं अन्तिम सत्य नहीं है। वह तो चरम सत्य के लिये मार्ग दर्शन का एक दृष्टिकोण है, जो उस सत्य के मार्ग में आनेवाले विरोधों के समन्वय करने की प्रेरणा भर देता है। इसीलिये जैन वाङ्मय में स्याद्वाद को लोक-व्यवहार का साधक बताया है^१ और उसे व्यवहार सत्य कहा है। सम्पूर्ण सत्य तो केवलज्ञान माना है। जिसमें संसार के और सभी कालों के सम्पूर्ण पदार्थों का आत्म साक्षात् होता है।

भारत के राजनैतिक गगन में एक स्वर्णकाल कहा जाता है। सामान्यतः यह स्वर्णकाल ११-१२ वीं शताब्दी तक माना जाता है।

१—सिद्धसेन दिवाकर—जेण विद्या भोगस्सति विवहारो सप्पाहन निव्वट्ठ ।

तरस भुवणेरक गुट्ठणो यमो अणेरगत वायस्स ॥

* अहिंसा-दर्शन

सदा समझौते के लिये तैयार रहेगा, तब दूसरे के साथ संघर्ष का बर्हा अवसर रहेगा।

संक्षेप में अनेकान्त हमें यह समझाने को प्रेरित करता है कि वस्तु में अनेक रूप, अनेक दृष्टिकोण और अनेक धर्म होते हैं। शब्दों से जो कहा जाता है, वह उस वस्तु के सीमित रूप का कथन मात्र है। यह कथन अनेक रूपों में किया जा सकता है और वे सभी रूप आशिक सत्य हैं। मन का यह विश्वास ही अनेकान्त है। इस विश्वास से मानसिक, वैचारिक अहिंसा को बल मिलता है। वस्तु के ये विभिन्न रूप आपेक्षिक हैं, निरपेक्ष नहीं, यह समझ कर उनका कथन करना स्याद्वाद है। यह वाचनिक अहिंसा की पृष्ठभूमिका निर्मित करता है।

अनेकान्त के प्रसंग में जैन शास्त्रकारों ने बड़ा सुन्दर उदाहरण दिया है। जैसे गोपी दही मथते हुए एक रस्ती को खींचती है और दूसरी रस्ती को ढीली छोड़ देती है। इसी तरह जैन नीति है। वह जब कोई कथन करती है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह उसके दूसरे पहलू की उपेक्षा करती है या उसका तिरस्कार करती है।

कई लोग 'स्याद्वाद' को 'शायदवाद' कह कर उसका मजाक उड़ाते हैं। वे शायद भूल जाते हैं कि 'शायदवाद' तो सन्देहशीलता का नाम है, जब कि स्याद्वाद एक प्रकार का 'अपेक्षावाद' है। संसार का सारा विधान ही 'अपेक्षा' पर निर्भर करता है। और अपेक्षावाद के इसी सिद्धान्त ने वैज्ञानिक जगत् को प्रक्षेपशास्त्र और कृत्रिम उपग्रह जैसे आविष्कार दिये हैं। मनुष्य के सारे सम्बन्ध आपेक्षिक हैं।

१—शाचार्य अमृत चन्द्र

● वैचारिक क्षेत्र में अहिंसा की सार्वकता

पृथ्वी की स्थिति, ग्रह-उपग्रहों का पारस्परिक आकर्षण, प्रकृति का सारा विधान ही आपेक्षिक है। निरक्षेप हो तो एक क्षण में संसार की स्थिति बदल जाय।

यह भी जान लेना आवश्यक है कि स्याद्वाद सत्य का असत्य के साथ समन्वय या समझौता नहीं चाहता, न यह असत्य के समझ मुकने की प्रेरणा देता है। यह सत्य-शोध का विनम्र प्रयत्न है।

कह्यों के मन में यह भी विचार पैदा हो सकते हैं कि स्याद्वाद हमें अर्ध-सत्यों के पास ले जाकर पटक देता है और इन्हीं अर्ध सत्यों को पूर्ण सत्य मानने की प्रेरणा देता है। किन्तु केवल निश्चित अनिश्चित अर्धसत्यों को मिलाकर एक साथ रख देने से क्या यह पूर्ण सत्य कहा जा सकता है? इस शंका में बल अवश्य है। किन्तु स्याद्वाद स्वयं अन्तिम सत्य नहीं है। वह तो चरम सत्य के लिये मार्ग दर्शन का एक दृष्टिकोण है, जो उस सत्य के मार्ग में आनेवाले विरोधों के समन्वय करने की प्रेरणा भर देता है। इसीलिये जैन वाङ्मय में स्याद्वाद को लोक-व्यवहार का साधक बताया है^१ और उसे व्यवहार सत्य कहा है। सम्पूर्ण सत्य तो केवलज्ञान माना है। जिसमें संसार के और सभी कालों के सम्पूर्ण पदार्थों का आत्म साक्षात् होता है।

भारत के राजनैतिक गगन में एक स्वर्णकाल कहा जाता है। सामान्यतः यह स्वर्णकाल ११-१२ वीं शताब्दी तक माना जाता है।

१—सिद्धसेन दिवाकर—जेण विणः लोगरससति विवहारो सस्वाहन निध्वङ्ग ।

तस्स भुवणेषु गुरुणो यमो अत्योर्गत वायस्स ॥

● अहिंसा-दर्शन

सदा समझोते के लिये तैयार रहेगा, तब दूसरे के साथ संपर्क का वहाँ अवसर रहेगा।

संक्षेप में अनेकान्त हमें यह समझाने को प्रेरित करता है कि वस्तु में अनेक रूप, अनेक दृष्टिकोण और अनेक धर्म होते हैं। शब्दों से जो कहा जाता है, वह उस वस्तु का सीमित रूप का बयान मात्र है। यह कथन अनेक रूपा में किया जा सकता है और ये सभी रूप आशुिक सत्य हैं। मा का यह विश्वास ही अनेकान्त है। इस विश्वास से मानसिक, वैचारिक अहिंसा का बल मिलता है। वस्तु के ये विभिन्न रूप आपेक्षिक हैं, निरपेक्ष नहीं, यह समझ कर उनका बयान करना स्याद्वाद है। यह वाचनिक अहिंसा की पृष्ठभूमिका निर्मित करता है।

अनेकान्त के प्रसंग में जैन शास्त्रकारों ने बड़ा सुन्दर उदाहरण दिया है। जैसे गोपी दही मथते हुए एक रस्ती को रींचती है और दूसरी रस्ती को ढीली छोड़ देती है। इसी तरह जैन नीति है। यह जब कोई बयान करती है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह अपने दूसरे पहलू की उपेक्षा करती है या उसका तिरस्कार करती है।^१

वह लोग 'स्याद्वाद' को 'शायदवाद' कह कर उसका मजाक उड़ाते हैं। वे शायद भूल जाते हैं कि 'शायदवाद' तो सन्देहशीलता का नाम है, जब कि स्याद्वाद एक प्रकार का 'अपेक्षावाद' है। संसार का सारा विधान ही 'अपेक्षा' पर निर्भर करता है। और अपेक्षावाद के इसी सिद्धान्त ने वैज्ञानिक जगत् को प्रक्षेपणास्त्र और कृत्रिम उपग्रह जैसे आविष्कार दिये हैं। मनुष्य के सारे सम्पन्न आपेक्षिक हैं।

१—आचार्य अमृत चन्द्र

● वैचारिक क्षेत्र में अहिंसा की सार्थकता

गुणों की स्थिति, ग्रह-उपग्रहों का पारस्परिक आकर्षण, प्रकृति का सारा विधान ही आपेक्षिक है। निरखेर हो तो एक क्षण में संसार की स्थिति बदल जाय।

यह भी जान लेना आवश्यक है कि स्वाध्याय सत्य का अस्तम्य के साथ समन्वय या समझौता नहीं चाहता, न यह अस्तम्य के समझ मुझने की प्रेरणा देता है। यह सत्य-सोप का विनम्र प्रयत्न है।

करवों के मन में यह भी विचार पैदा हो सकता है कि स्वाध्याय हमें अर्प-सत्यो के पास ले जाकर पटक देता है और इन्हीं अर्प-सत्यो को पूर्ण सत्य मानने की प्रेरणा देता है। किन्तु केवल निश्चिन्त अनिश्चित अर्प-सत्यो को मिलाकर एक साथ रग देने से क्या यह पूर्ण सत्य कहा जा सकता है? इस संका में बल अवश्य है। किन्तु स्वाध्याय स्वयं अन्तिम सत्य नहीं है। यह तो चरम सत्य के लिये मार्ग दर्शन का एक दृष्टिकोण है, जो उस सत्य के मार्ग में आनेवाले विरोधों के समन्वय करने की प्रेरणा भर देता है। इसीलिये जैन वादमय में स्वाध्याय को लोक-व्यवहार का साधक बताया है^१ और उसे व्यवहार सत्य कहा है। सम्पूर्ण सत्य तो केवलज्ञान माना है। जिसमें संसार के और सभी जालों के सम्पूर्ण पदार्थों का आत्म आच्छाद होता है।

भारत के राजनैतिक गगन में एक स्वर्णकाल कहा जाता है। सामान्यतः यह स्वर्णकाल ११-१२ वीं शताब्दी तक माना जाता है।

१—विद्वमेन विपाकर—जेण विष्णो लोकरससति विवहारो सप्याहन निम्बद्ध ।

तरस मुषयेकक गुरणो समो अयेगत वापरस ।।

• अहिंसा दर्शन

इस काल में भारतीय सभ्यता का चारों ओर प्रसार हुआ, संस्कृति के विभिन्न अंगों-साहित्य, कला, संगीत आदि दार्शनिक क्षेत्र में भी प्रगति और अभ्युदय हुआ। भारत के इस स्याद्वाद की अभ्युदय काल में विभिन्न दर्शनों का विकास सापेक्षता और निर्माण हुआ और विभिन्न धर्मों को दार्शनिक रूप मिला। फिर उनके ऊपर अनेकों स्वतन्त्र और टीका ग्रन्थ लिखे गये, उसमें एक दूसरे की आलोचनाएँ हुईं। सभाशास्त्रों में, एवान्त में, राज्य-परिपदों में और धन-ग्रन्थों में दार्शनिक चर्चाएँ और विवाद हुए। इन दार्शनिक विवादों के फल स्वरूप लाखों और करोड़ों व्यक्तियों ने धर्म परिवर्तन किये। यहाँ तक कि इन दर्शनों के आधार पर स्वतन्त्र सम्प्रदाय तक खड़े हो गये। वस्तुतः ये दर्शन गहरे तत्त्वचिन्तन के परिणाम हैं और इनमें आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के रूप और पारस्परिक सम्बन्धों का गम्भीर चिन्तन किया गया है।

किन्तु ये दर्शन परस्पर में इतने विरोधी हैं और उनमें इतने विरोधी सिद्धान्तों का प्रतिपादन है कि हम एक भारतीय आत्मा की इस विविधता और अनेकता पर आश्चर्य होता है। किन्तु इस अनेकता में भी एकता का महात्न प्रयत्न भगवान् महावीर और उनके परचाद्वर्ती समर्थ जैनाचार्यों ने किया। यह प्रयत्न ही 'स्याद्वाद' कहलाया।

बौद्ध दर्शन में कोई त्रिकाल अव्यभिचारी नित्य वस्तु नहीं मानी गई। उसके मत से जगत्स्रोत अप्रतिहत और अबाध गति से निरन्तर बह रहा है। क्षण भर के लिये भी कोई वस्तु एक ही भाव से एक ही अवस्था में स्थिर होकर नहीं रह सकती। परिवर्तन ही जगत् का मूल कारण है। इसके विपरीत परिवर्तनशील किसी वस्तु के साथ वेदान्त

० वैचारिक क्षेत्र में अहिंसा की सार्थकता

का कोई सम्पर्क नहीं। परिवर्तन तो उसके मत से असत् है, माया है, सत्य 'तो केवल ब्रह्म है, जो नित्य, शुद्ध बुद्ध, चैतन्य स्वभाव है। 'अथातो ब्रह्म विज्ञासा' यहीं से वेदान्त का अर्थ है और यहीं पर उसकी इति है।

नित्यवाद और अनित्यवाद को मानने वाले इन दोनों विरोधियों का समन्वय स्याद्वाद करता है। वह दोनों की आंशिक सत्यता स्वीकार करके कहता है, वस्तु का रूप सदा स्थिर रहता है, अतः वह नित्य है, किन्तु उसकी पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न और विनष्ट होती रहती है, उस परिवर्तन के कारण वह अनित्य है अर्थात् वस्तु में प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय और भ्रौण्य तीनों धर्म रहते हैं। उसकी नित्यानित्यात्मकता आपेक्षिक है। उसमें केवल नित्यता या अनित्यता ही ऐकान्तिक सत्य नहीं है।

सारे दार्शनिक विवादों का समन्वय और समाधान स्याद्वाद इसी रूप में प्रस्तुत करता है। जैन शास्त्रकारों का कथन है कि सम्पूर्ण दर्शन नयवाद में गर्भित हो जाते हैं। अतएव सम्पूर्ण दर्शन नय की अपेक्षा से सत्य हैं। जैसे ऋजुयुद्ध नय की अपेक्षा से बौद्ध, संग्रह नय की अपेक्षा से वेदान्त, नैगमनय की अपेक्षा न्याय, वैशेषिक, शब्दनय की अपेक्षा शब्द ब्रह्मवादी, तथा व्यवहार नय की अपेक्षा चार्वाक दर्शन को सत्य कहा जा सकता है। ये तो सब जुदा २ मणियाँ हैं। स्याद्वाद के घागे में इन्हें पिरोकर ही जैन-दर्शन या जैन-धर्म नाम की माला बनती है।

उपाध्याय यशोविरय जी के शब्दों में 'सच्चा अनेकान्तवादी

• ग्रहिसा-दर्शन

किसी भी दर्शन से द्वेष नहीं करता। यह सम्पूर्ण नयरूप दर्शनों को इस प्रकार वात्सल्य दृष्टि से देखता है, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को देखता है। क्योंकि अनेकान्तवादी की न्यूनाधिक बुद्धि नहीं हो सकती। वास्तव में सच्चा शास्त्रज्ञ कहे जाने का अधिकारी वही है, जो स्याद्वाद का अयलम्बन लेकर सम्पूर्ण दर्शनों में समानभाय रखता है। वास्तव में मन्व्यस्थ भाव ही शास्त्रों का गूढ़ रहस्य है, यही धर्मवाद^१ है।

जैन वाङ्मय ने स्थान २ पर घोषित किया है कि सभी धर्म और दर्शनों में सत्य है। उनकी मान्यताओं के ऐकान्तिक आग्रह की आलोचना अवश्य की है, किन्तु उन्हें असत्य नहीं कहा। बल्कि यहाँ तक स्वीकार किया है कि १६३ मतों का समग्र रूप जैन-दर्शन है। समन्वय की इस स्वस्थ परम्परा का विकास स्याद्वाद सिद्धान्त के सहारे ही हो सका है।

जिस प्रकार भारतीय श्रुति गण तत्व-चिन्तन में लगे रहकर नाना विध रहस्यों का उद्घाटन कर सके हैं, उसी प्रकार दूसरे देशों में भी तत्व-मनीषियों ने जगत् के गूढ़ रहस्यों के परत उद्घाटने का प्रयत्न किया है। किन्तु यह किन्तना विचित्र है कि हर तत्वचिन्तक की मान्यता ऐकान्तिक आग्रह पर आधारित रही है। दो विरोधी दर्शनों या मान्यताओं के समन्वय का सदा प्रयत्न होता रहता है। किन्तु समन्वय की स्वस्थ परम्परा का निर्वाह न हो सकने के कारण समन्वय का यह प्रयत्न ही एक स्वतन्त्र मान्यता, स्वतन्त्र सिद्धान्त और स्वतन्त्र दर्शन के रूप में जगत् के सम्मुख प्रगट हो गया। इस तरह समन्वय स्वतन्त्र प्रक्रिया न रह कर स्वतन्त्र सम्प्रदाय बन गया। विभिन्न सम्प्रदायों का इतिहास

● वैचारिक क्षेत्र में अहिंसा की सार्वभौमिकता

विभिन्न विरोधी सम्प्रदायों के समन्वय से प्रारम्भ हुआ है किन्तु उसका अन्त सम्प्रदायों की संख्या में एक की गिनती बढ़ाकर हुआ है।

किन्तु यह सब होते हुए भी सभी धर्मों, दर्शनों और सम्प्रदायों में अनेकता होने हुए भी एकता के, समन्वय के बीच मौजूद हैं। अनेकता में भी एकता, विभिन्नता में भी एककता के दार्शनिक क्षेत्र पर अनुसंधान में ये बीच बड़े उपयोगी हो सकते हैं। स्थापना का प्रभाव था उनहीं धर्मों के टूटने और उन पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। इससे जहाँ साम्प्रदायिक और दार्शनिक विवादों में सामञ्जस्य की शक्ति के दर्शन हो सकते, वहाँ विभिन्न दर्शनों और सम्प्रदायों पर स्थापना के उपयुक्त प्रभाव का भी मूल्यांकन करने में सुविधा मिल सकेगी।

वेदों में कहा गया है कि 'उत्तम समय सत् भी नहीं था, असत् भी नहीं था। उन्नतियों में कर्द स्थान पर वर्णन मिलता है—'वह उत्पन्न होता है, वह उत्पन्न नहीं होता; यह दूर है, वह पास है।'^१ 'यह अणु से भी छोटा है। और बड़े से बड़ा है।'^२ 'वह सत् है, असत् है।'^३

इसी प्रकार भारतीय दर्शनों में भी इस प्रकार के विरोधी विचार और उनके समन्वय की पद्धति मिलती है, जिसे स्थापना के अनुकूल कह सकते हैं। जैसे जैन दर्शन तत्त्वों का निर्णय दो दृष्टिकोण से करता है, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय से वस्तु के मूल तत्व

१—ऋग्वेद १०-१२१-१

२—ईशावास्य ५

३—ऋग्वेदनिघण्टु २-२०

४—प्रश्नोपनिषद् २-५

• अहिंसा-दर्शन

के स्वरूप की प्रुवता का विचार होता है, तथा व्यवहार नय से वस्तु में प्रतिक्षण होने वाले उत्पाद-व्यय रूप परिवर्तनों पर विचार होता है, उसी प्रकार वेदान्त दर्शन में स्वरूप और तटस्थ शब्दों का लगभग निश्चय और व्यवहार के अर्थों में प्रयोग हुआ है। शंकर ने पारमार्थिक सत्यता से व्यावहारिक सत्यता को जिस कारण पृथक् किया है, वह स्याद्वाद के मूल रूप के निकट ही है। उन्होंने परिदृश्यमान जगत् की सत्ता अस्वीकार नहीं की, किन्तु उसकी पारमार्थिक सत्यता अस्वीकार की गई है। बौद्ध विज्ञानवाद या शून्यवाद के विरुद्ध उन्होंने जगत् की व्यावहारिक सत्ता अतिशय दृढ़ता के साथ प्रमाणित की है।

इसी तरह बौद्ध दृश्यवाद में शून्य का जो व्यतिरेकमुक्ती लक्षण किया है, उसने अनुसार जो अस्ति नास्ति अस्तिनास्ति दोनों और अस्ति नास्ति दोनों नहीं, इन चारों विरोधी भावनाओं से जो वहिर्भूत है, वह शून्य माना है।

कौन कह सकता है कि वेदान्त और बौद्ध दर्शनों की उक्त मान्यताओं पर स्याद्वाद के परस्पर विरोधी रूपों के समन्वयकारी आदर्श का प्रभाव नहीं था।

पार्श्वात्य दार्शनिकों में विलियम जेम्स के (Pragmatism) सिद्धान्त की स्याद्वाद के साथ अनेक अर्थों में तुलना हो सकती है। ग्रीस में एक ईलियाटिक (Eleatics) सम्प्रदाय हो गया है। उसकी मान्यता थी कि जगत् परिवर्तनहीन, नित्य है। उसका विरोधी सम्प्रदाय था हिराक्लीटियन (Heraclitien), इसकी मान्यता थी कि जगत् सर्वथा परिवर्तनशील है। इन दोनों विरोधी मान्यताओं का समन्वय करते हुए एम्पीडोकलीज (Empedocles), एटोमिस्ट्स (Atomists), और इनैक्सागोरस (Anaxagoras) दार्शनिकों

ने पदार्थों का नित्यत्व स्वीकार करते हुए भी आपेक्षिक परिवर्तन माना है।^१

जर्मन तत्ववेत्ता हेगल (Hegel) की मान्यता है कि विरुद्ध धर्मात्मकता ही संसार का मूल है। हमें किसी वस्तु का वर्णन करते हुए उसकी वास्तविकता का तो वर्णन करना ही चाहिए। किन्तु उसके साथ उन विरुद्ध धर्मों का समन्वय किस प्रकार हो सकता है, यह भी बताना चाहिये।^२

प्लेटो का विश्वास है कि हर वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में आवश्यक भी है और तुच्छ भी है। हर विचार में सत्य है, चाहे वह कितना ही झूठ हो; हर सत्ता में वास्तविकता है, चाहे वह कितनी ही तुच्छ हो।^३

इस प्रकार और भी अनेकों दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने पदार्थ में विरुद्ध धर्मात्मकता को स्वीकार किया है, एक वस्तु के विभिन्न रूपों को सापेक्ष माना है और किसी सत्य को निरपेक्ष नहीं माना। इस प्रकार पूर्वी और पश्चिमी दर्शनों में स्याद्वाद का मूल रूप स्वीकृत होने पर भी स्याद्वाद को स्वतन्त्र दार्शनिक मतवाद का उच्चासन देने का गौरव फ्रेडरिक्स जैन दर्शन को ही है।

मनुष्य का दैनिक जीवन उसकी इच्छाओं और मान्यताओं से नियन्त्रित और परिचालित है। मनुष्य के भीतर मनुष्यता रहती है, किन्तु एक कोने में शैतानियत और द्वैतानियत भी रहती है। शैतानियत

१—Thilly : History of Philosophy p. 32

२— " " p. 467

३—Appearance and Reality p. 4 87

● अहिंसा दर्शन

सदा दूसरे को कष्ट देने, पापाचार करने को प्रेरणा देती रहती है और हैवानियत मनुष्यको दम्भी, क्रोधी, कपटी, लोभी व्यावहारिक जगत् बनाती है। ये दोनों मनुष्य की मनुष्यता इन्सानियत को खा खाकर मोटी होती जा रही हैं। इंसानियत मर रही है, सिकुड़ रही है और शैतानियत और हैवानियत फूल रही हैं। इनके

प्रमाण में अगर वह मनुष्य जब अपनी मान्यता को ही सत्य मान लेता है, अपने पक्ष को ही उचित और न्याय समत मान बैठता है। इतना होता, तब भी गनीमत थी। किन्तु वह इसके साथ-साथ दूसरे के पक्ष और मान्यता को एकदम असत्य, अनुचित और न्याय रहित होने की घोषणा करता फिरता है। जो स्थिति इसकी है, वही दूसरे की है। इस तरह मत भेद ही मन भेद बन जाता है और फिर संघर्ष छिड़ जाता है। सारे मत मतान्तरां, सम्प्रदायों, युद्धों का यही इतिहास है। विचारा नी असहिष्णुता, सत्य का एकाधिकार, दूसरे से अपने को उच्च मानने की अहम्मन्यता, ये ही युद्ध, उच्च नीच भेदभाव और अशान्ति के मूल हैं।

स्याद्वाद का प्रयोग दार्शनिक क्षेत्र में सफलता पूर्वक किया जा चुका है। अतः उसका प्रयोग व्यावहारिक जीवन में करने की आवश्यकता है। अगर शैतानियत और हैवानियत से ऊपर इंसानियत की प्रतिष्ठा करनी है, मानव ने मानसिद्ध धर्मों की मरहम पट्टी करके उन्हें भरना है और मानसिद्ध या वाचनिक हिंसा को नाम शेष करके शीतयुद्ध या वास्तविक युद्ध की कल्पना तक को समाप्त करना है तो हमें स्याद्वाद द्वारा समन्वयवादी मनोवृत्ति को जगाना और बढ़ाना ही होगा। अन्यथा इसके बिना मानवता के सुन्दर भविष्य की समस्त आशाएँ

● वैचारिक क्षेत्र में अहिंसा की सार्वभौमिकता

क्षीण हो जायेगी। मानवता के बल्बाण का इसके सिवाय और कोई मार्ग जगत् में आज नहीं है और शायद भविष्य भी जो मार्ग खोज सकेगा, वह भी स्याद्वाद का ही एक भावनात्मक रूप होगा।

स्याद्वाद वस्तुतः विचार-समभाव और विरोध में एकता का मार्ग प्रशस्त करने वाली एक ऐसी प्रणाली है, जो विश्व के समस्त विवादों को, वह चाहे व्यक्ति के हों या समष्टि के मुलभूताने की कुझी है। वह अपने विचार दूसरों पर बलात् लादने के विरुद्ध सत्य के प्रति विनम्र आत्म समर्पण है; आप्रहरीन होकर सत्य-शोध की यह निरभिमान पद्धति है और विरोधों में सामञ्जस्य स्थापित करने की निरुद्धेग आकांक्षा है।

जैन परम्परा स्याद्वाद के रूप में जगत् को अहिंसा का एक विधायक रूप दे सकी, यह मानव की सम्पूर्ण समस्याओं के समाधान में उसकी मूर्तिमान आकांक्षा का प्रतीक है। निस्सन्देह अहिंसा इसके द्वारा केवल ऊँचा आदर्श माप नहीं रह गई, बल्कि वह जीवन का एक उपयोगी अंग भी बन सकी है। आज इसके उपयोग की सर्वाधिक आवश्यकता है।

प्राणियों की रक्षा अहिंसा का मुख्य उद्देश्य नहीं है, इसे समझना ही तो अहिंसा की परिभाषा की गहराई से छान-बीन करनी होगी।

प्राणियों के प्राणों का घात न करना यह सार्वभौमिकता

अहिंसा का धर्म
सत्य-आत्म-
स्वातन्त्र्य

मूलक प्रवृत्ति मूलतः शरीर से सम्बन्धित है। अतः शरीर के विभिन्न अंगों की प्रवृत्ति-मन, वाणी और काय के अशेष अंगों की वृत्ति का नियमन जीवन का मुख्य आध्यात्मिक ध्येय नहीं बन

सकता, वह इससे भी किसी उच्चतर ध्येय का साधन बन सकता है।

● अहिंसा-दर्शन

यह उच्चतर ध्येय आत्मा का हो सकता है. अनात्म का नहीं। मन, वाणी और शारीरिक अंग ये अनात्म हैं, आत्मा के साथ बलात् घोषे हुए हैं। और यह जब अपने लाभ के लिए इनका उपयोग करता है, तब उसके लिये इनका नियमन आवश्यक हो जाता है। तब इसे प्राणियों की जो रक्षा हो जाती है, उसे हम कहते हैं—अहिंसा। किन्तु यह अहिंसा का वाह्य रूप है।

अहिंसा अगर आत्मा का सौन्दर्य है तो उसका रूप होगा आत्मा की सम्पूर्ण अनात्म शक्तियों से मुक्ति, आत्मा का सम्पूर्ण स्वातन्त्र्य।

आत्मा अपने ही कर्मों के फैलाये जाल में स्वयं उलझ रहा है। उसकी कर्तृत्व शक्ति उसके अधिकार में रह गई, किन्तु भोक्तृत्व शक्ति की रास उसके हाथ से निकल कर्मों के हाथ में जा चुकी है। यह कर्म करता है स्वेच्छा से, किन्तु फल भोगने की बाध्यता उसने स्वयं अपने ऊपर ओढ़ ली है। वह अपने ही में इतना छोटा, तुच्छ बन गया है कि उसे स्वयं अपनी अन्तर्निहित अनन्त शक्तियों का न ज्ञान ही रह गया है और न विश्वास ही।

विभिन्न आस्तिक दर्शनों ने यह स्वीकार किया है कि आत्मा कर्म करने में स्वतन्त्र है। सबसे इस विषय में ऐकमत्य है। मत-भेद का बिन्दु उसके फल-भोग की स्वतन्त्रता है। फल का नियन्त्रण उन दर्शनों ने आत्मा से छीन कर किसी एक अश्रेय शक्ति के हाथों में दे दिया है। जब कि जैन परम्परा कर्म करने की तरह फल भोगने में भी आत्मा की स्वतन्त्रता स्वीकार करती है। यद्यपि इस मतभेद को अहिंसा की उन्नतम भूमिका वाली परिभाषा को अथवा उसके आन्तरिक उद्देश्य को समझने के लिये विस्तार से जानना आवश्यक नहीं है, किन्तु जब आत्मा का चरम लक्ष्य हम आत्म-स्वातन्त्र्य मान लेते हैं, तब आत्म-

७ वैचारिक क्षेत्र में कर्हिता की सापेक्षता

वातन्त्र्य की प्रक्रिया और उसका रूप जानने की जिज्ञासा बनी ही रहती है। केवल यही समझने के लिये यहाँ आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व-प्रतिकार को समझ लेना आवश्यक हो जाता है।

हम जो कार्य करते हैं, वह कर्म नहीं है। उसे हम क्रिया कह सकते हैं, वह शारीरिक प्रवृत्ति है। किन्तु कर्म इससे भिन्न है। एक ही शारीरिक क्रिया करने पर भी फल भिन्न-२ मिलते हैं, लोभ में ऐसा देखा जाता है। यदि शारीरिक क्रिया ही कर्म कहलाती होती तो एक ही शारीरिक क्रिया का फल भी समान मिलता होता। ऐसा होता तो हुरी से शल्य क्रिया करने वाले डाक्टर को और हुरी से गर्दन काटने वाले डाकू को एक ही सजा मिलती। किन्तु नहीं, फल भिन्न-२ मिलते हैं और उसका कारण है, दोनों के उद्देश्य की भिन्नता। ऐसे ही आत्मात्मिक भाषा में कहें तो यह सचते हैं—दोनों के आत्म-परिणामों की विभिन्नता। अर्थात् फल शारीरिक और वाचनिक प्रवृत्तियों के अनुसार नहीं मिलता, फल मिलता है आत्म-परिणामों के अनुसार। जैसे आत्मा के विचार मन, बचन और काय की प्रवृत्ति करते समय दोगे, फल वही ही मिलेगा। लेकिन जैसा फल मिलेगा, आत्म-परिणाम भी तब वैसे ही होंगे। और तब जैसे आत्म-परिणाम होंगे, उसका फल भी वही मिलेगा। अर्थात् कर्म का फल सुख, सन्तोष, सदाचार और उसके अनुकूल वातावरण होगा। इसी तरह पाप का फल दुःख, असन्तोष, कृम्या, पाराचार और उसके अनुकूल वातावरण होगा। उसके फिर कर्म और पाप करने की प्रेरणा मिलेगी।

इसका अर्थ यह हुआ कि आत्म-परिणाम कर्म हैं; उनका फल भी

आत्म-परिणाम ही हैं। किन्तु कर्म और कर्मफल का यह चित्र सम्पूर्ण नहीं है। यह तो केवल उसकी रेखाएँ हैं, उसमें रंग भरता है पौद्गलिक जड़ तत्व। और अब सम्पूर्ण चित्र यह हुआ—

जैसे ग्रामोफोन चलाते समय पहले चाली भरनी पड़ती है, सुई लगाते हैं। उससे रिकार्ड में पहले एक कम्पन सा होता है। फिर वह गजन लगता है। इसी प्रकार अब हम मन, वचन या काय की कोई प्रवृत्ति करते हैं, तो उससे सारे लोक में भरी हुई कार्मण वर्गणाओं (कर्म के योग्य पुरगल परमाणुओं) पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर आत्मा में एक कम्पन सा होता है। इस कम्पन में आर्पण होता है, उससे अनुकूल कार्मण वर्गणाय आकृष्ट हो जाती हैं और आत्मा में आकर बन्ध जाती हैं। मन, वचन और काय की प्रवृत्तियाँ क्रोध, मान, माया और स्वार्थवश होती हैं। ये प्रवृत्तियाँ घ्राह्य कहलाती हैं और क्रोधादि चारों कषाय कहलाते हैं। प्रवृत्तियों में तीव्रता और मन्दता का आधार ये कषाय हैं। इन कषायों की मात्रा के अनुसार ही पौद्गलिक कर्म आत्मा की ओर आकृष्ट होते हैं और उनका बन्धन आत्मा के साथ जुड़ जाता है। यह बन्ध कहलाता है।

कर्मों का यह बन्ध आस्रव द्वार से एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा हुआ। किन्तु हुआ है प्राकृतिक आर्पण शक्ति द्वारा स्वयं ही। इसी प्रकार बन्धन की भी अपनी एक शक्ति होती है। वह शक्ति अपने २ समय पर क्षीण होने लगती है। तब जैसे आस्रव के मार्ग द्वारा ये पौद्गलिक कर्म आकृष्ट हुए थे, उसी प्रकार उनके पृथक्करण का मार्ग खुल जाता है और वे कर्म आत्मा से पृथक् हो जाते हैं। खुलने का यह द्वार 'संघर' कहलाता है और पृथक्करण निर्जरा कहलाती है। जैसे आस्रव और बन्ध का आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ा था।

० वैचारिक क्षेत्र में अहिंसा की सार्यकता

उसका आन्तरिक प्रभाव आत्म-परिणामों के कारण या और बाह्य कारणों (मन-वचन और काय की प्रवृत्तियों) के कारण पढ़ा या, उसी प्रकार इन दोनों का आन्तरिक और बाह्य परिणाम भी होता है। उसका आन्तरिक परिणाम होता है-आत्म परिणामों का बन्ध के अनुकूल रूप-ग्रहण और बाह्य परिणाम होता है उसी के अनुकूल बाह्य सुख-दुःख और सुग-दुःख के साधन। वस्तुतः बन्ध और निर्बन्ध आकर्षण-विकर्षण की स्वामानिक प्रक्रिया के परिणाम हैं और यह एक स्वयंचालित प्रक्रिया है। वस्तुतः यह कर्मों की रासायनिक शक्ति है। उसी के द्वारा यह संयोग और विपटन का क्रम निरन्तर चलता रहता है।

कर्मों के इस वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्न हो रहे हैं—

(१) कर्म और उसका फल स्वयं सृष्टं है, यह प्रकृति का एक निगूढ रहस्य है। प्रकृति अपने इस रहस्य को अपने में छिपाये हुए है। किन्तु उसकी असीम शक्तियों के द्वारा कर्म और कर्म-फल का यह चक्र निरन्तर चलता रहता है।

(२) कर्म और कर्म-फल का सम्बन्ध बीज और वृक्ष की तरह सतत प्रवाही और परस्पर-अधित है। वृक्ष से बीज उत्पन्न होता है और बीज से वृक्ष। विशेष की दृष्टि से भले ही हम कहें कि अमुक बीज अमुक वृक्ष से या अमुक वृक्ष अमुक बीज से उत्पन्न हुआ है। किन्तु सामान्य की अपेक्षा बीज और वृक्ष के रूप का इतिहास अज्ञात काल तक चला गया है, जिसकी कोई आदि नहीं, इसी तरह कर्म से कर्मफल और कर्मफल से कर्म होता है। विशेष की दृष्टि से हम भले ही कहें कि अमुक कर्म का यह फल है या अमुक फल से यह कर्म बन्ध हुआ है।

● अहिंसा दर्शन

किन्तु सामान्य की अपेक्षा कर्म और कर्म फल की यह परम्परा अज्ञात काल से चली आ रही है, जिसकी कोई आदि नहीं।

(३) विशिष्ट कर्म अमुक कर्म का फल है और यह फल भी स्वयं एक कर्म है। इस प्रकार कर्म और कर्मफल अन्ततः एक ही हैं। दृष्टि कोणा की भिन्नता से ये कर्म और कर्मफल कहे जाते हैं।

(४) पौद्गलिक कर्मों का बन्ध जड़ है, क्रोधादि काराय भावनात्मक हैं जो विकृत चेतना हैं। अतः चेतन रूप हैं। जड़ बन्ध द्रव्य-बन्ध कहलाता है और चेतन-बन्ध भाव-बन्ध कहलाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि द्रव्य-बन्ध से भाव-बन्ध होता है और भाव बन्ध से द्रव्य-बन्ध होता है।

(५) कर्म और कर्म फल भिन्न २ नहीं, एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

(६) आत्मा में अनन्त शक्तियाँ निहित हैं। किन्तु उन शक्तियों का उसे ज्ञान नहीं, विश्वास भी नहीं। इसलिये स्वयं कर्म करके भी उनके फल भोगने में बाधता अनुभव करता है। पौद्गलिक कर्मों का बन्ध स्वयं इसके निजी कर्तृत्व का फल है। फिर भी वह अपनी ही रचना की शक्ति को महान् समझ बैठा है और उसके समक्ष अपने को तुच्छ और असहाय अनुभव कर रहा है। उसकी इस असहायता का परिणाम यह हुआ है कि कर्मों का यह प्रवाह निरन्तर चल रहा है और आत्मा पुरातन कर्मों का भोग करते हुए भी निरन्तर नये कर्मों का आवाहन करता रहता है। शुभ और अशुभ कर्मों का यह चक्र निरन्तर चालू है। ये शुभ और अशुभ कर्म पुण्य और पाप हैं। दोनों ही आत्मा के लिये बन्धन कारक हैं। किन्तु अशुभ कर्म से शुभ कर्म भेदतर है। उससे आत्मा की अपनी अनन्त शक्ति का ज्ञान और विश्वास होने का

मार्ग प्रशस्त बन सकता है।

शरीर में महान् बल हो तो उगरे तीन काम लिये जा सकते हैं—
 (१) यदि चाहे तो ऐसा व्यक्ति असंख्य प्राणियों को मार सकता है, लोगों में आतंक बसा सकता है, अनेक पाप कर सकता है। (२) यदि चाहे तो ऐसा व्यक्ति दूसरे प्राणियों की रक्षा कर सकता है, उन्हें अभय दान दे सकता है, दूसरे के कार्यों में सहायता और सहयोग दे सकता है। (३) यदि वह चाहे तो आत्म पीडन से तपस्या करके सारे जगत् के प्रति अपनी साम्य दृष्टि को विकसित कर सकता है, दुःख से मुक्ति पा सकता है।

पहला काम अशुभ है, दूसरा शुभ है, तीसरा शुद्ध है। शुभ और अशुभ व्यक्ति की बाह्य दृष्टि के परिणाम हैं और शुद्ध भाव व्यक्ति की आत्मोन्मुखी वृत्ति है।

यदि व्यक्ति पापाचार में निमग्न है, तो कौन यह सकता है कि पापाचार की उसकी यह वृत्ति पूर्ण संचित कर्मों का ही फल है। संभव है, यह वृत्ति उसकी नवीन प्रवृत्ति हो। कर्तृत्व की उसकी शक्ति जो है। यदि उसे धार्मिक वातावरण मिल जाय, परिकर अनुकूल हो तो व्यक्ति पापाचार को छोड़कर नये सिरे से पुण्य-कार्यों में लग सकता है, अपने जीवन को धार्मिक बनाने का प्रयत्न कर सकता है और इस तरह एक दिन का पापी अपने प्रयत्नों से धार्मिक और सदाचारी बन सकता है। और फिर इसके भी आगे बढ़कर यदि उसे अपने आत्म-स्वरूप का बोध हो जाय, आत्मा को निष्कलक और निर्मल करने का दृढ़ संकल्प कर ले और कर्मों के फल को, सुख-दुःखों को निष्काम भाव से, निरीह वृत्ति से सह कर उसे एक प्रकार से निष्कल बना दे और नवीन कर्मों का संचय बन्द कर दे तो धीरे-२ संचित कर्मों का भण्डार रीता होता

चला जायगा और एक दिन ऐसा आवेगा, जब आत्मा निर्बन्ध, निष्कर्म, शुद्ध रूप में प्रगट हो जायगी। एक बार जलाया हुआ धीज वृक्ष उत्पन्न नहीं कर सकता। एक बार कर्म-बन्धन निर्मूल करने पर पुनः कर्म उत्पन्न नहीं हो सकते। इस प्रकार प्राणी चाहे तो कर्तृत्व की तरह भोक्तृत्व में भी रतन्त्र हो सकता है और कर्म और कर्म-फल की परम्परा का श्रन्त करके सर्वथा आत्म स्वातन्त्र्य पा सकता है।

किन्तु मानना होगा, आत्म स्वातन्त्र्य अहिंसा के मार्ग द्वारा ही निष्पन्न हो सकेगा। अहिंसा अपने वाह्य रूप में प्राणी रक्षा के द्वारा 'शुभ' बनती है तो अन्तरमुक्ती रूप में वह सर्व-भूत-समभाव के द्वारा 'शुद्ध' बनने का उपक्रम करती है। अहिंसा का आम्यन्तर रूप आत्मोपम्य दर्शन के साथ प्रारम्भ होता है। यह दर्शन व्यक्ति को अपने सुख दुःखों की तरह दूसरे प्राणियों के सुख-दुःखों में सम्येदनशील भावना के विश्वास के साथ विकसित होता जाता है। जैसे २ यह विकसित होता जाता है, उसके अन्तर् की कषायें (क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेषादि) मन्द, मन्दतर पड़ती जाती हैं। दूसरे रूप में इसे यों भी कह सकते हैं कि उसकी कषाय जितनी कम होती जाती हैं, उसकी आम्यन्तर अहिंसा उतनी ही निर्मल और विकसित होती जाती है और उसके आत्मोपम्य दर्शन, सर्व जीव समभाव की भावना का विश्वास होता जाता है।

संक्षेपतः जब प्राणी कर्तृत्व और भोक्तृत्व में, कर्म और कर्म फल में असहायता और वाध्यता अनुभव न करके, अपने अगाध आत्म-विश्वास का सम्बल लेकर अपनी अहिंसा साधना द्वारा कर्म के फल को निष्फल बनाने, कर्म का समूलोन्मूलन करने की ओर बढ़ता है, तब वह कर्म और कर्म फल की रास अपने हाथों में समहाल लता है। इस

• वैचारिक क्षेत्र में अहिंसा की सार्यकता

आत्म-विश्वास का उदय, आत्मोन्मुखी बनने की रुचि और आत्म-स्वातन्त्र्य की दिशा में बढ़ने की प्रवृत्ति अहिंसा द्वारा होती है। अहिंसा के द्वारा यह अपने-आपने को अग्रमत्त, कर्मायहीन बनाने का प्रयत्न करता है। जैसे २ उगके आत्म-परिणाम कर्मायहीन बनते जाते हैं, जैसे २ उगकी अहिंसा विकसित होती जाती है, यह आत्म-स्वातन्त्र्य के मार्ग में बढ़ता जाता है और अन्त में जब उसे सम्पूर्ण अहिंसा की सिद्धि हो जाती है, तब यह सम्पूर्ण आत्म-स्वातन्त्र्य पा लेता है। इस तरह अहिंसा साधन भी है, साध्य भी है। अहिंसा मार्ग भी है और लक्ष्य भी है; अहिंसा आत्म-सिद्धि का उपाय भी है और आत्मोपलब्धि भी है। इसीलिये स्वामी समन्तभद्र ने अहिंसा को संसार में परम ब्रह्म स्वीकार किया है^१।



१—अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम् ।

स्वर्यभू स्तोत्र

विश्व की वर्तमान समस्याएँ और अहिंसा का भविष्य

विश्व के सम्मुख इस समय अनेक समस्याएँ हैं। उनका समाधान विभिन्न देशों में विभिन्न पद्धतियाँ से करने का प्रयत्न किया जा रहा है। किन्तु फिर भी समस्याएँ ज्यों की त्यों बनी वर्तमान समस्याएँ हुई हैं। और कोई पद्धति आज सर्वाँ श में सफल 1—राजनैतिक नहीं कही जा सकती। एक प्रकार से इस युग में इन पद्धतियों का परीक्षण चल रहा है। परीक्षण में जो पद्धति असफल भी ठहरती है, उसका भी परित्याग नहीं किया जा सकता। उसका कारण व्यक्तियों और देशों का पक्ष व्यामोह ही है।

एक बात तो स्वीकार की ही जायेगी कि विश्व का वर्तमान लोकमत जगता पर एक व्यक्ति की अनियन्त्रित महत्वाकांक्षा के शासन का विरोधी है। यद्यपि जगत् अभी और कहीं न कहीं डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप किसी न किसी रूप में उभर उठती है। व्यक्ति में महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है। उसमें अपने को उच्च मानने और दूसरों पर शासन करने तथा अपनी प्रशंसा के विरुद्ध सुनने का एक दम्भ क्षिप्त हुआ है। कभी-कभी

● विरव की वर्तमान समस्याएँ और अहिंसा का भविष्य

यह दम्भ सैनिक स्रोतों पर एकाधिकार करके प्रगट हो उठता है और कभी कभी जनता का अत्यधिक सम्मान पाकर एकाधिकार की मुत्त वृत्ति जाग उठती है।

किन्तु फिर भी इस प्रवृत्ति और प्रणाली को आज सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा। डिक्टेटरशिप जनता पर आतङ्क जमाता है, उसका

विश्वास और स्नेह प्राप्त नहीं कर सकता। आतङ्क

प्रजातन्त्र का शासन सफल शासन नहीं कहा जा सकता।

अथवा जनतन्त्र अतः डिक्टेटरशिप एक ऐसी असफल प्रणाली है, जो जनता की सहज सहानुभूति खो बैठी है।

वस्तुतः आजकल दो ही राजनैतिक प्रणालियाँ विशेष चर्चा और प्रयोग को विषय बनी हुई हैं। वे हैं—प्रजातन्त्र और समाजवाद। इन दोनों के मौलिक आधार में ही भेद है। किन्तु विभिन्न देशों के प्रजातन्त्र में जिस प्रकार एकरूपता नहीं, उसी प्रकार समाजवाद के रूप भी भिन्न हैं। कहीं सम्राट् के होने पर भी प्रजातन्त्र है, कहीं सम्राट् के स्थान पर देश में एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, उसमें जनसत्ता केन्द्रित है। कहीं जनता की प्रतिनिध्यात्मक संसदें हैं, जिनमें देश की विधायक सत्ता निहित है, कहीं राज्य प्रमुख और प्रतिनिधि-संसद दोनों में सत्ता विभाजित है। किन्तु जनतन्त्र सफल ही हो गया है, ऐसा तो आज जनतन्त्र के दावेदार भी स्वीकार नहीं करेंगे। उसकी बहुत बड़ी कमियाँ तीन हैं—

(१) जनतन्त्र हर बालिग स्त्री-पुरुष को मताधिकार प्रदान करता है। हर मत देश के हित में किसी व्यक्ति को, शासन में योगदान देने के लिये, चुनने के लिये स्वतन्त्र है। जनतन्त्र में राजनैतिक पार्टियाँ होती हैं। उनके अपने आदर्श, नारे और सिद्धान्त होते हैं। इस प्रणाली

* अहिंसा दर्शन

में स्वतन्त्र व्यक्ति का महत्त्व पार्टियों की अपेक्षा प्रभावहीन होता है। अतः जनता के मन पार्टियों के आधार पर व्यक्ति निर्वाचन के मामले में विभक्त हो जाने हैं। निर्वाचन के लिये आयु सम्बन्धी शर्त के अतिरिक्त कोई नैतिक, सेवा, शैक्षणिक या इसी प्रकार की दूसरी शर्त नहीं होती। अतः निर्वाचन नैतिक स्वर्द्धा या मानव सेवा के मूल्याङ्कन के बिना ही केवल संगठन, प्रभाव, (कहीं कहीं आर्थिक स्रोत) आदि के आधार पर सफल हो जाता है।

यदि देहाती माया में कहा जाय तो केवल आयु के आधार पर मताधिकार देना भेद-व्यक्तियों को मताधिकार देने के समान है, जिसका उपयोग तो सब करते हैं, किन्तु लाभ वे उठाते हैं, जो उन भेद-व्यक्तियों को हान ले जा सकते हैं। परिणाम यह होता है कि नैतिक मापदण्ड और मानव सेवा की किसी योग्यता के बिना ही प्रतिनिधि चुन लिये जाते हैं और जो नैतिक दृष्टि से महान् हैं, जिन्होंने मानव-सेवा में अपने जीवन को गला दिया है, वे चुनाव की पेचीदगियों के कारण अथवा पार्टीवाजी की उलझनों के कारण लोक सेवा के इस क्षेत्र से उदासीन रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि लोगों में सत्ता की स्पर्धा जाग उठती है, प्रभाव का विस्तार और व्यक्तिगत यश, सम्मान और हो सके तो आर्थिक लाभ की भूख बलवती हो जाती है। वस, व्यक्ति सेवा के अक्सर का उपयोग अपने लिये करने लगता है।

और फिर पार्टीवाद के आधार पर जो व्यक्ति शासन के पदों पर पहुँच जाते हैं, उनमें ऐसी असंगतियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिससे देश को उनसे नैतिक प्रेरणा मिल सके, ऐसी सभायना नहीं रहती। ये जन-प्रतिनिधि अपने सदाचार, त्याग, सादगी, उच्च विचार और अपनी नैतिक महानता द्वारा जनता की राह में आई बाधाओं को दूर कर

● विरव की वर्तमान समस्यायें और अहिंसा का भविष्य

सकें, उसका पथ प्रदर्शन कर सकें, उनसे तो येवल यही अपेक्षा की जाती है। किन्तु वे शासन और सत्ता के चक्र में ऐसे पड़ जाते हैं कि चाहते हुये भी वे त्याग और सादगी का निर्वाह नहीं कर पाते। भौतिक मूल्यों ने जीवन का जो एक मानदण्ड निर्धारित किया है, उसको बनाये रखने का ही ये प्रयत्न करते हैं।

बहना न होगा, भारतीय जनतन्त्र की आलोचना और कठिनाइयों का बहुत बड़ा कारण उपरोक्त ही है।

(२) जनतन्त्र की दूसरी बड़ी कमी है संयुक्त दृष्टिकोण। जनतन्त्र 'अपने देश का हित' इस मंकीर्ण दृष्टिकोण को लेकर विकसित होता है। अपने देश के इस व्यामोह में से ही युद्ध, लूट-मार, आर्थिक प्रभुत्व आदि का उदय होता है। जनतन्त्र का उदय वैयक्तिक एकाधिकार की सुराहियों के कारण हुआ था। किन्तु ये ही सुराहियाँ अब सामूहिक अधिकार के बल पर जनतन्त्र में धर कर गई हैं। पहले एक व्यक्ति की सनक या महत्वाकांक्षा के कारण युद्ध होते थे, अब उन सनको और महत्वाकांक्षाओं ने सामूहिक रूप ले लिया है। अब वे सनक और महत्वाकांक्षाएँ एक की न रह कर सप्तकी बन गई हैं। इसलिये 'अपने देश के हित' के नाम पर निर्बल राष्ट्रों का आर्थिक शोषण चल रहा है, उनको सैनिक या राजनैतिक गुलाम बनाया जा रहा है। 'उपनिवेश' देश-हित की महत्वाकांक्षा का ही औरस पुत्र है। कमी उपनिवेश वैयक्तिक एकाधिकार की साम्राज्य लिप्सा के कारण बनते थे तो आज सामूहिक देशहित के परिणाम हैं।

यह कितने आश्चर्य की बात है कि आज विश्व में उपनिवेश जनतन्त्री राज्यों के ही हैं।

(३) पाठियों कुछ स्पष्ट-अस्पष्ट उद्देश्यों और स्थायों को लेकर

● अधिसा दर्शन

बनती हैं। शासकीय मामलों का निर्णय बहुमत के आधार पर होता है। अतः बहुमत के लिये पार्टियों में जोड़-तोड़ चालू रहती है। कई बार जोड़-तोड़ के बाद भी बहुमत नहीं बन पाता। कई बार इसी के लिये विपरीत उद्देश्यों वाली पार्टियाँ मिल जाती हैं। इतने देश की नीति में स्थिरता नहीं रहती। कई बार दो पार्टियाँ समान होने पर तीसरी छोटी सी पार्टी अनुचिन लाभ उठाने या शासन को ठप्प करने की स्थिति में हो जाती है। कई बार साधारण बहुमत के निर्णय होते हैं और इस तरह जनसंख्या के एक विशाल भाग के प्रतिनिधित्व का मत व्यर्थ हो जाता है।

जनतन्त्र की तरह समाजवाद के भी रूप अनेकों हैं। साम्यवाद या कम्युनिज्म उसका दस्य और विकसित रूप है। समाजवाद जनतन्त्र और साम्यवाद का मध्यवर्ती है, जिसमें दोनों का समाजवाद अपनाने सामझस्य है। उसमें प्रणाली जनतन्त्रीय रहती है साम्यवाद और उद्देश्य साम्यवाद के रहते हैं। अंतर इतना होता है कि साम्यवाद के अनुसार राज्य के आर्थिक स्रोतों पर राज्य का अधिकार रहता है, किन्तु समाजवाद में राष्ट्रीय क्षेत्र के साथ व्यक्तिगत क्षेत्रों को भी बनाने का अवसर दिया जाता है; धनिक और निर्धन के अन्तर को कुछ उदारता के साथ मिटाने का प्रयत्न होता है। साम्यवाद सारे आर्थिक स्रोतों का राष्ट्रीयकरण कर देता है। यहाँ तक कि व्यक्तियों का भी एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण हो जाता है। व्यक्ति एक मशीन बन जाता है, उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सोचने की स्वतन्त्रता, विचारने की स्वतन्त्रता सब समाप्त हो जाती है। आर्थिक गड़दों को भरने के लिये टीलों को निर्दयता पूर्वक उखाड़ा दिया जाता है। प्रणाली निर्धारित हो जाती है। फिर व्यक्ति की

● अहिंसा-दर्शन

अपनी अनेक कमियों को लेकर ये सभी राजनीतिक प्रणालियाँ पसोटी पर हैं और अभी तक कोई प्रणाली विश्व की समस्याओं का सफल समाधान कर सकी है, यह नहीं कहा जा सकता।

जनता में भौतिकवाद जीवन के मानदण्ड का आधार बन गया है। विज्ञान भौतिक जगत के रहस्यों को खोलकर जन-जीवन की मुल-मुविधा के लिये नित नये आविष्कार कर रहा है। और ये आविष्कार

ही जनता के जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बनते जा रहे हैं। इन आविष्कारों ने जन जीवन को मुविधा चाहे जो दी हो, किन्तु जन-जीवन

को अत्यन्त आकाशमय, अतृप्तिपूर्ण बना दिया है। जिन्हें वे मुविधायें नहीं मिलीं, वे इनकी उपलब्धि के लिये लालायित रहते हैं और जिन्हें मिली हुई हैं, वे नई कल्पित आवश्यकताओं और इच्छाओं के कारण व्याकुल हैं। इसी तरह व्यक्ति में इच्छाओं की व्याप, आवश्यकताओं की भूल जगत्तर विज्ञान ने असन्तोष, अतृप्ति का सातावरण बना दिया है।

जन जन से बने राज्य जन-जन की आकांक्षाओं के ही समष्टि रूप हैं। व्यक्ति की असीम आवश्यकताओं के साधनों और आर्थिक समष्टि को राष्ट्र उन्नत जीवन मान रहे हैं और उस मान तक पहुँचने के लिये अनुन्नत और अविकसित राष्ट्र वर्ज ले कर, भील माँगकर, यहाँ तक कि अपने को बेचकर भी प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु जीवन-मान की कोई निश्चित सीमा नहीं। विज्ञान निरन्तर रोजों में लगा हुआ है। उन्नत राष्ट्र अपने साधनों द्वारा उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। अनुन्नत राष्ट्र इस दौड़ में उन्नत राष्ट्रों का अनुगमन कर रहे हैं। किन्तु वे एक वर्ष के लिये जो जीवन मान का लक्ष्य लेकर चलते हैं,

● विश्व की वर्तमान समस्याएँ और अहिंसा का भविष्य

और विश्वास लेकर चलते हैं कि इस प्रश्न से वे सीमित समय में उन्नत राष्ट्रों की समानता करने लगेंगे। किन्तु अगले वर्ष वे देखते हैं कि उन्नत राष्ट्रों और उनका अन्तर आब भी उतना ही है, बितना गत था। इस बीच जीवन-मान को उठाने की प्रतियोगिता में उन्नत राष्ट्र भी दीकते रहे हैं।

प्रकृति ने मानव का पेट भरने और तन टकने को पर्याप्त दे रखा है। सब मिल बाँटकर खाएँ तो कोई भूखा और नंगा नहीं रह सकता। किन्तु जीवन-मान को उठाने और भौतिक साधन-सम्पत्तियों की इस स्पर्धा में देशों के अपने साधनों को संकुचित और अपर्याप्त बना दिया है। तब वे देश एक दूसरे से देन-लेन को बाध्य होने हैं। अनुन्नत राष्ट्र उन्नत राष्ट्रों से साधन मागतें हैं, सहयोग मागतें हैं और उन्नत समर्थ राष्ट्र उनको ये साधन और सहयोग बड़े अनुग्रह के साथ देने को तैयार हो जाते हैं। उसके बदले में वे केवल इतना ही चाहते हैं कि उन अनुन्नत राष्ट्रों के आर्थिक स्रोतों, प्राकृतिक खनिज भंडारों और सम्भव हो सके तो उनके सैनिक स्रोतों पर अपना अधिकार जमा लें। कभी कभी यह अधिकार दूसरे रूप में किया जाता है। अपने देश की बढ़ती हुई जन-संख्या, अथवा जन-संख्या की बढ़ती हुई आवश्यकताओं, अथवा दूसरे देश की प्राकृतिक सम्पत्ति के भंडारों, अथवा अपने तैयार माल के उपयुक्त बाजारों को तलाश में भी दूसरे देशों को गुलाम या फिखी रूप में अपने आश्रित बनाया जाता है। वस्तुतः आधुनिक युग में आर्थिक महत्वाकांक्षा, बाजार और प्राकृतिक खनिज स्रोतों पर अधिकार की आकांक्षा के कारण ही युद्ध होते हैं, उपनिवेश बनाये जाते हैं। अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का उद्देश्य आर्थिक शोषण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

इस तरह आज आर्थिक समस्या ही युद्ध का रूप ले रही है। इसे

० अहिंसा दर्शन

सुलभाने का उपाय किये बिना जगत में युद्ध की परम्परा का अन्त नहीं हो सकता। इसके दो ही उपाय हैं—या तो धन का समान वितरण करने की पद्धति निकलने, अथवा सन्तोष और अपरिग्रह की भावना का वातावरण पैदा किया जाय।

संसार में वैयक्तिक और सामूहिक युद्धों और विवादों का एक कारण भूमि समस्या भी रही है। इस समस्या का समाधान विभिन्न राजनैतिक पद्धतियों ने अपने अपने ढंग से किया। साम्यवाद ने राष्ट्र की समूची भूमि को राष्ट्र की सम्पत्ति घोषित कर दिया। इस तरह भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का टटा ही समाप्त करने की दिशा में यह प्रयत्न था। किन्तु बाद में इस सरकार ने भूमि के दो रूप स्वीकार किये, कोल्लेज और सोवलोज। इस तरह सामूहिक रोती के साथ २ मकान के विद्युत्-गैरे की भूमि पर व्यक्तिगत रूप से कुछ उगाने का अधिकार देकर भूमि का आंशिक स्वामित्व स्वीकार कर लिया। जनतन्त्र ने, जो पूँजीवाद का एक राजनैतिक रूप है, भूमि-समस्या के समाधान की दिशा में कोई उल्लेख योग्य समाधान प्रस्तुत नहीं किया। जहाँ सामन्तवाद, जमीन्दारी प्रथा अभी जीवित हैं, वहाँ तो अन्य आर्थिक स्रोतों की तरह भूमि पर भी कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार है, और अनेकों व्यक्ति भूमिहीन हैं। किन्तु जहाँ जमीन्दारी प्रथा समाप्त कर दी गई है, वहाँ भूमि की सीमा एकदो में व्यक्तिशः निश्चित कर दी गई है। किन्तु वहाँ भी यह समस्या समाप्त हो गई, यह नहीं कहा जा सकता। अभी वहाँ भूमिहीनों, खेतिहर मजदूरों की समस्या, पड़ती जमीन, वजर आदि की समस्या शेष है।

भारत सरकार इस समस्या का समाधान अपनी विशेष नीति के-

नगर जैसी रह गई है। अतः एक देश में होने वाली घटनाओं का प्रभाव सारे जगत् पर पड़ता है। आज दो देशों का युद्ध नामक कोई चीज इतिहास के पृष्ठों में नहीं रह गई है। अतः तो दो देशों का युद्ध विश्व का युद्ध हो जाता है। फिर युद्ध में सैनिक असेनिक का कोई भेद नहीं रह गया। अब युद्ध में केवल सैनिक ही नहीं मरते, निरीह नागरिक-स्त्री, बच्चे, बुढ़ड़े, बीमार समान रूप से मौत के घाट उतारे जाते हैं। जन हानि की तरह भीषण धन हानि भी होती है। इन कारणों से युद्ध से सभी डरते हैं, सभी आतंकित हैं, यहाँ तक कि युद्ध-लोलुपी और मौत के व्यवसायी भी युद्ध का प्रारम्भ करने में डरते हैं। इसलिये शान्ति की पुकार आप चारों ओर सुनाई दे रही है।

विज्ञान ने युद्ध को जितना भीषण और महंगा बना दिया है, वहाँ उसने युद्ध की समाप्ति को समाप्त करने की दृष्टि से भी अपने ढंग के नये नये आविष्कार किये हैं। अब विज्ञान सर्व संहारक शस्त्रास्त्रों के निर्माण में लुट रहा है। परमाणु बम और उद्जन बमों से भी अधिष भीषण प्रक्षेपणास्त्र निर्मित किये जा चुके हैं, जिनकी गति अठारह हजार मील की घण्टा है तथा जिनकी विनाशक शक्ति असीम है। दुनिया के दो विरोधी गुट इस प्रकार के सर्व संहारक शस्त्रास्त्रों की प्रतियोगिता में निरन्तर संलग्न हैं। उनका विश्वास है कि इस प्रकार के शस्त्रास्त्रों से विश्व शान्ति कायम रखी जा सकती है। दोनों ओर से खुली धमकियाँ दी जा रही हैं कि यदि दूसरी ओर से आक्रमण हुआ तो ऐसे अस्त्रों के प्रयोग में कोई संकोच नहीं किया जायगा।

आज स्थिति यह है कि दोनों ओर शस्त्र तने हुए हैं। दोनों ही अपने घात प्रतिघात में लगे हुए हैं, दोनों ही अक्सर की तलाश में हैं। दोनों को ही एक दूसरे पर मरोखा नहीं है, इसलिये दोनों

आज दुनिया में ऐसे भी देश हैं, जो इन दोनों गुटों से अपने को अलग रक्खे हुए हैं, किन्तु अपने साधनों के अनुसार वे भी अनिच्छा पूर्वक ही सही, शस्त्र सग्रह और निर्माण के लिये विवश हैं। ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है, जो विश्व शान्ति के लिये इन बमों और प्रक्षेपणास्त्रों का एक मात्र विकल्प अहिंसा स्वीकार करते हैं, किन्तु अभी उनकी कोई संगठित आवाज नहीं।

इस तरह विश्व-शान्ति नये समाधान की तलाश में है, ऐसा समाधान, जो विज्ञान की शस्त्रास्त्रों के अनुसंधान और निर्माण से विमुक्त करके मानव कल्याण के अनुसंधान और शान्ति के निर्माण में लगा सके, जो प्रभाव क्षेत्र के विस्तार की आकांक्षाओं को समाप्त करके सब देशों और सब व्यक्तियों को 'भूल करने की स्वतन्त्रता और उभे मुधारने का अधिकार' दे सके और जो मनुष्य की रक्त लोलुप वृत्ति को पारस्परिक मैत्री में बदल सके। इसका बिना युद्ध का आतङ्क और भय समाप्त करने का कोई निश्चित आश्वासन नहीं हो सकता।

विश्व के सामने एक बड़ी समस्या अनैतिकता की है। यह कैसे पैदा हुई, विश्वास पूर्वक इसका कोई निश्चित कारण तो शायद नहीं बताया जा सकता। किन्तु अंशतः यह मानव की सहज निर्भलता का परिणाम है, आशिक रूप से इसका कारण युद्ध का वातावरण, भौतिक आकांक्षा, मुक्त के साधनों का असमान वितरण है। कारण चाहे जो हो, किन्तु आज मनुष्य का जिस तीव्र गति से नैतिक ह्रास हो रहा है, वह अवश्य चिन्ता का विषय है और यदि इसे रोकने का प्रयत्न नहीं किया गया तो मनुष्य एक दिन पूरा शैतान बन जायगा, इसमें हमें सन्देह नहीं है। मनुष्य का यह नैतिक ह्रास आर्थिक, लैंगिक

● **विश्व की वर्तमान समस्यायें और अहिंसा का भविष्य**

बौद्धिक सभी क्षेत्रों में हो रहा है। शिक्षा, मनोरंजन, साहित्य, कला, परिधान सबमें ही अनैतिकता बढ़ रही है। इतना ही नहीं, अनैतिकता आज सम्पत्ता का रूप लेती जा रही है और उससे नैतिक मूल्यों और आदर्शों से लोगों की आवश्यकता उठती जा रही है। दुनिया के लिये सत्रे की बात यह है कि आज विश्व की दौड़ में नैतिकता पिछड़ गई है।

आज विश्व में सामाजिक न्याय की उपेक्षा होने के कारण द्वेष, ईर्ष्या और स्वार्थ बढ़ गई है; जाति-भेद, नस्ल-भेद, धर्म-भेद और दल-भेद के कारण मनुष्य, मनुष्य के बीच भेद की न्याय बनाम एक दीवार खड़ी हो गई है। इनके दूर करने के समाज-स्यवस्था कानून पास हो चुके हैं, किन्तु मनुष्य को न्याय नहीं मिल पा रहा। कानून और न्याय का यह अन्तर बढ़ता ही जा रहा है। फलतः गौरी चमड़ी वाला व्यक्ति नीचों के साथ बैटना अपमानजनक समझता है। अमरीका में नीचों छात्रों के साथ पढ़ने में गौरे छात्रों को आपत्ति है। दक्षिण अफ्रीका में मुट्टी भर गौरे वहाँ के मूल निवासी नीचों लोगों को हिंकारत की दृष्टि से देखते हैं, वहाँ की सरकार जाति पृथक्करण और रक्त-शुद्धि के आधार पर देश के सारे कानून बनाती है। इससे गौरों की और दूसरे लोगों की बस्तियाँ अलग हो गई हैं, बसें और स्कूल पृथक् हो गये हैं, सड़कें और कानून अलग हो गये हैं। भारत में छूआछूत कानून निषिद्ध हो गई है किन्तु लोकमानस से अभी निकल नहीं पा रही।

जाति-भेद और नस्ल-भेद की तरह देश-भेद भी बलात् किया जाता है। हर देश के नागरिक कानून अलग हैं। किसी देश का नागरिक दूसरे देश में जाकर रखाई रूप से बस नहीं सकता। दूसरे देश में

जाने के लिये पार पत्र और बीठा की आवश्यकता होती है। किसी देश के नागरिक का प्रणय सम्बन्ध दूसरे देश की महिला के साथ हो गया है तो उनको साथ रहने में कानूनी बाधाएँ पड़ती हैं। मनुष्य की नैसर्गिक फोमल भावनाओं पर भी कानून का नियन्त्रण है।

आज सामाजिक न्याय कहीं प्रतिष्ठित हो पाया है—न राष्ट्रीय क्षेत्र में, न अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। राष्ट्रीय क्षेत्र व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लेते हैं। कर देकर व्यक्ति को अपने निवास, उदरपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा दीक्षा, वस्त्र, और जीवन सम्बन्धी दूसरी आवश्यकताओं एवं विश्वास के लिये राज्य की ओर से निश्चिन्तता का आश्वासन मिल जाना चाहिये। किन्तु यह आश्वासन अभी व्यक्ति कहीं पा सका है। वह कर देने के बाद भी इन समस्याओं के प्रति आश्वस्त न नहीं। वह जो कर देता है, उसका बहुत बड़ा भाग तो अपने कल्पित शत्रु मानवों के संहार की तैयारी में लग जाता है, चौथाई से अधिक व्ययस्था के नाम पर व्यय हो जाता है। तब उसे आश्वासन देने लायक पूंजी रहती कहीं है। वास्तव में आज सारे विश्व में मिनाश के लिये एक वर्ष में जितना धन व्यय किया जाता है, वह राशि मानव निर्माण और विकास के लिये कई वर्षों के लिये पर्याप्त हो सकती है।

इसी तरह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में न्याय की प्रतिष्ठा कहीं हो पाई। अन्तर्राष्ट्रीय संगठन-संयुक्त राष्ट्र-संघ आदि इसी न्याय प्रतिष्ठा के लिये उदित हुए थे। किन्तु वे अन्तर्राष्ट्रीय गुटबन्धियों के केन्द्र बन गये हैं और इस तरह उनसे विश्व के निर्मल राष्ट्रों और उपेक्षित मानव-समूहों को जो आशा थी, वह भा धीरे धीरे धूमिल पड़ने लगी है।

वे और इसी प्रकार की और भी बहुत सी समस्याएँ हैं, जिनसे आज का मानव चिन्तित है। क्या ये समस्याएँ सदाकाल ऐसी ही बनी

मजिल पर चल दिया। विज्ञान उसके कदम पर कदम रख कर चलने लगा। और या मजिल पर मजिलें पूरी होती रहीं। मानव के पैर यन्त्र तो विज्ञान सहारा देता, भूख खताती तो अध्यात्म वृत्त कर देता। विज्ञान तब अध्यात्म का सहयोगी था। फलतः मानव समाज में तब शान्ति थी, सन्तोष था। सुख दुःख के जीवन में नैराश्य, भय और आतंक नाम को न था।

तब एक मोड़ आया। वहाँ शैतान खड़ा था। मानव को देखकर बोला—'हाँ जाना है आपको ? मानव ने बताया 'सुख के नगर में।' शैतान ने बढ़ी विनय के साथ कहा—'मुझे भी साथ लेते चलिये। साथ रहेगा तो रास्ता कटने में सुविधा रहेगी।' मानव इनकार न कर सका।

मार्ग में बातचीत होने लगी। मानव ने परिचय पूछा—'तो शैतान ने जवाब दिया—'जी, मेरा परिचय क्या। इधर अभी अभी आया हूँ, वैसे तो सब वहीं मुझे जानते हैं। मेरा नाम 'भौतिकवाद है।' निवास पूछा तो बताया—'मायानगरी।' मानव ने रास्ता काटना था। बात आगे बढ़ाई—'कैसी है वह नगरी ?' वस शैतान इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने बयान करना प्रारम्भ किया—'वहा के मकान खल जटित हैं। छतों में नीलम पन्ने लगे हैं। उसने लम्बे हीरों के बने हैं। नींव में सोना लगा है। उनकी किवाड़ खन्दन की बनी हैं। हर मकान के भीतर लम्बे लम्बे उद्यान हैं, प्रमोद-वाटिका हैं। वहा के पेड़ कभी सूखते नहीं, फूल कभी मुरझाते नहीं। केलि कीड़ा के लिये कुञ्ज हैं और जल बिहार के लिये सरोवर। खियाँ वहाँ नग्न प्रीट्टायें करती हैं। सरोवरों का जल बड़ा मादक है।

और इसी तरह न जाने क्या क्या वर्णन करता रहा। मानव मुन मुन कर आश्चर्य में भर उठा। उसे सन्देह होने लगा—'वहीं सुख का

मस्यायें और अहिंसा का भविष्य

(वर्तमान देशों में) भूमि धर्म
। इसमें काली, गोरी, पीली,
एक विशाल परिवार के सदस्य
होगा, न बड़ा और न किसी
प्रहिंसा होगी । सारे नियम और
य-हित के लिये निर्मित होंगे,
। होगा । जगत् में समभाववाद
होगी । प्रतिनिधि बनने की शर्त
मानव सेवा के साथ-साथ विशेष
प्रतिनिधि बनने के लिये चुनाव
होगा । कोई राजनीतिक पार्टी
पतीक होंगे, सत्ता के नहीं । मंत्रि-
का के साथ-साथ अपने विषय की
याँ या दूसरे प्रशासकीय पदाधि-
धिक नहीं मिलेगा । राज्य की
शिक्षा, औपधि आदि का जो
इन पदाधिकारियों की व्यवस्था
करह होगी । जैसे ही मकान,
विधायें । विशेष सेवा का
गी वीर-पूजा (Hero
नहीं । आय के सारे

वातावरण में एक विशाल परिवार के सदस्य के रूप में ही सोचें ; जहाँ देश, जाति, सम्प्रदाय आदि की सखीर्य मर्यादायें टूट जायें । सधर्मा दो तो नैतिकता के विकास में ; युद्ध हो तो अपनी बुराइयों से ।

इस प्रकार की वर्गाहीन समाज व निर्माण के लिये एक विश्व-सरकार के निर्माण का कार्य पूरा करना होगा । एक विश्व-सरकार की कल्पना आज कोई नवीन सूक्त नहीं रह गई है । ऐसी सरकार की कल्पना दशाब्दियों से चल रही है । मानना होगा, यह असंभव कल्पना नहीं है । प्राचीन भारत में छोटे-छोटे गाँवों के राजा होते थे । दशहरे पर सीमोल्लघन किया जाता था । आपस में युद्ध होते थे । जो हारता था, उससे एक निश्चित रकम नजराने के तौर पर ले ली जाती थी । उस समय के लोगों को शायद कल्पना भी न हो सकती थी कि कभी इसी जगत् में ऐसी भी एक संस्था बन सकेगी, जहाँ तमाम राष्ट्रों के प्रति निधि बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा किया करेंगे । आज तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण के बाद एक विश्व सरकार की कल्पना बहुत ही समभव हो गई है । यदि ऐसी सरकार बन सके, जो एक न एक दिन अवश्य बन कर रहेगी, तो संसार से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रों के पारस्परिक युद्ध, प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के प्रयत्न, आर्थिक शोषण, युद्ध सामग्री का असीमित उत्पादन और सर्व संहारक शस्त्रास्त्रों का निर्माण ये सारी बातें समाप्त हो जायेंगी । तब दुनिया के सारे राष्ट्र विश्व सरकार के प्रान्त हो जायेंगे, जिनकी एक केन्द्रीय सरकार होगी । तमाम प्रान्तीय सरकारों को स्वायत्त शासन के निश्चित अधिकार प्राप्त होंगे, किन्तु सुरक्षा, मुद्रा, यातायात, और शस्त्रास्त्र क उत्पादन जैसे विषय केन्द्रीय सरकार के आधीन रहेंगे । इस विश्व-सरकार में भ्रम की प्रतिष्ठा होगी । भूमि और धन का समान वितरण किया जायगा । सारे

• विश्व की वर्तमान समस्याएँ और अहिंसा का मनुष्य

संसार की आबादी सभी प्रांतों में (वर्तमान देशों में) भूमि की योग्यता के अनुसार पुनः बसाई जायगी । इसमें काली, गोपी, पीली, मूषी, सँवली सभी चन्द्रियों के मनुष्य एक विशाल परिवार के सदस्य समझे जायेंगे । अतः यहाँ न कोई छोट्टा होगा, न बड़ा और न किसी के कोई विशेष अधिकार होंगे ।

इस विश्व-सरकार का आधार अहिंसा होगी । सारे नियम और विधान अहिंसा के आलोक में मनुष्य-हित के लिये निर्मित होंगे, मनुष्य नियम और विधान के लिये न होगा । जगत् में समभाववाद होगा । चुनाव की प्रणाली सरल होगी । प्रतिनिधि बनने की शर्त मनुष्य की नैतिकता, ईमानदारी और मानव सेवा के साथ साथ विशेष शैक्षणिक योग्यता होगी । व्यक्ति स्वयं प्रतिनिधि बनने के लिये चुनाव नहीं लड़ेगा । चुनाव सर्वसम्मति से होगा । कोई राजनैतिक पार्टी नहीं होगी । शासकीय पद सेवा के प्रतीक होंगे, सत्ता के नहीं । मंत्रि-पद की शर्त में नैतिकता और जन सेवा के साथ-साथ अपने विषय की पूरी निष्णता आवश्यक होगी । मंत्रियों या दूसरे प्रशासकीय पदाधिकारियों को सत्ता का कोई विशेष पारिश्रमिक नहीं मिलेगा । राज्य की ओर से जनता का भोजन, निवास, वस्त्र, शिक्षा, औषधि आदि का जो आश्वासन मिल चुका है, उसके अनुसार इन पदाधिकारियों की व्यवस्था भी जनता के अन्य साधारण लोगों की तरह होगी । वैसे ही मकान, वैसे ही वस्त्र, वैसे ही भोजन और वैसे ही सुविधायें । विशेष सेवा का पुरस्कार जन-सम्मान होगा । और वह भी वीर-पूजा (Hero worship) के रूप में नहीं, ब्रह्मकारों के रूप में नहीं । आय के सारे स्रोतों पर समाज का समान अधिकार होगा । बैंकें नहीं होंगी, कोष होंगे । संग्रह और संचय का कोई अवसर नहीं रहेगा । मुद्रा की मात्रा

• अहिंसा दर्शन

जिन्तों में ही जीवनोपयोगी सुविधायें दी जायेंगी। कुल मिलाकर धन की कीमत नहीं होगी, मनुष्य की कीमत होगी।

और यह भी कि इस राज्य में स्वतन्त्रता केवल मानव जगत् तक ही सीमित नहीं होगी। किन्तु प्राणीमात्र इस राज्य में स्वतन्त्रता अनुभव कर सकेंगे। हत्या चाहे मनुष्य की हो या कुत्ते की, कानून दोनों मामलों में समान दृष्टि रखेगा। हत्या, डाकजनी या दूसर अपराधों की सजा शारीरिक नहीं दी जायगी, अपितु मनोवैज्ञानिक दी जायगी। ऐसे व्यक्ति जेलों में नहीं, उपचार-शुद्धों में रकते जायेंगे और वहाँ उनकी उच्छेजना के कारणों की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक खोज करके उन्हें सुधारों का अवसर दिया जायगा।

इस प्रकार की विश्व-सरकार और अहिंसक समाज की कल्पना ही तो मधुर। किन्तु प्रश्न यह है कि वर्तमान विश्व व भौतिक वातावरण और राजेठ और अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों के इस युग में ऐसे समाज और सरकार की रचना का दायित्व कौन ले सकेगा? क्या समाज के सारे मनुष्य अहिंसक बन जायेंगे, यह सम्भव हो सकेगा? क्या यह कल्पना केवल पागलों की कल्पना न मानी जायगी?

निश्चय ही इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें देना है, जो आज भी अहिंसा में निष्ठा रखते हैं। उन्हीं लोगों का दायित्व है कि अब अहिंसा की केवल मौखिक उपयोगिता न बताकर अपने जीवन-व्यवहारों से इसके प्रभाव का मूल्याङ्कन करने के लिये जगत् को प्रेरित करें। हमारा दृढ़ विश्वास है कि समाज में हर व्यक्ति अहिंसक बन सकता है। यद्यपि सारा जगत् अहिंसक हो जायगा, यह एक क्लिष्ट कल्पना होगी। फिर भी अधिकांश व्यक्तियों को अहिंसा के रचनात्मक दृष्टिकोण और प्रायोगिक उपयोगिता द्वारा अहिंसा के लिये प्रेरित किया जा

● विरव की वर्तमान समस्यायें और अहिंसा का भविष्य

ब्रह्मा है।

आज तक संसार में किसी एक सिद्धान्त का अनुगमन सारे व्यक्ति करने लगे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। किन्तु आतावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यदि आज सारे लोग भौतिकवाद की चमक से फासलौध हैं तो उसके स्थान पर आध्यात्मिक आतावरण बनाने पर प्रवृत्त ही लोग उसके रंग में रंग जायेंगे और अहिंसा को स्वीकार कर लेंगे।

भौतिकवाद का रंग राज-सत्ताओं द्वारा फैलाया गया था, राज-नैतिक उद्योग गहरा करने में लगे हुए हैं। अहिंसा का रंग छिटकाने का काम अब धार्मिकों को, सभी धर्मों के अनुयायियों को लेना होगा। अब धर्मों की कसौटी यह होगी कि ये ऐसी अहिंसक-समाज की रचना द्वारा विरव-शान्ति और विरव-वसुधा के लिये क्या योग-दान कर सकते हैं। सम्प्रदायों ने आज तक मनुष्य को मनुष्य से जुदा करने का काम किया है। धर्मों की अब मनुष्य से मनुष्य को मिलाने का काम करना होगा। भौतिकवाद और विज्ञान के द्वारा मानवता को जो गहरे अंधे लगे हैं, उन्हें मरने का काम धर्मों को करना होगा। जब धर्मों की साम्प्रदायिक मान्यतायें दबेंगी और नैतिक मान्यतायें उभरेंगी, तब धर्म अपनी सार्यकता जगत् पर सिद्ध कर सकेंगे। हमारी किन्नर मनुष्य हैं कि कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम की जो संज्ञा दी थी, वह बहुत सारे के साम्प्रदायिक रूप को दी थी, धर्म के नैतिक रूप को नहीं। धर्मों में नैतिक मान्यतायें हैं, सभी धर्मों में अहिंसा को महत्व दिया गया है। धर्म की इन्हीं नैतिक मान्यताओं और अहिंसा के इन्हीं विरव के सहारे धर्मों को अहिंसक समाज के निर्माण में बूट बनाया है। यही आज जगत् की बस मानवता की गुहार है।

भौतिकवाद और विज्ञान का सहयोग करके विश्व ने मानव-कल्याण के लिये की गई सेवाओं की वास्तविकता को अब पहचान लिया है।

‘संहार की शक्ति को दबाने के लिये उससे बड़ी अहिंसा का भविष्य संहारक शक्ति की आवश्यकता है’ इस सिद्धान्त का प्रयोग करके आज जो सर्वनाश की स्थिति आ गई है, इस सिद्धान्त में विनाश के लिये जो निमग्न छिपा है, वह भी अब ससार पर प्रगट हो चुका है। सभी अनुभव करने लगे हैं कि विनाश की इस प्रतियोगिता का अन्त अवश्य होगा और यदि यह प्रतियोगिता इसी प्रकार विश्व के रंग मंच पर चलती रही तो यह अन्त मानव जाति के अन्त के रूप में आयेगा।

सर्वनाश की इस संभावना से ही सब काँप रहे हैं। मौत के इन खेलों के कारण ससार पर विकराल मौत की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज सारा जगत् भय और आतंक के नीचे दबा हुआ साँस ले रहा है। दिल और हाथ उनके भी काँप रहे हैं, जो अपने हाथों में विनाश के शस्त्रास्त्र धामे हुए हैं, क्योंकि दूसरी ओर भी वैसे ही, बल्कि उनसे भी भयंकर शस्त्रास्त्र दिखाई दे रहे हैं।

अब लोग अनुभव करने लगे हैं कि शक्ति की स्वर्दा विश्व शान्ति का उपाय नहीं है, केवल अहिंसा ही वह उपाय हो सकता है। विनाशक शस्त्रों का प्रभावशाली विकल्प अहिंसा के अतिरिक्त और कोई नहीं मन सकता, इस प्रकार की आगजें चारों ओर से उठने लगी हैं। अब अहिंसा उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखी जाती, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन रही है। यदि आज अहिंसा के सम्बन्ध में कोई सकोच है तो वह यह है कि अहिंसा को कभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के रूप में आज तक परखा नहीं गया है; अहिंसा सशस्त्र सेनाओं का,

* विरच की वर्तमान समस्याएँ और अहिंसा का भविष्य

विनाशक शस्त्रों का सफल प्रतिरोध कर सकती है, इसे प्रभावक ढंग से अंश तक सिद्ध नहीं किया जा सका है। यदि मानव-कल्याण के लिए, जगत् को विनाश के साधनों की व्यर्थता जताने के लिए और संसार की नैतिक चेतना जागृत करने के लिए अहिंसा पर अविचल आस्था रखने वाले एक लाल व्यक्ति शान्ति दल बना कर हर उस स्थान पर पहुँच जायें, जहाँ युद्ध होने की संभावना हो और पहली गोली अपनी छाती पर भेलने को तैयार हो जायें तो भले ही वे एक लाल व्यक्ति अपनी अहिंसक निष्ठा के कारण मर जायें, किन्तु वे अपने आत्मोत्सर्ग और निष्ठा से युद्ध, विनाश और शस्त्रास्त्रों के विश्वास को विश्व में से सदा के लिए उठा जायेंगे।

हर सिद्धान्त बलिदान चाहता है, हर विश्वास उत्सर्ग चाहता है। विनाश पर विश्वास करने वाले जगत् के मानव-प्राणियों को दायं पर लमा रहे हैं; अपने विश्वास को सही सिद्ध करने के लिए लाखों व्यक्तियों की सेना खड़ी कर रहे हैं; मानव जगत् के सर्वश्रेष्ठ बुद्धि-बल को विनाश के साधन खोजने में जुटा रहे हैं और मानव को मुख देने की क्षमता रखने वाले धन को मानव-संहार के निमित्त बहा रहे हैं। किन्तु दूसरी ओर अहिंसा में जिनका विश्वास प्रबल है वे संहारक साधनों की व्यर्थता सिद्ध करने के लिए अभी क्या कर रहे हैं? संहारक शस्त्रों द्वारा हिरोशिमा और नागासिका नगरों की चिता जला कर और वहाँ लाखों मानवों की लाशों का ढेर लगा कर उस श्मशान में शान्ति का जो भस्म गाढ़ा गया था, उससे हिंसा-वादियों को विश्व शान्ति के लिए संहारक शस्त्रों की उपयोगिता सिद्ध करने का एक अवसर मिला गया है। किन्तु युद्ध में मृत मानवों के लोपड़ों में से निकलने वाले प्रच्छन्न आर्तनादों, मृतों के सम्बन्धियों की चीत्कारों और मरने से बचे

भौतिकवाद और विज्ञान का सहयोग करके विश्व ने मानव-कल्याण के लिये की गई सेवाओं की वास्तविकता को अब पहचान लिया है।

‘संहार की शक्ति को दबाने के लिये उससे बड़ी अहिंसा का भविष्य संहारक शक्ति की आवश्यकता है’ इस सिद्धान्त का प्रयोग करते आज जो सर्वनाश की स्थिति आ गई है, इस सिद्धान्त में विनाश के लिये जो निमग्न छिपा है, वह भी अब सत्तार पर प्रगट हो चुका है। सभी अनुभव करने लगे हैं कि विनाश की इस प्रतियोगिता का अन्त अशुभ होगा और यदि वह प्रतियोगिता इसी प्रकार विश्व के रंग मंच पर चलती रही तो वह अन्त मानव जाति के अन्त के रूप में आवेगा।

सर्वनाश की इस संभावना से ही सब घँप रहे हैं। मौत के इन खेला के कारण सत्तार पर विकराल मौत की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज सारा जगत् भय और आतंक के नीचे दबा हुआ साँस ले रहा है। दिल और हाथ उनके भी घँप रहे हैं, जो अपने हाथों में विनाश के शस्त्रास्त्र धामे हुए हैं, क्योंकि दूसरी ओर भी वैसे ही, बल्कि उनसे भी भयंकर शस्त्रास्त्र दिखाई दे रहे हैं।

अब लोग अनुभव करने लगे हैं कि शक्ति की सर्वांगी विश्व शान्ति का उपाय नहीं है, केवल अहिंसा ही वह उपाय हो सकता है। विनाशक शस्त्रों का प्रभावशाली निरुत्पन्न अहिंसा के अतिरिक्त और कोई नहीं बन सकता, इस प्रकार की आवाजें चारों ओर से उठने लगी हैं। अब अहिंसा सपेक्षा की दृष्टि से नहीं देरी जाती, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन रही है। यदि आज अहिंसा के सम्बन्ध में कोई सकोच है तो वह यह है कि अहिंसा को कभी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के रूप में आज तक परता नहीं गया है; अहिंसा सशस्त्र सेनाओं का,

● विरव की वर्तमान समस्याएँ और अहिंसा का भविष्य

विनाशक शस्त्रों का सकल प्रतिरोध कर सकती है, इसे प्रभावक ढंग से अब तक सिद्ध नहीं किया जा सका है। यदि मानव-व्यवस्था के लिए, जगत् को विनाश के साधनों की व्यर्थता बनाने के लिए और संग्राम की नैतिक चेतना जागृत करने के लिए अहिंसा पर अविचल आस्था रखने वाले एक लाख व्यक्ति शान्ति दल बना कर हर उग्र स्थान पर पहुँच जायें, वहाँ युद्ध होने की संभावना हो और पहली गोली अपनी छाती पर मेलने को तैयार हो जायें तो मंते ही वे एक लाख व्यक्ति अपनी अहिंसक निष्ठा के कारण मर जायें, किन्तु वे अपने आत्मोत्सर्ग और निष्ठा से युद्ध, विनाश और शस्त्रास्त्रों के विश्वास की विरव में से सदा के लिए उठा जायेंगे।

हर सिद्धान्त बलिदान चाहता है, हर विश्वास उत्सर्ग चाहता है। विनाश पर विश्वास करने वाले जगत् के मानव-शक्तियों को दाँव पर लगा रहे हैं; अपने विश्वास को सही सिद्ध करने के लिए लाखों व्यक्तियों की सेना खड़ी कर रहे हैं; मानव जगत् के सर्वश्रेष्ठ बुद्धि-बल को विनाश के साधन खोजने में जुटा रहे हैं और मानव को मुग्न देने की क्षमता रखने वाले धन को मानव-व्यंश के निमित्त बहा रहे हैं। किन्तु दूसरी ओर अहिंसा में बिनका विश्वास प्रबल [वे संहारक साधनों की व्यर्थता सिद्ध करने के लिए अपनी क्या कर रहे हैं? संहारक शस्त्रों द्वारा हिरोशिमा और नागाकिमा नगरों की किना जला कर और यहाँ लाखों मानवों की लाशों का ढेर लगा कर उग्र समान में शान्ति का जो भयंकर गाढ़ा गया था, उसके विनाशवादियों को विरव शान्ति के लिए संहारक शस्त्रों की उपयोगिता सिद्ध करने का एक अवसर मिल गया है। किन्तु युद्ध में मृत मानवों के शरीरों में से निकलने वाले प्रच्छन्न आर्तनादों, मृतों के समन्वितों की

● अहिंसा दर्शन

दृष्ट मानव-जगत् के आतंक विभ्रदित हृदयों की सहमी हुई साँसों में आज गारा आकाश भर उठा है। और विश्व को बलात् चला देने को धाँप होना पड़ रहा है कि हिंसा शमयान की जिस शान्ति को यों सपनी है, वह अब एक सपना भी साँसनीय नहीं रह गई। विश्व की इस मनोभूमिका ने अहिंसा के लिए भूमिका प्रशस्त कर दी है। तो अहिंसावादियों को इस मनोभूमिका से लाभ उठाने और अहिंसा की अमोघ शक्ति को सिद्ध करने की आवश्यकता भर शेष रह गई। और यह सभी संभव हो सकता है, जब ये अस्तुत्तमा और प्रचेष्टणाओं को विश्व-हित की कामना से अपने उन्मर्ग और धनिदान द्वारा व्यर्थ कर दें। इसके लिए आवश्यक है कि तमाम जगत् में धितर हुए अहिंसावादी संगठित होकर जन-जन के मानस को अहिंसा के पक्ष में आन्दोलित कर दें। हमारा यह विश्वास है कि यह होगा और अयश्व होगा। तब विश्वशान्ति विश्व के समस्त प्राणियों को आतंक, अत्याचार, द्रोह और शोषण से अभय-दान बन जायगी, तब विश्व शान्ति समस्त स्थावर और जगम जीवों को जीने के अधिकार का एक आशयान होगी।

अहिंसा के उज्वल भविष्य में हमारी आस्था अट्टिग है। हम उस उज्वल भविष्य को जल्दी से जल्दी लाने का निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे। हमारा आत्र का स्वप्न किसी 'बल' को सत्य होगा। इसीलिए हमारा यह विश्वास कभी क्षीण नहीं होगा कि एक दिन भगवती अहिंसा अपने तमाम पुत्रों को, जगत् के सभी प्राणियों को अभय और आनन्द देती हुई जगत् में प्रतिष्ठा का उच्च आसन प्राप्त करेगी। तब भगवती अहिंसा की शरणा में आकर मनुष्य को अपने किसी कृत्य के लिए लज्जा उठाने का अवसर नहीं रहेगा।

• अहिंसा दर्शन

हुए मानव-जगत् के आतंक विजडित हृदयों की सहमी हुई रासों से आज सारा आकाश भर उठा है। और विश्व को घलात् घेरने वाला जो घाव्य होता पड़ रहा है कि हिंसा मनसान की जिस शान्ति को शोष सकती है, वह अब एक क्षण को भी पाल्नीय नहीं रह गई। विश्व की इस मनोभूमिका ने अहिंसा के लिए भूमिका प्रशस्त कर दी है। तो अहिंसावादियों को इस मनोभूमिका से लाभ उठाना और अहिंसा अमोघ शक्ति को सिद्ध करने की आवश्यकता भर शेष रह गई और यह तभी समभव हो सकता है, जब वे अणुबमों और प्रक्षेपणालों को विश्व हित की कामना से अपने उत्सर्ग और बलिदान द्वारा ध्वंस कर दें। इसके लिए आवश्यक है कि तमाम जगत् में बिखरे हुए अहिंसावादी संगठित होकर जन-जन के मांस का अहिंसा के पक्ष में आन्दोलित कर दें। हमारा यह विश्वास है कि यह होगा और अवश्य होगा। तब विश्वशान्ति विश्व के समस्त प्राणियों को आतंक, अत्याचार, द्रोह और शोषण से अभय दाग वा ज्ञायगी, तब विश्व शान्ति समस्त स्थावर और जगम जीवों को जीने के अधिकार का एक आश्वासन होगी।

अहिंसा के उज्वल भविष्य में हमारी आस्था अडिग है। हम उस उज्वल भविष्य को जल्दी से जल्दी लाने का निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे। हमारा आज का स्वप्न किसी 'कल' को सत्य होगा। इसीलिए हमारा यह विश्वास कभी क्षीण नहीं होगा कि एक दिन भगवती अहिंसा अपने तमाम पुत्रों को, जगत् के सभी प्राणियों को अभय और आनन्द देती हुई जगत् में प्रतिष्ठा का उच्च आसन प्राप्त करेगी। तब भगवती अहिंसा की शरण में आकर मनुष्य को अपने किसी कृत्य के लिए लज्जा उठाने का अवसर नहीं रहेगा।

वित्तरापथं विद्योत मंडलं
दीपकं च

जैन दर्शन में
तत्त्व-मीमांस

